अंक- 57
जनवरी- जून 2016
ISSN. 0972-5881

ग्रामीण विकास समीक्षा

महिला सशक्तिकरण

विशेषांक

राग्रावि पं रासं
NIRDPR

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. (भारत)

(तेलंगाना) द्वारा प्रकाशित एक अर्ध वार्षिक पत्रिका है।

पत्रिका का मुख्य उदेश्य ग्रामीण विकास में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक विज्ञान और ग्रामीण विकास के बीच एक सुदृढ़ संयोजन स्थापित करता है तथा ग्रामीण विकास से जुड़े नीति निर्माताओं, कार्यपालकों तथा विभिन्न समाजविज्ञान आयामों के लिए विचार विनिमय का एक मंच उपलब्ध कराता है।

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार है और इनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (हैदराबाद) किसी भी प्रकार जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय मंडल

अध्यक्ष
डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी
महानिदेशक

सदस्य
श्रीमती चंदा पंडित
रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशा.)

सदस्य
डॉ. सी एस सिंघल
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
(सी जी एस डी)

सदस्य
डॉ. ज्ञान मुद्रा
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
(सीएचआरडी)

सदस्य
डॉ. आर एम पंत
निदेशक, एनईआरसी, गुवाहाटी

सदस्य
डॉ. आर आर प्रसाद
सलाहकार एवं अध्यक्ष (प्रभारी) (सीईएसडी)

संपादक
श्रीमती अनिता पांडे
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सहायक संपादक
श्री ई रमेश
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (रा.भा.)

ग्रामीण विकास समीक्षा सहयोगी लेखकों के लिए

प्रकाशन की निरंतरता को बनाये रखने के लिए लेखकों से अनुरोध है कि ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मौलिक, अनुसंधानात्मक तथा विश्लेषणात्मक लेख मूल रुप से हिन्दी में ही लिखें तथा हमें यथाशीघ्र प्रेषित करने की कृपा करें ताकि इस ज्ञान गंगा को जन साधारण तक ले जाया जा सके। फलत: ऐसे लेखों की भाषा सरल एवम् बोधगम्य हो तथा आंकड़ो व सारणियों का कम से कम प्रयोग हो। लेख टंकित होना चाहिए। हस्तलिखित लेख स्वीकार नही किये जायेंगे। इस संबंध में यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो संपादक से संपर्क करें।

ग्रामीण विकास समीक्षा
महिला सशक्तिकरण
विशेषांक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. (भारत)

महानिदेशक की कलम से .....

ग्रामीण विकास समीक्षा के विशेषांक **''महिला सशक्तिकरण''** को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव हो रहा है ।

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि महिला की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नही हो सकता क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है । ''देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा ।'' एक बार जब महिला कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है ।

विश्व में महिला सशक्तिकरण कोई नई बात नही है । इतिहास बताता है कि विश्व में महिलाएँ लम्बे समय से जेंडर असमानता का सामना कर रही है । भारतीय समाज भी शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है । यहाँ महिलाओं को हमेशा से दूसरे दर्जे का माना जाता है । महिलाओं को अपने मन से कुछ करने की सख्त मनाही थी । परिवार और समाज के लिए वे एक आश्रित से ज्यादा कुछ नही समझी जाती थी । भारत के संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है ।

जेंडर समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है । ये जरूरी है कि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों । एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है, महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है । महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है । देश को पूरी तरह से विकसित बनाने तथा विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एक जरूरी हथियार के रूप में है महिला सशक्तिकरण ।

स्थान : हैदराबाद

वु. रामपुल्ला रेड्डी

महानिदेशक

अनुक्रम

क्र.सं.	विषय एवं लेखक	पृ. सं.
1.	पंचायती राज में अनुसूचित महिला का नेतृत्व एवं राजनीति सहभागिता ● डॉ. अनुपमा जायसवाल	1-8
2.	महिला सशक्तिकरण हेतु गांधी विचार एवं जैन दर्शन की भूमिका : एक अवलोकन ● डॉ. दीपा जैन ● डॉ. लोकेश जैन	9-17
3.	महिला सशक्तिकरण यथार्थ एवं चुनौतियाँ (महिलायें - शैक्षिक सामाजिक स्थिति) ● प्रो. श्रीमती शोभासिंह ● डॉ. अनुजा तिवारी	18-22
4.	भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण का योगदान ● डॉ. अविनाश मिश्रा	23-30
5.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण ● शशि रानी	31-33
6.	शालात्यागी आदिवासी बालिकाओं की स्थिति : राजस्थान के झाडोल खण्ड के संदर्भ में एक अध्ययन ● श्री मनीष बिश्नोई ● श्री रामचन्द्र पंडित	34-41
7.	सामाजिक चेतना से महिला सशक्तिकरण ● डॉ. प्रो. संजुला थानवी	42-55
8.	सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं महिला सशक्तिकरण और चुनौतियाँ ● डॉ. दलीप सिंह	56-73
9.	महिला सशक्तिकरण पर गांधीजी के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता (अहिंसक समाज रचना के संदर्भ में एक विश्लेषण) ● डॉ. लोकेश जैन ● प्रो. राजीव पटेल	74-83
10.	महिला सशक्तिकरण में डिजिटल साक्षरता का योगदान ● डॉ. अरविंद कुमार शर्मा	84-89
11..	भारत में महिला सशक्तिकरण : अवधारणा एवं मुद्दे ● डॉ. रमेशप्रसाद द्विवेदी	90-111

क्र.सं.	विषय एवं लेखक	पृ. सं.
12.	ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और जेण्डर आधारित भेदभाव ● डॉ. अमरनाथ शर्मा ● डॉ. सुचित्रा शर्मा	112-117
13.	महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षकों का अभिमत ● डॉ. स्मिता पंचोली ● डॉ. मितेष जुनेजा	118-124
14.	छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण ● डॉ. अशोककुमार जायसवाल	125-133
15.	भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के उपकरण जनमाध्यम ● संदीप भट्ट	134-142
16.	ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं आरोग्य ● डॉ. मीनू जैन	143-147
17.	महिला सशक्तिकरण : भारतीय परिदृश्य अवलोकन ● आशीषकुमार तिवारी	148-151
18.	कृषिरत महिला : बढ़ती जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ ● शिवाजी अरगडे ● अनन्ता सरकार ● सागर वाडकर	152-155
19.	महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के प्रति स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन (सागर जिले के संदर्भ में) ● ममता व्यास ● मोहसिन उद्दीन	156-165
20.	भारत में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की भूमिका ● डॉ. दशमन्तदास पटेल ● राजेशकुमार मर्सकोले	166-170
21.	महिला सशक्तिकरण; ''एक पहल'' ● सीमा जाट	171-173
22.	कहाँ से हो तेरी शुरुआत ● दिवाकर चौधरी	174-176
23.	महिला एवं महिला सशक्तिकरण ● रामराज रेड्डी	177-181

क्र.सं.	विषय एवं लेखक	पृ. सं.
24.	महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा : एक विश्लेषण ● सुनील ● महन्तेश	182-185
25.	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की एक विवेचना : राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में ● सुनीता चौधरी ● भरतकुमार चौधरी	186-200
26.	ग्रामीण महिलाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन ● डॉ. दिनेश कुमार चौधरी	201-210
27.	ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और स्वसहायता समूह ● डॉ. (श्रीमती) मीनाक्षी सौभरी	211-223

1. पंचायती राज में अनुसूचित महिला का नेतृत्व एवं राजनीति सहभागिता

*** डॉ. अनुपमा जायसवाल**

सारांश

भारत में अनुसूचित तथा जनजातियों प्रायः शहर ग्राम तथा एकाकी क्षेत्रों में निवास करती है स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष के बाद भी ये लोग संचार माध्यमों तथा सूचनाओं की कमी के कारण अलगाव तथा अत्याचार भरी जिन्दगी जी रहे है । महिलाओं की राजनैतिक स्थिति में सुधार हेतु पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है । मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड में ये आरक्षण 50 प्रतिशत है यद्यपि देश की संसद एवं विधान सभाओं में 33 प्रतिशत का विधायक राज्य सभा में स्वीकार हो चुका है । जिससे महिलाओं की राजनैतिक स्थिति सुदृढ हुई है इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में गतिशीलता लाने वाले कारकों में महिलाओं को दिये गये कानूनी अधिकार शिक्षा की स्वतंत्रता, महिला कल्याण कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिकीकरण, संचार साधनों की भूमिका एवं वैश्वीकरण मुख्यतः रहे है, जिनके फलस्वरूप महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है ।

प्रस्तावना :

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73 वाँ संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है । विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है । प्रस्तुत अध्ययन ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर आए अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है ।

प्रस्तुत अध्ययन में विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजिक प्रस्थिति को उल्लेखित किया गया है । इसी क्रम में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है ।

---

* सहा. प्राध्यापक, शिक्षा संकाय, नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर

भारतीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायत राज व्यवस्था रही है । सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्य ने जब समूहों में रहना सीखा पंचायती राज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आए हैं । इस व्यवस्था को विभिन्न कालों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता रहा कभी वे गणराज्य कहलाए,कभी नगर शासन व्यवस्था और कभी किसी अन्य नाम से उनकी पहचान हुई, लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ रहने मिलजुल कर काम करने और अपनी तात्कालिक समस्याओं को अपने आप सुलझाने की प्रवृत्ति निरंतर विकसित होती रही । सहकारिता और आत्म-निर्भरता या स्वावलंबन इन व्यवस्थाओं का मूल मंत्र रहा है ।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत में एक मजबूत पंचायतीराज शासन पद्धति का स्वप्न संजोया था जिसमें शासन कार्य की सबसे प्रथम ईकाई पंचायतें होगी । उनकी कल्पना पंचायतों की शासन व्यवस्था की धूरी होने के साथ ही आत्मनिर्भर पूर्णतया स्वायत्त और स्वावलंबी होने की थी । स्वतंत्रता के पश्चात् महात्मा गांधी की इस परिकल्पना को साकार करने हेतु समय-समय पर प्रयास किये गए । कभी ग्रामीण विकास के नाम पर और कभी सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को लोकतंत्र का मूल आधार मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता रहा । अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह के प्रयोग इसके लिए चले । कुछ असफल रहे तो कुछ सफल रहे और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बने लेकिन पूरे देश में प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके बुनियादी स्तर पर पंचायतीराज की स्थापना और जनता के हाथ में, सीधे अधिकार देने की शुरुआत संविधान के 73 वें संविधान अधिनियम के माध्यम से संभव हुई ।

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया । पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ ।

पंचायती राज में अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व का उद्देश्य :-

1. अनुसूचित जाति वर्ग के महिला नेतृत्व की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना जिसमें मुख्यतः उम्र, परिवार का आकार, शिक्षा, परिवार का आर्थिक स्तर, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, धर्म आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है ।

2. पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में महिला नेतृत्व के दृष्टिकोण का पता लगाना तथा नवीन पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जानकारी, पंचायतों की

निर्वाचन प्रक्रिया, आरक्षण की व्यवस्था, पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार एवं कर्त्तव्य, पंचायत प्रतिनिधियों का ग्रामीण विकास के संदर्भ में सोच, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की दिशा में प्रतिनिधियों की सजगता का स्तर पंचायतीराज की कार्य प्रणाली की जानकारी, कार्य करने में आने वाली बाधाएँ इत्यादि ।

3. अनुसूचित जाति महिला वर्ग की राजनीतिक सजगता एवं अभिरूचि का मूल्यांकन करना तथा दलीय संबंधता राजनीतिक पृष्ठभूमि, स्थानीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण समाज के पिछडे एवं दलित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य योजना प्रशासन से संबंध, राजनीतिक महत्वकांक्षा, अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व की इच्छा शक्ति आदि ।

एस.एस. ढिल्लन (1955) ने दक्षिण भारतीय ग्रामों में नेतृत्व एवं वर्ग संबंधी अध्ययन किया । अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप में मुख्य तीन रूप से तीन तत्व प्रभावी होती हैं - प्रथम परिवार का उच्च सामाजिक स्तर, द्वितीय परिवार का आर्थिक स्तर, तृतीय व्यक्तिगत व्यक्तित्व के लक्षण ।

उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन से संबंधित अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि भारत में ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण धन पारिवारिक प्रतिष्ठा, आयु, व्यक्तित्व के लक्षण, शिक्षा, बाह्य नेतृत्व से मेलजोल एवं प्रभाव, पारिवारिक प्रभावशीलता एवं वंश आदि तत्वों पर निर्भर करता है ।

पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं स्थानीय नेतृत्व संबंधी अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं उच्च स्तर के नेतृत्व के बीच नए प्रकार के राजनीतिक संबंध विकसित हुए है, जिसके तहत पंचायती स्तर को नेतृत्व उच्च स्तर के नेतृत्व के लिए वोट बैंक के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ है, एवं इस प्रकार से सौदेबाजी की एक नई राजनीति का प्रचलन हुआ है ।

73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में नवीन पंचायतीराज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ । इस व्यवस्था के अनुरूप ही मध्यप्रदेश में पंचायत राज का विधान बना तथा पंचायतीराज संस्थाओं का गठन हुआ । इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे वर्ग एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की स्वायत्त इकाइयाँ बनाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं को अधिकार, शक्तियों एवं कर्त्तव्य प्राप्त हुए । निर्देशन में 94 अनुसूचित जाति महिला सरपंचों को सम्मिलित किया गया । महिला सरपंचों से जानकारी एक साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से एकत्रित की गई ।

अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति की वास्तविक स्थिति का ही प्रतिनिधित्व करती है । अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व पंचायतों में कम प्रतिस्पर्धा से आया है । उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात उत्साहवर्धक मानी जा सकती है । अनुसूचित जाति के इन नेताओं, सरपंचों के उत्तरों को समग्र रूप से देखा जाये । ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है । अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की पंचायतों में सजग एवं जागरुक नेतृत्व देने में सक्षम होगी ।

पंचायती राज में महिला की भूमिका

भारत में पंच परमेश्वर तथा महिला स्वतंत्रता की परंपरा प्राचीनकाल से ही प्रचलन में थी । पंचपरमेश्वर के रूप में ईमानदार और निष्ठावान सदस्य निष्पक्ष होकर सच्चा और सस्ता न्याय देते थे तथा महिलाएँ स्वतंत्रता पूर्वक अपने को साक्षर, शिक्षित और सशक्त बनाकर सामाजिक व्यवस्था को संतुलित एवं सर्वहितकारी बनाने में निर्विघ्न नहीं रह पाया। दुर्भाग्यवश सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के काल में विदेशी शासक अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु पंचायतीराज व्यवस्था तथा महिला स्वतंत्रता को जान-बुझकर समाप्त करने की चेष्टा करते रहे । महिलाओं को घरो की दीवारों के अंदर बंद रखने के लिए सतत प्रयास होते रहे, ताकि वे निरक्षर, अविकसित और शक्तिहीन बन जाएँ । ऐसी विकृत व्यवस्था स्थापित करने में एक सीमा तक सफल भी हुए । सौभाग्य से सन् 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और सक्रिय करने का प्रयास किया गया, फिर भी पुरुषों में सैकड़ों वर्षों की दासता वाली मानसिकता तथा महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता और अवलापन की स्थिति के कारण पंचायती राज व्यवस्था सुप्रढ़ और सक्रिय नहीं हो सकी । परिणामतः पुनर्जीवित की गई उस व्यवस्था से जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए थे, वे प्राप्त नहीं हो सके । इस विफलता के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि पुनर्जीवित की गई उस व्यवस्था से जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए थे, वे प्राप्त नहीं हो सके । इस विफलता के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि उस पुनर्जीवित पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागित 4 शताब्दियों तक नगण्य सी रहती रही । उस स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय संविधान में सन् 1992 में एक संशोधन अधिनियम (73 वाँ और 74 वाँ संशोधन) पारित किया गया, ताकि पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम तिहाई अवश्य हो सके । संविधान के संशोधन से यह स्थिति तो बनी कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिल गया ।

आधुनिक काल में अनुसूचित जाति समुदाय की सामाजिक स्थिति को परिवर्तित करने के लिए तथा शोषण, अन्याय और असमानता की व्यवस्था का अन्त करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्वसे ही अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न किए गए हैं । ब्रिटिशकाल में पुलिस, कानून और न्याय की नवीन व्यवस्था स्वीकार करके परंपरागत जातिगत संस्तरण पर आधारित न्याय और सामाजिक आदान-प्रदान की व्यवस्था पर आघात किया । ब्रिटिश काल में ही अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, नवीन शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य के मूल्य, आदर्श और संस्थायें तथा नवीन सामाजिक विद्यानों ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के प्रति समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हरिजन अछूतोद्धार और हरिजन कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाने लगा । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस कार्य को नवीन संवैधानिक राजनीतिक और आर्थिक बल प्रदान किया गया है ।

वर्तमान पंचायतीराज सामाजिक समता, और न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन का नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है । इसी क्रम में पंचायतीराज में महिलाओं के प्रमुख प्रयास रहे है ।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था

वैदिक काल में ये पंचायते बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी । महाभारत काल के समय में पंचायतें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयाँ थी । यहाँ तक कि राजा-महाराजा भी इन प्रथम इकाइयों, जो कि लोगों को स्थानीय प्रशासन और न्याय देती थी, के कार्य को बीच में बाधित करने से कतराते थे । श्री के. एम. पन्नीकर पंचायतों को प्राचीन भारत की बुनियाद मानते है । युद्ध के बारे में निर्णय लेने के साथ पंचायतें ग्रामों की सुरक्षा, कर लगाने का काम, स्थानीय झगड़ों का निपटारा, योजना का कार्यान्वयन और साधारण अधिकार की योजना की भी अधिकारिणी शक्ति रखती थी ।

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था -

भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 40 में पंचायतों के लिए मुख्य प्रावधान रखे गए । इसमें कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन कर सकता है और उन्हें वह अधिकार और शक्ति दे सकता है, जो उन्हें स्थानीय स्वायत्त सरकार की तरह कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सकें ।

देश की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को समाज और जीवन के हर क्षेत्र में समानता के अवसर प्राप्त करने के योग्य बनाती है । वे ही पंचायतों से उनकी संबंधता

पर असर डालती है । महिलाओं के बराबरी के दरजे की पहली बार भारतीय संविधान में मान्यता मिली ।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के लिए कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार रखने की स्वतंत्रता, विश्वास और पूजा-पाठ, समान अधिकार और अवसर आपको आपसी भाई-चारे से आगे बढ़ाना, सभी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर देश की एकता बनाये रखने जैसे सुझाव पारित हुए ।

भारतीय महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सभी अधिकार प्राप्त थे । भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेदों में महिलाओं को अधिकार दिये गये । विभिन्न अनुच्छेद में महिलाओं को कानून की नजरों में सब समान है तथा भेदभाव को निषेध माना गया है । राज्य के किसी भी कार्यालय में सशक्तिकरण अथवा नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध हो । राज्य नीति के संबंध में संविधान में नीति निर्देशक तत्व बनाए गए है, जिनमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है ।

पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति

भारतीय नारी सृष्टि के प्रारम्भ से ही अनंत गुणों का भण्डार रही है वह दया, करूणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है । किसी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से ही परिलक्षित होती है । महिलाएँ समाज की रचनात्मक शक्ति होती है । आने वाले कल को सुधारने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना होगा ।

74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 73 वें संशोधन की तरह ही शहरी स्थानीय निकाय, नगर-निगम और घोषित क्षेत्र प्राधिकरण के लिए प्रावधान बनाए गए । यह देश की महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है । संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है । संविधान अधिनियम 81 वें संशोधन का निर्माण हुआ । जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया ।

निष्कर्ष :-

''पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभागिता'' शीर्षक के अंतर्गत यह कहना उचित होगा कि पंचायती राज भारत के लिए कोई नई बात नहीं है ।

महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है । इसके साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखा गया है ।

प्रस्तुत समीक्षा में देखने का यह प्रयास किया गया है कि तीव्रगति से परिवर्तित हो रही ग्रामीण राजनैतिक संरचना की वर्तमान स्थिति में पंचायतों का क्या स्थान है, इनकी असफलता के क्या कारण है तथा इनका संचालन कैसे सही ढंग से हो सकता है । इस ग्रामीण विकास प्रक्रिया में ब्लॉकों की क्या उपयोगिता रही है और ब्लॉकों की असफलता के संदर्भ में नेताओं के क्या दृष्टिकोण है ।

प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की ग्रामीण सहभागिता में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है । परिवार के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है । अन्य योजनाओं की भांति रेशम उद्योग में भी महिलाओं का योगदान बहुत अधिक है परन्तु इस उद्योग के प्रबंधन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अभी तक बहुत कम कार्य किया गया है । सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर के अनुसार कीटों के कीटपालन में महिलाओं की सहभागिता 69 प्रतिशत है तथा रेशम उद्योग के विभिन्न क्रिया-कलापों में उनका उनका श्रमांश 53 प्रतिशत है । इससे यह स्पष्ट है कि रेशम उद्योग में महिलाओं की सहभागिता बहुत अधिक है ।

संदर्भ ग्रंथ

1. एच.एस. ढिल्लन, लीडर शिप एण्ड ग्रप्स इन साउथ इण्डिया विलेजस, प्रोग्राम ईवेल्युएशन आर्गेनाइजेशन,प्लॉनिग कमिशन, नई दिल्ली, 1995
2. ऑस्कर लेविस, ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इंडिया विलेजस, ए स्टडी ऑफ फ्रेक्शन, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली, 1958
3. अवतार सिंह लीडर शिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर, स्टलिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1963
4. बी.एस. भार्गव, पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1979

5. डी.एस. चौधरी, इमर्जिंग रूरल लीडरशिप इन इण्डियन स्टेटस, मंथन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1981

6. कुरुक्षेत्र (1964) पंचायती राज और महिला विकास, पाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर

7. शर्मा हरिश्चन्द्र (1968) भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

8. प्रसाद ईश्वरी (1965) भारत का इतिहास भाग - 1 इंडियन प्रेस. इलाहाबाद

9. त्रिपाठी आर पी. (1956) राइज एण्ड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद ।

2. महिला सशक्तिकरण हेतु गांधी विचार एवं जैन दर्शन की भूमिका : एक अवलोकन

*** डॉ. दीपा जैन**
*** डॉ. लोकेश जैन**

महिला सशक्तिकरण का अभिगम जिस रूप में आज हमारे समक्ष हैं उसके परिणामों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हम सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के आर्थिक विकास, आजादी और उनका पुरुषों की बराबरी के अधिकार तक सिमटकर रह गये हैं और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भूल चुके हैं कि महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि वास्तविक समस्या से निजात पायी जा सके, जड़ों में पैदा हो चुकी सडांद को खुरच कर फिर से इस व्यवस्था को नूतन परिधानों से युक्त किया जा सके। औपचारिक व अनौपचारिक क्षितिज पर महिला सशक्तीकरण के कई सारे प्रयास हुए, दूषणों को खत्म करने व समानता लाने के लिए संवैधानिक व कायदाकीय प्रावधान भी किए गए किन्तु इस सबके बावजूद हम इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि महिला और पुरुष जीवन की गाड़ी के दो पहिये पूरकता के स्वरूप में साथ चलने के स्थान पर विपरित दिशा में गति करने लगे। इस खिंचाव ने जो दूरियां व खाई पैदा की, जो क्षति की उसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। यदि हम गांधी विचार की दृष्टि से सोचे तो पाते हैं कि इस अधूरेपन को भरने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है वह सही नहीं है, उसमें साधन शुद्धि का विचार नहीं है, उसमें हृदय परिवर्तन की बात नहीं हैं अपितु अधिपत्य साबित करने की अहम तुष्टि का भाव निहित है, जिसकी उपस्थिति में समाज में प्रेम व शांति कैसे संभव है ? महिला सशक्तिकरण की समस्या का वास्तविक रूप क्या है ? इसकी आवश्यकता क्यों है ? इस समस्या के उदय होने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं तथा जैन दर्शन व गांधी विचार में ऐसे कौन से अहिंसात्मक उपायों की चर्चा की गई है जिन पर अमल करके जीवन की गाड़ी के इन दोनों पहियों (स्त्री-पुरुष) को समान गरिमा, मजबूती व प्रतिबद्धता के साथ न सिर्फ पटरी पर लाया जा सकता है अपितु नैतिकता के पैमाने पर लंबे समय तक दौड़ाया जा सकता है वह भी एक दूसरे की परवाह के साथ, सहनशीलता के साथ और मानवीय संवेदना के साथ। इस विभावना के मद्देनजर यह लेख

* (प्राकृत एवं जैन दर्शन, सहकारिता प्रबंधन) जनसहभागिता विकास संस्थान, 73-74 महादेवनगर, न्यू लोहाण्डी रोड, जयपुर - 302013. (राज.) E-mail : dr.deepajain_jain@yahoo.com

* सह-प्राध्यापक - ग्रामीण प्रबंध, ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, रांधेजा-गांधीनगर (गुजरात) 382620 E-mail : lokeshesrm@yahoo.co.in

तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला भाग नैतिकता व नीत्तिमत्ता के आइने में महिला सशक्तिकरण के अभिगम की स्पष्टता करता है, दूसरा भाग महिला सशक्तिकरण की वर्तमान समस्या के विभिन्न पहलुओं की विभीषिका पर चिंतन-मनन व विश्लेषण करता है, तीसरा भाग समस्या के उन वास्तविक कारणों पर प्रकाश डालता है जिनके चलते महिला सशक्तिकरण की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है और इस दिशा में किए गये प्रयासों से वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तथा अंतिम चौथे भाग में जैन दर्शन व गांधी विचार के आलोक में वहनीय सुझावों पर विचार किया गया है ।

1. प्रस्तावना : महिला सशक्तिकरण नैतिकता के आइने में ....

आज महिला शब्द सामने आते ही दिलो दिमाग में ऐसे प्राणी की छवि उभरती है जो पीड़ित है, असहाय है, लाचार है संवैधानिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करने के लिए, विवश है अन्याय के सामने आवाज उठाने के लिए, घुट घुट कर दूसरों की मर्जी के मुताबिक जीवन जीने के लिए । हम प्रति वर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं । मानवाधिकार के पटल पर यह एक प्रशंसनीय कदम है जो यह सिद्ध करता है कि प्रबुद्ध जनसमुदाय को कम से कम इस निर्बल व दलित वर्ग के बारे में सोचने का एक पल तथा एक अवसर तो मुहैया हुआ । हमारे देश में लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं हैं किन्तु यह दुर्भाग्य ही है कि इतनी बहुलता के बावजूद वे आज हाँसिये पर है, सामाजिक भेदभाव की शिकार हैं, पुरुषों की लैंगिक मनोविकृतियों से आहत हैं । पुरुषों के लालन-पालन एवं अस्तित्व में नींव के पत्थर की भाँति अपनी विविधलक्षी भूमिका का निर्वाह करने वाली महिला आज अपनी ही पहचान तलाश रही है, खोज रही है अपना वजूद और मसक्कत कर रही है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की । सच, इसी जद्दोजहद को महिला सशक्तिकरण की मुहिम का आगाज कहा जा सकता है जो संवेदनहीन हो चुके सुसुप्त कर्णधारों के कानों पर महिला चेतना का बिगुल बजाने का वृहद् कार्य कर रही है । महिला सशक्तिकरण अस्तित्व के लिए संघर्ष, एक आंदोलन व अन्याय के खिलाफ आवाज है । आज समाज में जो विसंगतियां व अमानवीयता पनप रही है तथा महिलाएं जिस निर्ममता का शिकार हो रही हैं, उसे दूर करने के लिए महिलाओं का सर्वांगीण विकास होना ही चाहिए, उन्हें भी अपने पंख पसारने और उड़ान भरने, सपने साकार करने के समान अवसर मुहैया होने चाहिए ।

महिलाओं की स्वतंत्रता आज कई सामाजिक-सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक कारणों से आहत है, उनके विकास के अवसर बाधित हैं, उनकी विकास प्रक्रिया में भागादारी

अवरुद्ध है, उसकी अस्मिता मानवोचित सम्मान के लिए चित्कार कर रही है, हर कोई उसे निर्बल मानकर उसकी भावनाओं से खेलते हुए पुरुष प्रधान व्यवस्था का दंभी औचित्य सिद्ध करने में लगा है ।

इसलिए आज समय की मांग है कि महिलाएं सशक्त बने, रचनात्मक सोच के साथ अपने कदम बढ़ायें, आत्मविश्वास को मजबूत करें समाजोत्थान में अपनी भूमिका को और असरकारक बनाएं तथा उस दायरे से बाहर निकलें जो ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, दिखावा, तनाव, व संघर्ष के इर्द-गिर्द वातावरण से निर्मित होता है । हम सभी जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए जिस मंशा से प्रयास किए गए उसमें कहीं न कहीं भूल अवश्य है क्योंकि इसमें पुरुषों से आगे निकलने की होड़ उनकी बराबरी करने की मुहिम शामिल रही है । जबकि होना यह चाहिए था कि वे अपनी भूमिका अपनी ज़रूरतों, गरिमा व आत्मसंतोष के मुताबिक तय करती तथा पुरुषों की बराबरी करके अपनी बुनियाद को मजबूत करती । अगर हम गौर से देखें तो पायेंगे की इस व्यवस्था में स्वतंत्रता व स्वच्छन्दता के मध्य भेद को न समझते हुए विरोध व ईर्ष्या पथ का अंधानुकरण किया गया है जिसकी बुनियाद अति महत्वाकांक्षा की सिद्धी पर रखी हुई है । इसके लिए महिला समुदाय आधुनिकता के नाम पर चाहे-अनचाहे समझौतें भी करने से कोई गुरेज नहीं करता । दिखावे की इस चाह में उनकी दशा जोश में होश खो देने जैसी हो चली है । सशक्तिकरण से तो उन्हें अपनी निहित क्षमताओं को निखारना था जबकि उन्होंने तो वह किया जो पुरुष वर्ग करता रहा है शायद यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी वह कर सकते हैं जो वह करता है । ठीक है इससे पुरुषों के एकाधिकार को तो चुनौती मिली किन्तु उनकी (महिलाओं) कुशलताओं में जो निखार आना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं हो सका । जैन दर्शन और सहकारिता विषय की विद्यार्थी होने के नाते लेखिका का मानवीय मूल्य व मानवतावादी गरिमा की सोच से सीधा सरोकार रहा है जिसकी समझ राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने अहिंसात्मक समाज रचना के रूप में परिलक्षित की थी । वे महिला समुदाय को सामाजिक जड़ बेड़ियों से बाहर लाकर उनकी सार्वजनिक भूमिका को प्रभावी बनाने के पक्षधर थे, वे भय मुक्त कर्मशील समाज रचना के कर्मयोगी थे जिसमें उन्होंने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की कल्पना को साकार रूप देने का निरन्तर प्रयास किया। स्त्री पुरुष समानता उनकी नजर में अहम थी किन्तु प्रयासों की दिशा में उनका अहिंसक विचार अडिग था जिसमें अंधी होड की जगह विवेक, ईर्ष्या की जगह प्रेम व हृदय परिवर्तन का ही घटक दृढता व प्रतिबद्धता से विद्यमान था । जैन दर्शन में कहा गया है कि किसी से भी द्वेष रखे बिना हमें अपनी क्षमताओं का इस तरह विकास

करना चाहिए ताकि मनुष्य जन्म को सार्थक किया जा सके अर्थात् जिस उद्देश्य से यह मनुष्य जन्म लिया है उसकी साधना में तन-मन को रमाया जा सके और अपनी भूमिकाओं का निर्वाह बेहतर तरीके से किया जा सके । कहने का मतलब यह है कि महिला सशक्तिकरण का सार महिलाओं को पुरुष बनाने में (पुरुषों के समरूप लाने में) नहीं अपितु उनमें वह खुमारी व खमीर पैदा करने में है जिससे महिलाओं के रूप में ही उनकी वो पहचान बने ताकि उनके बारे में कुछ भी गलत करने की बात तो दूर, कुछ भी सोचने से पहले लोग एक दफा विचार करे किन्तु इसकी बुनियाद डर, दबाव, घृणा, विद्वेष रुपी कायरता पर न रखी जाकर प्रेम के अहिंसात्मक, साहसिक प्रतिमानों पर केन्द्रित हो । यदि आधुनिक विकास की शब्दावली का उपयोग करें तो हम कह सकते हैं महिलाओं की भूमिका तो मानव समुदाय के सृजन व संचालन में रिमोट कन्ट्रोल जैसी है न कि दिखावे और महत्वाकांक्षा की अल्प-तुष्टि की चाह में कठपुतली बनकर नाचने की । इसी विभावना के मद्देनजर यह जरूरी है कि सशक्तीकरण पहले आन्तरिक हो तब यह बाहरी प्रतीत तो स्वतः ही होने लगेगी और इसके परिणाम सभी के लिए शुभ होंगे जो स्थायी समाज रचना का निर्माण करेंगे ।

2. क्या क्या हो रहा है आज महिलाओं के साथ ? ....

- परंपरागत प्रथा जनित भेदभाव पूर्ण व्यवहार - जिसे महिलाओं ने अपनी नियति मान लिया है किन्तु इससे उनका सम्मान कदम कदम पर आहत होता है ।

- धार्मिक ठेकेदारों के एकाधिकार व मनमानी के चलते अमुक धार्मिक क्रिया-कलापों में सीधी भागीदारी हेतु महिलाओं का निषेध व अस्पृश्य व्यवहार ।

- आहार-विहार में भी वे प्रतिबंध जो पुरुष समुदाय पर लागू नहीं पडते किन्तु महिलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक जड़ रिवाजों के कारण भुगतने पड़ते हैं । इससे उनका आरोग्य भी प्रभावित होता है ।

- कानूनी प्रावधानों के तहत महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, उन्हें लोकतांत्रिक व औपचारिक संस्थाओं से जोडा गया है किन्तु वास्तविक पटल पर यदि उनकी सक्रिय भागीदारी का विश्लेषण करें तो पायेंगे कि वे तो इस व्यवस्था का मोहरा मात्र बनकर रह गई हैं । कई जगह अपने हक की आवाज उठाने वाली महिलाओं के साथ इस कदर दुर्व्यवहार किया जाता है कि मानवता भी थर्रा उठे और आगे से भी कोई कोशिश न कर सके किसी भी प्रकार का जायज हस्तक्षेप करने की ।

ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान भी सरपंच पति प्रथा से पीड़ित हैं, सामाजिक-आर्थिक रूप से हासिये पर आ चुकी आदिवासी वर्ग की महिला जन प्रतिनिधियों को नौकरशाहों से कार्यालयी काम निकलवाने में एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और ऐसे समझौते करने को विवश होना पड़ता है जिन्हें नैतिक प्रतिमानों पर न्यायोचित नहीं कहा जा सकता ।

- जब पुरुष प्रधान समाज द्वारा महिलाओं का शारीरिक - मानसिक शोषण किया जाता है तो स्थापित सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत उन्हें ही जलील होना पड़ता है। उनके साथ हुई वारदात का जिक्र व सामना करने का जब वो साहस बताती है तो समाज उनके साथ सहानुभूति तो दिखाता है लेकिन जब स्वीकारने की बात आती है तो ऐसी नज़रों से आंकलन करता है मानो पीड़िता ही इसकी एकमात्र जिम्मेदार हो । न्यायिक फैसले के बाद इसका निपटारा नहीं हो जाता अपितु इसके चलते जीवनभर सामाजिक प्रश्न उसके सामने मुँहबाएं खड़े रहते हैं यहाँ तक कि कई दफा इस तथाकथित सामाजिक व्यवस्था के भय से उनका अपना परिवार भी मन से सहयोग के लिए आगे नहीं आता । ऐसे में न्याय के लिए आवाज उठाना अथवा साहस करना भी उनके लिए मुँह में भरे गर्म दूध जैसी व्यथा के समान हो जाता है जिसे न पीते बनता है और न ही उगलते ।

- बेटे बेटियों में शिक्षा को लेकर भेदभाव वर्तमान में कम हुए हैं । सरकार ने भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बेटियों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं जिससे उनको पढ़ने के लिए खुला आकाश मिला है । फिर भी निम्न कही जाने वाली जातियों में आर्थिक परिस्थिति के नाम पर तो संभ्रांत परिवारों में जड़ परंपराओं के नाम पर बच्चियों को स्कूल भेजने, उच्च शिक्षण में दाखिला दिलाने की मनोवृत्ति में नकारात्मकता का प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है । छोटे बच्चियों को घर का काम करने और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए घर बैठा लिया जाता है तथा दूसरी ओर उच्च समाज की स्त्रियोचित मर्यादा की दुहाई देकर उच्च शिक्षण से उन्हें वंचित रखा जाता है ।

- कार्यस्थल पर लुभावने प्रलोभन देकर, डरा-धमकाकर अथवा येन केन प्रकारेण साम दाम दण्ड भेद की नीति अपनाकर महिलाओं का शोषण किया जाता है तथा बाद में मजबूरियों का फायदा उठाकर, झूठी दिलासाओं का वास्ता देकर शोषित होने के लिए मजबूर किया जाता रहता है । ये समाज के वे सफेद पोस लोग हैं जो अमीरी

के लिबास में, वासना की विकृतियों की खाल में छुपे खुंखार भेड़िये हैं जिनको आदमीयत छू कर भी नहीं गई । ऐसे लोग आँखों के होते हुए भी अंधे हैं और हमारी स्थापित व्यवस्थाएं इनके खिलाफ सही समय पर सही कार्यवाही न करके सिर्फ इनकी हरकतों को नजरअंदाज करती है अपितु इनके गलत इरादों को बढ़ावा देती रहती है ।

- नैतिकता का शिक्षण देने वाले संस्थानों में भी ऐसे कई किस्से आये दिन सामने आते रहते हैं लेकिन वे भी दब जाते हैं या फिर संस्था प्रशासन द्वारा बदनामी की दुहाई देकर दबा दिये जाते हैं । इनके चलते कई दफा गुरु-शिष्य जैसे रिश्तों की मर्यादा भी तार तार हो जाती है और मानवता को शर्मसार करती रहती है । इससे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की बदनीयत को बढ़ावा मिलता है और पीड़िता को हताशा । इनके सामने समझौते का छोटा रास्ता अपनाने के अलावा कोई मार्ग नहीं सूझता जिसका अंत सुखद नहीं होता । धार्मिक कही जाने वाली संस्थाएं भी इससे कुछ अलग नहीं है जहाँ प्रवचन तो नैतिकता के होते हैं किन्तु परदे के पीछे काले कारनामों का गोरखधंधा फलता फूलता रहता है और इनकी शिकार होती रहती है लाचार महिलाएं जो इनके मकड़ जाल में फँस चुकी होती है ।

- घरेलू, पारिवारिक व सामाजिक मर्यादाओं को ताक में रखकर, महिलाओं की अज्ञानता का फायदा उठाकर परिवारजनों, निकटतम पड़ोसियों व परिचितों द्वारा शोषित किया जाता रहता है, मुँह खोलने से मना कर दिया जाता है इनके कारनामों को भी कई बार परिवार की इज्जत की दुहाई देकर दबा दिया जाता है तो कई बार इस डर से सामने नहीं लाया जाता कि बदनामी हो जाने पर शादी-विवाह में दिक्कत आयेगी । इस तरह वे घरेलू हिंसा का शिकार बनती रहती है ।

- हमारे देश में महिलाओं को दहेज उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है ।

- राह चलते मनचले मजनू महिलाओं को एक सामान से कुछ अधिक नहीं समझते । वे कभी पैसे के बल पर तो कभी राजनैतिक दबंगई, गुण्डागिरी के बल पर कानूनी प्रावधानों से खौफ नहीं खाते, उनका बेपरवाह होकर मखौल उड़ाते रहते हैं और अपनी मनमानी करते रहते हैं । कई जगह तो स्थापित व्यवस्थाएं तो इनके हाथ की वेश्या बनकर रह जाती है ।

3. कौन से कारण जबाबदार हैं इसके लिए ? .....

- हमारी चुप्पी
- हमारी सामाजिक बेड़ियां
- हमारी दकियानुसी सोच
- कानूनी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार
- न्याय मिलने में देरी
- पीड़िता पर अपराध सिद्ध करने का भार जिससे उसे अपनी तार तार हो चुकी इज्जत के पन्नों को सभी के सामने खोलकर रखना पड़ता है, अपराधी वृत्ति के लोग मजे लेते हैं, तब बेचारी पीड़िता न्याय की गुहार लगाने की बजाय अपना जीवन समाप्त करना ज्यादा बेहतर समझती है ताकि उसे अपनी ही नजरों में गिरना न पड़े, शर्मसार न होना पड़े, ग्लानि व घृणापूरित निगाहों का शिकार न बनना पड़े, बार बार अपने साथ हुई दुर्घटना को लेकर सफाई न देनी पड़े उस व्यवस्था के सामने जो सिर्फ सबूतों के आधार पर ही संचालित होती हैं जहाँ उसे दलीलों के आइने में उन लोगों की नज़रों का सामना करना पड़ता है जो संवेदनहीन जमात का हिस्सा हैं जिनके लिए यह न्याय पैसा कमाने का जरिया, जीत की प्रतिष्ठा स्थापित करने का जरिया है भले ही उससे किसी के चरित्र पर कीचड़ ही क्यों न उछलती हो । वह सारा माजरा लोगों के लिए मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह जाता है । समाज भी निर्दोष साबित होने के बावजूद स्वच्छ, निष्पक्ष नजरों से नहीं देखता, उसका वह भयावह अतीत विविध रुपों में तो उम्र भर उसका पीछा करता रहता है, उसके जख्मों को कुरेदकर हरा करता रहता है । इस दर्द को वही महसूस करता है जो पानी और आंसू के मध्य भेद कर सके ।
- महिलाओं की अति महत्वाकांक्षाएँ भी उनकी शोषण की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं ।
- भौतिकतावाद के अंधानुकरण से प्रेरित हमारी बदलती जीवनशैली जिसकी अंतहीन दौड़ में, दिखावे की सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की होड़ में महिलाएं आँख मुंदकर चाहे अनचाहे अनैतिक समझौते करने से कोई गुरेज नहीं करती और इसे आधुनिक फैशन का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देती है जो कई बार बाद में नासूर साबित होता है । कई मर्तबा ऐसा लगता है कि गलत को प्रोत्साहित करने की छूट एक सीमा तक महिला वर्ग ने ही दी है अपने छद्म स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वह पाने की सनक को

सिर चिढ़ाकर जिसे पाने की योग्यता वे नहीं रखती अथवा जिसकी वास्तव में जरूरत ही नहीं है ।

- कई बार परिवार की ज़रूरतें पूरी करने, बेसहारा होने की स्थिति भी जिम्मेदार होती है जिसका फायदा उठाने में बहुदा पुरुष प्रधान समाज की कुत्सित मानसिकता नहीं चूकती, छलावे में येनकेन प्रकारेण फंसा ही लेती है और महिलाओं का शोषण करती है ।

4. उपसंहार- क्या समाधान निहित है जैन दर्शन में ....

स्त्री का स्वाभाविक आभूषण है लज्जा, शील, सहनशीलता, धीर-गंभीरता, चंचलता, संस्कारिता । इन सभी गुणों से आंतरिक शोभा दैदीप्यमान हो उठती है । वह शक्तिपुंज है, वात्सल्य मूर्ति है, समाज निर्माण की धुरी है फिर वह कठपुतली मात्र बन कर क्यों रह गई ? यह स्थिति हम सभी को पुनः चिंतन मनन करने हेतु विवश करती है । महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण व विकास के लिए जो नियम कानून बने वे इतने असरकारक साबित क्यों नहीं हुए ? यह सब परिदृश्य हमारे प्रयासों की दिशा पर प्रश्नचिह्न खड़े कर जाता है । शायद यह उक्ति महिलाओं पर एकदम सही लागू है - **आधी छोड़ सारी को धावे, सारी मिले न आधी पावे ।** क्योंकि अपने मूलगुणों को छोड़कर वह सब पाने असहज प्रयास किए जिसकी उसे वास्तव में जरूरत नहीं थी । वास्तव में उसे समाधान पथ पर अपने अहम को नहीं लाना था । गांधीजी के विचार इस दिशा में रोशनी डालते हैं - सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं, मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ति होने वाली नहीं । हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने सर्वहारा वर्ग के पक्ष को अपनी लेखनी से बड़े ही मार्मिकता से रखा है वे भी गांधीजी की तरह महसूस करते हैं कि जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं । मानव समाज की के निर्माण के विभिन्न चरणों पर विविध भूमिकाओं में अपनी उपस्थिति की छाप छोड़ने वाली महिला अपनी संचालकीय सम्प्रुभता की आग को जागृत करने की बजाय उस प्रवाह में बिना विचारे चल पड़ी जो उसे शांतिपूर्ण समाजरचना की ओर नहीं ले जाता । यदि महिला सहोदर बनकर नीति नियामक व संचालक की भूमिका में बनी रहती, परस्पर सहयोग करती और वर्तमान कुव्यवस्था के प्रति हृदय परिवर्तन कराती तो शायद आज महिला-पुरुष समानता की तस्वीर कुछ अलग होती । गांधीजी का स्त्री-पुरुष समानता की स्थिति में बदलाव का रास्ता जागृति व अहिंसा के द्वार से होकर गुजरता है । जैन दर्शन भी महिलाओं के शील की रक्षा को प्रधानता देते हुए उन्हें आत्मविश्वासु, निडर बनाने की वकालत करता है किन्तु संयमित व मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा रखता है । निःसंदेह इस

दिशा में कानूनों का अस्तित्व जरूरी है किन्तु उनकी पालना कराने और उनकी असरकारता को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए समाज की मानसिकता बदलने की जरूरत है, हृदय परिवर्तन की जरूरत है, नैतिक चरित्र की बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी कमावेश महिला समुदाय पर आकर ही समाप्त होती है क्योंकि जब पुरुष बच्चा होता है जब स्त्री ही माँ के रूप में उसमें संस्कारों का सिंचन करती है, जब वह पत्नी की भूमिका में होती है तो वह सामंजस्य किन्तु न्याय की बात करने का अदम्य साहस पैदा करती है और जीवनपथ की सहगामिनी बनती है और जब वह बहन या सास के रूप में होती है तब वह उचित अनुचित सामाजिक प्रतिमानों के निर्माण की गवाह व अमलीकरण का पक्ष बनती है । जब वह कार्यस्थल पर होती है तब वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी कुशलता का लोहा मनवाती है । सही मायनों में वह कर्मयोगी है जो अपने आचरण से, प्रतिबद्धता से, साहस से, अभय से व निःस्वार्थवृत्ति से वर्तमान स्थिति में आमुलचूल परिवर्तन लाने का जज्बा रखती है । इसीलिए मानव समाज को महिलाओं की ताकत को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए । निश्चित रूप से आज महिला समुदाय को चिंतन करना होगा कि हमें अपनी उस सैद्धान्तिक व नैतिक विरासत को बरकरार रखना है जो हमारी ज़ड़ों को मजबूती प्रदान करती है । सुव्यवस्थित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने, निरंतर प्रगति करने हेतु गांधीजी का यह कथन प्रेरणास्पद प्रतीत होता है -

''अपने लक्ष्य के प्रति अदम्य विश्वास से प्रेरित दृढ़ संकल्पी लोगों का एक छोटा सा समूह भी इतिहास रच सकता है ।'' - गांधी

संदर्भ -

1. मोहनदास करमचंद गांधी - सत्य के प्रयोग, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद
2. प्रथमानुयोग - जैन दर्शन

3. महिला सशक्तिकरण यथार्थ और चुनौतियाँ

(महिलायें - शैक्षिक सामाजिक स्थिति)

*** प्रो. श्रीमती शोभासिंह**

*** डॉ. अनुजा तिवारी**

भूमिका -

दुनिया बनाने के बाद ईश्वर ने सोचा होगा इस दुनिया को और सुन्दर होना चाहिये, और उन्होंने सत्य की रचना की। सत्य याने मानव और मानव के दो रूप स्त्री और पुरुष। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं किन्तु नारी के बिना दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने नारी की रचना ही इस प्रकार से की है कि इस संसार की निर्मात्री वह स्वयं हो गई। अनेक महान व्यक्ति है जो कि नारी के किसी भी रूप, चाहे वह माँ, बहन, पत्नि या भाभी के कारण महान हुये है। आज वह समय आ गया है जब महिलाओं के विकास पर ही संसार की तरक्की निर्भर है। ''मनुस्मृति'' में स्पष्ट लिखा है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी होने के बावजूद आज कई जगहों पर स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है।

इक्कीसवी सदी में कदम रखने वाले भारतीय समाज में स्त्री को आज भी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जो कि उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिये था। बहुओं को आज भी निर्भयता पूर्वक जलाया जा रहा है, तलाक स्त्री के लिए बदनुमा दाग है और पुरुष की आजादी है जहाँ बालिका भ्रूण हत्या एक लेटेस्ट फैशन है। एक ऐसे अमानवीय, पतनशील समाज में स्त्री, फिर भी जीवित है, यह किसी आश्चर्य से कम नही। वैदिक युग की सभ्यता सबसे प्राचीन है वैदिक युगीन सभ्यता में भारत में आर्यों का राज था। उनका जीवन सुखमय था स्त्रियों का समाज में आदर था सत्युग में स्त्री को नैतिकता का आदर्श मान लिया गया। द्वापर में नारी को बराबर का दर्जा हासिल था, बौद्ध काल में स्त्रियों की दशा अत्यंत हीन व सोचनीय थी। मुगल काल में औरत पर्दे की कैद में चली गयी, ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा का प्रचार हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई देश की स्वतंत्रता के लिये अंग्रेजों से टकराई। उन्होंने भारतीय नारी का गौरव बढ़ाया है। स्त्री पुरुष का संबंध शाश्वत है। स्त्री को संतान प्राप्ति का साधन माना गया,

---

* शिक्षा संकाय प्रभारी

* विभागाध्यक्ष (शिक्षा संकाय), नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

उसे हमेशा पुरुष के संरक्षण में रहने को विवश किया जाता रहा है । पिता, पति और पुत्र की आज्ञा पालन को विवश किया जाता रहा है ।

स्त्रियों को समाज में बराबरी का दर्जा ना देना, उसे पुरुषों के समकक्ष ना समझना इस विकसित समाज की एक बड़ी विडम्बना है । यह भी सत्य है कि वर्तमान में वह अनेक स्थान पर अपना विशेष मुकाम बना चुकी है । जिसकी प्रतीक्षा वह बरसों से करती आ रही थी । भारत में स्त्रियों को इतने बंधन है, जितने किसी देश में नहीं । एक सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि हर 52 वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार, प्रति 26 वें मिनट में किसी एक स्त्री मारपीट की शिकार, प्रति 43 वें मिनट में किसी महिला का अपहरण, प्रति 102 वें मिनट में दहेज के कारण स्त्री की मौत होती है । प्रतिवर्ष देश में दहेज के कारण 1000 से अधिक स्त्रियां मारी जाती है । साक्षरता की स्थिति भी अच्छी नहीं है । यहाँ प्रत्येक सौ-पुरुषों की तुलना में 44 स्त्रियां ही साक्षर है ।

हम जानते है नारी सृष्टि निर्माता की अद्वितीय रचना है और सारी सृष्टि नारी से चलती है । नारी जिसे शक्ति रूप माना गया है । जिसे हम महिला शब्द से संबोधित करते है । महि अर्थात् पृथ्वी और ला का अभिप्राय सृष्टि से है । जो धरती की तरह धीरज करने की शक्ति रखती है । वह महिला है । वह धरती जिस पर हम जीवन बिताते हैं । वह भी धरती मां कहलाती है । नदियां जो हमें जीवन प्रदान करती है । उन्हें भी मां शब्द से संबोधित करते हैं । देवताओं पर भी जब संकट आया था तो उन्हें भी मां दुर्गा की शरण में जाना पड़ता था ।

विश्लेषण -

समाज के सर्वांगीण विकास के लिये न केवल उन्हें शिक्षित होना होगा बल्कि आत्मनिर्भर भी होना चाहिये ! जिससे वे घर व समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। यद्यपि कुछ ही दशकों में विशाल दार्शनिक दूरियाँ तय कर ली है । भारतीय महिला आंदोलन की शुरुआती दौर में महिला समर्थकों ने परिवार और समाज के व्यवस्था क्रम में स्त्री को अधीन बनाये रखने के लिये की जाने वाली शारीरिक मानसिक हिंसा को अपने आंदोलन का केन्द्र बनाया । रूढ़ीवादी और परंपरावादी खोखली जंजीरों से मुक्त होकर कुछ मध्यम वर्गीय भारतीय शहरी महिलाओं ने अपनी क्षमता और ताकत को पहचान कर उसका उपयोग सार्वजनिक और निजी संसार में करना शुरु किया । मुक्त और शक्ति का यह अहसास ही सशक्तिकरण की शुरुआत है ।

संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता की बात की गई है परन्तु 57 वर्ष बाद भी समाज उस समानता के अधिकार को नहीं दे पाया है । भारत सरकार सन् 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया । इसका उद्देश्य ही था स्त्रियों में जागरूकता लाना और उन्हें स्वप्रेरणा से आत्मनिर्भर बनाना ।

आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से स्त्रियों ने इतनी तरक्की अवश्य कर ली है कि वे समाज, परिवार और घर में अपना विशिष्ट स्थान बना सकी है । आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है । जहाँ स्त्रियों ने अपना परचम न लहराया हो । चाहे खेल हो या राजनीतिक, सामाजिक हो या आर्थिक क्षेत्र हो । किसी भी विभाग चाहे शिक्षा, प्रबंध, प्रशासन, बैंक या शासन उसने अपनी शक्ति और ताकत का लोहा ना मनवा लिया है । स्व. प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मार्ग्रेट थेचर, श्रीमती भण्डार नायके, बैनजीर भुट्टो, कल्पना चावला, नुरजहां, मधुबाला, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम से लेकर सानिया मिर्जा तक सफल सैकड़ों ऐसी स्त्रियां है जिन्होंने अपनी क्षमता अपनी कला और अपने आत्मबल से उस उच्चतम स्थान को प्राप्त किया है ।

परंतु विडंबना यही है कि ऐसी स्त्रियों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में हो सकती है । जबकि देश की जनसंख्या एक अरब से ऊपर हो चुकी है । ऐसी स्थिति में स्त्रियों को और अधिक जागरूक होना होगा । अपनी अस्मिता की रक्षा स्वयं करनी होगी । अपनी शक्ति को पहचानना होगा और यह तभी संभव है जब नारी ही नारी की दुश्मन बने । सास, बहु को बेटी माने और बेटी भी सास को मां माने एवं मां अपनी ही कोख की अजन्मी बेटी के ''भ्रूण'' की हत्या न कर दें । समय को पहचानते हुए समय की नजाकत को समझे, नही तो सृष्टि की सृजनकर्ता स्वयं सृष्टि में विलीन होकर रह जायेगी ।

सशक्तिकरण के लिये आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना आवश्यक है । महिलाओं को जागरूक और साहसी बनाने के लिये शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक है । इस दौर में महिलाओं ने ''कारपोरेट' जगत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है । स्वावलंबन महिला में स्वाभिमान पैदा करता है । स्वाभिमान से चेतना आती है और चेतना से सामर्थ्य का निर्माण करती है । इसलिये महिलाओं में आत्मनिर्भरता होना आवश्यक है ।

भारत सरकार ने सन् 1958 में ''राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति'' बनाई, जिसकी ''अध्यक्ष'' दुर्गाबाई देशमुख थी । सन् 1959 में ''राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्'' का

निर्माण किया । सन् 1964 में इसका पुर्नगठन किया गया । सन् 1962 में ''श्रीमती हंसा मेहता'' समिति बनाई जिसका कार्य विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना था । 1964 में कोठारी आयोग ने कहा था कि स्त्री शिक्षा के मार्ग से समस्त बाधाओं को हटाने के लिये ठोस एवं निश्चित कदम उठाये जाने चाहिये । सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक, आर्थिक स्तर को उन्नत बनाने के संदर्भ में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसी बात को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री के स्तर में परिवर्तन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में नारी समानता के लिये शिक्षा को अनिवार्य बताया ।

जिसका परिणाम ही आज हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है । नारी की पहुंच से कोई क्षेत्र अछूता नहीं है । कुछ विडम्बनाओं को अनदेखा कर दें तो हम पायेंगे कि स्त्री की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवसायिक एवं शैक्षिक स्थिति का ग्राफ काफी ऊंचा चला गया है । यही कारण है कि नारी पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही है और कहीं कहीं तो उनसे भी आगे निकल गई है ।

प्रत्येक देश व समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं का सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में क्या स्थान है ? इसी पर बल देते हुये ''नेहरु जी '' ने सन् 1958 में ''तारा अली बेग'' वूमेन ऑफ इंडिया' की भूमिका लिखते हुये कहा कि एफ. फ्रांसिस ने लिखा था कि किसी देश की स्थिति जानने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह पता लगाना है कि वहां महिलाओं की स्थिति कैसी है । इस कथन का आशय यह है कि यदि देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो यह माना जा सकता है कि उस देश की स्थिति अच्छी है । वेदों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ऋवैदिक काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी । यद्यपि इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक थे और पुत्रों की कामना की जाती थी । उत्तर वैदिक साहित्य के आरंभिक वर्षों में महाभारत की रचना हुई ''जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता निवास करते है '' जैसी उक्तियाँ मानवाधिकार संबंधी सकारात्मक स्थितियों की ओर इंगित करती है, वहीं दूसरी ओर 'मनु' ने कहा पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यांवने, स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वतंत्रतामर्हति ''अर्थात् विवाह के पूर्व पिता रक्षा करता है विवाह के बाद पति, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है । 19 वीं शताब्दी में भारतीय महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में निरंतर पतन होता गया । समाज में अनेक कुरीतियां विद्यमान थी जैसे जाति प्रथा, बाल विवाह, कन्या वधु, विधवा विवाह न होना,

सती प्रथा आदि कारणों से स्त्रियों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा था । ''पंडितराहुल सांकृत्यायन के अनुसार 'धर्मान्धता के चलते सती प्रथा के नाम पर भारतीय समाज में डेढ़ करोड़ विधवाओं को पतियों की चिताओं पर जिंदा जलाकर स्वर्ग भेज चुका है । वहीं महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण समाज सुधारकों, जैसे - राजाराम मोहन राय, केशवचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने समाज को जागरुकता लाने एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

निष्कर्ष -

यह विडम्बना ही कही जायेगी, आजादी के 62 साल बाद भी नारी, कभी परंपरा के नाम पर, कभी धर्म, कभी परिवार तो कभी रीति रिवाजों के नाम पर अपने ही घर में दोयम दर्जे की नागरिक बन कर रहती है और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं का शिकार बन जाती है ।

मानव अधिकार प्रत्येक मानव की ज़रूरत है इसके अभाव में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता । सैद्धांतिक रूप से जीवन स्वतंत्रता और मानवीय गौरव और सम्मान के अधिकार को मानवाधिकार माना गया है ।

महिला संगठनों को एकजुट होकर सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन चलाने की जरूरत है । महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागज पर न हो बल्कि इसमें पूरे समाज की भागीदारी होनी चाहिये । माताओं को भी अपनी बेटियों को महत्व देकर उनमें एक ऐसी परिपक्व सोच एवं समझ विकसित कर नई पीढ़ी के रूप में तैयार करना होगा जो अपने साथ-साथ समाज को नई दिशा दे सके ।

अतः इस प्रकार के कानून तभी सफल होंगे जब स्वयं नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करेगी ''राम मनोहर लोहिया' ने कहा था यदि सचमुच बराबरी के आदर्श को मानते हो और समाज की पुर्नरचना बराबरी के आधार पर करना चाहते हो तो फिर पुरुष को स्त्रियों के लिये अपनी सोच को बदलना होगा अतः महिलाओं के शोषण, हिंसा एवं अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनाने से उनकी स्थिति को नहीं बदला जा सकता । कानून सिर्फ राह दिखा सकता है । क्या सही है क्या गलत है इसके लिए समाज का नजरिया बदलना होगा ।

4. भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण का योगदान

*** डॉ. अविनाश मिश्रा**

इतिहास से लेकर आज के आधुनिक युग तक अगर नज़र डाले तो भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है, बदलते समय के साथ साथ स्त्रियों ने भी पुरुषों के सामान ही हर क्षेत्र में तरक्की की है, जिस पर कभी पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था जैसे - राजनीति, प्रशासनिक सेवाएँ, कार्पोरेट, खेल इत्यादि सभी क्षेत्रों में स्त्रियों के अच्छी कार्य क्षमता एवं बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज भी हमारे समाज में स्त्रियाँ असुरक्षित महसूस करती हैं उन्हें अत्याचार एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है, वैसे तो सरकार ने महिला योग जैसे संस्थानों का निर्माण कर रखा है, पर सभी के लिए उसका लाभ उठा पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि महिलाओं के लिये बने कानून एवं अधिकारों की जानकारी का अभाव भी इसका मुख्य कारण है। सरकार को चाहिए वे महिलाओं को अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध बने कानून एवं अधिकारों से अवगत कराए जिससे की अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सके और अत्याचार के खिलाफ लड़ सके। इसके अलावा भारतीय समाज में पुरुष महिलाओं के प्रति अपनी सोच में बदलाव लायें ताकि किसी भी महिला को पुरुष प्रधान समाज एवं संस्थान में कार्य करने में असुविधा महसूस न हो। आज के समाज में अगर हम महिलाओं के योगदान एवं तरक्की की बात करें तो इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है एक दिहाड़ी मजदूर की लड़की ने सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर एअर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी प्राप्त कर ली है, ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति :

वर्तमान युग में हमको कितने भी विकसित एवं शिक्षित समाज का हिस्सा मानते है, परन्तु हमारी मानसिकता अभी भी महिलाओं के प्रति पक्षपात पूर्ण है आखिर नारी को समानता का दर्जा देने में झिझक क्यों ? भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं की स्थिति भी सुखद नहीं है क्योंकि कामकाजी महिलाओं को अपने कामकाज के अतिरिक्त घरेलु कार्यों के लिये भी पूरी मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुष घरेलु कार्यों को करने से परहेज करता है। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें सिर्फ मानव जाति की मादा (नारी) बच्चों की देख रेख के अतिरिक्त (जो अन्य

* फ्लैट नं. 6, जी. मिनाल होम्स, पंजाबी बाग, भोपाल. म.प्र.

जीव भी करते हैं) पूरे परिवार एवं पति की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य सभी घरेलू कार्यों में भी सहयोग करती है ।

नारी समाज के उत्थान से तात्पर्य है सामाजिक पक्षपात से मुक्ति । नारी उत्थान का अर्थ यह कदापि नहीं है, कि समाज नारी प्रधान हो जाये और नारी समाज, पुरुषों का शोषण करने लगे या प्रताड़ित करने लगे । नारी समाज के उत्थान का तात्पर्य है उसे उसके प्रति निरंकुशता, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार से मुक्ति मिले । लिंग भेद से छुटकारा मिले । यह कटु सत्य है नारी कल्याण के लिये, महिला सुरक्षा के लिए अपने देश में अनेक कानून बनाये जा चुके हैं परन्तु इन कानूनों का दुरूपयोग भी हो रहा है, जो अब पुरुषों के शोषण का कारण बन रहा है । शायद हमारे कानूनों में कुछ कमियां रह गयी है, जिनका लाभ निम्न मानसिकता वाले लोग उठाते हैं या हमारा समाज कुछ ज्यादा ही अमानवीय हो गया है जो सामने वाले का शोषण करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता, जो सामाजिक विकृति का परिचायक है । कानून के सहारे से अपनी दुश्मनी निकालना किसी व्यक्ति पर झूठे आरोप लगा कर फंसा देना सर्वथा निंदनीय है । अगर यह स्थिति बनी रहती है तो स्वयं महिलाओं के लिए कष्टदायक सिद्ध होने वाली है । महिला का समाज के प्रति अविश्वास होना उनके उत्थान के लिए प्रतिरोधक बन सकता है । किसी भी देश, प्रदेश, समाज या परिवार को विकसित करने में महिला का अहम योगदान होता है । यह बात उपायुक्त एम एल कौशिक ने स्थानीय बाल भवन में भारतीय ग्रामीण महिला संघ की ओर से आयोजित महिला उत्थान दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के बाद कही । उन्होंने कहा कि, सामाजिक जीवन में नारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी के रूप में होती है, इसलिए हमें इन सबका आदर करना चाहिए । समाज के उत्थान में नारी का अहम योगदान होता है इसके लिए उसमें दृढ़ संकल्प, आत्म विश्वास का होना जरूरी है । आज के आधुनिक युग में भी पुरुष बेटा या बेटी की सोच में फर्क मानता है । मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ यदि समाज में बेटियां पैदा नहीं होंगी, तो यह संसार कैसे आगे बढ़ेगा । उपायुक्त ने कहा कि पुराने समय में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई जैसी महान महिलाओं ने समाज को नई दिशा दी थी । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त राजनारायण कौशिक ने कहा कि वर्तमान युग में महिलाओं का काफी उत्थान हुआ है । उन्होंने कहा कि जिस घर में नारी की पूजा की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं ।

देश की तरक्की में साक्षर नारी का योगदान

भारत के विकास में महिला साक्षरता का बहुत बड़ा योगदान है । इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पिछले कुछ दशकों से जब जब महिला साक्षरता में वृद्धि होती

आई है, भारत विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है । इसने न केवल मानव संसाधन के अवसर में वृद्धि की है, बल्कि घर के आँगन से ऑफिस के कैरीडोर के कामकाज और वातावरण में भी बदलाव आया है । महिलाओं के शिक्षित होने से न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी तेजी आई है । महिला साक्षरता से एक बात और सामने आई है कि इससे शिशु मृत्यु दर में गिरावट आ रही है और जनसंख्या नियंत्रण को भी बढ़ावा मिल रहा है । हालाँकि इसमें और प्रगति की गुजांइश है । स्त्री-पुरुष समानता के लिए जागरुकता जरुरी है । निःसंदेह अंग्रेजों का शासन बहुत बुरा था, लेकिन महिलाओं की स्थिति में जो मौलिक बदलाव आए वो भी इसी जमाने में जाए । कम से कम प्राचीन भारतीय संस्कृति में तो महिला की इज्जत थी ही । मुगलों और उससे पहले आक्रमणकारी लुटेरों के शासन के साथ ही उनकी दशा में गिरावट आई ।

विषय के उद्देश्य :

- भारत के विकास में महिला साक्षरता का बहुत बड़ा योगदान है । इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पिछले कुछ दशकों से ज्यों ज्यों महिला साक्षरता में वृद्धि होती आई है वर्तमान युग में हम को कितने भी विकसित एवं शिक्षित समाज का हिस्सा मानते हो परन्तु हमारी मानसिकता अभी भी महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण है आखिर नारी को समानता का दर्जा देने में झिझक क्यों ?

- भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं की स्थिति भी सुखद नहीं है क्योंकि कामकाजी महिलाओं को अपने कामकाज के अतिरिक्त घरेलु कार्यों के लिए भी पूरी मशक्कत करनी पड़ती है ।

- आज चारों तरफ महिलाएँ हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं । कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएँ पुरुषों से पीछे नहीं हैं । आज की महिला जिस जबाबदारी से व्यावसायिक दुनिया में सफल हो रही है, उतनी ही कुशलता से वह घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी भी निभा रही है ।

- आज के पुरुष प्रधान समाज में चाहे महिला कितनी ही तरक्की कर ले, उसे पुरुष के अहं को झेलना ही पड़ता है । बहुत कम ऐसे पुरुष होंगे, जो अपनी पत्नी की तरक्की में मन से खुश होते हैं । ज्यादातर पति उसमें अपने अहं को ठेस पहुंचाना मानते हैं ।

बदलते दौर में महिलाएँ

भारतीय संस्कृति में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । वह शिव भी है और शक्ति भी, तभी तो भारतीय संस्कृति में सनातन काल से अर्धनारीश्वर की कल्पना सटीक बैठती है । इतिहास गवाह है कि भारतीय समाज ने कभी मातृशक्ति के महत्व का आकलन कम नहीं किया और जब भी ऐसा करने की कोशिश की तो समाज में कुरीतियाँ और कमजोरियाँ ही पनपी । हमारे वेद और ग्रंथ नारी शक्ति के योगदान से भरे पड़े हैं । विश्ववरा, अपाला, लोमशा, लोपामुद्रा तथा घोषा जैसी विदुषियों ने ऋग्वेद के अनेक सूक्तों की रचना करके मैत्रेयी, गार्गी, आदिती इत्यादि विदुषियों ने अपने ज्ञान से तब के तत्वज्ञानी पुरुषों को कायल बना रखा था । नारी को आरंभ से ही सृजन, सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना गया है । शास्त्र से लेकर साहित्य तक नारी की महत्ता को स्वीकार किया गया है - ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' । सिंधु संस्कृति में भी मातृदेवी की पूजा का प्रचलन परिलक्षित होता है । नारी का कार्यक्षेत्र न केवल घर बल्कि सारा संसार है । प्रकृति ने वंश वृद्धि की जो जिम्मेदारी नारी को दे रखी है, वह न केवल एक दायित्व है अपितु एक चमत्कार और अलौकिक सुख भी । इन सबके बीच नारी आरंभ से ही अपनी भूमिकाओं के प्रति सचेत रही है ।

नारी को आरंभ से ही कोमलता, भावुकता, क्षमाशीलता, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति माना जाता रहा है पर यही नारी आवश्यकता पडने पर रणचंडी बनने से भी परहेज नही करती क्योंकि वह जानती है कि यह कोमल भाव मात्र उन्हें सहानुभूति और सम्मान की नजरों से देख सकता है, पर समानांतर खड़ा होने के लिए अपने को एक मजबूत, स्वावलंबी, अटल स्तंभ बनाना ही होगा ।इतिहास गवाह है कि आजादी के दौर में तमाम महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया । एक तरफ इन्होंने स्त्री चेतना को प्रज्वलित किया, वहीं आजादी के आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी । कईयों ने तो अपनी जान भी गवाँ दी, फिर भी महिलाओं के हौसले कम नहीं हुए । रानी चेनम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल, ऊदा देवी जैसी तमाम वीरांगनाओं का उदाहरण हमारे सामने है, पर जब आजादी का ज्वार तेजी से फैला तो तमाम महिलाएं इसमें शामिल होती गई । इसी क्रम में सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, स्वामी श्रद्धानन्द की पुत्री वेद कुमारी और आज्ञावती, नेली सेनगुप्त, नागा रानी गुइंदाल्यू, प्रीतीलता वाडेयर, कल्पनादत्त, शान्ति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, सुहासिनी अली, रेणुसेन, दुर्गा देवी बोहरा, सुशीला दीदी, अरूणा आसफ अली, सुचेता

कृपलानी, ऊषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, डॉ. सुशील नैयर, विजयलक्ष्मी पंडित, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, राजकुमारी अमृता कौर, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, मारग्रेट नोबुल (भगिनी निवेदिता) मैडेलीन 'मीरा बहन' इत्यादि महिलाओं ने न सिर्फ आजादी बल्कि समानांतर रूप में नारी हकों की लड़ाई भी लड़ी। आखिर तभी तो महात्मा गाँधी ने कहा था कि - ''भारत में ब्रिटिश राज मिनटों में समाप्त हो सकता है, बशर्ते भारत की महिलाएं ऐसा चाहें और इसकी आवश्यकता को समझें।''

विषय के अध्ययन की परिकल्पना -

ब्रिटिश काल में राजाराम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की उन्नति के लिए आवाज उठाई। उनका साथ पूरे देश में देने के लिए महाराष्ट्र से ज्योतिबा फुले और डॉ. आम्बेडकर आगे बढ़े तो वहीं दक्षिण में पेरियार ने इसमें पहल की। भारत में पुनर्निमाण का दौर चल रहा था। ऐसे में भला महिलाओं के पिछड़े होने पर यह कैसे संभव था। राजा राममोहन राय ने मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध किया तो दूसरी ओर महिलाओं की उन्नति के लिए आवाज बुलंद भी की। ब्रह्म समाज और उसके बाद आर्य समाज ने भी महिलाओं की उन्नति के रास्ते खोजे। महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया गया। हालाँकि इसमें तेजी आजादी के बाद ही आई। सरकार ने औरतों की शिक्षा के लिए कई नीतियाँ तैयार की, जिसके कारण महिला साक्षरता में जबर्दस्त उछाल आया। आजादी के केवल तीन दशक बाद इसमें पुरुषों की साक्षरता दर की अपेक्षा तेज गति से वृद्धि हुई। सन 1971 में जहाँ केवल 22 फीसदी महिलाएँ साक्षर थीं, वहीं सन 2001 तक यह 54.16 फीसदी हो गया। इस दौरान महिला साक्षरता दर में 14.87 फीसदी की वृद्धि हुई और वहीं पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि 11.72 फीसदी रही। लेकिन इस क्षेत्र में और तेजी की दरकार है। भारत के दूरदराज के इलाकों की बात तो दूर, बड़े शहरों में भी लड़कियों को उच्चत्तर शिक्षा के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जहाँ 2001 की जनसंख्या में पुरुषों की साक्षरता 75 फीसदी थी, वहीं महिला साक्षरता महज 54 फीसदी थी। वैसे साक्षरता दर में आई तेजी से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी।

विषय के अध्ययन की संरचना

सफीदों, (हरियाणा) देश की आजादी एवं देश के विकास में महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। राज्यपाल सफीदों (हरियाणा) में सरकार व इंदिरा प्रियदर्शनी महिला शिक्षा समिति के तत्वावधान में करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले महिला

कालेज के शिलान्यास के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान का यह जीवंत उदाहरण है कि आज विश्व के पहले लोकतंत्र में देश की राष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं आसीन हैं और यह भी गौरव की बात है कि देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी व कल्पना चावला जैसी महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है । उन्होंने कहा कि नारी शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि शिक्षित नारी से दो परिवारों परिजनों तथा ससुराल का उत्थान होता है । आज के पुरुष प्रधान समाज में नारी अपनी विशेष पहचान बना रही है ।

विषय के अध्ययन की सीमाएँ :

आज चारों तरफ महिलाएँ हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं । कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएँ पुरुषों से पीछे नहीं हैं । आज की महिला जिस जबाबदारी से व्यावसायिक दुनिया में सफल हो रही है, उतनी ही कुशलता से वह घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी भी निभा रही है । आज के पुरुष प्रधान समाज में चाहे महिला कितनी ही तरक्की कर ले, उसे पुरुष के अहं को झेलना ही पड़ता है । बहुत कम ऐसे पुरुष होंगे, जो अपनी पत्नी की तरक्की में मन से खुश होते हैं । ज्यादातर पति उसमें अपने अहं को ठेस पहुँचना मानते हैं । पिछली कई सालों से भारतीय नारी की भूमिका में काफ़ी फर्क आया है । मध्य वर्ग में नारी की भूमिका घरेलू कामों से जुड़ी रहती थी जैसे कि बच्चों की देखभाल करना और ज्यादातर औरते पैसे कमाने नहीं जाती थी । गरीब नारी में, खासकर के मेहनती वर्ग में पैसों की कमी की वजह से नारी को काम करना पडता था हालांकि औरतों को दिये जाने वाले काम हमेशा मर्दों को दिये जाने वाले कामों से प्रतिष्ठा और पैसे दोनों में छोटे होते हैं । धीरे-धीरे , घर की नारी का काम न करना धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा जबकि नारी के काम करने का मतलब उस घर को निचले वर्ग का गिना जाता था । भारत के बड़े शहरों में घूमिये तो हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ते दिखती है, चाहे वह विश्वविद्यालय की छात्राएँ हों या डाक्टर, वकील जैसे पेशे में जुटी नारियाँ या फिर हर तरह के काम में लगी नौकरी करने वाली ।

उपसंहार :

आज नारी जीवन के हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है । आज की नारी अपने कर्तव्यों को गृहकार्यों की इतिश्री ही नहीं समझती है, अपितु अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग है । वह अब स्वयं के प्रति सचेत होते हुए अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने

की हिम्मत रखती है । कोई सिर्फ यह कहकर उनके आत्मविश्वास को तनिक भी नहीं हिला सकता कि वह एक 'नारी' है । शिक्षा के चलते नारी जागरुक हुई और इस जागरुकता ने नारी के कार्यक्षेत्र की सीमा को घर की चारदीवारी से बाहर की दुनिया तक फैला दिया । शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के चलते आज नारी भी अपने कैरियर के प्रति संजीदा है । इससे जहाँ नारी अपने पैरों पर खड़ी हो सकी, वहीं आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उसे रचनात्मक कार्यों हेतु भी प्रेरित किया । आज एक महिला घर में अकेले जितना कार्य करती है, उसका मोल कोई नहीं समझता । पुरुष इसे महिला की ड्यूटी मानकर निश्चिंत हो जाता है । यह उस स्थिति में भी है जबकि महिला कमा रही होती है । आज जरूरत इस बात की भी है कि जी.डी.पी. में महिलाओं के कार्य की गणना हो और घरेलू कार्यों को हवा में न उडाया जाये । इस अवधारणा को बदलने की जरूरत है कि बच्चों का लालन-पोषण और गृहस्थी चलाना सिर्फ नारी का काम है ।

भारत में समान कार्य के लिये नारियों को पगार कम मिलती है, उन्हें काम करने के मौके कम मिलते हैं, ऊँचे पद पर उनकी तरक्की कम होती है । (ऊँचे पद पर स्त्रियाँ प्रतिशत, पुरुष 97 प्रतिशत) और तकनीकी क्षेत्रों में भारत का स्थान विश्व के 128 देशों में 114 वाँ हैं । शिक्षा क्षेत्र में लड़कों के मुकाबले कम लड़कियाँ लिखना पढ़ना जानती हैं (लड़कियाँ 48 प्रतिशत, लड़के 73 प्रतिशत), प्राईमरी स्कूल में उनका अनुपात कम है, उच्च शिक्षा में भी उनका अनुपात युवकों के मुकाबले में कम है (उच्च शिक्षा में लड़कियाँ 9 प्रतिशत, लड़के 14 प्रतिशत) इस दृष्टि से भारत का स्थान 128 देशों में से 122 वें स्थान पर है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन्म के समय लड़कियों और लड़कों के अनुपात में अंतर होने की विषमता भारत में बहुत अधिक है, इस दृष्टि से देखने पर भारत का स्थान 128 देशों में से 117 वें स्थान पर है । राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारतीय संसद में स्त्री संसद पुरुषों की तुलना में बहुत कम हैं (स्त्रियाँ 8 प्रतिशत, पुरुष 92 प्रतिशत) और स्त्री मंत्री भी कम हैं । (स्त्री मंत्री 3 प्रतिशत, पुरुष 97 प्रतिशत) 2020 तक भारत एक विकसित देश होगा ।

शोध ग्रंथावली -

1. पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण - सीमा सिंह
2. भारतीय महिला; तेजी से बढ़ते कदम - प्रीति

3. भारत में महिला सशक्तिकरण - डॉ. खरे

4. शिक्षा में छिपा हैं महिला सशक्तिकरण का रहस्य - अरूण यादव

5. आज की दुर्गा महिला सशक्तिकरण - शोरा भीजी

6. नारी -विमला मैथिल

7. नारी सशक्तिकरण की समर्थक - सुरेश चन्द्र गुप्ता

8. नारी शक्ति को वन्दन - नरेंद्र मोदी

5. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण

*** शशि रानी**

पूरे विश्व में आज की सदी का एवं पिछले दशकों से भारत में महिला सशक्तिकरण सबसे ज्वलंत मुद्दा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं भारत में इसके लिये कुछ प्रयास भी किये गए, कुछ प्राथमिकताएँ भी तय की गई लेकिन वह अधर में ही रही है। महिला एवं पुरुषों की बीच असमानताएँ एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव कई वर्षों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। महिलाओं एवं पुरुष की समानता एक वैश्विक प्रश्न ही बनकर रह गया है। यह समानता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक, राजनैतिक, अस्तित्व को लेकर है। वैसे तो 21 वीं सदी के भारत में कई महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ एक शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। भले ही वह सरकारी, अर्ध सरकारी, आधुनिक क्षेत्र हो या फिर खेल जैसा क्षेत्र जिसमें महिलाओं का विश्व में शीर्ष स्थान है। लेकिन यह कुछ उदाहरण मात्र ही है। संख्या की दृष्टि से देखें तो यह नगण्य ही है।

आज दुनिया भर में महिलाआं के लिए नए आयाम खोले जा रहे हैं ये सब कोशिशें ऐसे समाज के निर्माण के लिए हैं जिसमें पुरुष एवं महिलाएँ समानता का उद्धहरण प्रस्तुत करें और एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ लिंग भेद के नाम पर किसी पर भी अत्याचार न हो खासकर महिलाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अनेको प्रयास भी किये जा रहे हैं। गौरतलब बात है कि जहाँ दुनिया भर के देश अब अपनी बढ़ाई आर्थिक सम्पन्नता से लेकर तकनीकी जगत में अपना वर्चस्व स्थापित करने तक में लगी है, वहीं कुछ ऐसे भी सच्चाइयाँ हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि ये सम्पन्नता सही मायनों में हासिल नहीं हुई है। किसी भी समाज की उन्नति उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति से तय होती है ऐसे में अगर सामाजिक समानता का आधार किसी पुरुष या महिला होने से संबंधित है तब यह गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है इसलिये देश को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाने के लिये महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। उनकी उचित वृद्धि और विकास के लिये हर क्षेत्र में स्वतंत्र होने के उनके अधिकार को समझाना महिलाओं को अधिकार देना है। नारी सशक्तिकरण के नारे के साथ एक प्रश्न उठता है कि ''क्या महिलाएं सचमुच में मजबूत बनी है'' और ''क्या उसका लंबे समय का संघर्ष खत्म हो चुका है।''

---

* सहायक प्राचार्या, समाज कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007

राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सच्ची महत्ता और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिये मातृदिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे है और लागू किये गये है । महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरुरत है । अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है ।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 102.87 करोड है । इसमें से 53.22 करोड़ पुरुष एवं 49.65 करोड़ महिलाएँ हैं । इन 49.65 करोड़ महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति दयनीय के अलावा कुछ भी नहीं है । भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का निवास होता है किन्तु वस्तु स्थिति में ऐसा नहीं है ।

भारत में लिंगानुपात की बात करें जो सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिला है । इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएँ हैं । वही अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 949 है । लेकिन जहाँ हम अपने आपको शहरों में रहते हुए आधुनिकतावादी और पढ़ा लिखा मानते हैं यह अनुपात 929 है, जो हमारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है । इसका सीधा कारण बेटियों के प्रति अस्वीकार्यता है । जिसमें भ्रूण हत्या भी शामिल है ।

शिक्षा की बात करें तो सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 73% साक्षरों में पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% है । वहीं इसकी तुलना सन् 2001 की जनगणना से करे तो पता चलता है कि महिलाओं की साक्षरता में सुधार हुआ तो है लेकिन वह सुधार प्राथमिक स्तर पर ही है । जैसा की हमें पता चला है पिछले कई वर्षों से 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षाओं के परिणामों में बालिकाएँ, बालकों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं । लेकिन परिवार एवं सामाजिक दबाव जैसे की कम आयु में विवाह, घर का काम काज, परिवार में महिलाओं के शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं बालकों की पढ़ाई की प्राथमिकता के चलते बालिकाओं की पढ़ाई ज्यादातर वहीं समाप्त हो जाती है या उसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं रहती । शिक्षा का यह पंजीकरणीय अनुपात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जाकर बहुत कम हो जाता है । उच्चतर शिक्षा में तो महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है ।

यह माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता, रोज़गार में भागीदारी से पता चलती है । सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमिकों की संख्या 36.25 करोड़ है । इसमें से कुल पुरुष श्रमिकों की संख्या 36.25 करोड़ है और महिलाओं की संख्या 8.93 करोड़ है । हालाँकि वर्ष 2001 से तुलना करे तो पता चलता है कि रोज़गार का यह आँकड़ा बढ़ा है लेकिन कुल कमाई की हिस्सेदारी में उनका हिस्सा आज भी कम है । इसका कारण है कि महिलाओं को उनके काम की पूरी मज़दूरी नहीं मिलती । आज भी कई क्षेत्र जैसे की पुलिस, सेना, पायलट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कमांडो इत्यादि जो पहले पुरुषों के लिए ही थे लेकिन अब महिलाएं भी इनमें बेहतर प्रदर्शन कर रही है फिर भी उनकी क्षमता को पूरी तरह से उपयोग में लाया नहीं जा रहा है । विशेष तौर पर इस कमी को दूर किये बगैर महिला सशक्तिकरण की कल्पना बिलकुल भी संभव नहीं है । आम तौर पर पूरे घर का बोझ महिलाओं पर ही होता है वहीं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल करती है, इसी प्रक्रिया में वह स्वयं की देखभाल नहीं कर पाती और न ही परिवार उसका ख्याल रख पाता है । वही कारण है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक है ।

महिलाएं आज भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र नहीं है । कोई भी निर्णय चाहे वह स्वयं के भविष्य के निर्माण के लिए ही क्यूं न हो, नही ले सकती है । प्रत्येक निर्णय में परिवार और समाज का काफ़ी दबाव होता है । महिलाएं आज भी समाज में हिंसा का शिकार होती हैं और यह हिंसा जो कि बलात्कार, अपहरण, दहेज मृत्यु, यंत्रणा, यौन उत्पीड़न शामिल है जो की महिलाओं के प्रति हमारी विकृत मानसिकता को दर्शाता है । जब तक महिलाओं की शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, सामाजिक, राजनैतिक एवं लिंग समानता नहीं होगी तब तक हम किसी भी स्वस्थ, परिपक्व एवं प्रगतिशील समाज और देश की कल्पना भी नहीं पाएंगे । महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं ने कई प्रयास भी किये है और कर भी रहे हैं लेकिन इन भरपूर प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं को समानता का दर्ज़ा आज भी हासिल नहीं है, ऐसे में अगर कुछ उम्मीद की जा रही है तो हमें उपरोक्त गंभीर पहलूओं की ओर तो ध्यान देना ही होगा, साथ ही हमें अपनी मानसिकता और नज़रिए को भी बदलना होगा जोकि मात्र किसी नीति, योजना, मिलिनियम डेवलपमेंट गोल एवं कार्यक्रमों से नही बदलेगा बल्कि उसके लिए आत्मचिंतन के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक पहल की सख्त आवश्यकता है ।

6. शालात्यागी आदिवासी बालिकाओं की स्थितिः - राजस्थान के झाडोल खंड के संदर्भ में एक अध्ययन

श्री मनीष बिश्नोई*
श्री रामचंद्र पंडित**

शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज और राष्ट्रीय विकास प्रक्रियाओं के लिए मौखिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में समानता लायी जा सकती है। यह सर्वकालिक रूप से मान्य है कि शिक्षा ने व्यक्तियों के विकास से राष्ट्रीय विकास में मुख्य भूमिका निभाई है । बालिकाओं की शिक्षा में समाज में अतिरिक्त रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सुदढ़ता आती है जिसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। साक्षरता का दर बढ़ना मानव पूंजी के लिए सकारात्मक संकेत है। साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को शिक्षित करना आवश्यक है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है (जनगणना 2011) महिला साक्षरता दर 65.46% और पुरुष साक्षरता दर 82.14% राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों के मुकाबले महिलाएं 16.68% पीछे है। भारत सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भी सहायता प्रदान करने की कोशिश की है। समय-समय पर निवेश राशि, योजना नीतियाँ भी बनायी है जिससे इन वर्गों को सहयोग मिला है। इससे हमें साक्षरता एवं शिक्षा प्राप्ति की दर में वृद्धि दिखाई देती है ।

यह शोध पत्र निम्नलिखित खंडों में बांटा गया है ।

(i) आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा
(ii) राजस्थान एवं साक्षरता
(iii) उदयपुर और साक्षरता दर
(iv) झाडोल खंड में जनजातीय समुदाय आदिवासी
(v) अध्ययन के उद्देश्य
(vi) अध्ययन पद्धति और आंकड़ों का विश्लेषण
(vii) बीटी कॉटन और गुजरात में बाल श्रम की भारी मांग

---

* शोध सहयोगी पंचायतीराज केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद manishvishnoi.nird@gov.in
** शोधार्थी, स्त्री अध्ययन केंद्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय ramchandra@uohyd.ac.in

(viii) निष्कर्ष

(ix) संदर्भ

1. **आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा :-** किसी भी वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बालिका शिक्षा का बढ़ना महत्वपूर्ण है । भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों / सिद्धांतों में खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के शैक्षणिक हितों में अलग से प्रावधान है ।

2. **राजस्थान और साक्षरता :-** राजस्थान की साक्षरता दर 76.06: है जिसमें से पुरुष 80.51% एवं महिला 52.66% साक्षरता है । राजस्थान की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर (74.04): औसत से नीचे है । राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर पिछले एक दशक में 43.09% (2001) से बढकर 52.66% (2011) हो गई है । हालांकि पुरुष व महिला साक्षरता के बीच अभी भी 27.08% का भारी अंतर है ।

3. **उदयपुर और साक्षरता दर :-** उदयपुर जिले की जनसंख्या 2011 जणगणना के अनुसार 30,68,420 है इस जिले की साक्षरता दर 61.82% (पुरुष - 74.74% और महिला 48.45%) है । राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर (52.8% पुरुष 67.6% और महिला 37.3%) है और जिले की साक्षरता 61.82% है ।

4. **झाडोल खंड में आदिवासी समुदाय :-** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1973 के अनुसार निम्नलिखित जातिः गरासिया, भील, कघोड़ी, मीणा इत्यादी अनुसूचित के अंतर्गत आते हैं । झाडोल खंड में ये अनुसूचित जनजाति के लोग रहते है ।

   गरासिया : गरासिया राजस्थान और गुजरात के वन क्षेत्रों में रहने वाली एक अनुसूचित जनजाति है । राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में है । गरासिया जाति राजपूत गरासिया की संस्कृति से मिश्रण का परिणाम है ।

   भील : भील मुख्य रूप से मध्य भारत में रहने वाली आदिवासी जाति है । राजस्थान में ये धनुष पुरुषों के रूप में लोकप्रिय है । वे भारत के सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ आदिवासी समूह है । राजस्थान में उदयपुर में अधिक रहते है ।

   कथोड़ी : 700-800 कथोड़ी परिवार झाडोल और कोठड़ा ब्लॉक में रहते हैं । कथोड़ी एक खानाबदोश जनजाति है । पारिवारिक रुप से ये जंगलों में कथ्था इकट्ठा करते बेचते हैं । इस कार्य से अपनी आजीविका चलाते थे । इनकी सबसे प्रमुख

समस्या समय-समय पर अलग अलग जगह पर प्रवास, भूमि हस्तांतरण और सामाजिक बहिष्कार है ।

मीणा :- मीणा एक जनजाति है । ज्यादातर भारत के राजस्थान और मध्यप्रदेश क्षेत्रों में रहते है । राजस्थान में राजपूत राज्य के साथ उनके गठबंधन का समर्थन करने के लिए लिया गया था ।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. शालात्यागी बालिकाओं की ग्राम पंचायत स्तर पर वास्तविक संख्या ज्ञात करना ।
2. शालात्यागी बालिकाओं को बाधा एवं सहायता पहुँचाने वाले घटकों का अध्ययन करना ।
3. आदिवासी बालिका शिक्षा के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण ।

शोध प्रविधि :

सामाजिक शोध में प्रविधि की भूमिका काफी महत्वपूर्णहै । शोध डिज़ाइन परियोजना है जिसे शोधकर्ता द्वारा इस ढंग से तैयार किया जाता है कि इसमें प्राक्कल्पना लेखन तथा इसका सक्रियात्मक आसन से लेकर आकड़ों का अंतिम विश्लेषण तक की रूप रेखा निहित होती है । इससे स्पष्ट है कि शोध डिज़ाइन शोध के विषयों के बारे में आनुभाविक सबूत प्रदान करने की एक वैज्ञानिक परियोजना है ।

उदयपुर जिला पिछड़े जिलों की संख्या में आता है । यह अनुसूचित के क्षेत्र में आता है । पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार पूरे भारत में 250 जिलों को पिछड़े जिलों का दर्जा दिया गया जिसमें से उदयपुर जिला एक है । उदयपुर जिले में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या है । खंड में 45 ग्राम पंचायतें है । शोध के लिए पांच ग्राम पंचायत चुनी गई है, आदिवासी जनसंख्या एवं जहाँ शालात्यागी बालिका ज्यादा है।

प्रतिदर्शन :

करलिंगर (1986) ने प्रतिदर्शन को परिभाषित करते हुए कहा है - ''किसी जीवसंख्या या समष्टि से उस जीवसंख्या या समष्टि के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्शन कहलाता है ।

इस अध्ययन में शोधकर्ता ने उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन का चयन किया है । ''उद्देश्य के पूर्ण प्रतिदर्शन वह है जिसे स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि उसमें जीवन संख्या के प्रतिनिधि

होने का अच्छा सबूत मौजूद होता है । शोधकर्ता ने 100 प्रतिदर्शन किये है प्रतिदर्शन के चयन का आधार सरकारी विद्यालय को हाबरी पुस्तिका से शालात्यागी बालिकाओं की सूची तैयार करना । सूची के अनुसार पांच ग्राम पंचायत में 20 परिवार चुने गये जहाँ शालात्यागी बालिकायें मिली । इन बालिकाओं का शिक्षा का स्तर 6-8 कक्षा है । बालिकाओं की आयु 11-14 वर्ष है । आकंड़ों की वैधता के लिए पुनः माता पिता से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी । अध्ययन के लिए मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों आंकडे इकट्ठा किये गये जिससे आंकड़ों की वैधता, शुद्धता मिले ।

आंकड़ों का विश्लेषण :-

- उद्देश्य एक पर चर्चा

तालिका क्रमांक 01 शालात्यागी बालिकाओं का 100 परिवारों का सर्वेक्षण

क्र.सं.	गांव पंचायत नाम	गांव का नाम	परिवारों की संख्या	शालात्यागी बालिकाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	अटाटिया	चरखा खेरा	20	17	23.94
2.	बिरोठी	नयागांव	20	12	16.90
3.	नेवज	नेवज	20	17	23.94
4.	ओगना	दाडनिया	20	14	19.71
5.	गेजवी	गेजवी	20	111	5.49
		कुल	**100**	**71**	**100**

संदर्भ प्राथमिक क्षेत्र से आंकड़े (2012)

तालिका क्रमांक 01 में दर्शाये गये आंकड़े दिखाते है कि 100 परिवारों में से 7.1 बालिकाएँ शालात्यागी है । तालिका के अनुसार सर्वाधिक बालिकायें अटाटिया एवं नेवज ग्राम पंचायत में 23.94% प्राप्त हुई है । सबसे न्यूनतम शालात्यागी बालिकायें गेजवी 15.49% और बिरोठी 16.90% प्राप्त हुई है ।

पांच ग्राम पंचायत में 100 परिवारों के सर्वेक्षण के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि 100 परिवारों में 71% शालात्यागी बालिकाएँ है । सर्वोच्च (23.94%) न्यूनतम (15.49%) ग्राम पंचायत की परस्पर तुलना करने पर आपसी अन्तर 8.45% नजर आता है ।

2. उद्देश्य दो पर चर्चा

उद्देश्य दो के लिए गुणात्मक आंकड़े प्रश्नावली प्रेषण के माध्यम से माता-पिता से संग्रहित किये गये है। गांव के ज्ञानी लोगों से चर्चा करने पर निम्नलिखित आंकड़े सामने आये। वे बाधा के घटक के रूप में माने गये है।

- 25% विद्यालय का दूर क्षेत्र पर होना।
- 15% अन्य कारण बतायें जैसे बालिकाओं का बाल विवाह, खेत में कार्य, मजदूरी करना, नीची जाति होने पर विद्यालय में भेदभाव।
- माता-पिता से जब पूछा गया कि शिक्षा के लिए किस प्रकार के हस्तक्षेप होने चाहिए (i) 25% वित्तीय सहायता (ii) 28% नि-शुल्क शिक्षा प्रदान करना (iii) 30% प्रेरणा, उत्साह बढ़ाना (iv) सरकार बेहतर शिक्षा के लिए नई योजना बनाये (v) अन्य सहायता (सीखने के साथ कमाना)
- विद्यालय में महिला शिक्षक नहीं है। जिसके कारण बालिकाएं अपनी पढ़ाई एवं अपनी समस्याएं पूरी तरह खुल कर नहीं बता सकती। वे पुरुष शिक्षक से संकोच महसूस करती है।
- ये शालात्यागी बालिकायें अपने परिवार से पढ़ने वाली प्रथम पीढ़ी है।
- ये 100 परिवार मासिक आमदनी के लिए कृषि पर निर्भर रहते है। इनमें से कुछ जंगल में कार्य करते है।
- 60% माता पिता शालात्यागने का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति, पुरानी गरीबी बताते है।
- बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है।
- शिक्षा का अधिकार
- एक बालिका शिक्षा
- कस्तुरबा गांधी बालिका शिक्षा योजना
- सर्व शिक्षा योजना
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

- साक्षर भारत
- शिक्षा कर्मी योजना
- लोक जम्बूरी कार्यक्रम
- महिला समस्या
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
- मिड डे मील

उद्देश्य तीन पर चर्चा :-

- जब माता-पिता खेत में कार्य करने जाये तब बालिका का घरेलू कार्यों पर ध्यान देना
- बालिका शिक्षा को भविष्य के रूप में देखना नहीं चाहते ।
- लड़को को मजदूरी करनी है जिससे परिवार की आमदनी में मदद मिलेगी ।
- लड़की की 15-18 आयु के दौरान शादी करके अन्य घर भेजना ।

क्षेत्रीय विशिष्टता :

गुजरात में बीटी कॉटन कपास की उत्पादकता में आई तेजी का प्रभाव झाडोल खंड के परिवारों पर रहा है । बाल श्रमिकों के लिए यह एक बाजार बन गया है । यहां के बच्चे तीन महीने (अगस्त, सितंबर, अक्टूबर) के लिए मौसमी प्रवास करते है ।

- **बीटी कॉटन, गुजरात एवं बाल श्रम की मांग :**

गांव के अनुभवी जानकार लोगों के साथ विचार विमर्श के दौरान यह पता चला की झाडोल से ले जाये गये बच्चों को गुजरात के साबरकांठा और पालनपुर जिले में ले जाया जाता है । वहाँ उनसे कपास के खेतों में एक व्यवसाय के रूप में कार्य करवाया जाता है । यह व्यवसाय तीन से चार श्रेणियों के बीच आयोजित किया जाता है । (1) माता-पिता (2) मेढ़ (स्थानीय ठेकेदार) (3) सेठ (गुजरात में) (4) मालिक

शोध के कुछ प्रश्न सामने आये कि क्यों बच्चों को ही इस कार्य के लिए लाया जाता है ? गांव के अनुभवी, जानकार लोगों से वार्तालाप करने से मुख्यतः दो कारण सामने आये । मादा फूल से नर फूल मिलन करवाया जाता है । स्थानीय भाषा में इसको परागता (चवतामेद) कहा जाता है । कपास का फुल बहुत नाजुक होता है । इसलिए छोटे बच्चों की अंगुलियों की निपुणता की आवश्यकता होती है । बच्चों की औसत आयु 10-15 वर्ष होती है । बीटी कॉटन के पौधे की उंची 3-4 फिट होती है । बच्चे आराम से झुक कर ये कार्य कर सकते है ।

पुरानी गरीबी एवं कर्ज से परेशान माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय छोड़ने पर मजबूर करते है । गरीब माता-पिता गांव के जमींदार, मुखिया से पैसे ऋण के रूप में लेते हैं । माता-पिता ये ऋण चुकाने में अक्षम होते है । इसका नतीजा ये है कि माता-पिता को उधार लिया ऋण चुकाने के लिए बच्चे गुजरात में कपास के खेत में कार्य करते हैं । इस मामले में गांव का सेठ, माता-पिता को 3,000-4000 रुपये अग्रिम राशी के रूप में दे देता है । यह सेठ गुजरात में संपर्क करके बच्चों को वाहन से गुजरात भेज देता है ।

कपास का खेत एवं बालिकाओं की समस्याएं :

कपास के खेतों में कार्य करने वालों में प्रवासी आदिवासी बालिकाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

- यह कपास का कार्य करना काफी खतरनाक है । कार्य करने के दौरान सांस लेते समय कपास की गैस, हवा के साथ सीधे हृदय के अंदर चली जाती है । जिससे सबसे अधिक इनके फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है । जिससे फेफड़े खराब होने का खतरा हो सकता है ।
- सेठ व अन्य सदस्यों द्वारा यौन शोषण, शारीरिक अत्याचार किया जाता है ।
- स्वास्थ्य की समस्या होने पर कोई इलाज नहीं जैसे बुखार, खांसी इत्यादि ।
- मानसिक रूप से ये बालिकाएं दिनभर काम करती है और फिर सभी सदस्यों के लिए खाना बनाती है ।

तीन महीने का मौसमी पलायन होता है । ये अगस्त में जाते है और अक्तूबर में लौटते है । आदिवासी बालिकाएं जुलाई माह में विद्यालय में पंजीयन करवाती है । महीने के भीतर वो शालात्याग कर वापस जब अक्टूबर में लौटती है तब तक आधा शैक्षणिक सत्र पूर्ण हो जाता है ।

माता-पिता को शिक्षा का अधिकार अधिनयम - 2009 के बारे में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करने के बारे में जानकारी देनी चाहिए । बालिकाओं के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा भारत सरकार दे रही है । शोध से पता चला है कि बच्चों को नई शिक्षण विधियों, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, जीवन कौशल शिक्षा इत्यादि से जल्दी ज्ञान अर्जित कर पाते है ।

निष्कर्ष :-

आदिवासी बालिकाओं के शालात्यागने के दो मुख्य कारण है 1) पुरानी गरीबी, 2) बीटी कॉटन । शिक्षा का अधिकार 2009 पहले से ही झाडोल खंड में क्रियान्वित है ।

लेकिन उनका लाभ आदिवासी बालिकाओं को प्राप्त नहीं हो रहा है । शिक्षक एवं माता-पिता दोनों को आपस में मिलकर कार्य करना होगा जिससे बालिकाये अपनी शिक्षा पूरी कर सके । शिक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिससे राज्य की साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी होगी ।

राजस्थान की मुख्यमंत्री ने खानाबदोश, आदिवासी बालिकाओं के 'पहियो पर विद्यालय (School on wheels) नाम से कार्यक्रम का शुमारंभ किया है । जो एक पुस्तकालय इकाई के रूप में है । इसके तहत बच्चों को लघु ऑडियो वीडियो का प्रदर्शन, प्रेरणादायक कहानी को कविता और अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकी के उचित उपयोगितापूर्ण तरीकों से शिक्षा दी जाएगी ।

तकनीकी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना एक नई पहल है । (डेक्कन क्रॉनिकल 09 फरवरी 2016) इस योजना के माध्यम से शाला त्यागने वाली बालिकाओं की दर में कमी आयेगी । राजस्थान सरकार का आदिवासी बच्चों की शिक्षा को बढावा देने के लिए सकारात्मक कदम है ।

संदर्भ सूची :-

1 शिक्षा की स्थिति वार्षिक रिपोर्ट 2014 प्रथम संस्थान

2. भारत बहिष्कार रिपोर्ट 2013-14 बदलाव के लिए पुस्तक, नई दिल्ली

3. आर. विमला,2013, दलित होने का क्या मतलब ? आदिवासी बच्चे हमारी विद्यालयों में आर्थिक राजनीतिक साप्ताहिक नवंबर 2, 2013

4. श्वेता बगई आर नीरा बिन्दु 2009 आदिवासी शिक्षा का अच्छा संतुलन

5. एल. भंडारी बारदोलाई 2006 आय में भिन्नता और शिक्षा के लिए वापसी, आर्थिक राजनीतिक साप्ताहिक, 403, (36), 3894: 3899, 09, 2006

6. शिक्षा सभी के लिए गुणवत एवं न्यायपूर्ण दिशा की ओर ... रिपोर्ट राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

7. एम. सारुमथी, ज्ञानमुद्रा, 2014 शिक्षा का अधिकार : चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

8. डेक्कन क्रॉनिकल समाचार पत्र, पहियों पर विद्यालय, 09 फरवरी, 2016 पेज 08

9. जनगणना 2011, भारत सरकार

10. उदयपुर जिला के रूपरेखा वेबसाईट 2016

7. सामाजिक चेतना से महिला सशक्तिकरण

*** डॉ. प्रो. संजुला थानवी**

महिला मातृशक्ति है । जननी है । पालक है । संस्कार देने वाली पहली इकाई है । सृष्टि का क्रम भी तो नारीशक्ति, मातृशक्ति और महिला सतत बनाये रखती है । आदि पौराणिक काल से नारी समस्त यानि महिला को वैष्णवी शक्ति माना है । यह पूरा विश्व इसी की माया या शक्ति का प्रतिफल है । समस्त जगत इसी महिला मातृशक्ति के अधीन है । महिला शक्ति की प्रसन्नता ही इस पृथ्वी की प्रसन्नता है । इसी से कोई भी वांछित लक्ष्य पूर्ति कर जीवन को सार्थक बना सकता है) सम्पूर्ण ज्ञान विकास की विधायें इसी की शक्ति से फलती-फूलती है । जगत में प्रत्येक महिला शक्ति स्वरूपा और ज्ञान स्वरूपा जगदम्बा है । इसी से पूरा जगत शक्ति सम्पन्न और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करता है । ऐसे ही विचारों से मार्कण्डेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती में लिखा है ।

देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य ।
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ।। (दुर्गा सप्तशती)

मातृशक्ति से घरो में सुप्रबंधन होता है । वो लक्ष्मी के रूप में घरों में वित्त का प्रबंधन कर परिवार की लज्जा रखती है । यह तभी है जब पुण्यात्माओं वाले घर परिवार मातृशक्ति को मान-सम्मान और सभी कार्यों में सहभागी बनाते हैं । मनुष्य के हृदय में बुद्धि, श्रद्धा व कुशलता जगाकर लज्जा के साथ घरों में निवास करती है ।

नारी सागर से गहरी है, पर सागर सी खारी नहीं,
नारी ईश्वर की जननी है, पर ईश्वर सी अदृश्य नहीं
नारी की कोई उपमा नहीं हो सकती, क्योंकि वह उप-माँ नहीं हो सकती

भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियों को पुरूषों से श्रेष्ठ माना गया है । स्त्री पालन करने वाली है । पालने योग्य है । उसके बिना खुशहाल जीवन और सृष्टि की रचना पर प्रश्नचिन्ह लगता है । रानी कर्मावती, आहिल्याबाई, गार्गी, मैत्रेयी, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी जैसी कर्मठ, साहसी व विदुषी महिलाओं का वजूद किससे छिपा है । मीरा बाई का प्रेम व समर्पण, तत्कालीन सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने का साहस, किरण बेदी का साहस व शौर्य और कल्पना चावला की वैज्ञानिकता और अंतरिक्ष की सीमा भेदने की क्षमता का गुणगान करते हुए यह समाज थकता नहीं है ।

---

* निदेशक, सूरज संस्थान 33/160, ''सूरज धाम'', वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर

इसी पृष्ठभूमि में महिलाओं याने मातृशक्ति का युगयुगीन भारत में कैसा स्वरूप रहा है। कैसा स्वरूप निखर रहा है। वे किस प्रकार निर्णय प्रक्रिया तंत्र से जुड़कर पुरूषों को अपनी शक्ति का एहसास दिला रही है। महिला की स्थिति जननी के रूप में पहचाननी है तो हमें इस जननी को महिलाओं के नजरिये से देखना, सोचना और विचारना होगा।

संविधान की भावनाओं के अनरूप 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में किया गया। 24 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति ने इन पर हस्ताक्षर कर महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक दिवस बना दिया पंच पालिकाओं में महिलाओं को एक तिहाई स्थान मिला। राजनीतिक नेतृत्व का मार्ग खुल गया। आज विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं।

महिलाओं की सुरक्षा के लिये भी प्रयत्नशील होने की जरूरत है। सामाजिक विषमता और सामाजिक असंतुलन से महिलाओं के साथ अभी भी अत्याचार होता है, शोषण होता है। इनसे सुरक्षा दिलाने की जरूरत है। सती प्रथा को रोका गया। बाल विवाह को निषेध किया गया। भ्रूण हत्या व बालिका हत्या पर रोक लगाई है। ये सभी कानूनी प्रावधान है। 1795 का बाल हत्या निषेध कानून, 1829 को सती होना अपराध माना। 1856 में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट 1929 में बना। हिन्दू वूमैन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 से विधवा महिला को जायदाद में पूरा हिस्सा मिलने लगा। ऐसे प्रावधानों से महिलाओं को समानता का अधिकार तो मिला पर सुरक्षा नहीं मिल सकी। उनकी संस्था का काम अभी भी शेष है। बलात्कार, प्रताड़ना, मारपीट, हिंसा, अपहरण, अवैधानिक प्रश्न आदि घटनायें होती हैं।

हम सभी इक्कीसवीं सदी के युग में रह रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व एक गांव में बदल चुका है। नवोन्मेष का दौर प्रारम्भ हो गया है। इसका एक सुखद पहलू यह भी उभरा है कि महिलाओं की स्थिति पर अधिक चिन्तन-मनन और खुल कर खोज करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। विभिन्न स्थानीय और अन्तराष्ट्रीय संगठनों द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये प्रयास प्रारम्भ किये हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पिछले अनेक दशकों में महिलाओं के संबंध में गंभीरता से विचार नहीं हो पाया है।

मानव अधिकारों की यह व्यवस्था कोई नवीन व्यवस्था नहीं है यह सदियों के विकास का परिणाम है। शताब्दियों से मानव जाति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी, मानव अधिकारों के समर्थक विश्व के कोने-कोने में जन्मे जिनकी उग्र, जोशीले, मर्मभेदी लेखनी और वाणी का प्रभाव ना केवल अनेक देशों पर पड़ा वरन समस्त संसार में उन्होंने अपने विचारों से हलचल मचा दी, जिसके फलस्वरूप कभी क्रान्ति द्वारा, कभी

संविधान संशोधन द्वारा एवं कभी प्रार्थना द्वारा, जनता ने अपने मूलभूत अधिकार सम्राट आदि शासक वर्गों से छीनकर या शान्ति पूर्वक प्राप्त किये और आज तक इन प्रयासों का सिलसिला जारी है। मानव अधिकारों में भारतीय संविधान के 73 वें संवैधानिक संशोधन का सर्वाधिक महत्व है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक क्षेत्र में बुनियाद परिवर्तन आया है। समाज में महिलाओं और कमजोर वर्ग से नेतृत्व उभरने लगा है। जनता द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया से युग युगों से चला आने वाला सम्भ्रात व बहुसंख्यक कृषक जाति के साथ महिलाएं और कमजोर वर्ग से पंच-सरपंच चुने जाने लगे हैं।

सच है जागरूकता से ही सहभागिता बढ़ती है। ग्राम या नगर के वार्ड में जागरूकता का स्तर जितना ज्यादा होगा स्थानीय, राज्य स्तरीय व केन्द्र की संस्थाओं में भागीदारी बढ़ेगी। वे चर्चा भी करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे ? जरूरत है जागरूकता की। महिलायें जागरूक होने के मार्ग पर बढ़ने लगी है। अब समय आने वाला है या यो कहे कि 1995 से समय आ गया है महिलाये कहने लगी हैं - समय के रथ का घर्घरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि महिलायें आ रही हैं। राम मनोहर लोहिया की यह मान्यता और पक्की समझ थी कि औरतों को बहस में शामिल किए बिना भारत में कभी भी किसी प्रकार की क्रांति नहीं होगी। आज देश इस क्रांति के लिये मजबूत धरातल बना रहा है।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. कलाम द्वारा महिला सरपंचों (400) को शपथ दिलायी :

- बच्चे हमारी अमूल्य सम्पत्ति है।
- बालक-बालिकाओं को शिक्षित करेगा।
- अपनी मेहनत की कमाई जुएं और शराब में बरबाद नहीं करेंगे।
- छोटा परिवार रखेंगे।
- हम सभी मिलकर वनों की रक्षा करेंगे, प्रदुषण को रोकेंगे, हर सरपंच-पंच कम से कम पांच पेड़ और पौधे लगायेगा।

आज भारत में राजनीतिक और सामाजिक क्रांति की राह बन रही है। भारत देश में -

ग्राम पंचायतें	2,30,762	ब्लाक पंचायतें	5905
जिला पंचायतें	496	निर्वाचित प्रतिनिधि	34 लाख
निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाएं		12 लाख	

सभी वर्गों की सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं तीनों ही स्तर की पंचायतों ग्राम, ब्लाक व जिले में 193 और 192 स्थान लिये है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय स्तर की संस्थाओं में इतनी जगह महिलाओं को नहीं दी है। इसी तथ्य के सहारे यह आशा की जाती है कि महिलायें राजनीतिक और सामाजिक क्रांति ला सकेगी। यह कार्य 73 वें भारतीय संविधान संशोधन से उभरी भारत माँ की बेटियाँ करने को तैयार हैं।

भारत में महिलाओं ने स्थानीय निकायों में अपने लिये आरक्षण मांगा नहीं था ना ही आन्दोलन किया। बिना संघर्ष आरक्षण व्यवस्था चल पड़ी। इससे महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बढ़ी है। अनेक सामाजिक विज्ञान के अध्ययनों ने बताया है कि महिलाओं ने सीमित साधनों के ढांचे में बहादुरी का काम किया है भ्रष्टाचार से लोहा लिया है। कुरूतियों को हटाया है। पुरूषों की उच्छृंखलता पर अंकुश लगाया है। पुरूषों के मुकाबले ज्यादा विकास के कार्य करके गांव को सुख पहुंचाया है।

एक अनुमान के अनुसार 30 लाख महिलाएँ स्थानीय स्वशासन के चुनावों में हिस्सा लेती है, चुनी जाती हैं। यहां यह भी मान लें कि प्रत्येक पद के लिये कम से कम तीन महिलायें प्रत्याशी रहती हैं तो एक करोड़ महिलायें राजनीति में पितृसतात्मक और पुरूष वर्चस्व वाले समाज में अपनी जागरूकता व भागीदारी बढ़ा रही है।

यह एक बड़ी बात है। यही तो प्रजातंत्र की नर्सरी है (सरदार पटेल)

पंचायत राज के माध्यम से करोड़ो स्त्री-पुरूषों का जो लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है वह अंततः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर सकता है। हमें महिला नेत्रियों की सफल कहानी खोज कर प्रचारित-प्रसारित करने का कार्य करना ही होगा तब होगा महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त। आरक्षण से महिलाओं को कोई राजनीतिक लाभ हुआ है, नजर नहीं आता। आरक्षण ने महिलाओं के अन्दर आत्मविश्वास तो जरूर भरा है।

मदुरै जिले के जिलाधिकारी चन्द्र मोहन ने अनुभव से बताया - ''अब हमें सुखद बदलाव दिखाई दे रहा है। अब महिला नेता पुरूषों पर निर्भर नहीं है। हम जो बैठकें

कराते हैं उनमें व ही सबसे मुखर रहती हैं । गृहिणी होने के नाते वे बुनियादी जरूरतों को समझती हैं, शांति बहाल करने के मामले में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की ग्राम पंचायत बरखेड़ी की अनुसूचित जाति की बसन्ती बाई तीन बार अविश्वास प्रस्ताव से हटी तथा पुनः ही तीनों बार अधिक वोटों से जीती । बाद में सरपंच नहीं रहीं तो भी गांव विकास में अपनी ही धुन चलाती हैं । सभी उसी के इशारे पर विकास का काम करते हैं ।

प्रस्तुत हैं कुछ अंश -

- पंचायत को बनाया ''हाईटेक उद्योगी गांव'' रजिन्दर कौर का कमाल । सरपंच राजिन्दर कौर ने लुधियाना जिले की बेगोवल ग्राम पंचायत को अत्याधुनिक और रोजगारमुखी बनाया ।

- महिला पंचों का संगठन ही महिलाओं की ताकत है । महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की एक गांव पंचायत 'संदगता' में एक हजार निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन हर वर्ष होता है । वहां पर वे अपने पांच वर्षों के कार्यों का अनुभव सुनती-सुनाती है ।

- छाया उम्मीदवार नहीं बनूंगी चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े यह गर्वोक्ति है दलित सरपंच 35 वर्षीय शक्ति की । तमिलनाडु के बिल्लुपुरम् जिले के अलंदर पेहई तालुके के अरासुर ग्राम पंचायत में शक्ति ने चुनाव जीता ।

- महिला सरपंच ने जगाई जनसहभागिता के विकास की ज्योति सीतामऊ जिले की ग्राम पंचायत में महिला सरपंच लक्ष्मी कुंवर शक्तावत सहित सभी पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गये ।

- आग की घटना से सीखा लूणी देवी ने प्रशासन करना राजस्थान बीकानेर जिले की ग्राम पंचायत अडूरी की 22 वर्षीय सरपंच श्रीमती लूणीदेवी । समय आया सडक निर्माण का ठेकेदार ने पैसा ले लिया । मजदूरो को पैसा नहीं दिया । ठेकेदार की खबर ली । उसका कॉलर पकडकर जता दिया कि वो कमजोर नहीं ।

- दूसरों की कमाई खाने के बजाय स्वयं के धंधे से जीओ यह कहना है दुर्गादेवी का । राजस्थान के सीकर जिले के ''सरबारी'' ग्राम की हरिजन महिला सरपंच ने अपना जमादारिन का काम नहीं छोड़ा वो कहने लगी । सरपंच होना सेवा का दायित्व लेना है ।

- कमीशन नहीं दूंगी तुम्हें निलम्बन कराऊंगी मध्यप्रदेश के हरदा जिले की ग्राम पंचायत रामटेक की अनुसूचित जाति की बलाई महिला रसपंच श्रीमती सोजर बाई ने नौकरशाही से मुकाबला किया । विकास के लिये मिले सरकार के धन का हिसाब मांगा ।

- ''भला करोगे तो भला ही होगा'' जनता चुनेगी बार-बार अपने सरपंच काल में महिला सरपंच गीता राठौर ने जिला सीहोर की जमुनिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास के कार्य किये । राज्य सरकार ने इस पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित कर 25,000 रूपये की राशि प्रदान की ।

- जीत-हार की परवाह क्या, परवाह तो ग्राम विकास है मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की ग्राम पंचायत बरखेड़ी में आरक्षित सरपंच पद पर बसंती बाई चुनाव जीती पर बाद में वो दो बार अविश्वास से हठाई गई । हर चुनाव में जीती । गरीब परिवार की थी पर गांवों में अतिक्रमण हटाने पर अड़ी रही । सरकार से लड़कर विकास काम करवाती है । गांव के लोग भी उसी के पास आते हैं । वर्तमान सरपंच भी अवाक रह जाता है ।

- पल्लू को चेहरे से हठा, कमर पर बांधा और बताया - नारी कमजोर नहीं

  यह है आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ के गांव छोटा की सरपंच ओम टंडन का । ओम निर्विरोध चुनी गई ।

- स्वयं अभियान में बली बनो फिर दूसरों को त्याग सिखाओ मध्यप्रदेश के देवास जिले की पहाड़ तहसील का एक गांव सोबल्यपुरा और पांजरिया से मिलकर बनी है सोबल्यपुर पंचायत ।

- किसी के हुक्म की गुलाम नहीं हूँ, जनता की सेवक हूँ मदुरै के निकट अंतकरापट्टी गांव की दलित सरपंच के. पम्पा ने जब समझा कि कुछ अधिकारी और गांव के लोग हेराफेरी करके पंचायत कोष से दो लाख साठ हजार रूपये की हेराफेरी करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसने चैक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया ।

- दलित महिला सरपंच केवल दलितों का नहीं, सभी का ध्यान रखती है यह चरितार्थ करने वाली है मदुरै के पास मलेव लाबू की दलित महिला सरपंच चेल्लमल ।

- महिलाओं को अपनी क्षमता पहचाननी जरूरी है मदुरै में पूचम पट्टी पंचायत की सरपंच पी. रेवती कहती है कि चुनाव तो लड़ना चाहिये। आरक्षित स्थान नहीं हो तो सामान्य पुरूष स्थान पर भी अपना हक जताओ।

- महिला पंच सरपंचों का महासंघ बनना जरूरी है मदुरै ब्लॉक की दलित महिला पंच-सरपंचों ने एक महासंघ बनाया है।

- गरीबी और विकास का अभाव गांवों से मिटना ही चाहिये मदुरै विकास खण्ड की एक महिला सरपंच पप्पा ने ठान लिया कि गांव में कार्य करवाना और रोजगार दिलाना जरूरी है। मोटर साइकिल चलाना सीखी, मोबाइल रखने व उससे बात करने की कुशलता पाई।

- प्रतिबद्धता, निष्ठा और साहस के गुणों की प्रतीक है महिला सरपंच, यह कहना है उदयपुर क्षेत्र की महिला सरपंचों के साथ काम करने वाले डा. प्रताप मल देवपुरा का। आदिवासी सरपंच दुर्गा तावड़ विपक्षी सदस्यों, विधायकों व सांसद से सम्पर्क सूत्र की राजनीति से गांव का विकास कराने में सफल रही है। उसकी इच्छा है कि महिलायें पढ़ें, बालिका पढ़ें। पढ़ी-लिखी महिलाओं की ज्यादा इज्जत होती है।

- गांव में बिजली आने से रोजगार और विकास होता है यह रहस्य की बात जबलपुर की आदिवासी ग्राम पंचायत बड़ैया खेड़ा की महिला सरपंच मुन्नी बाई ने सोची और कर दिखाया उजाला।

- घरेलू हिंसा और सास-बहु के झगड़े मिटे तो गांव में शांति रहती है घरेलू हिंसा रोकना, सास-बहुओं के झगड़ों का निपटारा करना सीखना हो तो मध्यप्रदेश के सिरोह जिले के सिहोर खण्ड के जमुनिया तालाब की गीता राठौड़ से सीख लेनी चाहिये। एक पत्नी को पीटने वाले पुरूष को थप्पड़ लगाया तो उसके पति समेत ग्राम के पुरूष चौंक गये। महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया। पुरूष को बार-बार पेशी पर जाता देख गांव के लोग सहम गये।

- हम माटी की मूरत नहीं हैं मुजफ्फर जिले की समाख्या संयोजिका पूनम ने गया में होने वाले राज्य स्तर के महिला सरपंचों के सम्मेलन में उनसे बातें की। कामकाज के संबंध में पूछा तो उनके उत्तरों से वो चकित रह गई। महिला सरपंच बोली कि अब महिलायें माटी की मूरत नहीं हैं। हम सोच-विचार कर काम में लगी हैं। पुरूषों पर निर्भर नहीं है।

- शिक्षा दिला सकती है सभी सफलतायें उत्तर प्रदेश के एक गुण्डागर्दी का प्रभावी गांव मुँहफाड़ में सबसे कम उम्र की 23 वर्षीय पुष्पा नागर जीत गई । वह स्नातक तक पढ़ी है । गांव वाले चिंता में डूब गये । गुण्डागर्दी वाले क्षेत्र में ''पुष्पा का पुष्प'' कैसे खिलता रहेगा । हैरान हो गये लोग जब उसका कामकाज देखा तो गांव की अभिशप्त पिछड़ी स्थिति को बदलना शुरू किया, गुण्डे भी कतराने लगे । बाहुबलियों से गरीबों को राहत मिली ।

- अत्याचारों को सहकर भी सक्षमता से काम करें नीति दीवान ने मध्यप्रदेश राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों के संबंध में लिखा है कि दबंग महिलायें अत्याचार सहकर उनको समाप्त करने में अपनी सक्षमता दिखाने में पीछे नहीं हैं ।

- जब एक महिला अपना परिवार चला सकती है तो देश भी चला सकती है नीति दिवाने ''ग्रास रूट'' पत्रिका में चौपाई पवाई की महिला सरपंच रामरती बाई के कथन को उद्धरत करते हुए लिखा कि उसमें नेतृत्व के सभी गुण मौजूद थे । सर्वप्रथम राशन की दुकान पर घटिया सामान और बाजर से ज्यादा दाम लेकर बेचने की खबर ली । चार क्विंटल शक्कर ज्यादा कीमत पर ब्लैक से बेचते उसे रंगे हाथों पकड़ा गांव के लोग - लुगाइयाँ एकत्रित हो गई ।

- दलित महिला सुरमा देवी ने ब्लाक अधिकारी के कालर पकड़े और उससे माफी मंगवाई उत्तर प्रदेश के पुरोला विकास खण्ड में हुडोली ग्राम पंचायत में सरपंच चुनी गई । वो जानना चाहती थी कि ग्राम पंचायत के लिये कितना फण्ड है, कौनसी योजना में है और इसकी प्रक्रिया क्या है ?

- महिला नेतृत्व अद्‌भुत साहसी है, सोचे वो करके दिखाती है 'गुदड़ी के लाल' नामक पुस्तक में नंदिता राय ने राजस्थान के उदयपुर जिले के बड़गांव ब्लॉक के एक गांव करावाड़ी की 32 वर्षीय वार्ड पंच सुशीला के नेतृत्व के लिये उपरोक्त कथन कहा है । सुशिला एक नाम नहीं महिला जागृति, शिक्षा का प्रकाश और महिला रोजगार लाने वाली संस्था है ।

- गरीबों को गरीबी से उभारो बेघरों को घर दो और शिक्षा का प्रकाश फैलाओ यही महिला नेत्रियों का काम होना चाहिये । केरल राज्य में वटना पल्ली ग्राम पंचायत की महिला सरपंच सुबैदा ने ऐसा करके दिखाया ।

- गांव का हर बच्चा शिक्षित हो और खर्चिले मुकदमेबाजी से ग्राम बचता रहे ऐसा करके दिखाया उत्तरांचल देहरादून जिले की धुलकोट गांव पंचायत की मैना देवी ने । यही कारण रहा कि उन्हें दूसरी बार भी जनता ने चुना ।

नारी में जागृति आई है । उन्होंने अपनी अकर्मण्यता त्यागी है । अस्वाभाविक तंद्रा को भी उखाड़ फेंका है । उनका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है । उन्हें पुरूषों के समान अधिकार संविधान से मिले हैं उनको लेने के लिये संघर्ष कर रही है । जनतांत्रिक राजनीति से भी वे पनप रहीं हैं । भूख, वंचना और शोषण के विरूद्ध महिलाएं जागरूक होने लगी है ।

महिलायें स्वयं सहायता समूह बनाती हैं । अनपढ़ महिलओं को पढ़ा भी रही हैं । वे कहती हैं हम स्वयं आगे नहीं आएंगी तो उनको मिले संवैधानिक अधिकार कागज में ही रह जायेंगे । अब महिलायें घर से बाहर जागरूक होकर घर के बाहर सार्वजनिक जीवन में सहभागिता निभाने को छटपटाने लगी हैं । महिलाओं को अपनी पहिचान स्वयं बनाने की चिंता सता रही है । महिलायें गांव की जरूरतों को ज्यादा जानती हैं । नलकूप कहाँ लगाना है ? कौन परिवार गरीब है उसकी मदद करनी है । मुसीबतें बहुत हैं । शिक्षा का स्तर भले ही महिलाओं का कमजोर है असुरक्षा के भय से सदैव ग्रस्त रहती हैं फिर भी सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जाने से वे अधिक जागरूक होकर मजबूत इरादे से पंचायतों को विकास का सशक्त माध्यम बना रही है ।

घर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में महिलाएं अपनी नई संभावनाएं तलाश रही हैं । नये समीकरण जोड़ रही हैं । महिलाओं में दृढ़ संकल्पना, एकाग्रता, आत्मचिन्तन और कुछ करने दिखाने की ललक से वे उत्साहित हैं । पुरूष प्रधानता वाले समाज में नारी अपना अस्तित्व खोज चुकी है । नया स्थान बना रही है इसलिये माना जाता है कि 33 प्रतिशत ग्रामीण व शहरी निकायों में आरक्षण अब विधायिकी व लोकसभा में मांगा जाने लगा है । इस दृष्टि से 73 वें संविधान संशोधन के बाद जो सफलता के कार्य महिलाओं ने किये हैं उनकी सफलता की कहानी अन्य महिलाओं की तन्द्रा तोड़ कर उदासीनता से उत्साही कार्य के लिये जगा सकती है ।

इसके आधार पर यह विश्वास हो सकता है पंचायती राज से संबंधित 73 वें संविधान संशोधन से करोड़ों महिलाओं का देश में लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है, वह अनन्तः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर सकेगा ।

73 वें संविधान संशोधन की बेटियों (महिला सरपंचों) की सफल कहानियां हमें एक आशा का दीप दिखा रही हैं । वे बाल विवाह और भ्रूण हत्या रोक रही हैं । छोटे

परिवार का चलन चला रही हैं। शिक्षा की अलख जगाती है। सड़कों से गांवों को जोड़ती है और गांवों को जोड़ती है और गांवों में बिजली का प्रकाश फैलाती है। हर अधिकारी के साथ रिश्ते बनाने के साथ उनकी भ्रष्टाचार प्रवृत्ति से निलम्बन भी करवाती है। शराब को गांव से अलविदा कर रही है। आपसी झगड़े आपस में ही निपटारा करने की सफल समझ जगा रही है। ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर गांवों में अतिक्रमण को तोड़ना, शराब बंदी करना, घर-घर में शौचालय बनवाना तथा गरीबी उन्मूलन का प्रयास कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह और दीदी बैंको से महिलाओं को अपनी ताकत से गरीबी को मिटाने का संकल्प जगा रही हैं। इससे भी महत्वपूर्ण काम वो यह करके दिखा रही है कि जनता से चुने जाने के बात किसी भी राजनीतिक पद पर रहो अपने स्वयं के व्यवसाय से आजिविका अर्जन करके जीओ। स्वयं झोपड़ी में रहकर गांव वालों को पक्के मकान दिलाओ। शायद यही सोचकर यह माना जाता है कि हर क्षेत्र में ऐसी सफल सरपंचों की सकारात्मक निर्भिक सोच और सृजनशीलता की कहानी खोजी जाये। मात्र यह कहना कि महिलाएं घूंघट में पति के सहारे काम करती हैं यह भी कहो कि वे पति के सहारे स्वयं को मजबूत करके घूंघट को कमर कस बनाकर अपना परचम भी फहरा रही हैं। महिला साक्षरता और शिक्षा महिलाओं की शक्ति है। साक्षरता की दृष्टि से महिलाओं ने भी कदम बढ़ाये हैं। शिक्षण संस्थाओं में उनकी उपस्थिति है। चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो या विश्वविद्यालय स्तर की। इससे महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सभी स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में सामान्य पद से उच्च अधिकारिक पदों पर काम करने लगी हैं। अब पायलट बनना तो आम जिज्ञासा बन रही है। अखिल भारतीय परीक्षाओं में महिलाओं का पुरूषों के मुकाबले प्रदर्शन भी अच्छा हो रहा है। यह बढ़ती साक्षरता की चेतना का ही परिणाम है।

20 वी शताब्दी में महिलों के विरूद्ध अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई, किंतु साथ ही उनकी सुरक्षा हेतु कई कल्याण परक कानून भी बनाए गए। न्यायिक दृष्टि से 20 वीं शताबादी का उत्तरार्द्ध महिला सशक्तीकरण की दिशा में काफी सार्थक रहा। यद्यपि इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1860 में भारतीय दंड संहिता के रूप में किया गया था, जिसमें समय व परिस्थितियों के अनुसार कई परिवर्तन किए गए।

सभी प्रावधानों और प्रयत्नों के होते हुए भी आज भी समाज में महिला को दोयम दर्जा मिला है। उसे एक वस्तु माना गया है। समाज में सभी कानूनों व प्रावधानों को अनदेखा करते हुए महिला को मूक, असक्त और गुड़िया मानते हैं। इससे यह माना जाना

सहज है कि कानून बनाने और लागू करने में बहुत ही अन्तर है । उनमें खाई है । ऐसा 18 वर्षीय रूप कंवर के सती होने से माना जा सकता है । 55 वर्ष की चरण शाह की अप्राकृतिक हत्या हो गई । प्रतिदिन समाचार पत्रों में ऐसी हत्याओं की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं ।

निम्न वर्गीय महिलाओं की हालत अभी भी दयनीय है । इसका मूल कारण गरीबी है । ग्रामों में अधिकांश परिवार झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं । अधिकांश महिला खेतीहर मजदूर है । कुछ छोटे-मोटे उद्यमों में बंधक मजदूर आर्थिक अर्जन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कम है ।

महिला लेखिकाओं ने हिंदी साहित्य के माध्यम से विविध आयामों को छुआ है और नारी के उत्थान में सार्थक बदलाव लाकर उसकी शक्ति बनी हैं । अपनी हर लड़ाई मैंने लिख कर जीती । मेरे कागज मोर्चा होते और सैनिक बनें ''.... मेहरून्निसा परवेज के ये शब्द उस स्त्री के संघर्ष का प्रतिबिंब है जो उसे प्रतिक्षण करना पड़ा । अपने अस्तित्व बोध के लिए नारी ने अधिकार पाने की लड़ाई में पुरूषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में चुनौती खड़ी की है ।

अधिकांश गरीब महिलाएं ऐसी परिस्थितियों में रहती हैं, जो उनकी शिक्षा प्राप्ति में बाधक बनती हैं । दिन-प्रतिदिन अपने जीवन को गति देने का प्रयास करती महिलाएं अपनी सामाजिक भूमिका को भूल जाती हैं । शिक्षा व सूचना साधनों के अभाव में उन्हें सामाजिक परिवर्तनों का बोध नहीं होता और आत्मविश्वास की कमी के चलते वे किसी भी निर्णय व नीति-निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पातीं ।

इस नीति के अंतर्गत पंजाब, राजस्थान के सरकारी स्कूलों सहित मणिपुर, दिल्ली, मेघालय, चंडीगढ़ व उत्तर प्रदेश के स्कूलों में आठवीं कक्षा तक, बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों सहित, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, मिजोरम व लक्षद्वीप में दसवीं कक्षा तक, सिक्किम के सरकारी स्कूलों सहित अरूणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू-कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, गुजरात, पांडिचेरी व मध्य प्रदेश में बारहवीं कक्षा तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया ।

महिला साक्षरता और शिक्षा महिलाओं की शक्ति है । साक्षरता की दृष्टि से महिलाओं ने भी कदम बढ़ाये हैं । शिक्षण संस्थाओं में उनकी उपस्थिति है । चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो या विश्वविद्यालय स्तर की । इससे महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सभी

स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में सामान्य पद से उच्च अधिकारिक पदों पर काम करने लगी हैं । अब पायलट बनना तो आम जिज्ञासा बन रही है । अखिल भारतीय परीक्षाओं में महिलाओं का पुरूषों के मुकाबले प्रदर्शन भी अच्छा हो रहा है । यह बढ़ती साक्षरता की चेतना का ही परिणाम है । मनुष्य का जन्म सहज है, और उसे जैसा वातावरण मिलता है, उसी के आधार पर वह विकसित होता है । महिलाओं से भी आग्रह है कि ऐसा प्रबुद्ध संस्कार बचपन में ही बच्चों को देवें, जिससे बच्चें बड़े होकर सामाजिक चेतना में अहम भूमिका निभाये ।

नारी शिक्षा सशक्तीकरण का प्रश्न समूची नारी जाति के विकास से जुड़ा है और उसके सशक्तीकरण के लिए उसे शिक्षित किया जाना अनिवार्य है । नारी शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, ''... मेरा यह दृढ़ मत है कि एक बार पुरूष शिक्षा की उपेक्षा की जा सकती है, लेकिन स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करना संभव एवं वांछनीय नहीं है .... ।'' एक शिक्षित स्त्री ही वास्तव में अपना संघर्ष सही अर्थों में कर सकती है और पुरूषों के समकक्ष खड़ी हो सकती है ।

डॉ भीमराव अंबेडकर के शब्दों में ... '' शिक्षित और आत्मनिर्भर होकर ही नारी समता और सम्मान पा सकती है । उसे अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि अधिकार भीख में नहीं मिलते, छीन कर लिए जाते है ... ''

क्या हो भावी रणनीति ? : भारत में महिला की सुख समृद्धि हो सके

पंचायती राज में महिला सहभागिता का क्षेत्रीय नेतृत्व उस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा का दर्पण है । उस क्षेत्र की सामाजिक-पारिवारिक परिवेश तथा परिस्थितियों से महिला नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होती है । महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ रही है । गांवों में भी बालिका शिक्षा का चलन हो रहा है । अब अल्प व छोटे परिवार की महिलायें हावी हो रही हैं । घूंघट उनकी परम्परा है पर अब इससे भी महिला उबर रही है । अब महिलायें भ्रूण हत्या को रोकने में सजग हैं । अधिक बाल मृत्यु दर भी कम हो रही है । ग्रामीण नेतृत्व की श्रेणी में 30-45 वर्ष की महिलाएं ज्यादा निर्वाचित होकर काम कर रही हैं । अब वे अपनी शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाने की दिशा में सोच रही है । महिलाओं में राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास होने लगा है ।

महिलाओं में भी कानूनी जागरूकता का अभियान चलाना जरूरी है । महिलाओं के देश के विकास में सहभागिता भी निभानी जरूरी है । महिलाओं को आन्दोलित भी होना होगा । इस संबंध में जो भी अभियान चलते हैं वो मध्यमवर्गीय महिलाओं तक

जागरूकता की कुछ आवाज पहुंचा सकते हैं । महिलाओं में पढ़ने की ललक जगाना, बालिकाओं को स्कूल भेजना, मताधिकार का प्रयोग करना, सम्पत्ति के अधिकारों को लेना जैसे विषयों पर बहुत काम करने की जरूरत है ।

आज की आवश्यकता है कि नारी अपने साहस, विश्वास और निर्भयता से सामना करने वाली प्रतिभागी बने । सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर मानवता की ओर प्रेरित हो । सरोजिनी नायडू ने भारत की प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष व गर्वनर रहकर नारी जाति के गौरव को बढ़ाया, निर्भय स्वतंत्र समाज सुधारक महान कवयित्री ने समाज के प्रत्येक वर्ग को स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु जागृति का शंखनाद फूंका । जिसमें सावित्री का साहस व दमयंती का विश्वास मौजूद था । आज महिला अपनी शक्ति को पहचान ले तो किसी भी समाज के सामने हेय नहीं मानी जायेगी । इस समय कमी इस बात की है कि महिलाएँ अपने व्यक्तित्व के मूल्यों को स्वयं नहीं आंक सकती, जिसके लिये जरूरत है आत्म चिंतन करने की, शिक्षा का प्रचार किया जाये । हर युग में महिला की प्रतिष्ठा रही है जब उसने अपने स्वतंत्र चिंतन से जीवन के तथ्यों को परखने की कोशिश की ।

''मेरे और हमारे सबके लिये प्रतिकूल परिस्थितियाँ कुछ नहीं, केवल चाबुक का प्रहार है और वस्तुतः आगे बढ़ने के लिये हमें इन्हीं की आवश्यकता है ।'' हिटलर

मैं उन महिलाओं को ज्यादा श्रेष्ठ मानती हूँ, जो स्वयं के श्रम से आगे बढ़ती है यदि वे अनपढ़ हो, कृषक मजदूर हो, लेकिन उन्हें अपने श्रम से जीना आता हैं वे महिलायें देश का क्या उत्थान करेगीं, जो दूसरो के श्रम से अपना जीवन आगे बढ़ाती है । मुझे ऐसों से घृणा ही नहीं बल्कि नफरत भी है जो बहनों को स्वयं के श्रम से जीना न सिखाकर पराश्रित बनाते है । नारी पति पर भी आश्रित न होकर स्वयं कि शक्ति एवं साहस से आगे बढ़े यही आज कि जरूरत व समय की मांग है ।

विज्ञापनों, चलचित्र, सिनेमा में नारी का चित्रण मर्यादित शौर्य शक्ति से भरा होना ही आज की आवश्यकता है । किसी भी राष्ट्र के संरक्षण में संस्कारित प्रसारण आज की जरूरत है । समाचार पत्रों, सीरियल एवं चैनल मालिको से विनम्र अनुरोध है कि भारत में 10 वर्षों तक नारी गौरव कि पुर्नस्थापना के लिये शौर्य, समता, समरसता, एवं पवित्रता की थीम पर हो ।

कहने को तो अंधेरा है पर अंधेरा स्वीकारें तो अंधेरा होगा । कुछ लोग अंधेरा फैलाकर खुश होते हैं । अब जरूरत है रोशनी की किरणें फैलाने की चाहे वो करोड़ों नहीं एक ही हो वो अंधेरे से लड़कर उजाला लायेंगे ।

संदर्भ

1. इंडियन ह्यूमन राईट्स रिपोर्ट - 2009
2. ह्यूमन राईट एंड जेंडर जस्टिस इन इंडिया : सतीन्दर बेनस
3. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस इनिसिएटीव (सीएचआरआई) 10 जुलाई 2009.
4. पंचायत राज अपडेट मासिक (गत 10 वर्ष) इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित
5. मैगनाकार्टा
6. 'पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन राईटस बॉय जार्ज मैथ्यू पीयूसीएल बुलेटिन, मार्च 2003.
7. यूनिवर्सल डिकलरेशन ऑफ ह्यूमन राईटस
8. कान्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया - डॉ. जे.एन. पांडे
9. कान्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया - डॉ. बासू
10. ह्यूमन राईटस - डा. बासू
11. दी ग्राम सभा : गेट वे टू ग्रासरूट डेमोक्रेसी जर्नल ऑफ रूरल डेवलेपमेंट खण्ड 16(4) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद जैन एस.पी.
12. कोठारी, रजनी (1998) स्टेट अगेस्ट डेमोक्रेसी : इन सर्च ऑफ ह्यूमन गर्वनेंस, अजंता, दिल्ली
13. लोकायन बुलेटिन : आर्टिकल्स ऑफ दी राईट टू इंनफारमेशन, खंड 11 सितम्बर -अक्तूबर 1999.
14. पी.आर.आई.ए. (2001) स्टेट ऑफ पंचायत ए पार्टिसिपेटरी परस्पेक्टिरव (अप्रकाशित)
15. लॉ एंड सोशल ट्रान्सफारमेशन (मलिक एंड रावल)
16. सूचना का अधिकार अधिनियम,
17. भारतीय दण्ड संहिता
18. 73 वें संशोधन अधिनियम
19. दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम

8. सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं महिला सशक्तिकरण और चुनौतियाँ

*** डॉ. दलीप सिंह**

भूमिका :

प्राचीन काल से ही भारत ग्राम पंचायतों के देश के रूप में माना जाता है । डॉ. दलीप सिंह पुराने समय में पंचायत राज व्यवस्था देश के प्रशासनिक ढाँचे का आधार स्तम्भ थी । अधिकांश राज्य छोटे थे, जिनका शासन-प्रशासन जनता के द्वारा स्वीकार्य सभा और परिषद् की सलाह से चलाया जाता था । इन राज्यों के अन्तर्गत कई गाँव आते थे, जिनके कार्यों का जिम्मा पंचायतों पर होता था । ये पंचायतें स्थानीय आधार पर नियम बनाने, गाँव की व्यवस्था चलाने, विवादों को निपटाने तथा राजा की आज्ञा को स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक रूप में लागू करने, कर इकट्ठा करने एवं राजकोष में गाँवों का अंशदान भिजवाने आदि का कार्य करती थी तथा गाँवों के विषय में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व राजा पंचायतों की राय को ध्यान में रखता था । 'पंचायत शब्द' की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'पंचायतम्' शब्द से हुई है । जिसका अर्थ पांच व्यक्तियों का समूह था । गाँधीजी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया है । आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में पंचों को चुना जाता है जो कि गाँव में छोटे-मोटे झगड़ों और तनावों को सुलझाते हैं, इसीलिए उन्हें पंच परमेश्वर भी कहा गया है । आज भी अधिकांश गाँवों में वार्ड सदस्य को आम बोलचाल की भाषा में पंच ही कहा जाता है । वैदिक काल में भी इस प्रकार की सभा व समितियों का वर्णन मिलता है, जो कि लोगों की भलाई का कार्य करती थी । ''अथर्ववेद'' में इससे सम्बन्धित एक श्लोक भी, मिलता है - ''ये ग्रामायदरण्यंयासमा अभिभूम्याम् ये संग्रामाः समितियस्तेषु चारु वेदमति ।'' अर्थात्, पृथ्वी के ग्रामों, वनों व सभाओं में हम सुन्दर वेदयुक्त वाणी का प्रयोग करें ।

पंचायती राज का अर्थ :

वस्तुतः पंचायती राज का तात्पर्य है कि गाँव के लोग अपने शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वयं संभालते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनायें बनायें और उन्हें क्रियान्वित कर समस्याओं को हल करने के बारे में स्वयं ही निर्णय लें, जिससे गाँव लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन सके । यद्यपि भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन और पंचायत राज का उद्देश्य शामिल किया गया है परन्तु स्वतंत्रता के बाद भी एक आधी अधूरी पंचायती राज व्यवस्था खड़ी की गई, जिससे जनता की

* सहायक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय चंद्रबदनी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

समस्याएं यथावत बनी रही । मात्र पंचायतें गठित कर देने से ही जनता की इन समस्याओं का हल नहीं होगा, बल्कि पंचायतों को पर्याप्त अधिकार एवं शक्ति संपन्न बनाया जाना तथा स्थानीय संसाधनों का नियंत्रण भी उन्हें सौपा जाना उनके सशक्तिकरण की एक आवश्यकता थी । 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक आधार प्रदान करते हुए इसे प्रशासन की तीसरी शक्ति के रूप में स्थान दिया गया है और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए तिहाई स्थान भी आरक्षित कर दिए गए हैं । कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर गाँवों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तव में इसका लाभ महिलाओं को मिला है या नही यह एक विचारणीय एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है । उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देकर यह गौरव प्राप्त किया है । अतः नवीन पंचायती राज व्यवस्था में निहित संभावनाओं को पहचानने तथा सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाए अथवा मुख्य रूप से किन बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है । उत्तराखण्ड के विषय में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकतम जनसंख्या गांवो में निवास करती है, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है । महिलाएँ यहाँ की सामाजिक-आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों की केन्द्र बिन्दु है । उत्तराखण्ड में आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह महिलाओं की कठोर मेहनत और जुझारूपन के बल पर ही संभव हो सका है । पलायन के कारण जो राज्य बनने के बाद भी अवोध रूप से जारी है जैसे महिलाओं को घर और बाहर दोनों जगह की जिम्मेदारी उठानी पडती है । ऐसे में सीमांत राज्य उत्तराखण्ड में महिलाओं का सशक्त होना राज्यहित में ही नहीं बल्कि राष्ट्रहित में भी आवश्यक है ।

भारत गाँवों का देश है और प्राचीन काल से ही यहाँ ग्रामीण विकास तथा न्याय व्यवस्था पंचायत आधारित रही है । पंच गाँव के वे सर्वमान्य व्यक्ति होते थे जो निस्वार्थ भाव से पंचायतों का कामकाज संभालते तथा उनके निर्णय जन सामान्य द्वारा स्वीकार किये जाते थे । लेकिन मुगल शासन और अंग्रेजी शासन के दौरान स्वशासन की जड़े समाप्त हो गई । आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों में आशा जगी थी कि स्वराज आने पर भारतीय स्वशासन व ग्राम पंचायत स्वराज के सपने साकार होंगे । यह आशा स्वाभाविक भी थी क्योंकि भारत की आत्मा सभ्यता, संस्कृति गाँवों में रची बसी है । यही कारण था कि आजादी की लड़ाई के जन नायक महात्मा गाँधी के जोर देने पर पंचायतों को (संविधान के चतुर्थ भाग के अनुच्छेद 40)[1] राज्य की नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया और पंचायतों का गठन राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया । सामुदायिक कार्यक्रमों

के लागू होने के साथ ही कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जन-सहभागिता प्राप्त जिम्मेदार संख्या की आवश्यकता महसूस हुई । इसकी परिणति 1957 में बलवन्त राय आयोग के गठन के रुप में हुई व आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ । राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों का गठन किया गया ।[2] लेकिन दूसरी ओर यह अत्यंत चिंता का विषय है कि गाँव शासन की नीव राजनीति का शिकार हो गई है । गाँव गुटों में बँटते नजर आने लगे हैं । यदि सचमुच गाँव की खुशहाली में ग्रामीणों की सहभागिता शामिल करनी है तो इसके लिए गाँववासियों में तालमेल तथा सामंजस्य कायम करने हेतु काम करना होगा[3] । विकास की अवधारणा गाँव के विकास में निहित है तथा गाँव विकास की संकल्पना पंचायतों के माध्यम से ही मुर्तरूप पा सकती है और इसके लिए हमें स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना होगा ।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण -

स्थानीय प्रबंधन का दायित्व तथा अधिकार जनता को सौंपने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत स्वशासन की अवधारणा ने जन्म लिया । व्यवहार में इस सोच के पीछे एक आदर्श भावना निहित थी कि स्थानीय स्तर पर लोग योग्य प्रतिनिधि के नेतृत्व में सहभागिता से क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति कर सकें । स्थानीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किये जाने का उद्देश्य एक ओर जन प्रतिनिधि को समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाने की भावना है वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता को अपने निवास के अवसर मुहैया कराना है ।[4] विश्व को संस्कृत तथा मानवता का पाठ पढ़ाने वाले इस देश में हमेशा से महिलाओं का पक्ष कमजोर रहा है । जाने कौन सी परिस्थितियाँ थी कि समाज में बराबर की भूमिका निभाने वाली इस शक्ति को कमजोर आंका गया । शायद महिला के सरल स्वभाव के चलते समाज में सब जगह पुरुष वर्ग हावी रहा । ''यत्र नार्युस्तु पुज्यते रमन्ते तत्र देवता'' जैसी उक्ति की पैरवी करने वाले शास्त्र भी देश को ऐसी सभ्यता नही सिखा पाये कि महिला सिर्फ दया का पात्र नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति है जिसकी अवहेलना करना अपराध के साथ ही अमंगल को न्यौता देना भी है । गाँवों के इस देश में पंचायती शासन व्यवस्था हमेशा से कायम रही है परन्तु इस व्यवस्था में भी महिलाओं को विकास के फैसलों में कोई खास महत्व नहीं दिया गया ।

राजनीतिक सहभागिता, जनसाधारण की उन गतिविधियों का समूह है, जो विधि के सृजन का आधार निश्चित करती हैं । स्मिथ का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत परिणामों को प्रभावित करना या प्रभावित करने की चेष्टा रखते हुए किये जाने वाले सभी कार्य-कलाप, राजनीतिक सहभागिता की श्रेणी में आते हैं । मानव संसाधन का

आधा हिस्सा महिलायें हैं, ये एक प्रकार से देश की राजनीतिक, आर्थिक सम्प्रभुता एवं संपदा की बराबरी की हिस्सेदार हैं । अतः देश की प्रगति का आँकलन करने के लिए उन सभी के सकारात्मक परिवर्तनों को देखना आवश्यक होता है, जो देश के मानव संसाधनों की सूची में दर्शित हैं । यद्यपि संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है और जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है । अतः स्पष्ट है कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिला-पुरुष को सहभागी रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं । [5] राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हैं और इस क्षेत्र में उनकी सहभागिता नगण्य है, भले ही पंचायती राज संस्थाओं में उनकी सहभागिता बढ़ी है । भारतीय नारी की सार्वजनिक जीवन एवं राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का परिणाम है कि स्त्री-पुरुष संबंधों से जुड़े अनेक सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है ।[6]

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान ने जहाँ एक ओर पंचायती राज को स्थापित कर देश में विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई स्थान भी आरक्षित कर दिये । अभी तक जो महिलायें घर, खेतखलियान, गौशाला तक सीमित थी इस प्रक्रिया ने उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ा दी है । इस परिवर्तन का मकसद मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण हेतु उपर्युक्त वैधानिक वातावरण सृजन करना एवं सामुदायिक निर्णय निर्माण में महिला सहभागिता सुनिश्चित करना था । पंचायती राज संस्थायें लोकतंत्र की आधार भूमि है लोकतंत्र की प्रयोगशाला है । लोकतंत्र का प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठशाला है । लोकतंत्र के सफल संचालन एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार सभी राजनीतिक दल, समाज के अभिजन वर्ग, सभी बुद्धिजीवी वर्ग का यह दायित्व है कि महिलाओं के शैक्षिक स्तर का उन्नयन करें । सामाजिक व पारिवारिक जीवन में महिलाओं की बड़ी महति भूमिका है ।[7] महिलाओं के राजनीति में आने से उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है । परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान के साथ साथ देश के राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है परंतु इन सबका संबंध शैक्षणिक स्तर से हैं, शिक्षा से महिलाओं में रुढ़िवादिता, अंधविश्वास, सामाजिक संकीर्णता से मुक्ति दिलाकर उनके विकास एवं आधुनिकरण करके अपने आपको समाज, राज्य व राष्ट्र से जोड़ता है । अच्छी पढ़ी-लिखी महिलाओं में अच्छी समझ विकसित होती है । शिक्षित महिलायें अपने परिवार का अच्छी तरह संचालन करती है । बच्चे जो देश के भावी कर्णधार है उन्हें संस्कारित करती है साथ ही समाज व देश की राजनीति में सकारात्मक सक्रिय योगदान देती है । [8]

पंचायतों में महिलाओं की भूमिका :-

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यापक राजनीतिक सहभागिता एवं विकास के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है । स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाये । दूसरे शब्दों में चूँकि स्थानीय शासन का संचालन स्थानीय जनता के द्वारा स्वयं चलाया जाता है इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का नाम दिया गया है । स्थानीय स्वशासन, स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय हित में शासन का संचालन करना है, जिसके लिए वहाँ की जनता भी उत्तरदायी होती है । आधुनिक समय में स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इससे प्रान्तीय एवं केंद्रीय सरकार का कार्य हल्का होता है । इसके अलावा इससे लोकतंत्र को सफल बनाने में और आर्थिक नियोजन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा सकती है । नागरिक सर्वप्रथम लोकतंत्र की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण यही से प्राप्त करते हैं । स्थानीय स्वशासन से ही समाज के नीचे से नीचे स्तर के लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी प्रदान करना संभव हो जाता है जिससे लोकतंत्र का सपना साकार हो सकता है । स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज आता है । ग्रामीण जीवन में राजनीतिक जागरुकता लाने, ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बागडोर अपने हाथ में लेने तथा व्यापक राजनीतिक भागीदारी के लिए पंचायती राज व्यवस्था आवश्यक है ।[9]

पिछले दो दशकों से महिलाओं की राजनीतिक भूमिका एवं सहभागिता के स्वरूप में काफी परिवर्तन आये हैं । यह परिवर्तन सूचना क्रांति, महिला मुक्ति आंदोलनों, स्वैच्छिक प्रयासों एवं 73 वें 74 वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में उनके स्थान सुनिश्चित करते है । स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोकनीतियों के निर्माण में पंचायतें व नगर पालिकायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । ऐसे में महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व उद्‌भव, स्वरूप, परिवर्तन एवं भूमिकाओं का परीक्षण नये दृष्टिकोण से करना भी आवश्यक प्रतीत होता है । [10] कई अध्ययनों से पता चला है कि प्रारम्भिक स्तर पर अधिकांश महिलायें पर्याप्त रूप से सक्रिय भूमिका में नही रही परन्तु कालान्तर में उनकी भूमिका में उत्तरोत्तर विकास हुआ है । यहाँ तक की दलित महिलाओं में भी राजनीतिक भागीदारी का विकास उभरकर सामने आया है ।[11] प्रजातांत्रिक प्रयोगों के फलस्वरूप उनकी सामाजिक विशेषताओं में जो परिवर्तन आया है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । परंपरागत उच्च वर्गों की महिलाओं की जगह पर मध्य एवं निम्न सामाजिक वर्गों की महिलायें नेतृत्व प्रदान कर रही है । शिक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप औसत आयु

में भी परिवर्तन आया है । अब युवावर्ग की महिलायें जो कि लिखी-पढ़ी भी है राजनीतिक नेतृत्व में सशक्त भागीदारी निभा रही है ।[12] परंतु आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है । भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब उन्हें आर्थिक समानता का वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा । आर्थिक रूप से सबल व सशक्त महिलायें भारतीय राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय व सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम होगी । फलतः महिला सशक्तिकरण की धारणा वैधानिक व वास्तविक दोनों ही अर्थों में सफल हो सकेगी ।

पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तो है ही, उसमें महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम है । यह भारत की लोकभावना और समाज की सांस्कृतिक विरासत की मूलभावना का प्रतीक है । आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के प्रति पुरानी सोच बदलनी होगी । पंचायतों में जबसे महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है तब से वे राजनीति में भी अपनी भूमिका मजबूत कर सकती है पर अक्सर देखा गया है कि ग्राम प्रधान तो महिलायें बन जाती है लेकिन काम-काज उनके पति ही संभालते हैं । ऐसे में काम-काम में महिलाओं की सोच व नजरिया सामने नहीं आ पाता है महिलाओं को खुद इतना सशक्त होना होगा कि वे अपनी सोच समझ का इस्तेमाल कर काम कर सके । महिलाओं को राजनीति में खुद अपने बलबुते पर पहचान बनानी होगी, तभी इस प्रदेश व देश का विकास हो सकता है । भ्रष्टाचार रोकने में भी महिलायें सामने आ सकती है ।[13]

यदि हम उत्तराखण्ड के परिवेश को देखें तो महिलाओं की समाज में एक दयनीय स्थिति ही उभर कर सामने आती है । महिलाओं के कार्यों, उसके ज्ञान तथा कौशल को कभी अहमियत नहीं दी गई । कितनी बड़ी विडम्बना है कि घर का प्रबंधन से लेकर गाँव के सुख-दुःख में शामिल होने वाली महिला गाँव की विकास नीतियों से अलग रखी गई हैं । गाँव को सजाने-संवारने तथा स्थानीय संसाधनों को अपनत्व भाव से संरक्षण प्रदान करने का जिम्मा अकेले ही सिर पर लेने वाली महिलाओं को संसाधनों के उपयोग तथा गाँव के विकास पर लिये जा रहे फैसलों से दूर रखा जाता रहा है । महिलायें समाज का आधा हिस्सा है इस सत्य को सर्वथा स्वीकार करना होगा । गाँवों के विकास तथा स्थानीय प्रबंधन में तो ये पुरुषों से कई अग्रणी है ऐसे में स्थानीय स्वशासन में उनको भागीदार बनाना एक आदर्श पहल है ।[14] भारत गाँवों का देश हैं । गाँव भूगोल का शब्द नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक इकाई है जो परिवार व पड़ोस से मिलकर बनती है । भारतीय संस्कृति में सहजीवन और सहअस्तित्व का व्यवहारिक स्वरुप परिवार व पड़ोस में ही जीवंत रहा ।

यह कमोवेश आज भी विद्यमान है जब कभी परिवारों में विघटन या पड़ोस में विवाद की नौबत आती है, तो पंचायतों ने ही भारतीय संस्कृति की इस भावधारा को सुरक्षित, संरक्षित और विकसित किया । इस रूप में पंचायत प्रणाली देश और समाज की सांस्कृतिक पूँजी है ।[15]

उत्तराखण्ड के कठिन पर्वतीय परिवेश में महिलाओं के लिए नेतृत्व की भूमिका जनित दायित्वों को निभाना तथा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना सरल नहीं है । सामाजिक बंधन व पारिवारिक दायित्वों द्वारा रोपित सीमायें उनकी क्षमताओं को कुंठित कर देती है । सामान्यतः पर्वतीय महिलाओं का जीवन घरेलू कार्यों, जंगल, जानवरों व खेतों के चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है । इस पर जहाँ पति सैनिक अथवा नौकरी पेशा होने के कारण घर से बाहर जाता है वह बच्चे, बूढ़ों की सभी जिम्मेदारियों का भार भी महिलाओं पर आ पड़ता है । फलतः समयाभाव उनके लिए सामुदायिक दायित्व निर्वहन कठिन बना देता है । परिवेशजनित कठिनाइयां भी उनके सामने होती है । पर्वतीय गाँव छोटे-छोटे व छितरे हुए है अक्सर विकासखंड से उनकी दूरी अधिक है व सम्पर्क मार्ग के अभाव में यातायात साधनों का भी अभाव है । अक्सर गाँवों से मुख्यालय आने तक लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है । रात होने तक घर लौटना संभव नहीं है और बाहर ही रुकना पड़ा तो महिलाओं के विषय में समाज इसे अनुचित मानता है । महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के अनुभव नही है इसलिए अधिकारियों के सम्मुख उनमें झिझक है । बैठकों में पति, पिता, भाई या रिश्तेदार का साथ उनको संबंध प्रदान करता है । यदि किसी और को साथ ले जाएं तो महिला होने के कारण टिका-टिप्पणी भी सुननी पड़ती है ऐसे में सामुदायिक दायित्वों का निर्वहन महिलाओं के लिए पुरूषों से अधिक कठिन हो जाता है ।[16]

देश की राजनीति में आज जिस प्रकार की विषमतायें व समस्यायें बढ रही है जिसमें भ्रष्टाचार, अपराध का राजनीतिकरण व राजनीति का अपराधीकरण प्रमुख है । ऐसी स्थिति में महिला जो त्याग, सेवा, सहयोग, प्रेम, करूणा व कर्तव्य परायणता की पर्यायवाची है । वह समाज सेवा को अपने हाथों में लेती है व देश की राजनीति में जिम्मेदारी से सक्रिय योगदान देती है तो यह एक अच्छी बात है एक सुखद अनुभूति है जिसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति को इन समस्याओं से निजात मिलने की सम्भावना देखी जा सकती है । यह स्पष्ट है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब उन्हें आर्थिक समानता का वातावरण उपलब्ध कराया जाय । आर्थिक रूप से सबल व

सशक्त महिला भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम होगी । फलतः महिला सशक्तिकरण की धारणा वैधानिक व वास्तविक दोनों ही अर्थों में सफल हो सकेगी । जहाँ एक स्तर पर महिलायें पुरूषों का मुकाबला कर रही है वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट कार्यप्रणाली में सुधार लाने की कोशिश में भी तत्पर है । इसके अलावा वह कई अन्य क्षेत्रों में भी अपना हुनर दिखा रही है जैसे स्कूल चलाने व उसके रख-रखाव का कार्य, गरीबों के घरों में बिजली पहुँचाना एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जबाब माँगना आदि । यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्वाचित महिलाओं पर अन्य तरीके के दबाव भी है जहाँ पर निर्वाचित महिलायें पूर्व प्रधानों की पत्नियां, बहुए है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ी है ऐसी स्थिति में उन्हें कई प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ रहा है । इससे एक कार्यप्रणाली के पुराने तरीकों को बरकरार रखना, जैसे; रिश्वत देना, व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करना आदि । इस प्रकार के दबाव तो है ही, साथ ही साथ निर्वाचित महिलाओं का पत्नी, माँ, बेटी की भूमिका भी बखूबी निभानी पड़ती है । इस प्रकार महिलायें एक रूढिवादी, असंवेदनशील एवं पितृसत्तात्मक समाज की दोहरी भूमिका निभा रही है जो एक साथ कर पाना बहुत कठिन है । लेकिन हमें विश्वास है कि महिला जनप्रतिनिधि परिवर्तन लाने के इच्छुक है और उनमें कुछ कर दिखाने का इरादा है । यही नहीं पंचायत के कार्यकर्ता के रूप में यह उनके लिए एक अवसर है महिलाओं के आने से ही स्थानीय प्रशासन में सहयोग और महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की भावना जाग्रत हो सकती है । यह तभी संभव है जब निर्वाचित महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सजग हो । 73 वें संविधान संशोधन के बाद भारत के पारंपारिक पुरूष प्रधान समाज में अब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं का भी समावेश होने लगा । लेकिन समाज की मानसिकता के चलते अभी भी इस रास्ते में महिलाओं के सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं । यह सत्य है कि हमारा सामाजिक ढाँचा और उनकी मानसिकता समूचे देश में एक समान नहीं है किन्तु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत गाँवों का देश है जहाँ आज भी पिछड़ापन, अशिक्षा, बुरका तथा पर्दा प्रथा बरकरार है । ऐसे में किसी क्षेत्र विशेष की प्रगति को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य से नहीं जोड़ा जा सकता है ।

भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है लेकिन किसी भी देश में महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध नहीं है । विकासशील राष्ट्रों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ अभी भी अपरिपक्व तथा परंपरागत रूढ़ियों से ग्रसित हैं, किन्तु विकसित राष्ट्रों में समस्त प्रकार की आधुनिकता के बावजूद महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं दिया गया है । [17] भारत

में शिक्षा एवं जागरूकता के प्रसार के बाद महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग इसी जागरूकता का लक्षण है। चूँकि महिलाओं की भूमिका समाज एवं राष्ट्र में सर्वोपरि हैं। अतः यदि उन्हें सत्ता में भागीदार बनाया जाता है तो यह निसंदेह देश के समग्र विकास की दिशा में उठाया गया एक सार्थक, महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी कदम होगा।[18] महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि कानून तथा नीतियां तैयार करने वाली संस्थाओं अर्थात संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाए। सामाजिक न्याय तथा समानता के पोषक ये संवैधानिक प्रावधान राज्यों में कार्यान्वित हो चुके हैं किन्तु शिक्षा तथा समाज की संकुचित मानसिकता के कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि पूर्णतया सफल सिद्ध नहीं हो पायी है तथापि यह एक अच्छी शुरुआत है जो भविष्य में सार्थक परिणाम लाएगी।[19]

देश के समान ही ग्राम सभाओं की आधी आबादी महिलाओं की है। उनके ज्ञान, हुनर, व्यवहारिक अनुभवों का लाभ पंचायतों को सशक्त बनाने में व ग्राम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। महिलाओं की सोच दूरगामी होती है अतः वे किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकती है साथ ही महिलायें संसाधनों का उपयोग भी सही ढंग से करती है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी इसलिए भी जरूरी है ताकि महिलाये स्वयं को कमजोर समझ कर समाज में जो हो रहा है उसे चुपचाप बर्दाश्त न करें। अपना आत्म विश्वास बढ़ाकर विकास की प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी कर सके। अपने गाँव, क्षेत्र संबंधित निर्णयों में अपनी भागीदारी निभा सके। निर्णय स्तर पर भागीदारी निभाने से महिलाओं की आवश्यकताओं, समस्याओं, मुद्दों, प्राथमिकताओं को वरीयता मिलेगी। साथ ही महिलायें अपनी समस्याओं की ओर समुदाय, प्रशासन व नीतियों का ध्यान खींचने में सफल होंगी।

महिला सशक्तिकरण :-

महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई। जिसका अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायतता है।[20] सशक्तिकरण का अर्थ, किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी साधनों को उपलब्ध कराना है, ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और पुरुष-महिला समानता का लक्ष्य हासिल हो

सके । सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से भी है क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है । महिला सशक्तिकरण का आयाम नारी के अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है । महिलाओं को घर और बाहर दोनों में सुरक्षित करना है जिससे उन्हें जागरूक कर शक्तिशाली बनाया जा सके । महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है ।[21] नारी का शक्ति संपन्न होना केवल उसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, बल्कि बच्चों एवं पुरुषों का जीवन भी लाभान्वित होता है । इस बात के बहुत स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि नारी साक्षरता वृद्धि से बालकों एवं बालिकाओं दोनों की जीवन-आशा में सुधार होता है । केरल की उच्च जीवन-आशा दर को सहज ही उस प्रदेश की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ जोड़ा जा सकता है । इसके विपरीत नारी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े उत्तरी राज्यों में जीवन-आशा के स्तर भी बहुत निम्न पाये जाते हैं । भारतीय समाज में नारी का दबा हुआ होना अन्याय अभावों के निराकरण में उसकी भूमिकाओं को कुंठित कर देता है । नारी की भूमिका के प्रसार से केवल बालिकाओं एवं वयस्क महिलाओं के कुशल क्षेम में सुधार नहीं आता, यह सारे समाज में व्याप्त अभावों के निराकरण में सहायक होता है ।[22] महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को शक्ति देना तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करना होता है । इनमें भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधन जैसे - सूचना, विचार, ज्ञान आदि सम्मिलित है । इन सबका उद्देश्य स्त्री एवं पुरुषों के बीच की शक्ति को परिवर्तित करना है ताकि समाज में शक्ति का समान रूप से वितरण किया जा सके । आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी सशक्तिकरण आदि के द्वारा महिलाओं का विकास करना है और इन सबके लिए महिलाओं में ज्ञान, आत्मविश्वास, शिक्षा आदि की तीव्र गति से वृद्धि करनी होगी । जिससे महिला कल्याण कार्यक्रमों में तेजी आ सके । महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का कल्याण एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसके बिना महिला सशक्तिकरण संभव नहीं हो पायेगा । [23]

ग्रामीण परिवेश में स्त्री सशक्तिकरण आज भी एक चुनौती बनी हुई है, परिणामतः अनुभवी एवं योग्य ग्रामीण महिलायें भी अधिकार-संचेतना से वंचित रहती है । सशक्तीकरण के आधारभूत मानदंडों के आधार पर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, योगदान एवं आगे बढ़ने की संभावनाओं का मूल्यांकन किए जाने पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान में भी घोर उपेक्षा का शिकार है और उन्हें सशक्त बनाना अनिवार्य राष्ट्रीय आवश्यकता है । [24] महिला सशक्तिकरण का मुख्य पक्ष स्त्रियों के

अस्तित्व का अधिकार और समाज द्वारा उनकी स्वीकार्यता है । महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर पर प्रजनन क्षेत्र में आय, श्रमशक्ति, सम्पत्ति और सामुदायिक संसाधनों पर नियंत्रण कर पाना उनका सबलीकरण है और यही सशक्तिकरण का उद्देश्य है । सशक्तिकरण एक लक्ष्य है और संयोजित विकास की आवश्यक दशा भी है । स्त्रियों का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन प्रतिनिधित्व उनकी दक्षता में अभिवृद्धि, कार्यक्षेत्र और अन्यत्र साथ किए जा रहे बुरे व्यवहार की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति आदि वे कार्य है जिनकी पूर्णता द्वारा महिला सशक्तिकरण का वास्तविक लक्ष्य पाना संभव है । बापू ने यंग इंडिया में लिखा, नारी को अबला कहना अधर्म है । यह महापाप है जो नारी के विरुद्ध पुरुष द्वारा किया जा सकता है । नारी को किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए । उसके पास विशाल शक्ति है वह किसी से कम नहीं ।[25]

आजादी के 67 वर्ष पूरे हो गये है लेकिन इन 67 वर्षों में साक्षरता की दर में भले वृद्धि हो गई हो, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन भी प्राप्त हो गया हो किन्तु समाज आज भी उन्हें दोयम दर्जे की नजर से देखता है । महिला-पुरुष में भेदभाव करने वाला समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता । संविधान भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है, फिर भी ऐसा किया जाता है जो कि एक हकीकत है, इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है । [26] शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मुलभूत और पहला साधन है । अब यह माना जाने लगा कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है । शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व व बुद्धि का विकास कर उसे आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक कार्यों को संपन्न करने के योग्य बनाती है । शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है । शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है बल्कि उससे भावी पीढी भी लाभान्वित होती है । शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है । नारी की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में मदद मिलेगी । निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है । शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक संबंध है । शिक्षा द्वारा स्त्रियों के विभिन्न विषयों जैसे राजनीति, धर्म, समाज, आर्थिक एवं स्वास्थ्य पक्षों में आने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना आवश्यक है । न्यून शैक्षिक स्तर का सीधा प्रभाव है । इस मानव पूँजी (महिला) का निम्न स्तरीय विकास, कुशलता का निम्न स्तर तथा श्रम बाजार में न्यून भागीदारी है । महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है ।

समानता विकास सशक्तता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की हर निर्णय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय निकायों, सलाहकार समितियों, कमीशन, बोर्ड, ट्रस्ट आदि सभी में महिलाओं की भागीदारी नीति के माध्यम से सुनिश्चित करानी चाहिए। महिला विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में महिलाओं से उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं संबंधी राय न लिये जाने के कारण योजनाओं का आवश्यकतानुरूप निर्धारण नहीं हो पाता है। अतः ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे हर निर्णय व नीति निर्माण स्तर पर व उसके क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। परिवार, ग्राम व राष्ट्रीय स्तर पर लिये जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों पर महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए तथा महिला संगठनों (महिला मंडल दलों) को वैधानिक मान्यता दी जाय, क्योंकि ग्राम स्तर पर महिला मंगल दल ही विकास की मूल ईकाई है उन्हें सुदृढ़ कर ही विकास प्रक्रिया में गति प्रदान की जा सकती है[28] क्योंकि उत्तराखण्ड में महिलाओं के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः महिलाओं को नजर अंदाज करना विकास गति को बाधित करना है।

महिला सशक्तिकरण से आशय उन सामान्य अर्थों से लगाया जाता है जो अपनी क्षमताओं और शक्तियों का पूर्णरूप से उपयोग कर सके जिससे वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ जाए। यह स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में हो सकती है। सामान्यतः आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में वृद्धि आसानी से आ सकती है। महिला सशक्तिकरण का यही अर्थ तभी संभव हो पायेगा, जब वह सम्मान खोये बगैर जिस लक्ष्य को पाना चाहती हो, उसका प्रयास कर सकती है और अपने गंतव्य तक पहुँच सकती है। उसे संचार का हक हो, सुरक्षा मिले, आर्थिक निर्भरता समाप्त करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, इसकी इच्छा-अनिच्छा का ध्यान रखा जाए, समाज व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हो, उसे योग्यता बढ़ाने का अवसर मिले, धन सम्पत्ति में हक मिले, देश की प्रगति तथा देश का गौरव बढ़ाने में सहयोग का पूरा अवसर हो।[29] ऑक्सफोर्ड शब्दकोष 2000 के अनुसार शक्ति लोगों या चीजों को नियंत्रित दुरुस्त करने की योग्यता है या शक्ति एक व्यक्ति या ग्रुप को कुछ कर सकने का अधिकार है, किसी को कुछ करने की संज्ञा या प्राधिकार देना। किसी को अपने स्वयं के जीवन पर या जिस स्थिति में वह है उस पर अधिक नियंत्रण देना। यह महिलाओं को उनके जीवन पर नियंत्रण की सहज बुद्धि देता है जिसके द्वारा चुनाव करने में माप-तौल कर सकती है, निर्णय ले सकती है और तद्नुसार कार्यवाही कर सकती है। तथापि जाति/वर्ग /जातियता के विभेद उन्हें संसाधनों की सुलभता के लिए बाधक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन,

1992 में महिला सशक्तिकरण को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रमुख माना गया है । सामूहिक चिन्तन और निर्णय लेने को महत्व देते हुए, यह सशक्तिकरण के मानदण्डों को सूचीबद्ध करता है । [30]

महिलाओं के सम्मुख चुनौतियाँ

संवैधानिक रूप से प्रारम्भ की गई विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व भले ही सुनिश्चित किया है । लेकिन मात्र प्रतिनिधित्व, सहभगिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है । पारंपारिक, सामाजिक बंधनों, लोक-लाज, छोटे-बड़े के लिहाज, आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी, शैक्षिक पिछड़ापन, पारिवारिक दायित्व, समयाभाव से जूझती महिलाओं के लिए अवसर मिलने पर भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता निभा पाना सहज संभव नहीं है । फलतः महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरुषों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है, प्रधान पति का अस्तित्व इस तथ्य का प्रमाण है । आज भी महिलायें अपनी बात प्रभावी ढंग से पंचायत में रखने में असमर्थ है और पंचायतें सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं के सरोकारों पर समुचित ध्यान नहीं दे पा रही है । [31] पंचायती चुनावों में कई क्षेत्रों में यह देखा गया है कि समाज के प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी ही पत्नी, बहन, माँ अथवा किसी अन्य सम्बन्धी महिला को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देते हैं, जो बाद में उन्हीं के इशारे पर काम करने को विवश होती है । इस प्रकार महिलाओं को एक तिहाई स्थानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित प्रावधान की धज्जियाँ उडाई जाती है । गाँवों में दलबंदी होने के कारण छोटे-छोटे झगड़े होते है और जनकल्याण की योजनाओं के प्रति वे सही निर्णय नहीं ले पाती है ।[32] प्रधानमंत्री ने महिला सरपंचों को उनके बेहतर काम के लिए बधाई देते हुए उनके पतियों को काम में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी है । प्रधानमंत्री के इस बयान से दो तथ्य स्पष्टतः उभरकर आते हैं, पहला तो यह है कि देश भर में महिला सरपंच जो काम कर रही है, उसे पहचान मिल रही है, दूसरा आज भी उन्हें काम करने की पूरी आजादी नहीं मिल रही है । उनके पतियों का हस्तक्षेप उनके कामों में होता है । सरपंच पति या प्रधानपति शब्द अब लोगों के लिए नया नहीं रहा । यह बताता है कि आरक्षण के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं ने सत्ता हासिल की है, लेकिन पुरुष अब भी खुद सत्ता का हकदार मानकर उसे नियंत्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते । भारतीय समाज में वह भी विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि में स्त्री स्वयं को अपने पति से हर दृष्टि से कमतर समझती है, जिसका सीधा और स्पष्ट कारण शिक्षा का अभाव है । एक नया चलन यह देखने को आया है कि जिन सीटों पर महिलाओं

के लिए आरक्षण नहीं है, उन्हें पुरुष सीट कहा जाने लगा हैं, अक्सर महिलाओं को इन सीटों से चुनाव लड़ने की सलाह दी जाती है जबकि यह पूरी तरह से आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है । पंचायत निर्वाचन के नियमों के अनुसार महिलायें अनारक्षित एवं आरक्षित कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है । [33] जबकि अक्सर देखने में आया है कि महिला आरक्षित सीट से ही चुनाव लडती है किसी अपवाद को छोड़ दिया जाये तो यही सच्चाई भी है ।

उत्तराखंड की 74.51 प्रतिशत जनसंख्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और यदि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल जैसे मैदानी जिलों को छोड़ दिया जाए तो अन्य नौ पर्वतीय जनपदों में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है । किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो सकता है जब उस समाज में रह रही महिलाओं को विकास में बराबरी की भागीदारी मिले । हमारे समाज में महिलाओं की संख्या कुल आबादी के लगभग आधी है । ऐसे में महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में जोड़े बिना किसी भी देश, राज्य व क्षेत्र के विकास की कल्पना करना राज्य, समाज व क्षेत्र के साथ छलावा (अव्यवहारिक) है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने महिलाओं को विकास में प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम चलाये ।[34] समाज में लिंग आधारित भिन्नता को दूर करने के लिए सन् 1853 में महिला कल्याण की नीति अपनायी । बाद में यह प्रयास महिला विकास तक पहुँचा और अब महिला सशक्तिकरण का नारा सामने आया । [35] सुनने में चाहे महिला सशक्तिकरण का नारा कितना आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन यह एक कड़वा सच है कि अधिकांश महिलाओं के लिए अपनी क्षमता और प्रतिभा के विकास की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है । [36] यदि महिला-पुरुष के विकास को लैंगिक आधार पर जाँचा जाए तो स्पष्ट विषमता नजर आती है । महिलाओं के विकास हेतु भारतीय संविधान में नियोजित विकास की रणनीति, कानूनों आदि की प्रतिबद्धताएँ तो व्यक्त की गई है [37] परन्तु स्वतंत्रता के 67 वर्षों बाद भी महिलाओं के उत्थान में कोई विशेष परिवर्तन न होना एक प्रश्न चिह्न है ? लेकिन सभी को समझ लेना चाहिए कि समाज की सर्वतोन्मुखी उन्नति महिलाओं के सशक्त हुए बिना संभव नहीं हो सकती है । समाज में शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक विकास के लिए नारी का शक्तिशाली वा शिक्षित होना समाज की जरूरत हो गई है और जब तक नारी सशक्त नहीं होगी समाज सशक्त नहीं होगा । [38] नेपोलियन बोनापार्ट ने महिला की महत्ता को बताते हुए कहा था कि ''मुझे एक योग्य

माता दे दो मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दूंगा ।'' परिवर्तित परिस्थितियों में महिलाओं को दोहरे दायित्व निभाने पड़ रहे हैं, एक ओर उन्हें घर गृहस्थी से लेकर परिवार के भरण-पोषण के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है तो दूसरी ओर पंचायतों में विभिन्न पदों पर रहकर नेतृत्व प्रदान कर रही है । यद्यपि महिलाओं को आरक्षण व्यवस्था के तहत स्थानीय निकायों, पंचायतों में सत्ता तो प्राप्त हो गई है, किन्तु वही महिलायें सफल हो रही है जो कि पढ़ी लिखी होने के साथ-साथ परिवार व समाज ने स्वीकार की है । उनका सामुदायिक राजनैतिक नेतृत्व की भूमिका में सफलतापूर्वक कार्य करना जहां एक ओर स्वयं में व्यापक सामाजिक परिवर्तन ला सकता है वहीं दूसरी महिलाओं के लिए प्रोत्साहन का कार्य भी कर सकती है । उत्तराखण्ड राज्य के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन में उनका महत्वपूर्ण योगदान होते हुए भी उनकी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है जो कि महिला सशक्तिकरण के रास्ते में एक चुनौती से कम नहीं है ।

वस्तुतः किसी भी समाज के सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक विकास में पुरूष और महिला दोनों की ही समान भूमिका होती है । इसलिए जब सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की चर्चा की जायेगी तो उसमें पुरूष वर्ग के साथ ही महिला वर्ग के योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि किसी भी क्षेत्र अथवा राज्य की जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण भाग अर्थात महिलाओं को विकास में सम्मिलित किये बिना स्वस्थ एवं सुखमय समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है । विशेषतः विकट परिस्थितियों में कष्टमय जीवन व्यतीत करने वाली पर्वतीय महिलाओं को यदि प्रोत्साहित किया जाय तो वे पर्वतीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि सामाजिक व आर्थिक अभावों ने यहाँ की महिलाओं को काफी सहनशील व जुझारू व्यक्तित्व प्रदान किया है । इसीलिए कष्टप्रद परिस्थितियों में रहते हुए भी सामाजिक, राजनीतिक व पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति महिलायें न केवल संवेदनशील है, वरन् इन मुद्दों पर इनकी रूचि भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है । उत्तराखण्ड क्षेत्र में इसीलिए इन मुद्दों से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया है । चाहे वह 'चिपको आंदोलन' हो या 'नशाविरोधी आंदोलन'अथवा पृथक उत्तराखण्ड राज्य' आंदोलन हो, महिलाओं ने एक जुझारू चरित्र का परिचय दिया है, जो कि उनकी चेतना व जागृति का प्रतीक है । आवश्यकता केवल इस बात की है कि उनको शिक्षा व स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधायें प्रदान की जाएं ताकि वे अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर आर्थिक-राजनीतिक दृष्टि से सशक्त हो सकें ।

समानता विकास सशक्तता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की हर निर्णय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है । महिला विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में महिलाओं से उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं सम्बन्धी राय न लिये जाने के कारण योजनाओं का आवश्यकतानुरूप निर्धारण नहीं हो पाता है । अतः ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे महिलायें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय निकायों, सलाहकार समितियों, कमीशन, बोर्ड, ट्रस्ट आदि का हिस्सा बनकर हर निर्णय व नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सके । परिवार, ग्राम व राष्ट्रीय स्तर पर लिये जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों पर महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए तथा महिला संगठनों (महिला मंगल दलों) को वैधानिक मान्यता दी जाये, क्योंकि ग्राम स्तर पर महिला मंगल दल ही विकास की मूल इकाई है उन्हें सुदृढ़ कर ही विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सकती है ।[38] किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तथा उसका इतिहास और भाव-भाषा वहाँ की महिलाओं के विकास, प्रगति और समृद्धि में परिलक्षित होता है । महिलायें समाज की रचनात्मक शक्ति है । उनके आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है । समाज की व्यवस्था -अव्यवस्था, नागरिक दायित्वों की दृढ़ता या उपेक्षा, आत्मशक्ति की दृढता या दुर्बलता जैसी संवेदनशील भावनाओं को वह जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकती है । वर्तमान में स्त्रियों के मध्य से एक बड़ा भाग अपनी संवादहीनता, संवेदनशीलता भीरूता एवं संकोचशीलता से मुक्त होकर सुदृढ़ समाज में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रस्तुत है । यद्यपि स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में अनेक बाधायें आज भी हैं, अनेक अत्याचारों से नारी जूझ रही है, तथापि समस्त सामाजिक संदर्भों से जुडी स्त्रियों की सक्रियता को अब न केवल पुरूष वरन् परिवार, समाज एवं राष्ट्र ने भी स्वीकार किया है, जो कि महिलाओं के सुखद भविष्य की ओर इशारा करता है ।

सदंर्भ ग्रंथ

1. बसु, दुर्गादास; 2002: भारत का संविधानः एक परिचय, वाधवा एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, पृष्ठ-150
2. वर्तमान पंचायती राज, वर्ष-3, अंक-6, देहरादून, मार्च 2002, पृष्ठ-5
3. देखें संदर्भ संख्या - 2, पृष्ठ -9
4. जन्तवाल, सावित्री कैड़ा; महिलाओं की जागरूकता का प्रतिबिम्ब, राजनीति सहभागिता, भारतीय राजनीति विज्ञान भोध पत्रिका, वर्ष-पंचम, अंक-द्वितीय, अगस्त-सितम्बर, 2013, पृष्ठ 357-358

5. सेन अमर्त्य; 2011ः भारत विकास की दिशा, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, पृष्ठ-158
6. राधाकृष्ण; 2009 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिकाः समस्या एवं समाधान, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, पृष्ठ-444
7. देखें संदर्भ संख्या - 6, पृष्ठ 445
8. ओझा, एस. के; समसामायिक राष्ट्रीय मुद्दे एवं सामाजिक प्रासंगिता, अरिहन्त प्रकाशन, मेरठ, पृष्ठ-31-32
9. हिन्दुस्तान, 9 नवम्बर 2009 पृष्ठ -3
10. अर्चना, कुमारी; 2009 भारत में महिला राजनीतिक नेतृत्व के आयामः भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, पृष्ठ -365
11. देखें संदर्भ संख्या - 10, पृष्ठ 366-367
12. राधाकृष्ण; 2009, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका : समस्या एवं समाधान, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध शोध पत्रिका, देखें संदर्भ संख्या - 18, पृष्ठ 444-445
13. देखें संदर्भ संख्या - 2, पृष्ठ 3
14. प्रतियोगिता दर्पण; भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन, 2012 पृष्ठ - 146
15. योजना, जुलाई, 1998 वर्ष - 42, अंक - 4, पृष्ठ - 31
16. राखी पंचोला; 2009ः त्रिस्तरीय पंचायत और उत्तराखण्ड महिला; भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, अंक-1 वर्ष -1 पृष्ठ 400-401
17. योजना, जुलाई 1998 वर्ष -42अंक - 4, पृष्ठ 31
18. देखें संदर्भ संख्या - 17, पृष्ठ 33
19. पर्वतजन, अगस्त 2008, पृष्ठ - 39
20. कुरुक्षेत्र, मार्च - 2008, अंक - 5वर्ष - 54, पृष्ठ - 4
21. देखें संदर्भ संख्या - 5, पृष्ठ -178-179
22. श्रीधर प्रदीप; 2010 : स्त्री चिंतन की अन्तर्धारायें और समकालीन हिंदी उपन्यास, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ-32
23. मिश्रा, रंजना; 2013ः भारत में नारीः राजनीतिक परिवर्तन, कैलास पुस्तक सदन, भोपाल, पृष्ठ - 29
24. पाटक, ममता; महिलायें और विकास (दशा, दिशा एवं संभावनायें) रजना मिश्रा द्वारा सम्पादित पुस्तक भारत में नारी राजनीतिक परिवर्तन, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2013 पृष्ठ - 140

25. द्विवेदी रमेश प्रसाद; भारत में जेण्डर बजट महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष-पंचम, अंक-द्वितीय, अगस्त-सितम्बर, 2013, पृष्ठ 342-343
26. देखें संदर्भ संख्या - 20, पृष्ठ -9
27. बूँद, हार्क, पृष्ठ - 3-4
28. देखें संदर्भ संख्या - 25, पृष्ठ -343
29. महिलायें और विकास पहलें, इग्नू, पृष्ठ - 24-25
30. देखें संदर्भ संख्या - 2, पृष्ठ 14
31. बिष्ट, राकेश; स्वशासन में महिलायें; पर्वतीय संवेदना 2006, वर्ष-1, अंक-3, पृष्ठ-8-9
32. देखें संदर्भ संख्या - 24, पृष्ठ -143
33. सारस्वत, ऋतु, महिला सशक्तिकरण आरक्षण से आगे, हिन्दुस्तान, 30 अप्रैल, 2015, देहरादून, गुरुवार, पृष्ठ -10
34. लट्टाः ललित; महिला विकास योजनायें और उनका क्रियान्वयन; कुरुक्षेत्र, नवम्बर, 2001, पृष्ठ - 12
35. चमड़िया, अनिल; महिला सशक्तिकरण और खेतिहार महिलायें; कुरुक्षेत्र, नवम्बर, 2001, पृष्ठ - 24
36. मद्योक, सुजाता; मीडिया और महिला सशक्तिकरण; योजना, अक्टूबर, 2001, पृष्ठ -3
37. माछी, नवीन कुमार; महिलाओं का विकासः प्रतिबद्धतायें; प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर, 2007, पृष्ठ 486
38. माहेश्वरी, सरस्वती; सशक्त नारीः सशक्त समाज; विद्या मेद्य मेरठ, दिसम्बर, 2004, पृष्ठ - 7
39. देखें संदर्भ संख्या - 27, पृष्ठ 3-4

9. महिला सशक्तिकरण पर गांधीजी के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता

(अहिंसक समाज रचना के संदर्भ में एक विश्लेषण)

*** डॉ लोकेश जैन एवं प्रो. राजीव पटेल**

महिला सशक्तिकरण अभिगमः एक नजर में .....

महिला सशक्तिकरण का मुख्य ध्येय महिलाओं का पहुँच उन साधन संसाधनों व सत्ता तक समानता के साथ संभव बनाना है जिनका उन्हें मानवीय रूप से अधिकार है, उन्हें उन कुरिवाजों व सामाजिक जड़ बंधनों से मुक्ति पाने हेतु सामर्थ्यवान बनाना है जिसके बारे में वे महसूस ही नहीं कर पा रहीं या अंजान हैं एवं जिनके चलते उनका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हुआ है, जो उनके शोषण का सबब बनी हैं, जिनके चलते उनका मानवोचित सम्मान व गौरव दमित हुआ है तथा उनकी भावनाओं व आकांक्षाओं से खिलवाड़ हुआ है ।

स्त्री व पुरुष समाज रचना की गाड़ी दो पहिए हैं जब तक ये दोनों पहिए सहजता, समता, समानता के साथ एकाकार होकर आगे नहीं बढ़ते तब तक वांछित प्रगति व खरा विकास संभव नहीं है । उन दोनों के समान रूप से गतिशील रहने से ही समाज का विकास व उत्थान संभव है । राष्ट्र मनीषी स्वामी विवेकानन्दजी का कथन है कि '' जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है ।'' भारतीय संस्कृति साहित्य के कवियों ने सत्य ही कहा है कि नारी नर की खान है अर्थात् नर का अस्तित्व नारी पर ही निर्भर है । ''यत्र नार्यास्तु पूज्यते, रमन्ति तत्र देवता ।'' अर्थात् जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते है । स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और प्रबुद्ध चिंतक पंडित जवाहर लाल नेहरू का मत रहा है कि ''नारी के बिना समाज अधूरा है, देव पुरुषों एवं महात्माओं की जननी महिला सबसे ज्यादा सम्मान की हकदार है ।'' वे आगे कहते हैं कि यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं में जागृति पैदा करो, एक बार जब वे आगे बढ़ती है, तो परिवार आगे बढ़ता है फिर उससे समाज, गाँव, शहर और सारा देश आगे बढ़ जाता है ।'' अंग्रेजी में महिलाओं को (Women) कहा जाता है इसके

* **सह-प्राध्यापक एवं प्रो. राजीव पटेल, विभागाध्यक्ष, ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केंद्र, गुजरात ग्रामीण परिसर, रांधेजा-गांधीनगर (गुजरात)** 382620. E-mail :lokeshesrm@yahoo.co.in.rajiv@gujaratvidyapith.org

हिज्जों का शाब्दिक प्रथक्करण करने पर महिला सशक्तिकरण के भावार्थ और महिलाओं की निहित क्षमता को समझा जा सकता है -

W = have strong **WILL POWER**, worthy contribution to society जिसकी दृढ़ इच्छाशक्ति है और जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान करती है ।

O = optimistic जो आशावादी है ।

M = **MIGHTY** in the sense to perform various role in the society, जो अपनी विविध भूमिकाओं के बेहतर तरीके से निर्वाह में सामर्थ्यवान है ।

E = **ENLIGHTEN & ENERGETIC** जो विविध मानवोचित **दैवीय गुणों**-करूणा, दया, धैर्य व क्षमा आदि से परिपूर्ण है एवं काम करते हुए भी सदैव उर्जावान रहती है ।

N = **NOBAL QUALITIES** to care family and social affairs, उनमें सामाजिक व्यवहारों के संचालन की विशिष्ट योग्यता व उदारता है ।

आजाद गुलाब सिंह (2012) ने अपने अध्ययन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन में सक्षमता, सामर्थ्यवान, सम्पन्नता, सबलता एवं सुयोग्यता जैसे घटकों की कसौटी के आधार महिला सशक्तिकरण को इस रूप में देखते हैं -

1. महिलाएँ तकनीकी ज्ञान-विज्ञान व आध्यात्म के सामंजस्यपूर्ण रूप इनपुट से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से इतनी सक्षम व कुशल बने कि वे अपनी विविधतापूर्ण वर्तमान व भावी भूमिका का निर्वाह बेहतर तरीके से कर सकें ।
2. महिलाएँ इतनी सामर्थ्यवान बने कि वे अन्याय का मुँहतोड़ जबाब दे सकें ताकि उनकी स्त्रियोचित गरिमा पर कोई गलत नजर डालने का साहस न कर सके एवं उन्हें प्राप्त विविध संवैधानिक अधिकारों से च्युत न कर सके अथवा उन पर अतिक्रमण न कर सके ।
3. महिलाओं को शैक्षणिक विकास व आजीविका निर्वाह के अवसरों में चयन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो ताकि वे स्वयं को अपनी इच्छा व योग्यता के अनुरूप सम्पन्न बना सकें, सामाजिक-सांस्कृतिक आदि बंधन उनकी राह का रोड़ा न बन सकें ।
4. महिलाएं इतनी सबल हों कि वे घर के अन्दर व बाहर अपने निर्णय स्वयं ले सकें उनकी जिंदगी की बागडोर एवं संबंधित निर्णय उनके नियन्त्रण में हो ताकि उसकी ''खूँटे से बंधी गाय'' की दयनीय तस्वीर का रूख बदल सके ।

5. महिलाओं में समाज निर्माण की सहज स्वाभाविक योग्यता का विकास व सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो ताकि वे पुनः सामाजिक परिवर्तन की सशक्त वाहक बन सकें । हमारे देश के गौरवमयी इतिहास में ऐसे कई प्रेरणात्मक उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ महिलाओं ने मानव जगत को अपनी संचालकीय कुशलताओं से अचंभित होने को विवश कर दिया है ।'' इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण वह अभिगम है जिसमें महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी पक्षों पर मानवीय संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाता है । इसके तहत भारतीय संस्कृति व समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जो अमानवीय व अनुचित दूषण उत्पन्न हो गये हैं, जिनसे महिलाओं का आत्मसम्मान व विकास बाधित होता है, उसके प्रति जागृति लाने का कार्य किया जाता है और उन्हें इस प्रकार से मदद की जाती है कि वे इन विषम परिस्थिति का सामना कर सकें और अपने वजूद को गरिमा के साथ बनाए रख सकें ।

   वैश्विक क्षितिज पर महिला सशक्तीकरण हेतु सामाजिक व स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों, आंदोलनों और यूएनडीपी व मानवाधिकार, आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संगठित हस्तक्षेप के माध्यम से महिलाओं के लिए सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने की बात दृढ़ता से रखी गई ताकि विश्व की जनसंख्या में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा रखने वाली यह मानवशक्ति विविध क्षेत्रों में अपनी असरकारक भूमिका सुनिश्चित कर अपने व समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सके । महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महिलाओं को सभी स्तरों अर्थात् शारीरिक, मानसिक, मनो-सामाजिक, आर्थिक आदि पर सशक्त बनाने हेतु उनमें जरूरी आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य शामिल किया जा सकता है ।

आज हांसिए पर आ चुके इस महिला मानव संसाधन पर मानवोचित व संवैधानिक दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी निहित क्षमताओं का खुलकर विकास कर सकें, अपने, परिवार के, समाज के व राष्ट्र के विकास में उनका समुचित उपयोग कर विकास प्रक्रिया में सक्रिय व रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित कर सकें किन्तु वर्तमान में हिन्दुस्तान की महिलाओं की हालत विशेष रुप से ग्रामीण महिलाओं की हालत बहुत अधिक बेहतर नहीं कही जा सकती । देश की आबादी का लगभग 47 प्रतिशत महिलाएं हैं किन्तु उनकी विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी उतनी नहीं है । वे सामाजिक रूढ़ियों, अज्ञान, दबाव के चलते नानाविध शोषण का शिकार बन रही है । समानता व स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकारों का भलीभांति उपयोग नहीं कर पा रही हैं । हालांकि

आजादी के पश्चात इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर यथा मानवाधिकार आयोग की रचना, घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानून, दहेज के विरुद्ध कानून, लोक व्यवस्था के संचालन में भागीदारी हेतु आरक्षण आदि के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किए गए हैं । तथापि हम वर्तमान स्थिति को देखें तो पायेंगे कि इससे दोनों पक्ष खुश नहीं है । महिलाओं में अधिकार छीन लेने का अहम है तो पुरुषों में छिन जाने का अफसोस । दोनों के मध्य एक मानसिक संघर्ष की स्थिति उठ खड़ी हुई है । जिस मकसद से महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी वह मकसद तो कहीं पीछे छूट चुका है । व्यवस्था को चलाने के लिए जो प्रेम व सहकार चाहिए था वह स्थापित व्यवस्थाओं के बावजूद नदारद होता चला जा रहा है । ग्राम पंचायत में 73 वें संशोधन के तहत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के बावजूद अनौपचारिक किन्तु प्रभावी रूप से सरपंच पति का चलन है तो कहीं ताकतवर समुदाय द्वारा येनकेन प्रकारेण महिलाओं को जलील करके उन्हें व्यवस्था से निष्क्रिय करने की खोटी जुगत चलाी जाती है । ऐसा नहीं है कि ये विषमता पुरुष समुदाय की ओर से खड़ी हो रही हों, कई बार उच्च महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि में महिलाएं इन उपलब्ध कानूनों का दुरूपयोग कर उस उद्देश्य का मखौल बना देती हैं जिसके लिए ये संगठित प्रयास किए गए थे ।

महिला सशक्तीकरण का वर्तमान परिवेशः

''या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।''

- दुर्गा सप्तशती मंत्र

भारतीय दर्शन व संस्कृति के महान ग्रंथों में शक्ति स्वरूपी देवी दुर्गा की आराधना माँ के स्वरूप में की गई है वहीं देश में नारी जो माँ, बहन, बेटी, पत्नी तथा विविध मानवीय रिश्तेनातों के रूप में समाज में अपनी भूमिका निभा रही है, की स्थिति दयनीय क्यों हैं ? क्यों बेटियों को प्रति भेदभावपूर्ण रवैया है ? क्यों उसके जन्म लेने से खुशियों की जगह अफसोस जाहिर किया जाता है ? क्यों बेटे की चाह में बेटियों को इस दुनिया में नहीं आने दिया जाता ? क्यों उनकी गर्भ में निर्ममता से हत्या कर दी जाती है ? बेटों की ही तरह क्यों उन्हें शिक्षण नहीं दिया जाता ? क्यों दहेज के कारण बहुएं जलाए दी जाती हैं या आत्महत्या करने को विवश की जाती है ? क्यों महिलाओं पर घरेलू शारीरिक व मानसिक अत्याचार किए जाते हैं ? क्यों घर या बाहर कार्य स्थल पर महिलाओं को खा जाने वाली नजरों से घूरा जाता है ? क्यों उन्हें शोषित किया जाता है या शोषित होने के लिए मजबूर किया जाता है ? क्यों बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं आए दिन उनके साथ होती है ? तथा क्यों उन्हें समय पर न्याय नहीं मिल माता ? आदि बहुत सारे

अनुत्तरित प्रश्न हैं जिसका जवाब मानवता मांग रही है । इसीलिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में हृदय से चिन्तन-मनन और मंथन की नितान्त आवश्यकता है । स्त्री और पुरुष दोनों ही एक ही ईश्वर की महान कृति हैं, सृष्टि की वे रचना है, जो समान अक्ष पर सृजन हेतु एक दूसरे की पूरक हैं, सम्मान व न्याय की हकदार हैं, उन्हें भी गर्व व इज्जत के साथ जीवन जीने का आजादी हो, उनके भी सपने आकार ले सकें, विकास की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय व रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, यह समय की मांग ही नहीं अपितु कुदरती न्याय की गुहार है । यदि समय रहते नहीं संभले तो इसके चलते स्त्रियों का अस्तितत्व व अस्मिता तो जोखिम में पड़ेगी ही किन्तु इसके परिणामस्वरूप पुरूष भी अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता, कौन उनका लालन पालन करेगा ? कौन उनमें संस्कारों का सिंचन करेगा ? कैसे चलेगीं विवाह संस्थाएँ ? क्या इससे जनित अराजकता को फैलने से रोका जा सकेगा ? सृष्टि की संतति उत्पत्ति की व्यवस्था को कैसे आगे ले जाया जा सकेगा ? आज हर चीज को पैसे के तराजू पर तौलने वाला, विज्ञान का दंभ भरने वाला तथाकथित आधुनिक समाज क्या उपरोक्त घटकों की भरपाई करेगा ? विद्वानजनों की बात जाने दें, एक आम आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें मानवता का अंश विद्यमान है, निश्चित तौर पर कहेगा कि वर्तमान की यह गति सियाने का काम नहीं है, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है ।

पुरुष प्रधान समाज व आर्थोपार्जन की व्यवस्था का पुरुषों में केन्द्रित होना, सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं आदि के चलते महिलाएं वह सम्मानपूर्ण जीवन यापन से वंचित रह जाती हैं जिसकी वे ईश्वरीय दृष्टि से बराबर की हकदार हैं । यदि कन्या भ्रूण हत्या, गर्भपात आदि की दशा पर नजर डालें तो इस मुद्दे की संवेदनशीलता और भी गंभीर एवं अमानवीय प्रतीत होती है क्योंकि इसका प्रतिशत तथाकथित साक्षर व सभ्य समाज में अपने पैर तेजी से पसारता जा रहा है । हम सभी निर्विवाद रूप से इस तथ्य से सहमत होंगे कि महिलाएं हमारे समाज का वह महत्वपूर्ण भाग हैं जिसके अभाव में मानवीय समाज के अस्तित्व व विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, वे जीवन की पूरकता की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण कड़ी है, विकास के कैनवॉस पर जीवंतता का आधार है, खुशियों का नियोजक हैं, सभ्य समाज के निर्माण की धूरी हैं जहाँ जन्म, लालन-पालन, संस्कार सिंचन, कला-सौन्दर्य बोध, व जीविकोपार्जक हुन्नर के साथ समाज व्यवस्था के संचालन में सक्रिय भागीदारी आदि क्रियाएं आकार लेती हैं किन्तु समाज में एवं जीवनयापन के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करने के बावजूद दुर्भाग्यवश आज वे हांसिये पर हैं, लिंगभेद व शोषण की शिकार है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाने वाला महिला दिवस इस बात का समर्थन करता प्रतीत होता है कि महिलाओं की स्थिति दयनीय है जिसके लिए समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है । समाज रचना

एवं इसके संवर्धन में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता फिर भी इस वर्ग की लाचारी की तरफ मुँह नहीं मोड़ा जा सकता । आज महिलाओं के साथ कई स्वरूपों में अमानवीय व्यवहार होता है, शोषण होता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनकी स्वाभाविक स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता है, शिक्षण, स्वास्थ्य और आजीविका आदि के क्षेत्र में भेदभाव रखा जाता है, स्थापित कुरीतियों की आड़ में घरेलू हिंसा व अत्याचार का भोग बनाया जाता है । हमारी जड़ परंपराएं भी उसे खूँटे से बंधी गाय के रूप में देखती हैं जिसका मालिक उसे महज एक भावनाशून्य वस्तु समझकर अपनी मर्जी के मुताबिक एक डंडे से हाँकते हुए उसके पशुवत व्यवहार करने का अधिकार ग्रहण किए रहता है, सारा काम भी उसी से लेता है और उसको स्त्रियोचित सम्मान भी नही देना चाहता अपितु मालिकी का भाव जताकर अपने झूठे अहम् की तुष्टि करते हुए उसे ता उम्र प्रताडित करता रहता है । यह दुखद कहानी सिर्फ परिवार की चारदीवारी में ही नहीं दोहराई जाती अपितु जहाँ जहाँ से वह गुजरती है और जहाँ जहाँ वह कदम रखती है वहाँ उसे आदमी की खाल में छुपे भेड़िये की विकृत मनोवृत्ति, क्रूरता, लंपटता, धूर्तता व छलफरेब का शिकार होना पड़ता है । महिलाओं के शोषित होने के महत्वपूर्ण कारणों में अशिक्षा, जागृति का अभाव, जीवनयापन हेतु निर्भरता, सामाजिक कुरीतियों के जड़ बंधन, शोषण के खिलाफ ख़ड़े होने या आवाज उठाने पर स्थापित तंत्र व व्यवस्था का समुचित सहकार न मिलना, लंबी न्यायिक प्रक्रिया और इस व्यवस्था पर धन व सत्ता के बाहुबलियों का अनुचित प्रभाव आदि हैं जो जीते जी उनकी जिंदगी को नर्क बना देता है और उसे जिल्लतभरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता रहता है । मानवीय मूल्यों में इस कदर गिरावट आ चुकी है कि आज महिला न तो घर में सुरक्षित है और न ही घर से बाहर कार्यस्थल आदि पर । विकृत मानसिकता युक्त येनकेन प्रकारेण साम, दाम, दण्ड, भेद सभी प्रकार के उपायों के द्वारा महिलाओं को शोषित करने का कुचक्र रचा जाता है जहाँ दिखावा कुछ और तथा मंशा कुछ और । वह बगुलाभगत की तरह झपट्टा मारने की फिराक में रहता है ।

ग्रामीण व आदिवासी विस्तार में इस समस्या की गंभीरता और बढ़ जाती है क्योंकि यह समाज आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से उतना सम्पन्न व उन्नत नहीं है, काम करके जीवनयापन करना इनकी मजबूरी है, जीवनयापन हेतु स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग संबंधी अधिकारों का हनन, संसाधनों के बेहताशा शोषण के चलते निरंतर बदतर होती परिस्थिति, औद्योगिक व अन्य बहुमत वाले समाज का बढ़ता दखल आदि के चलते विस्थापन ने इनके जीवन में कई सारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं । परिवार के व्यसनी पुरुषों के कारण उन्हें मारपीट का शिकार होना किन्तु इसको ही नियति मानकर विरोध भी नहीं करती और घर के काम व बाहर के काम की दोहरी मार को सहती रहती है । वे आज

के भद्र समाज में आजीविका के पारश्रमिक के भेदभाव का शिकार बनती है । लैंगिक छेड़छाड़ के मामलों में पीड़िता होने के बावजूद भी जुर्म सिद्ध करने का दायित्व उन्हीं पर होता है एवं इस पर भी समाज उन्हें जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और अपनी विकृतियों को तुष्ट कर आनन्दित होता रहता है । बहुधा न्याय में देरी, उस तक इस समुदाय की पकड़ व पहुँच के अभाव में हमारी न्यायिक व्यवस्था मरहम की जगह जले पर नमक का काम करती हैं, जहाँ इस तंत्र की छद्म अव्यवस्थाओं के अंधकार में पीड़िताओं की गुहार को सुना-अनसुना कर दिया जाता है अथवा ताकतवर समुदाय अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबा देने, कुत्सित जतन व तिकड़में बैठाने में कामयाब होकर स्थापित व्यवस्था को ठेंगा दिखाने एवं पीड़िताओं के साहस को हतोत्साहित करने व कुचलने से नही चूकता ।

गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में महिलाएं : समस्या समाधान का कारगर उपाय....

गांधीजी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत में कुछ कहने व करने से पूर्व गांवों का भ्रमण किया और स्थिति को समझा । हालांकि दक्षिण अफ्रीका की धरती पर उनके सत्य, अहिंसा और रसत्याग्रह के प्रयोग यथोचित सफलता हासिल कर चुके थे तथापि उनके लिए गुरु की यह सलाह उनके जीवन व सोच के गठन में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । गांधीजी ने हर प्रयास को संपूर्णता के साथ देखा, समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को केन्द्र में रखा और विकास की वह व्यूहरचना सामने रखी जिसकी बुनियाद प्रेम पर रखी गई थी तथा जिसमें सभी के लिए सम्मान व समानता का पुट विद्यमान थीं ।

आदि काल से भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान सम्माननीय रहा है किन्तु इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि वर्तमान में महिलाओं की दशा दयनीय बनी है । गांधीजी ने आजादी के समय में भी इसे अन्तःकरण से महसूस किया था और उन्हें रचनात्मक कार्यक्रम का अभिन्न व सक्रिय हिस्सा बनाने की अहिंसक रणनीति बनाई थी । गांधीजी रचनात्मक कार्यक्रम पुस्तक में स्त्रियों की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि **''हिन्दुस्तान की स्त्रियाँ अंधेरे में डूबी हुई थी सत्याग्रह के तरीके ने उन्हें अपने आप बाहर निकाल लिया है और यह भी सच है कि किसी दूसरे तरीके से इतने कम समय में, जिस पर विश्वास नहीं हो सकता, आगे नहीं आ पातीं । स्त्री जाति की सेवा को मैंने रचनात्मक कार्यक्रम में जगह दी है, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी के दरजे से और अधिकार से स्वराज की लड़ाई में शामिल करने के लिए जो कुछ करना चाहिए, वह सब करने की अभी कांग्रेस वालों के दिल में नहीं बसी है ।''**

यहाँ गांधीजी स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष बराबरी की बात पुरजोर के साथ रखते हैं और तत्कालीन सत्ता नीति नियामक संस्था कांग्रेस की मनोस्थिति की अभिव्यक्ति जो गांधीजी ने उस समय के परिप्रेक्ष्य में की है आज उससे कहीं अधिक विकट परिस्थिति है इसलिए यह विचार आज भी प्रासंगिक प्रतीत होता है । वे आगे कहते हैं कि **''कांग्रेस वाले अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि सेवा के धार्मिक काम में स्त्री ही पुरुष की सच्ची सहायक और साथिन हैं ।''** उन्होंने सामाजिक क्रांतिकारी अन्वेषक की तरह इस मर्ज की जड़ को पहचानते हुए लिखा है कि **''जिस रुढ़ि और कानून को बनाने में स्त्री का कोई हाथ नहीं था और जिसके लिए सिर्फ पुरूष ही जिम्मेदार है, उस कानून और रुढ़ि के जुल्मों ने स्त्री को लगातार कुचला है ।''** एक कुशल चिकित्सक की भाँति न सिर्फ उन्होंने मर्ज को पहचाना अपितु कारगर सम्पोषित उपाय प्रस्तुत करने का साहस व उद्यम भी किया स्त्रियों को रचनात्मक कार्य का हिस्सा बनाकर । अहिंसक समाज रचना के शिल्पी अपनी परिकल्पना को साकार करने की व्यूहरचना बनाते हुए कहते हैं कि **''अहिंसा की नींव पर रचे गए जीवन की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है ।''** गुजराती में एक कहावत है - **''पानी पहेला पाडं बांधवुं''** अर्थात् विपरित स्थिति आने से पहले उसके पुख्ता इंतजाम करना, इसका सयाने और एक कुशल प्रबंधक की भाँति अमलीकरण को असरकारक बनाने के उद्देश्य से सावधान रहने की आवश्यकता महसूस करते हुए कहते हैं - **''लेकिन अहिंसक समाज की रचना में जो अधिकार मिलते हैं वे किसी न किसी कर्तव्य या धर्म पालन से प्राप्त होते हैं ।''** वे आगे कहते हैं कि **''लेकिन यह भी मानना चाहिए सामाजिक आचार-व्यवहार के नियम स्त्री और पुरुष दोनो आपस में मिलकर एवं राजी खुशी से तय करें । इन नियमों का पालन करने के लिए किसी बाहर की किसी सत्ता या हुकूमत की जबरदस्ती काम न देगी ।'' यहाँ वे अहिंसक उपायों के तौर पर प्रेम व सौहार्द का पथ अपनाने की** वकालत करते हैं, जिसमें वर्तमान का संघर्ष, घुटन, व अहम नहीं है अपितु शांतिपूर्ण सामाजिक समरसता की लक्ष्मण-बूटी है । वे समाज व नीतिकारों को मंथन हेतु विवश करते हुए निर्देशित करते हुए कहते हैं कि - **''स्त्रियों के साथ अपने बर्ताव में पुरुषों ने इस सत्य को पूरी तरह से पहचाना नहीं है । स्त्री को अपना साथी या मित्र मानने के बदले अपने को उसका स्वामी माना है । कांग्रेस वालों का यह खास हक है कि वे हिन्दुस्तानी स्त्रियों को उनकी इस गिरी हुई हालत से हाथ पकड़कर ऊपर उठावें ।''** क्योंकि आज के परंपरागत समाज में रहनेवाली व मूक रहकर जुल्म सहने को अपनी नियती समझने वाली स्त्री की वस्तुस्थिति को समझते हुए लिखा कि - **''पुराने जमाने का गुलाम नहीं जानता था कि उसे आजाद होना है या कि वह**

आजाद हो सकता है । औरतों की हालत आज कुछ वैसी ही है । जब उस गुलाम को आजादी मिली, तो कुछ समय तक उसे ऐसा मालूम हुआ, मानो उसका सहारा ही जाता रहा हो । औरतों को यह सिखाया जाता है कि अपने को पुरुषों की दासी समझें ।'' वस्तुतः इस संदर्भ में जागृति का अभाव, इच्छाशक्ति का अभाव एवं सुसुप्त मानसिकता एक हद तक महिलाओं की बेबस स्थिति के लिए जिम्मेदार है । हमें रचनात्मक दृष्टिकोण से कदम उठाने के लिए वे कार्यनीति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं कि **''इसीलिए कांग्रेस वालों का फर्ज हैं कि वे स्त्रियों की उनकी मौलिक स्थिति का पूरा बोध करावें और उन्हें इस तरह की तालीम दें, जिससे वे पुरुषों के साथ बराबरी के दरजे से हाथ बँटाने के लायक बने ।''**

सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिमानों पर स्त्रियोचित घटना के मूल्यांकन में जिस प्रकार महिलाओं को आरोपित किया जाता है, वह पक्षपातपूर्ण एवं अनुचित ही है क्योंकि जिसके लिए महिलाओं को दोषी की नजर से देखा जाता है, उन्हें चरित्रहीन मानकर तिरस्कार किया जाता है, वस्तुः उसके लिए महिलाएँ जितनी दोषी हैं उतना ही पुरूष भी । इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध की बोधपरक कथा प्रेरणात्मक सिद्ध हो सकती है ।

''एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए । वहाँ एक स्त्री उनके पास आयी और बोली ''आप तो कोई राजकुमार लगते हैं । क्या मैं यह जान सकती हूँ कि इस युवावस्था में गेरुआ वस्त्र पहनने का कारण क्या है ?'' बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया - ''मैंने तीन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है । यह शरीर जो युवा और आकर्षक है, पर जल्द ही वह वृद्ध होगा और फिर बीमार व अंत में मृत्यु के मुँह में चला जायेगा । मुझे वृद्धावस्था, बीमारी व मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है ।'' उनसे प्रभावित होकर स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया । शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई । गांववासी बुद्ध के पास आये और आग्रह किया कि वे इस स्त्री के घर भोजन करने न जायें क्योंकि वह चरित्रहीन है । बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप मानते हैं कि स्त्री चरित्रहीन है ? मुखिया ने कहा कि ''मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि वह बुरे चरित्रवाली है । आप उसके घर न जायें ।'' बुद्ध ने मुखिया का दांया हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा । मुखिया ने कहा कि मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ा हुआ है । बुद्ध बोले - ''इसी प्रकार वह स्त्री स्वयं कैसे चरित्रहीन हो सकती है जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हों । अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते, तो यह औरत ऐसी न होती । इसलिए इसके चरित्र के लिए यहाँ पुरुष जिम्मेदार हैं । यह सुनकर सभी पुरुष लज्जित हो गए ।''

उपसंहार :

यह निश्चित तौर पर समझ लेना होगा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ पुरुषों की संप्रभुता पर महिलाओं की संप्रभुता को कायम करना नहीं है अपितु समता, समानता, प्रेम व अहिंसा के द्वारा प्रकृति के इन दोनों घटकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है जो निर्माण व सृजन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं । हमारे राष्ट्र के अनेक शुभ चिन्तकों, कर्णधारों व नीतिनियामकों ने कई सकारात्मक विचार इस दिशा में रखे हैं जो हमारा निश्चित तौर पर मार्गदर्शन करने में समर्थ हैं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दृढ़ मत है कि यदि औरतों की काबलियत को उजागर करने के अवसर दिये जायें तो वह समाज की प्रगति में पूर्णरूप से योगदान कर सकती है ।

ग्रामीण समुदाय जिसमें महिलाएं जीविकोपार्जन के हर क्षेत्र में महिलाएं बराबर की भागीदार हैं तथा घर की जिम्मेदारी के साथ दोहरी भूमिका हँसी-खुशी के साथ गुजारती आ रही हैं, उसमें भी महिला विकास को लेकर कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं जिन पर विमर्श आवश्यक है । संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद वे विकास प्रक्रिया में सही रूप से भागीदारी नहीं कर पा रही हैं । इसलिए स्वच्छ और मजबूत समाज का निर्माण करने, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने, महिलाओं की सक्रिय भूमिका प्रस्थापित करने एवं उनका मानवोचित सम्मान सुनिश्चित करने हेतु महिला सशक्तिकरण वर्तमान में नितान्त आवश्यक है । जरूरत है हमें अपनी सोच बदलने की, स्त्री पुरुष रुपी गाड़ी के दोनों पहियों को एक समान ही बनाने की ताकि राष्ट्र व समाज के विकास में इस मानव शक्ति का समुचित उपयोग कर उसे सम्मानित स्थान दिलाया जा सके । इस दिशा में गांधीजी ने महिलाओं की स्थिति के विश्लेषण में न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं अपितु उनका वह समाधान प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा अहिंसक समाज रचना की कड़ी को और अधिक मज़बूती प्रदान की जा सकती है, समाज में विश्वास व प्रेम का सृजन कर उपादेयता में वृद्धि की जा सकती है ।

सन्दर्भ

- आजाद गुलाब सिंह (2012), ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन, कोओपरोटर, नई दिल्ली.
- जैन (डॉ.) लोकेश - अहिंसक समाज रचना का अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत पत्र
- महात्मा गांधी - ''की टेक्स्ट ऑफ महात्मा गांधी - रचनात्मक कार्यक्रम उसका रहस्य और स्थान'' गांधी हैरिटेज पोर्टल

10. महिला सशक्तिकरण में डिजिटल साक्षरता का योगदान

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा*

परिचय :

जटिलता, आज के वातावरण का अभिन्न अंग है, सही समय अपर, सही सूचना को खोजना और उसकी सही उपयोग करना एक जटिल प्रक्रिया है, ऐसी परिस्थिति में डिजिटल साक्षरता ऐसे माध्यम, साधन या दक्षता के रूप में उभर कर आई है, जो कि व्यक्ति में मूल्य संवर्धन करती है, जिससे कि नेटवर्क वातावरण में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग कर, हम वांछित सेवा और संसाधन का दोहन कर सकते हैं। ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास ने लैंगिक विभेद को अल्पतम करने का प्रयास किया है, वैसे भारतीय परंपरा में लैंगिक विभेद को लेकर बहुत उदार और समान भाव देखने को मिलता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय परंपरा में समान अवसर प्रदान करने के साथ-साथ महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, उदाहरण के लिए :

- वैदिक काल में ऋषिकाओं के नाम मिलते है, जैसे : गायत्री, सावित्री, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, आदि ।
- ऐतरेय उपनिषद का नाम ही माता के नाम पर है, सत्यकाम जाबाली के कथानक से सभी परिचित है, महाराज दशरथ के युद्ध में कैकेयी का वर्णन मिलता है,
- अर्धनारीश्वर की संकल्पना इस तथ्य को प्रकटित करती है कि दोनों का सम्मिलित और एकरूप प्रयास ही समाजार्थिक विकास का आधार है ।
- देवताओं के नाम भी देवी का नाम पहले लिए जाने की परंपरा है,
- विवाह को 16 संस्कारों में स्थान दिया गया ।

आज भारतीय संविधान महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए कानूनी आधार प्रदान कर रहा है। भारतीय जनमानस की मनस्थिति में बदलाव की बयार दिखाई देने लगी है, मात्र आवश्यकता इस बात की है कि इस बदलाव को और गति कैसे प्रदान की जाय, जिससे की जनमानस में लैंगिक समानता को लेकर भेद न रहे। वर्तमान सूचना

---

* सह प्राध्यापक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर ई-मेल arvindksharma23@gmail.com

संचार प्रौद्योगिकी ने अवसरों की भरमार कर दी है, लेकिन सूचना संचार प्रौद्यौगिकी जनित अवसरों का लाभ तभी उठाया जा सकता है, जबकि सभी डिजिटल साक्षर हो, महिलाओं का डिजिटल साक्षर होना समाजार्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है, भारत सरकार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है और डिजिटल साक्षरता की दिशा में अनेकानेक कदम उठाएं हैं ।

साक्षरता : परिभाषाएँ

डिजिटल साक्षरता को समझने से पूर्व साक्षरता को समझना आवश्यक होगा । जिससे कि तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके । **ओडीएलआईएस** के अनुसार, ''न्यूनतम स्तर की दक्षता के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता'' । इस परिभाषा में दक्षता के न्यूनतम स्तर के रूप में साक्षरता को संदर्भित किया गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि दक्षता इस न्यूनतम स्तर के साथ वर्तमान सूचना प्रौद्यौगिकी के माहौल में उपलब्ध सूचना एवं ज्ञान के तमाम संसाधनों का दोहन नहीं किया जा सकता ।

हैराड्स लाइब्रैरिअन्स ग्लास्सरी एंड रेफेरेंस बुक ने साक्षरता को इस प्रकार परिभाषित किया है : ''पढ़ने और लिखने की क्षमता है । हाल ही में, 'शब्द', 'साक्षरता' जानकारी के साथ जुड़े हुए व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ।'' यह परिभाषा पढ़ने और लिखने की क्षमता में व्यावहारिक कौशल को जोड़ने के द्वारा साक्षरता के क्षेत्र को विस्तृत करती है ।

युनेस्को के कार्यक्रम लैंप (LAMP) के अनुसार, साक्षरता - ''अलग-अलग संदर्भों के साथ जुड़े मुद्रित और लिखित सामग्री के उपयोग करने के द्वारा , पहचान करने, समझने, व्याख्या करने, बनाने, संवाद करने और गणना करने की क्षमता है'', एक व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान और क्षमता को विकसित करने और समुदाय और विस्तृत समाज में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम करने के लिए साक्षरता के सभी आयामों को सम्मिलित करती है उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर, साक्षरता को निम्नलिखित कौशलों और दक्षताओं के साथ जोड़ा जा सकता है ।

- पढ़ने और लिखने की क्षमता ।
- विभिन्न घटनाओं को समझने की क्षमता ।
- शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता

डिजिटल साक्षरता : परिभाषाएं

साक्षरता को समझने के अनंतर डिजिटल साक्षरता को समझने की आवश्यकता है,

राष्ट्रीय डीजिटल साक्षरता मिशन ने डिजिटल साक्षरता को इस प्रकार परिभाषित किया है : ''डिजिटल साक्षरता, जीवन स्थितियों के भीतर सार्थक कार्यों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समझने, उपयोग करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों की क्षमता है ।'' यह परिभाषा डिजिटल साक्षरता को स्पष्ट करने के साथ-साथ उसके क्षेत्र को भी स्पष्ट करती है, आज के डिजिटल वातावरण में जीवन की दैनंदिन आवश्यकताओं को पूरा करने में डिजिटल साक्षरता की अहम् भूमिका है ।

विकिपीडिया के अनुसार - ''डिजिटल साक्षरता डिजिटल युक्तियों से बृहद श्रृंखला, जैसे स्मार्टफोन, टेबलेटस, लैपटॉप और डेस्कटॉप पर्सनल कम्पूटर, जो कि सभी गणन युक्तियों की बजाय नेटवर्क में प्रयुक्त ज्ञान, कौशल और व्यवहार है'', यह परिभाषा डिजिटल युक्तियों की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करती है । उपर्युक्त दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि डिजिटल साक्षरता, डिजिटल वातावरण का लाभ लेने के लिए व्यक्ति में वांछित गुण, कौशल और व्यवहार है ।

डिजिटल - साक्षरता : क्यों ?

प्रश्न यह उठता है कि डिजिटल साक्षरता की महिलाओं को क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उत्तर निम्नालिखित तथ्यों में खोजा जा सकता है ।

समावेशी विकास के लिए

जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो इसमें आशय विकास की भागीरथी में सबकी सहभागिता से है, विकास तभी समावेशी कहलाएगा जब उसमें सभी के हित सुरक्षित होंगे, महिलाओं की सहभागिता अधिकाधिक हो इसके लिए जरुरी है कि उन्हें डिजिटल साक्षर किया जाये । भविष्य डिजिटल साक्षरता का ही है, भविष्य में डिजिटल साक्षर व्यक्ति ही संसाधनों का दोहन करने में सक्षम होगा ।

सूचना की समान और सार्वभौमिक पहुँच के लिए

इस सूचना के युग में सूचना एक शक्ति है और वह अन्य संसाधनों की प्राप्ति का एक स्त्रोत भी है । सूचना की समान और सार्वभौमिक पहुँच का सबसे सरल रास्ता डिजिटल साक्षरता से होकर गुजरता है । आज प्रिंट माध्यम की बजाय इलेक्ट्रानिक माध्यम ज्यादा प्रभावकारी और सरलता से उपलब्धता के कारण लोकप्रिय है । लोक में नई वस्तु, प्रक्रिया और ज्ञान का विस्तार या प्रसरण मूल्य और सुगमता से जुड़ा मुद्दा है । डिजिटल

साक्षर व्यक्ति ही भविष्य में सूचना तक आसानी से पहुँचने में अधिक सक्षम होंगे ।

आजीवन सीखने के लिए

आज ''पढ़ो और बढ़ो'' का युग है, सीखना जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है । जिसमें व्यक्ति निरंतर अपने आस-पास की जटिलताओं को समझने के लिए सीखता रहता है । आज डिजिटल वातावरण में सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है, डिजिटल प्रौद्योगिकी में हर - रोज कोई न कोई विशेषता जुड़ती रहती है । अतः डिजिटल साक्षर व्यक्ति ही उन सभी विशेषताओं का लाभ लेने में सक्षम होगा ।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए

सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के आदान प्रदान को भी प्रभावित किया है, डिजिटल साक्षर व्यक्ति शिक्षा के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारियों की साझेदारी कर सकता है, डिजिटल साक्षरता शिक्षा की गुणवत्ता को बढाती है । आज ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल साक्षर होना उसकी पूर्वापेक्षा है । भारत सरकार MOOCs प्लेटफार्म पर शिक्षा ला रही है, इसके साथ-साथ इंटरनेट पर डिजिटल संसाधनों और सेवाओं की भरमार है, इन सभी बेहतर उपयोग के लिए महिलाओं का डिजिटल साक्षर होना आवश्यक है ।

महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए

भारतीय संस्कृति में गरीबी को महापातक की संज्ञा से जोड़ा गया है, आशय यह है कि प्रत्येक मानव को अपनी सामाजिक और आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान देना ही चाहिए । साथ ही **पंचतंत्र** उद्धारित वाक्य **''हेतु प्रमाण युक्तं वाक्यं न श्रूयते दरिद्रस्य'** अर्थात गरीब व्यक्ति की लाभकारी बातें भी कभी-कभार ही सुनी जाती है, इसीलिए गरीबी से मुक्ति मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है । भर्तृहरि का यह श्लोक आज भी सम-सामयिक है : **''यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतिमान गुणज्ञः । स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कान्चन्माश्रयन्ति''** जिसके पास वित्त (धन) है, वही कुलीन, विद्वान, सुनने योग्य, गुणी, वक्ता और दर्शनीय है, अर्थात सारे गुण धनाश्रित है । यह श्लोक धन के वैशिष्ट्य के साथ-साथ समाज में उसकी उपादेयता और अनुकुलताओं का सम्यक वर्णन करा है । ये बातें धन की सर्वकालिक और सार्वदेशिक उपयुक्तता को सिद्ध करता है । डिजिटल साक्षरता सामाजिक - आर्थिक विकास का वाहक है, डिजिटल साक्षर महिला के सामने अवसर ज्यादा होंगे । आज डिजिटल साक्षर व्यक्ति

संसाधनों का उपयोग और दोहन ज्यादा कर सकता है, डिजिटल साक्षर व्यक्ति जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य करेगा हमेशा ही उसके पास अवसर और विकल्प अधिक होंगे, ये अवसर और विकल्प अंततः आर्थिक समृद्धि का कारण होंगे । आज भारत सरकार भी डिजिटल साक्षरता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है । एक कहावत है कि एक पुरूष को साक्षर करने से एक ही साक्षर होता है, जब की एक महिला को साक्षर करने से पूरा परिवार और पीढी साक्षर हो जाती है, अतः महिलाओं को साक्षर करने से भारत के विकास को ज्यादा गति मिलेगी ।

डिजिटल साक्षरता : भारतीय परिदृश्य

इस समय डिजिटल साक्षरता का महत्व और अधिक बढ़ गया है, डिजिटल सूचना की सहज उपलब्धता ने इस विषय पर गंभीरता को और अधिक बढ़ा दिया है, आज डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता को भारत सरकार ने भी समझा है, और इसलिए ही वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 2016-17 की घोषणा करते हुए कहा कि - ''ग्रामीण भारत में अगले तीन साल में लगभग 6 करोड़ अतिरिक्त घरों को कवर करने के लिए अब हम डिजिटल साक्षरता मिशन योजना को शुरु करने की योजना है ''

इसी तरह सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर कई मिशन और एजेंसिया महिलाओं की डिजिटल साक्षरता की दिशा में नीति-निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन का कार्य कर रहे हैं । अभी ''डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) या राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) योजना आंगनवाडी और आशा कार्यकर्ताओं और देश भर में सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकृत राशन डीलरों सहित 52.5 लाख लोगों के लिए आईटी का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया है, इसमें गैर आईटी साक्षर नागरिकों को, सक्रिय रूप से और प्रभावी ढंग से लोकतांत्रिक और विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए और अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए आईटी साक्षर बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ।

आज भारत में दो तरह के लोग हैं, एक डिजिटल साक्षर और डिजिटल निरक्षर । जो महिलाएं डिजिटल साक्षर हैं वे सारी योजनाओं का लाभ लेकर गुणवत्तापूर्ण जीवन जी रही हैं और जो महिलाएं डिजिटल निरक्षर हैं वे योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही हैं, इसलिए आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ रही है, इस खाई को पाटने में डिजिटल साक्षरता का अहम् योगदान हो सकता है । वर्तमान परिवेश में, डिजिटल साक्षरता अधिक महत्वपूर्ण हो रही है । डिजिटल साक्षर महिलाएं ही आईसीटी संचालित उपकरणों का उपयोग और लाभ उठा रही हैं ।

निष्कर्ष :

इस आलेख में महिला सशक्तिकरण में डिजिटल साक्षरता के योगदान का औचित्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है । साक्षरता और डिजिटल साक्षरता को परिभाषित करने के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता क्यों आवश्यक है, इसे समझाया गया है । भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि महिला सशक्तिकरण को गति मिल सकें । भारत में यदि समाजार्थिक विकास को और गति देनी है तो महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना होगा । इसमें डिजिटल साक्षरता की अहम् भूमिका है, डिजिटल साक्षर महिला ही इलेक्ट्रानिक संसाधनों का दोहन कर सकती है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- हैरोड्स लाईब्रेरियन ग्लोसरी एंड रेफेरेन्स बुक, रे प्रिथेरक (कॉम्प.) अशगेट, हैम्पशायर, 2005.
- http://ndlm.in/overview-of-ndlm.html<accessed on 31-03-2016)
- http://ndlm.in/overview-of-ndlm.html<accessed on 31-03-2016)
- http://www.abc.clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_literacy<accessedon 09.05.2016
- दि यूनेस्को प्रोग्राम लैम्प (लिटेररी ऐसेसमेट मॉनिटरिंग प्रोग्राम http://www.unesco.org/education/efa/global_co/working_group/WGEFA4_UIS.ppt#268,15, Proposed definition.

11. भारत में महिला सशक्तिकरण : अवधारणा व मुद्दे

डॉ. रमेश प्रसाद द्विवेदी *

1. प्रस्तावना :

महिला सशक्तिकरण की स्थिति पर विवेचन से पूर्व हमारे मस्तिष्क में विविध प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं जैसे - भारत में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन की क्या आवश्यकता है ? भारतीय महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्त धारणाएँ क्या है ? क्या धारणाएँ भ्रान्त है या इनकी अपनी सत्यता भी है ? यदि भारतीय समाज में प्रचलित धारणाएँ गलत है, तो समाज में उनकी वास्तविक स्थिति क्या है ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें भारतीय इतिहास का अध्ययन करना होगा, इसी के माध्यम से भारतवर्ष में महिलाओं की स्थिति का इस मूल्यांकन किया जा सकेगा । आजादी के 69 वर्षों में महिलाओं में साक्षरता की दर में भले ही वृद्धि हो गई हो, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन भी प्राप्त हो गया हो किन्तु समाज आज भी उन्हें दोयम दर्जे की नजर से देखता है । क्या कोई समाज जहाँ पुरूष और महिला में भेदभाव किया जाता है, प्रगति कर सकता है ? कदापि नही । भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि देश में जाति धर्म, लिंग, संप्रदाय, आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किन्तु क्या ऐसा किया जा रहा है ? यही एक सच्ची हकीकत है, इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है । अतः प्रस्तुत शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, सीडॉ, सरकार की रणनीति, ग्लोबल जेण्डर गैप, संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, पंचवार्षिक योजनाएं व उसके मुद्दे के संदर्भ में विवेचन किया गया है ।

2. महिला सशक्तिकरण की अवधारणात्मक तर्कसंगतता :

भगवान ने जब से खूबसूरत दुनिया बनाई तब महिला एवं पुरूष दोनों को समान शक्ति, सम्मान, प्रतिभा एवं समान अधिकार प्रदान कर इस दुनिया में भेजा । इन दोनों में कहीं विभेद नहीं किया । यदि किया है तो सिर्फ और सिर्फ संन्तानोत्पत्ति को ध्यान में रखकर विभेद किया है और यही विभेद महिला को पुरूष से कहीं ज्यादा महान बना देता है, क्योंकि यह विभेद महिला को मां का दर्जा देता है और माँ भगवान के तुल्य होती है । मां के चरणों में तो खुद भगवान भी नतमस्तक होकर अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं ।

महिलाएं किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है । चाहे किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, आज महिलाएं प्रत्येक शासन व्यवस्था में देश की अभिन्न अंग है ।

---

* **परियोजना निदेशक, श्रीनिवास बहुउद्देशीय संस्था फूलमती ले आउट (जयवंतनगर) एन आय टी गार्डन के पास, नागपुर -** 440027 **महाराष्ट्र, इमेल :** dr.rdwivedi@rediffmail.com

लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो इसकी अनिवार्यता कुछ और बढ़ जाती है । यदि महिला सशक्तिकरण के बारे में मनन करें तो किसी भी समाज के विकास को उस समाज की महिलाओं को समाज की कसौटी पर कसा जा सकता है, जो महिला सशक्तिकरण के महत्व को बताती है ।

दुनिया के निर्माण के बाद भगवान ने विचार किया कि इस दुनिया को और अधिक सुन्दर बनाना होगा और उसने मानव की रचना की । मानव के दो रूप दिये । एक महिला एवं एक पुरूष । ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, किन्तु नारी के बिना दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है । भगवान ने नारी की शारीरिक रचना ही इस प्रकार की है कि संसार में भविष्य की वह स्वयं निर्मात्री हो गई है । इस धरती पर अनेक युग पुरूष पैदा हुए जो नारी के किसी न किसी रूप से प्रभावित होकर महान बने हैं । अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि युग चाहे जो भी रहा हो, संसार की तरक्की नारी के विकास एवं सशक्तिकरण पर ही आधारित है । महिलाओं का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है । यह राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्र-निर्माण की मुख्यधारा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है । एक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान एवं पद दिया जाये एवं उन्हें पुरूषों के साथ विकास में बराबरी की सहभागी बनाया जाए ।

3. महिला सशक्तिकरण का अर्थ :

अत्यन्त सरल शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है - महिलाओं को शक्तिशाली बनाना । इसका तात्पर्य यह है कि महिलाएँ समाज में शक्तिहीन है इसलिए उन्हें शक्तिशाली बनाना । भारतीय संदर्भ में महिलाओं को पुरूषों की बराबरी पर लाना । महिला सशक्तिकरण से आशय उन सामान्य अर्थों से लगाया जाता है जो अपनी क्षमताओं और शक्तियों का पूर्णरूप से उपयोग कर सके जिससे वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ सकती है । महिला समुदाय को एक अर्थ में व्याख्यायित करना आसान नहीं है क्योंकि यह समुदाय अपने आप में कई समुदायों को समाहित किए हुए हैं । महिला सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग सरकारी तन्त्र में हाल में ही शुरु हुआ है । इस प्रकार सरकारी तंत्र की सोच पहले महिला विकास फिर महिला सहभागिता इसके बाद महिला सशक्तिकरण का समय आया । **महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ तभी संभव हो पायेगा, जब वह सम्मान खोये बगैर जिस लक्ष्य को पाना चाहती हो, उसका प्रयास कर सकती है और अपने गंतव्य तक पहुँच सकती है ।** उसे संचार का हक हो, सुरक्षा मिले, आर्थिक निर्भरता समाप्त करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, इसकी इच्छा-अनिच्छा का ध्यान रखा जाए, समाज व

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हो, उसे अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर मिले, धन सम्पत्ति में हक मिले, देश की प्रगति तथा देश का गौरव बढ़ाने में सहयोग का पूरा अवसर हो ।

4. वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण :

संसार भर की महिलाओं की स्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था । इसका कारण यह है कि मानव समाज में महिलाओं की समस्या एक अहम् सवाल है । मैक्सिको में महिला वर्ष का आरम्भ करते हुए राष्ट्र संघ के महासचिव डॉ. कुर्त वाल्दहाइम ने कहा था, 'महिलाओं के प्रति भेदभाव की नीति उतनी ही गम्भीर है, जितनी की अनाज की कमी और बढ़ती हुई जनसंख्या की है । इसी तारतम्य में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि - ''यदि हम सुन्दर भविष्य प्राप्त कर सके तो यह न केवल महिलाओं के लिए बल्कि विश्व की सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए होगा ।'' अतः हमें इस आंदोलन में और अपने कामों में इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर विश्व के लिए काम करना है । समानता का संचार, विकास में महिलाओं की साझेदारी एवं विश्व-शान्ति में महिलाओं का योगदान आदि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला वर्ष की घोषणा का उद्देश्य था ।

प्रथम विश्व महिला सम्मेलन, मैक्सिको, 1975 : इस सम्मेलन में वर्ष 1975 से 1984 को महिला दशक के रूप में घोषित किया गया तथा पंचवर्षीय योजनायें बनायी गयी जिनमें स्त्री शिक्षा लिंग भेदभाव मिटाना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी, समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार देने पर अधिक बल दिया ।

द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन, कोपेनहेगन, 1980 : इस सम्मेलन में राजनीति व निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की कानूनी भागीदारी, महिलाओं के लिए कार्यालय कक्ष बनाना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन में सहयोग स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सभी को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा और प्रशिक्षण में सभी को समानता का दर्जा देना एवं रोजगार के संदर्भ में समानता को बढ़ावा आदि पर बल दिया ।

तीसरा विश्व महिला सम्मेलन, नैरोबी, 1985 : इस सम्मेलन के माध्यम महिला दशक में निश्चित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने में आंशिक सफलता प्राप्त हुई और महिला

विकास के लिए प्रगतिशील रणनीति तैयार की गई तथा प्रत्येक देश को अपने विकासात्मक नीतियों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएँ तय करने का अधिकार दिया गया ।

चौथा विश्व महिला सम्मेलन, बीजिंग, 1995 : महिलाओं को सामर्थ बनाने के लिए योजनाएं बनाना, प्रतिनिधि मंडलों की प्रगतिशील उपलब्धियों का पुनरावलोकन करना, ऐसी कार्ययोजनाओं की रूपरेखा बनाना, जिससे प्रगतिशील नीतियों का क्रियान्वयन हो सके, 21 वीं सदी की वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक आदि विकास संबंधी आवश्यकताओं का सामना करने के लिए साधन उपलब्ध कराना, ऐसी सामाजिक स्थिति का निर्माण करना, जिसमें महिलाओं की प्रगति को प्रोत्साहन मिले आदि पर जोर दिया गया ।

5. सीडॉ क्या है ?

सीडों संधि महिला सशक्तिकरण और जेण्डर समानता की सूत्रधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में अपनी साख बना चुकी है । संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अभिसमय समिति ने अपने सामान्य संतुस्ति संख्या XII 1989 में शिफारिश की है कि राज्य पक्षकारों को महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले किसी भी प्रकार के विशेषतः परिवार के भीतर उद्‌भुत होने वाली उत्पीड़न से संरक्षण देना चाहिए । उत्पीड़न की संवृत्ति (Phenomenon) व्यापकतः विद्यमान है, लेकिन जनाचार में अदृश्य है । इस संवृत्ति को इसके समग्रता में निर्देशित नहीं करता । सीडॉ संधि जेण्डर समानता की सूत्रधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में अपनी साख बना चुकी है । इस संधि की प्रस्तावना में स्वीकार किया गया है कि **''आज दुनिया में महिलाओं के विरुद्ध व्यापक भेदभाव जारी है ।''** महिलाओं की भावना और गरिमा के साथ आजीविका अर्जित करने के अधिकार पर कुठाराघात होता है और यह उनके मूलभूत अधिकारों तथा उनके मूल मानवीय अधिकारों के प्रतिकूल है । 1979 में पेइचिंग में स्वीकृत महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेद के उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (सेडा) ने भी, जिसका भारत ने समर्थन किया है, महिलाओं के समता के अधिकार को मान्यता दी है और इसमें कहा गया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसे भेदभाव से राष्ट्र का माहौल दूषित होता है । इस प्रकार का सामाजिक, लिंग आधारित भेदभाव, समानता एवं मानवीय गरिमा के मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है । महिला समानता के सिद्धांत की पुरजोर पैरवी करते हुए यह संधि सदस्य राष्ट्रों का आह्वान करती है कि वे अपने देश की नीतियों, कानूनों और हर संभव उपायों के माध्यम से ऐसे सतत प्रयास करें, जिससे महिलाओं का समग्र विकास एवं उत्थान

सुनिश्चित किया जा सके और महिलाएं भी अपने मानवाधिकारों व स्वतंत्रताओं को अमल में लाकर पुरूषों के समक्ष ही उनका आनंद उठा सके ।

6. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की रणनीति :

1. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण को पूरा करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय नीति तैयार कर ली गई है ।
2. ऐसी महिलाओं और संस्थानों, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य किया है, के योगदान और उपलब्धियों को सम्मान तथा पहचान दिलाने के लिए शक्ति पुरस्कारों की स्थापना की गई है ।
3. महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए जिला स्तरीय समितियों के संचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और मुसीबत में पड़ी महिलाओं के लिए हैल्प लाइन जारी की गई है ।
4. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है ।
5. महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट आन लाइन करने के लिए महिलाओं के सूचनार्थ एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला संसाधन बोर्ड की स्थापना की गई है ।
6. महिलाओं के लिए आवंटित धन राशि के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा खर्च की गई राशि का लिंग बजट विश्लेषण किया गया है ।

7. ग्लोबर जेंडर गैप रिपोर्ट - 2010

सर्वविदित है कि भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किए जाने की गारन्टी दी है, किन्तु फिर भी आजादी के 69 साल बाद भी आज उनकी स्थिति में आशानुकूल परिवर्तन नहीं आया है । इस रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है । महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित चार आधारों को सम्मिलित किया गया है - शिक्षा (Education) स्वास्थ्य (Health) आर्थिक भागीदारी (Economic Participation) राजनैतिक ताकत (Political Power) इस अध्ययन में 134 देशों को सम्मिलित किया गया था । इस रिपोर्ट में भारत को 113 वें स्थान पर रखा

गया है । भारत में राजनैतिक ताकत को छोड़कर अन्य तीन आधारों पर भारत की स्थिति अत्यंत ही खराब है । भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पदों पर महिलाओं के चुने जाने, संसद स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने तथा सभी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कारण राजनैतिक ताकत के आधार पर भारत की महिलाएँ विश्व की अन्य महिलाओं की तुलना में 23 वें पायदान पर है, किन्तु स्वास्थ्य (132 वें स्थान), आर्थिक भागीदारी (128 वें स्थान) और शिक्षा (120 वें स्थान) के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की स्थिति समाधानकारक नहीं है । इसका तात्पर्य यह नही है कि भारत में जेंडर में परिवर्तन नहीं हो रहा है । इस प्रतिवेदन में आइसलैण्ड, नार्वे और फिनलैंड क्रमशः पहले स्थान पर है । इसके विपरीत पाकिस्तान, चाड और यमन अंतिम स्थान पर है । फिलिपींस और अफ्रिका के छोटे से देश लिसोथो को इस रिपोर्ट में क्रमशः नौवा और छठा स्थान मिला । इन देशों की सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है । अमेरिका, पिछली रिपोर्ट में 31 वें स्थान पर था, जो इस रिपोर्ट में 19 वें स्थान पर आ गया है । इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस पिछली रिपोर्ट में 25 वें स्थान पर था, जो इस रिपोर्ट में 46 वें स्थान पर पहुंच गया है । इस रिपोर्ट के आधार पर जापान और चीन को क्रमशः 94 वां और 61 वां स्थान मिला है ।

8. महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था :

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है । किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, इसी रूप में आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने क्रान्ति और अहिंसा दोनों रास्तों पर पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया । आजाद हिन्द सेना की कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कस्तूरबा गांधी, कादम्बिनी गांगुली, कमला नेहरु, सावित्री बाई फुले आदि का नाम उसी सम्मान के साथ लिया जाता है जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का । इसी समय में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सुब्रह्मण्यम भारती, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भी महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया । इन सभी से प्रयासों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने भेदभाव रहित लोकतंत्र की रचना की जिसने समानता के ध्येय को सर्वोपरि रखा गया और महिलाओं के आगे बढ़ने तथा उन्हें हर क्षेत्र में मौका देने के लिए विशेष प्रावधान किये गए । महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु स्वतंत्र भारत के संविधान में भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है -

1. संविधान की प्रस्तावना :

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही इसका उल्लेख किया गया है, देश में जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा । इस प्रकार संविधान देश की सभी महिलाओं को यह अधिकार देता है, लिंगजनित भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

2. नागरिकता का अधिकार (अनुच्छेद - 5-11)

नागरिकता अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उन समस्त व्यक्तियों को (महिला-पुरुष दोनों) को जन्म से अनुच्छेद 3 अथवा पंजीकरण कराकर अनुच्छेद 5 अथवा वंश अनुच्छेद 4 द्वारा भारतीय नागरिकता उपलब्ध करायी जाती है । पुरूष एवं महिलाएं दोनों को ही अपनी नागरिकता बदलने का अधिकार है ।

3. मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-15)

भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को अधिकारों की गारन्टी दी गई है, जिसमें लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा । इस प्रकार महिला सशक्तिकरण में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पुरुषों के साथ ही महिलाओं को भी दिए गए हैं ।

- अनुच्छेद - 14 भारत के सीमा क्षेत्र में व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों से समान संरक्षण से, राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा ।
- अनुच्छेद - 15 (1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।
- अनुच्छेद - 15 (3) इस अनुच्छेद में किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपलब्धि बनाने में बाधा नहीं होगी ।
- अनुच्छेद - 16 (2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्‌भव जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के लिए विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा ।
- अनुच्छेद - 19 (1) समान रूप से प्रत्येक नागरिक को शोषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारी की गारन्टी देता है, अर्थात् सभी नागरिक अपने विचारों, विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को निर्बाध रूप से तथा बिना किसी रोक टोक के मौखिक शब्दों द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्रण के द्वारा अथवा किसी अन्य ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है ।

- अनुच्छेद - 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं किसी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा ।

- अनुच्छेद - 23 तथा 24 मानव के अवैध व्यापार, बेगार और अन्य बलात् श्रम, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन आदि के द्वारा शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है ।

4. राज्य की नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51)

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना की गई है । इन नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य सरकारें अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगी । इन नीतियों के निर्धारण में अन्य वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएगी, इन योजनाओं में किसी भी प्रकार का लिंगजनित भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

- अनुच्छेद - 39 समान रूप से नर और सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों और महिलाओं का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो ।

- अनुच्छेद - 42 तथा 43-3 राज्य कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी, काम की मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा ।

- अनुच्छेद - 51 (3) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो ।

5. स्थानीय निकायों (73 वां एवं 74 वां संविधान संशोधन) महिलाएं :

- अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 (घ) (3) : प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी और ये सीटें नगर निगम के क्षेत्रों को बारी-बारी से आबंटित की जाएगी ।

- अनुच्छेद 243 (घ) (4) इस स्तर पर पंचायतों के सभापति के कुल पदों में से कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे ।

- अनुच्छेद 243 (न) (3) प्रत्येक नगर निगम के चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी और ये सीटें नगर निगम के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आबंटित की जाएगी।

- अनुच्छेद 243(न) (4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए नगर निगमों में सभापतियों के पदों का आरक्षण कानून के जरिए उसी प्रकार उपलब्ध कराया जाएगा जैसा राज्य का विधान मण्डल कानून द्वारा उपबंधित करे ।

- 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान की धारा 243 डी में संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

- अनुच्छेद 325 व 326 : निर्वाचक नामावली में महिला पुरुष दोनों को समान रूप से मत देने एवं चुने जाने का अधिकार देता है । भारत में महिला मानवाधिकारों को मूल अधिकारों से जोड़ा गया है और इस संदर्भ में विस्तार से विवेचन किया गया है ।

6. न्यायालयीन निर्देश :- भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसलों में महिला सशक्तिकरण से सम्बधित जो निर्णय दिए है, उनका विवरण इस प्रकार है -

- 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के संबंध में एक रिट याचिका का निराकरण किया था । इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हैं, जिसमें किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने की गारन्टी दी गई थी । इस आदेश में यह भी कहा गया था कि काम का अधिकार कार्य करने के लिए सुरक्षित माहौल और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार निर्भर करता है ।

- 1995 में उच्चतम न्यायालय ने संरक्षक कानूनों के अन्तर्गत पिता को विशेष रूप से संरक्षक का अधिकार सौंपने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में मां को स्वाभाविक और बिना शर्त संरक्षण के अधिकार को मान्यता दी है ।

- उच्चतम न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में संशोधन किया है । इस संशोधन के द्वारा पिता की पैतृक सम्पत्ति पर पुत्रों के बराबर ही पुत्रियों को अधिकार दिया गया है ।

7. **उच्च निकायों या विधान सभा एवं लोकसभाओं में महिला आरक्षण के लिए प्रयास :** महिला आरक्षण विधेयक, जो विगत कई वर्षों से लंबित है, राजनीतिक दावपेंच के कारण अमली जामा नहीं पहन सका है किन्तु इसका उद्देश्य भी महिलाओं को राजनीति में सहभागिता को बढ़ाना है । इस बिल के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है ।

8. महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजनैतिक दलों द्वारा भी प्रयास किये जा रहे है, इसी प्रयास का परिणाम है कि राजनैतिक दल अपने संविधान में इस आशय के प्रावधान ला रहे है कि महिलाओं को पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जाये ।

9. सरकारी तथा असंगठित क्षेत्रों की नौकरियों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है ।

10. शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं और यही कारण है कि आज लडकियाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रही है ।

9. महिला सशक्तिकरण हेतु कानूनी व्यवस्था :

भारतीय संविधान एवं विभिन्न दंड संहिताओं में भी कई ऐसे नियम, विनियम एवं अधिनियमआदि बनाए गए है, जिसकी सहायता से महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सकती है । इसके अलावा अंग्रेजों के शासनकाल में भी कुछ महिलाओं से संबंधित अधिनियम बनाये गए जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिले हैं । जैसे - सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, सिविल मैरिज अधिनियम, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम आदि । महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैं :-

क. मानवीय अधिकार :-

महिला-पुरुष के समान अधिकारों को निर्धारित करने वाला प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ की नियमावली है । इस नियमावली में कहा गया है कि समस्त

मानव जाति को जन्म से समान प्रतिष्ठा एवं अधिकार प्राप्त है । सभी महिला-पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के समान स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त होने चाहिए । संघ के सदस्य देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सभी महिला-पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों से आश्वस्त करें । स्त्रियों के प्रति भेदभाव को समान अधिकार और मानव प्रतिष्ठा का उल्लंघन माना है ।

ख. सामाजिक अधिकार :

समाज में महिलाओं की स्थिति व दर्जा को सशक्त बनाने के लिए उन्हें कई वैवाहिक, प्रसूति, गर्भपात, दहेज, भ्रूणहत्या, घरेलू हिंसा, अशिष्ट विज्ञापन एवं यौन अपराध सबंधी अधिकार कानून द्वारा प्रदान किये गये हैं ।

1. **विवाह का अधिकार :** महिला को बिना किसी जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के भेदभाव के विवाह करने व परिवार संगठन का अधिकार दिया गया है ।

2. **तलाक का अधिकार :** स्त्री-पुरुष का वैवाहिक जीवन जब कष्टप्रद हो जाये तो प्रत्येक महिला को तलाक लेकर वैवाहिक बंधनों को तोड़ने का अधिकार दिया गया है । अल्पवयस्कता में किसी महिला को यदि विवाह के लिए मजबूर किया जाता है तो वह उसे अस्वीकार कर सकती है ।

3. **मातृत्व का अधिकार :** किसी भी विवाहित या अविवाहित महिला को शिशु को जन्म देने के लिए एवं गर्भपात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । कोई भी स्त्री पति की स्वीकृति के बिना वाजिब कारणों से गर्भपात करा सकती है ।

4. **दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 :** 1961 में तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दहेज को एक समस्या एवं मानव मात्र पर एक कलंक एवं कुप्रथा मानते हुए इस कानून को पारित करवाया था । इसके माध्यम से दहेज जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई । दहेज प्रथा रोकने के लिए दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 में लागू किया गया, जिसमें दहेज लेना व देना आईपीसी की धारा 304 ख, 498 क एवं ब, के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।

5. **घरेलू हिंसा संबंधी अधिनियम 2005 :** घरेलू हिंसा - महिला संरक्षण कानून परिवार में किसी भी रूप में साथ रह रही महिलाओं को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है ।

6. **बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 :** 21 वीं शताब्दी में भी भारत के कुछ ग्रामीण एवं कुछ शहरी इलाकों में छोटे-छोटे बच्चों को मंडप में बिठाकर उनकी

शादियाँ रचाई जा रही है, इस अधिनियम में शादी की आयु का निर्धारण एवं नियम का उल्लंघन करने पर सजा, जुर्माना आदि का प्रावधान किया गया है तथा बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह अवरोधक अधिनियम (शारदा एक्ट) 1978 का प्रावधान किया गया है ।

7. **दापंत्य एवं परिवार संबंधी विवाद :** ऐसे विवादों को निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 लागू किया गया है ।

8. **बच्चे का अधिकार :** महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि विवाह विच्छेद के मामलों में वह 5 वर्ष तक के बच्चों को अपने पास रख सकती है ।

9. **हिन्दु विवाह अधिनियम 1956 :** इस अधिनियम की धारा 25 एवं आईपीसी 125 के अनुसार प्रत्येक स्त्री न्यायालय से भरण पोषण की मांग कर सकती है । अधिनियम में पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन जैसे शादी, ब्याह, तलाक एवं सजा आदि के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है ।

10. **विशेष विवाह अधिनियम, 1954 :** इस अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि स्वस्थ व बालिग स्त्रियां अपनी इच्छा से प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह कर सकती है बशर्ते कि जिससे वह विवाह कर रही है वह बालिग, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो तथा उसकी पूर्व पत्नी जीवित हो । इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को वैवाहिक स्वतंत्रता के साथ-साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है । इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी महिला अपना धर्म परिवर्तन किये बगैर किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती है ।

11. **मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 :** इस अधिनियम से पूर्व मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अति दयनीय थी लेकिन इस अधिनियम के बनने के बाद पत्नी को तलाक देने के कुछ अधिकार प्रदान कराये गये ।

12. **प्रसव पूर्व तकनीक निवारण अधिनियम :** इस अधिनियम की धारा 312 से 218 का उल्लंघन करने पर चिकित्सक को 5 वर्ष की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है ।

13. **गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम, 1971 :** प्रारंभ में हमारे देश में गर्भपात करना एवं करवाना दोनों ही भारतीय दंड संहिता-1860 के अनुच्छेद 312-318 के अनुसार अपराध थे । इस अधिनियम में स्त्रियों को अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की अनुमति दी गई है क्योंकि यह अधिनियम महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया गया है ।

14. **स्त्री अशिष्ट प्रतिबंध अधिनियम, 1987 :** आईपीसी की धारा 292 से 294 में स्त्रियों के विरुद्ध अश्लीलता संबंधी अपराधों से संबंधित प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार विज्ञापनों, प्रकाशनों, रेखाचित्रों आदि के माध्यम से स्त्रियों के अशिष्ट रुपण प्रतिरोध अधिनियम, 1987 का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अपराधी को विना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है । इस अधिनियम के माध्यम से स्त्री के शरीर के अश्लील चित्रण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है । इसमें कहा गया है कि किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता है जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुंचे या उसका मान घटे । इससे संबंधित छेड़खानी निरोधक कानून, 1978, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952 इंसिडेंट रिप्रेजेन्टेशन ऑफ वूमेन प्रोहिबिशन एक्ट, 1986 आदि है ।

15. **चल चित्र अधिनियम, 1952 :** फिल्मों का समाज में गहरा असर पड़ता है इसलिए सेन्सर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी फिल्मों पर रोक लगाएगा जिससे महिलाओं को अश्लील रूप में दिखाई दिया गया हो तथा महिलाओं की मर्यादा भंग हो ।

16. **हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम, 1956 :** पति-पत्नी के बीच विवाह विच्छेद की स्थिति में अथवा अन्य परिस्थिति के कारण अगर पति-पत्नी अलग रहते हैं जो नुकसान उन्हें भी भुगतना पड़ता है, इससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति उन बच्चों की होती है जिनके माता-पिता अलग रहते हो, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा इस बात का रहता है कि अवयस्क बच्चे किसके पास रहें ।

ग. आर्थिक अधिकार :

1. **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम** 1956 **:** यह अधिनियम निर्देशित करता है कि आज एक लडकी को भी अपने माता-पिता की सम्पत्ति में लड़के की भांति अधिकार प्राप्त है । जहां तक पिता की सम्पत्ति का सवाल है लड़का एवं लड़की दोनों ही बराबर के उत्तराधिकारी है । लेकिन जहां तक पैत्रिक सम्पत्ति रूप से प्राप्त सम्पत्ति पर सवाल है आज भी महिला की स्थिति पुरूष जैसी नहीं है ।

2. **भारतीय दंड संहिता, 1860 :** इसमें महिलाओं पर होनेवाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध सजा देने की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है ।

3. **मुसलमान उत्तराधिकार संबंधी विधि :** इनमें कुरान शरीफ की आयातों के अनुसार सदा से चला आ रहा है एवं महिलाओं के संदर्भ में कानून थोड़ा कठोर है हालाँकि इस कानून में स्वयं अर्जित एवं पैत्रिक सम्पत्ति का कोई भेदभाव नहीं है ।

4. **मुआवजे का अधिकार :** मुस्लिम स्त्रियों के अतिरिक्त सभी स्त्रियों को तलाक के बाद मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार रखा गया है ।

5. स्त्रियों को किसी भी व्यवसाय को अपनाने एवं जीविकोपार्जन का अधिकार दिया गया है ।

6. स्त्रियों को बेरोजगारी की स्थिति में सुरक्षा की मांग का अधिकार दिया गया है ।

7. स्त्रियाँ अपने काम के अनुरूप वेतन की मांग कर सकती है तथा वे एक समान कार्य के लिए पुरुषों के बराबर वेतन की मांग कर सकती है ।

8. स्त्रियों को रात्रि में कार्य पर नहीं बुलाया जा सकता है ।

9. परिवार के मुखिया के निधन के बाद यदि मकान किराये का है, तो उसमें रह रहे परिवार के सभी सदस्यों को उसी मकान में रहने का अधिकार है । तलाक के बाद स्त्री अपने पिता के मकान में रह सकती है, चाहे वह किराये का क्यों न हो । विधवा को अपने ससुराल में बने रहने का उतना ही हक है जितना की उसके पति के जीवित रहते था ।

10. **दण्ड प्रक्रिया 1973 :** इस प्रक्रिया में किसी भी महिला की तलाशी या अन्य संबंधित जांच के लिए महिला या महिला पुलिस के माध्यम से करना अनिवार्य होगा ।

11. **कारखाना अधिनियम, 1948, संशोधन -1976 :** इस अधिनियम में कहा गया है कि यदि किसी कारखाने या उद्योग धंधे में महिलाओं की संख्या 30 से अधिक होगी तो प्रबंधन को वहां एक शिशु-गृह की व्यवस्था करनी होगी ताकि काम के घंटों के दौरान महिलाएं अपने बच्चों को शिशु गृह में छोड़ सकें ।

12. **अपराधिक कानून अधिनियम, 1961 :** इस अधिनियम के तहत महिलाओं को ऐसे अधिकार एवं विशेष रियायतें दी गई है कि महिला अपने मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके । महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, एवं भावनात्मक शोषण से बचाने और उनके हितों के लिए और भी कानून है जो इस प्रकार है - समान परिश्रमिक अधिनियम-1976, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, अभद्र निरूपण निषेध अधिनियम - 1986, ठेकेदारी श्रम नियम एवं उन्मूलन अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम - 1990, कुटुंब न्यायालय अधिनियम - 1985 आदि ।

घ. राजनीतिक अधिकार :

1. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1982 :** साक्ष्य का असाधारण अधिनियम यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके द्वारा आक्षेप लगाया गया हो और ऐसी ही स्थिति में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामलों में भी थी ।

2. देश की संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कराने का विधेयक लाया गया है । हालांकि स्थानीय निकायो जैसे - पंचायती राज व्यवस्था व नगरपालिकाओं में यह व्यवस्था दो दशक पूर्व से प्रभावी है ।

3. महिलाओं को पुलिस केवल सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच महिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर महिला कक्ष में ही रखा जा सकता है ।

4. महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है ।

ङ. यौन अपराध संबंधी अधिकार :

1. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (संरक्षण, निषेध व प्रतिकार) कानून 2013 : इस कानून के तहत कार्यस्थल पर चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी क्षेत्र । उसे संरक्षण प्रदान करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कानून बनाया गया ।

2. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, संशोधित 1978 व 1986 : इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के प्रति यौन-शोषण करने को संज्ञेय अपराध माना गया है ।

3. ''सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वूमेन एंड गर्ल एक्ट'' 1950 संशोधित 1978 व द इम्मोरल ट्रैफिक प्रीवेन्शन एक्ट 1986 : अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, से मिलता जुलता है ।

4. महिलाओं की लज्जा भंग करना, हाथ पकड़ना व परिधानों को छेड़ना, आईपीसी की धारा 254 एवं 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है ।

5. यौन अपराध संबंधी कानून - आई.पी.सी. की धारा 375,376 एवं 417 में यौन अपराधी को दण्ड देने का प्रावधान है ।

6. वेश्यावृत्ति संशोधन अधिनियम 1986 के देह व्यापार पर अंकुश लगाया गया है ।

7. अब 15 वर्ष की आयु से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध बनाने को भी बलात्कार माना गया है । अब बलात्कार का प्रयास शारीरिक स्पर्श आदि को भी आईपीसी की धारा 351 के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है ।

च. अन्य अधिकार :

1. **सती निवारक अधिनयम, 1987 व राजस्थान सती निवारक अधिनियम, 1987** : इस अधिनियम द्वारा सती प्रथा एवं उसको महिमामण्डित करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाये गये है । महिलाएं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिक सहायता पाने की अधिकारी है । संतान अपनी माता के नाम से भी जानी जाएगी । महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने हेतु राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है ।

10. **महिला सशक्तिकरण एवं पंचवर्षीय योजनाएं :**

पिछले 69 वर्षों से महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सुनियोजित विकास के लिए पिछले 6 दशकों में योजनागत परिव्यय में उतरोत्तर वृद्धि हुई है । **पहली पंचवर्षीय योजना में जो दृष्टिकोण ''कल्याण उन्मुख'' था उसी दृष्टिकोण को बदलकर आगामी पंचवर्षीय योजनाओं को ''विकास'' और सशक्तिकरण'' कर दिया ।**

1. **पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956)** : इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं का मुद्दा कल्याणोन्मुखी था । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के माध्यम से अनेक कल्याणकारी कार्य आरम्भ किए । महिलाओं के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को सामुदायिक विकास खण्डों के माध्यम से राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों के जरिए कार्यान्वित किया गया ।

2. **दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961)** इस योजना के दौरान आधारभूत स्तरों पर महिला मण्डलों का गठन करने के लिए अनुकूल प्रयास किए गए ताकि कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **तीसरी, चौथी, पांचवी और अन्य अंतरिम योजनाएं : (1961-1974) :** इन योजनाओं के दौरान महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई । मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवा, बच्चों के लिए अनुपूरक पोषाहार तथा गर्भवती महिलाओं के लिए नर्सिंग संबंधी सेवाओं में सुधार के उपाय आरम्भ किए गए ।

4. **छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) :** इस पंचवर्षीय योजना की अवधि को महिलाओं के विकास में मील का पत्थर माना जा सकता है । इस योजना के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के नियोजन पर त्रिपक्षीय बल के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया ।

5. **सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990)** : इस योजना के दौरान भी महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम जारी रखे गए । इन विकास कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण कदम ऐसे ''लाभग्राही-उन्मुख कार्यक्रमों'' की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है जिनके माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ दिया जा सके ।

6. **आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997)** इस योजना के दौरान यह प्रयास किया गया कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास के लाभों से वंचित न रह जाए । इस दौरान विकास के सामान्य कार्यक्रमों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया । रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले लाभों की सतर्कतापूर्ण निगरानी रखी गई । महिलाओं को और समर्थ बनाया गया ताकि वे स्थानीय निकायों में सदस्यता के आरक्षण के साथ साथ विकास की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार और सहभागी के रूप में कार्य कर सकें । आठवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के प्रति अननाए जाने वाले दृष्टिकोण में महिलाओं के विकास के स्थान पर उनके सशक्तिकरण पर अधिक बल देखा गया ।

7. **नौवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)** इस योजना में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा विकास के एजेंट के रूप में महिलाओं तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों जैसे अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण करना, पंचायती राज संस्थानों, सहकारी समितियों और स्व सहायता जैसे जन सहभागिता संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना आदि है ।

8. **दसवीं पंचवर्षीय योजना (2003-2007)** : इस योजना का खाका, सूचना, संसाधनों तथा सेवाओं तक महिलाओं को अपेक्षित पहुँच और लिंग समानता में वृद्धि करने के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था ।

9. **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)** ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जेंडर सशक्तिकरण तथा समानता के उपाय अपनाए जाने का प्रस्ताव है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जेण्डर बजट तथा जेण्डर को मुख्यधारा में लाए जाने की प्रक्रिया को उत्साहपूर्वक लागू करेगा ।

10. **बारहवीं पंचवर्षीय योजना : (2012-2017)** इस योजना का विजन संरचनात्मक एवं संस्थागत बाधाओं को दूर करते हुए महिलाओं की स्थिति और परिस्थितियों में सुधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ जेण्डर को मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है ।

11. महिला सशक्तिकरण के मुद्दे :

1. **महिलाएं और गरीबी :** गरीब महिलाओं की आवश्यकताओं और प्रयासों को पूरा करने वाली सूक्ष्म आर्थिक नीतियों और विकास रणनीतियों की समीक्षा करना, उन्हें अपनाना और बनाए रखना तथा महिलाओं के समान अधिकारों और आर्थिक संसाधनों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संशोधन आदि ।

2. **महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण :** शिक्षा में समान पहुंच सुनिश्चित करना, महिलाओं में निरक्षरता समाप्त करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनवरत शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करना, महिलाओं और बालिकाओं के लिए जीवन पर्यन्त शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना ।

3. **महिलाएं और स्वास्थ्य :** महिलाओं के संपूर्ण जीवन के दौरान उपयुक्त, सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुरक्षा में बढ़ोतरी करना और सूचना और संबंधित सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करना, महिलाओं के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाले निवारक कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना, लिंग-संवेदनशीलता से संबंधित ऐसी पहल करना जो संक्रामक बीमारियों एच.आई.वी / एडस और यौन तथा प्रजनन संबंधी बीमारियों से बचाती है ।

4. **महिलाओं के प्रति हिंसा :** महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने और उसे समाप्त करने के समग्र उपाय करना, महिलाओं के प्रति हिंसा के कारणों और परिणामों तथा निवारक उपायों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना, महिलाओं की खरीद फरोख्त का उन्मूलन करना और वेश्यावृत्ति तथा खरीद फरोक्त की शिकार महिलाओं की सहायता करना ।

5. **महिलाएं और सशस्त्र संघर्ष :** निर्णय लेने के स्तर पर समस्या या विवाद को हल करने में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि करना और सशस्त्र तथा अन्य संघर्षों की स्थितियों में या विदेशी कब्जे में रह रही महिलाओं की रक्षा करना, शरणार्थी महिलाओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण की आवश्यकता वाली अन्य विस्थापित महिलाओं और आंतरिक विस्थापित महिलाओं के परिरक्षण, सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना ।

6. **महिलाएं और अर्थव्यवस्था :** रोजगार तक पहुंच, उपयुक्त कार्यदशाओं और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण सहित महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और स्वतंत्रता

को बढ़ावा देना, संसाधनों, रोजगार, बाजार और व्यापार तक महिलाओं की समान पहुंच की सुविधा प्रदान करना, महिलाओं को और विशेष रूप से निम्न आय वाली महिलाओं को व्यवसाय सेवाएं, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुँच, सूचना और प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाना, महिलाओं की आर्थिक क्षमता और वाणिज्यिक नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, महिलाओं के लिए कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना ।

7. **सशक्त महिलाएं और निर्णय लेना :** शक्ति संरचना और निर्णय लेने में महिलाओं के संपूर्ण सहभागिता और उस तक समान पहुंच को सुनिश्चित करने के उपाय करना, महिलाओं की क्षमताओं को इस कदर बढ़ना कि वे नेतृत्व कर सके और निर्णय लेने में सहभागिता कर सकें ।

8. **महिलाओं की प्रगति के लिए संस्थागत तन्त्र :** राष्ट्रीय तंत्र और अन्य निकायों का सृजन करना या उन्हें सुदृढ़ बनाना, कानून, सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में लिंग संबंधी दृष्टिकोण को शामिल करना, योजना बनाने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए ऐसे आंकड़ों और सूचनाओं का सृजना करना और उनका प्रचार प्रसार करना जिनका संकलन लिंग के अनुसार नहीं किया गया है ।

9. **महिलाएं और मानवाधिकार :** सभी मानवाधिकार प्रलेखों, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने वाले कन्वेंशन के पूरी तरह कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना, कानून और व्यवहारिक तौर पर महिलाओं की समातना और गैर-भेदभाव को सुनिश्चित करना ।

10. **महिलाएं और मीडिया** : संचार की नई प्रौद्योगिकी और मीडिया के माध्यम से महिलाओं की निर्णय लेने में भागीदारी तथा विचारों की अभिव्यक्ति तक उनकी पहुंच को बढ़ावा, मीडिया में महिलाओं की संतुलित और गैर-परंपरागत छवि को बढ़ावा देना ।

11. **महिलाएं और पर्यावरण :** सभी स्तरों पर पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने में महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, निरंतर विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग संबंधी सरोकारों और दृष्टिकोण को शामिल करना, विकास तथा पर्यावरण संबंधी नीतियों का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रचनातंत्र स्थापित करना और उसे सुदृढ़ बनाना ।

12. निष्कर्ष व परिणाम :

21 वीं सदी महिलाओं की सदी है । यही परिवर्तन की आहट हैं कि महिलाएं सफलता के शिखर पर आरुढ़ हो रही है । कामयाबी के साथ उनकी सामाजिक व आर्थिक तस्वीर लगातार बदल रही है समाज के सभी पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रो में महिलाओं ने शानदार प्रवेश किया है । वर्तमान स्थिति में नारी ने जो साहस का परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक है । समाज के हर क्षेत्र में उसका परोक्ष-अपरोक्ष रूप से प्रवेश हो चुका है । आज तो कई ऐसी संस्थायें हैं जिन्हें केवल नारी ही संचालित कर रही हैं जिस नारी को मध्य युग में बेड़ियों से जकड़ दिया गया था उस युग से आज तक उसके संघर्ष की कहानी बड़ी ही लंबी एवं चुनौतीपूर्ण है परन्तु वह सफल हो रही है और आगे भी सफल होगी यह दैवीय योजना है । चाहकर भी कोई उसके बढ़ते कदमों को थाम नहीं सकता है । यही नारी की भवितत्वयता है और यह अत्यन्त सुखद भी है ।

13. सुझाव :

यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी सच्चाई यह है कि हजारो वर्षों की यह मान्यता है कि महिला को पुरूष के संरक्षण की आवश्यकता होती है परिवर्तित नहीं है और इस कारण वह दोहरे मार से दबी रही है । आज भी उसको समाज में दोयम दर्जे का स्थान मिला है आज भी उसको अपने अधिकारों के लिये लड़ना पड़ता है और उसके साथ समय मिलने पर अत्याचार, शोषण, अनाचार कर रहा है उसकी जब चाहे तब बेईज्जती करने से नहीं चूक रहा है उसको नारी का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना हजम नहीं हो रहा है । अतः इस विषय पर शासन, स्वयं सेवी संगठनों, राजनेताओं, शिक्षाविदों, समाज सेवकों एवं जनतंत्र को अभी और चिन्तन एवं समाज (स्त्री-पुरुष दोनों को) मानसिकता बदलने की आवश्यकता है ।

संदर्भ :

1. भारत में महिलाओं से संबंधित सांख्यिकी (2014) : निप्पसिड, नई दिल्ली
2. द्विवेदी रमेश प्रसाद (2013) : महिला सशक्तिकरण : चिन्तन एवं सरोकार, शांति प्रकाशन, अहमदाबाद
3. एस. अखिलेश व शुक्ला संध्या (2016) : महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा

4. सामाजिक न्याय संदेश (2003) : जनचेतना हिंदी मासिक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, वर्ष - 1 अंक 8, पृ. 4

5. सिंह आर. जी. (1986): भारतीय दलितों की समस्याएं एवं उनका समाधान, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी भोपाल, पृ. 73

6. एस. अखिलेश व संध्या शुक्ला (2012) : भारतीय नारी कल और आज, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा मध्यप्रदेश

7. विवेकानंद (1973) : विवेकानंद साहित्य खण्ड-5, कलकत्ता: अद्वैत आश्रम, पृ. 186

8. धवन शकुन्तला (1991) : डॉ. अंबेडकर - अपोस्टल ऑफ सोशल जस्टिस, नई दिल्ली, योजना अप्रैल, पृ. 15

9. सुन्दरमुण्ड इंदिरा (1979) : महात्मा गांधी और हरिजन, गांधी मार्ग, गुजरात, पृ. 263

10. सामाजिक न्याय संदेश (2003): जनचेतना हिंदी मासिक, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, वर्ष 1, अंक 8, पृ. 5

11. मैथ्यू, पी.डी. (अनु. भारद्वाज, चित्रा) (1987) : सामाजिक न्याय संगठन, भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली - पृ. 4

12. जाटव, डी. आर (1993) : सामाजिक न्याय का सिद्धान्त, समता साहित्य सदन, जयपूर, पृ. 7

13. प्रसाद अनिरुद्ध (1991) : आरक्षण : सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक संतुलन, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली

14. समाज कल्याण मार्च (2015 व 2016) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली

15. योजना (जून 2012) : भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

16. योजना (जुलाई 2011) : भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

17. महरोत्रा ममता (2011) : महिला अधिकार और मानव अधिकार (प्रथम संस्करण) ज्ञानगंगा प्रकाशन दिल्ली

18. शर्मा कृष्ण कुमार (2012) : महिला कानून एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, पृ. 15

19. उपाध्याय जय जय राम (2003) : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

20. डी.डी. बसु (2002) भारत का संविधान

21. दैनिक भास्कर नागपुर संस्करण 18 जून 2011

22. शर्मा कृष्ण कुमार (2012) : महिला कानून एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, पृ.26 एवं 45

23. टाईम्स ऑफ इंडिया 20 अगस्त 2009 एवं लोकमत मराठी नागपुर संस्करण 19 अगस्त 2009

12. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और जेण्डर आधारित भेदभाव

डॉ. अमरनाथ शर्मा*
डॉ. सुचित्रा शर्मा**

शोध सारांश

भारतीय समाज के विकास में स्त्री व पुरूष दोनों एक दूसरे के पूरक है जिसे प्रकृति ने स्वीकृत किया । जितनी महत्वपूर्ण भूमिका पुरूष की है, उतनी ही महिला की भी होती है । यह बात और है कि देश की सामाजिक स्थितियों और पंरपराओं के कारण ग्रामीण महिलाओं के योगदान को न तो महत्व दिया गया और न ही अवसर प्रदान किया गया । इतिहास इस बात का साक्षी है कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक वस्तुओं की खोज महिलाओं ने ही की है । गांवों में महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी से कार्य करती है । कृषि के साथ-साथ घर के कार्य, बच्चों की देखभाल, ईंधन लाना और पशुओं की देखरेख, सफाई का विभिन्न काम संपन्न करती है । बावजूद इसके उनके कार्य की अनदेखी तथा असमानता का व्यवहार किया जाता है, जो कि शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक होता है ।

स्त्री एवं पुरुष के बीच विभिन्नता को सामान्य रूप से जेण्डर कहा जाता है । जिसका आधार शारीरिक न होकर सामाजिक सांस्कृतिक होता है । भारत चूंकि गांवों का देश है अतः जब ग्रामीण विकास की बात होती है तो यह जेण्डर असमानता उसे प्रभावित करती है । भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जड़ें इस असमानता को पोषित करती है । ऐसे में जब ग्रामीण महिलाओं के विकास को देखना है, उन्हें सशक्तिकरण की राह का सजग एवं प्रखर वाहक बनाना है तो इस असमानता को दूर करने के प्रयासों को जमीनी तौर से खत्म करने की सार्थक पहल करनी होगी ।

इस दिशा में शहरों में तो परिवर्तन की लहर दिखती है परन्तु ग्रामीण महिलाएं अभी भी इस जेण्डर असमानता से जूझ रही है । हर क्षेत्र में उनकी स्थिति का आकलन कम तर ही आंका जाता है । प्रस्तुत शोध आलेख में इन्हीं बिन्दुओं को जानने का प्रयास किया गया कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में जेण्डर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था किस तरह बाधक है ?

---

* इंदिरागांधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई
* शास. वि.या.ता. स्वशासी, स्नातकोत्तर महा.दुर्ग

भूमिका :-

विकास की एक आदर्श स्थिति वह है जहाँ लोगों की आवश्यकतानुसार संसाधनों का विकास हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि ये संसाधन समाज के सभी लोगों और वर्गों के बीच सही तरीके से विभाजित हो। आज एक ओर हम इस बात के लिए प्रयासरत है कि समाज में विभेद समाप्त हो। दूसरी ओर हमारी सामाजिक व्यवस्था जेण्डर भेदभाव पर आधारित है जिससे हम जुड़े हुए हैं और हमारी मानसिकता भी इसी व्यवस्था से पोषित होती रहती है। इस व्यवस्था में पुरूष और महिलाओं में दर्जा तय होता है, जिसका एक मात्र निष्कर्ष है हमारा जैविक लिंग जो न तो हम ने चुना है और न कमाया है। इस तरह जो जैविक होता है वह नैसर्गिक होता है, जिसे आधार बनाकर स्त्री-पुरूष में दर्जा तय किया जाता है।

इतिहास को देखें तो महिलाओं की स्थिति पूजनीय और दैवीय रूप से मान्य थी। आज ऐसी कई परंपराएं विद्यमान हैं, जिनमें लड़के का होना और पुत्रवती भव का आशीर्वाद उनके दर्जे की उच्चता का आधार रहा परन्तु धीरे-धीरे उनकी स्थिति बदलने लगी और उनके विकास के लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव की बुनियाद पड़ी। समय बदला, परिवेश बदला और हमारी दृष्टि में भी काफी परिवर्तन आया। विकास के तत्व शहर व नगरों से होते हुए गाँव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। सूचना और संचार तकनीक ने जैसे विकास को सभी के लिए सुलभ कर दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रति जागरूकता ने महिलाओं को उत्प्रेरित किया है। राजनैतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से, शासन-प्रशासन की जागरूकता से और प्रयास परिलक्षित होने लगे है पर इन बातों के अलावा अभी भी कुछ ऐसे पहलू है जो ग्रामीण महिलाओं के विकास में बाधक हैं। इतनी योजनाएँ बनीं और क्रियान्वित भी हुई परन्तु अपेक्षित परिमामों से हम अभी भी दूर है। एक तरफ परम्परागत प्रतिमान और महिला पुरूष के बीच भेदभाव अर्थात् 'जेण्डर असमानता' एक बहुत बड़ा अवरोधक है।

उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक जेण्डर असमानता का विश्लेषण करना है जिसे द्वितीयक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

जेण्डर :-

शाब्दिक रूप में जेण्डर (लिंग के आधार पर) जैविकीय अर्थ को बताता है। अंग्रेजी

भाषा में दो अलग-अलग शब्द है जो शारीरिक अंतर याने सेक्स को बताते हैं । सेक्स व जेंडर के लिए हिन्दी में एक ही शब्द लिंग प्रयुक्त होता है । प्रकृति ने दो सेक्स स्त्री पुरुष की रचना की है, जिन्हें अलग-अलग गुण देकर एक दूसरे का पूरक बनाया परन्तु हर समाज में नारीत्व व पुरूषत्व के लक्षण पाये जाते हैं और समाज की संस्कृति निर्धारित करती है कि नारीत्व एवं पुरुषत्व का रूप क्या हो ? ऐन अकेली ने कहा है कि 'जेण्डर' का संबंध संस्कृति से है । उसका तात्पर्य उन सामाजिक श्रेणियों से है जिनमें मर्द व औरतें, 'पुरूषोचित' और 'स्त्रियोचित' रूप लेते हैं ।''

हमारे समाज में यह धारणा है कि सेक्स व जेण्डर दोनों ही एक है । इन्हें अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता है बल्कि एक ही अर्थ के पर्यायवाची शब्दों के रूप में इन दोनों शब्दों का उपयोग किया जाता है । वस्तुतः इन दोनों में पर्याप्त अंतर है । प्रकृति स्त्री पुरूष का निर्माण करती है और समाज उसके अंदर स्त्रीत्व और पुरूषत्व का निर्माण करता है । अर्थात् जेण्डर-शब्द का अर्थ औरत एवं मर्द दोनों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिभाषा है अर्थात् समाज द्वारा स्त्री व पुरूषों को किस प्रकार देखा जाता है । उन्हें कैसी भूमिकाएँ, अधिकार एवं संसाधन दिये जाते हैं । इस तरह सेक्स जैविकीय, स्थायी, अपरिवर्तनशील तथा प्रकृति की देन है जबकि जेण्डर सामाजिक,सांस्कृतिक परिवर्तनशील तथा मनुष्य द्वारा निर्मित है ।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जेण्डर आधारित भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है । यही नहीं एक ही समाज में रहने वाले पुरूषों और महिलाओं में रीति-रिवाजों, धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफी अंतर है, जो कभी जानबूझकर किया जाता है तो कभी अनजाने में होता है । भारतीय समाज में जेण्डर भेदभाव का प्रारंभ परिवार में पुत्र प्राप्ति की लालसा से शुरू होता है । बेटियों को 'पराया धन' और पुत्र को 'कुल दीपक' मानने वाले परिवारों में यह विभेद और ज्यादा होता है ।

ग्रामीण समाज में जेण्डर आधारित भेदभाव :-

पहले हमारा आदिम जीवन इतना सरल था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति शिकार एवं भोजन संकलन करके किया करता था । उस समय भोजन की खोज में भटकने से उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा । तब उस समय एक समझौता हुआ होगा कि घर की व्यवस्था तथा बच्चों की देखभाल का काम महिलाएँ करेंगी तथा बाहर से भोजन का संग्रह करने की जिम्मेदारी पुरूष संभालेगा । यह कोई जैविकीय विभाजन नहीं बल्कि जेण्डर के आधार पर श्रम, विभाजन था । धीरे-धीरे यहीं व्यवस्था दृढ़ होती

गई और कार्य के आधार पर उच्चता व निम्नता की मान्यताएँ भी बनती चली गई । जब सामाजिक संस्तरण हुआ तो उसका आधार शक्ति, धन एवं प्रतिष्ठा था । महिलाओं का नाम पिता या पति से जुड़ा हुआ होता था । घर के अंदर कार्यों में संलग्नता ने महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया को सीमित कर दिया और उनकी निर्भरता पुरूषों पर बढ़ने लगी ।

यह नहीं ये जेण्डर भेदभाव हर समाज में भी अलग-अलग है । कमला भसीन ने लिखा है - ''जेण्डर सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं, प्राकृतिक नहीं । यह इसी बात से साबित हो जाता है कि ये समय के साथ अलग-अलग जगहों पर भिन्न-भिन्न सामाजिक समूहों में भिन्न होती है ।'' इस जेण्डर आधारित व्यवस्था को हम निम्न चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं :-

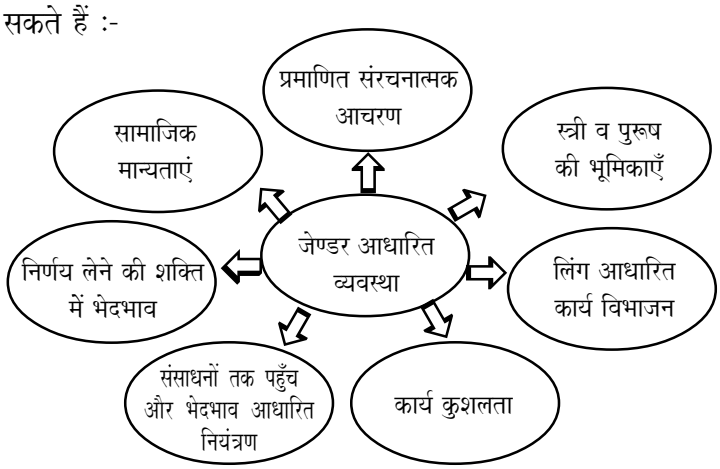

समाज की मान्यताएँ कि पुरूष शक्तिशाली एवं तार्किक है और महिलाएँ कमजोर व भावुक है । पुरूषों का सार्वजनिक स्थान पर रोना अच्छा नहीं माना जाता है । उसे अर्थोपार्जन करना चाहिये और वह जो चाहे निर्णय ले सकता है । इसकी तुलना में महिलाएँ रो सकती है उन्हें सबका ख्याल रखना चाहिये । त्यागी व ममतामयी हो, घर के काम कर, बच्चों की देखभाल में संलग्न होना चाहिये । इस तरह उक्त चक्रानुसार सभी बाते एक दूसरे को पोषती है । जिसका परिणाम हमें समाज में देखने को मिलता है । स्त्री और पुरूष दोनों में जो भी दायरा तोड़ता है उसे समाज अच्छी नजर से नहीं देखता ।

भारत चूँकि गाँव प्रधान देश है । अतः ग्रामीण परिवेश जेण्डर आधारित भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण है । जैसे पुरूष के लिए नाश्ता करना, खेत पर जाकर फसलों से संबंधित काम करना, वापस आकर नहाना, भोजन कर आराम करना, खेत पर फिर से जाना, वहाँ के काम निपटाना विशेषकर कीट तथा फसलों की रक्षा हेतु दवा का छिड़काव

करना, रात्रि का भोजन, फिर बाहर जाकर दोस्तों से बातें करना, चौपाल जाना या भजन मंडली में बैठना और अंत में सो जाना । जबकि महिलाओं के लिए जल्दी उठकर पशुओं को चारा देना, घर की सफाई, गोशाला की सफाई, कण्डे बनाना, जंगल या खेत से चारा और ईंधन लाना, फिर नहाकर सबके लिए भोजन बनाना, सबको खाना खिलाना, बर्तन मांजना, खेतों के काम में मदद करना, पशुओं को चारा देना, रात का भोजन बनाना, खिलाना तथा सोने से पहले सास-ससुर की सेवा करना ।

इस तरह परिवार में हुए समाजीकरण की प्रक्रिया से लड़के व लड़की में भिन्नता के प्रतिमान विकसित होते हैं । जिनका पालन वे आगे की परंपरा निर्वाह में करते हैं । जो आगे चलकर भेदभाव को पोषित करता रहता है । जेण्डर आधारित भेदभाव परिवार में बचपन से ही प्रारंभ हो जाते हैं । लड़के-लड़कियों का जन्म, पालन-पोषण, खान-पान, उठने-बैठने, आने-जाने, कामकाज व स्वास्थ्य के दौरान किया जाने वाला भेदभाव ही आने वाली पीढ़ी में भावी जीवन की बुनियाद डालता है । जैसे वे खुद पले होते हैं वैसे ही अपनी आने वाली संतति के साथ उनका व्यवहार होता है । यही भेदभाव आगे चलकर महिलाओं के जीवन के प्रमुख अवसरों में प्रतिकूल प्रभाव डालता है । उनके बीच गहरी असमानता को जन्म देता है तथा महिलाओं को हीन भावना से ग्रस्त तथा कुंठित करता है ।

भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय को मूल अधिकार के रूप में समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसाधनों तक पहुँच एवं उनके नियंत्रण के मामले में भारत में आज भी महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ता है । जो कि स्वास्थ्य, पोषण, लिंग-अनुपात, साक्षरता, शैक्षणिक उपलब्धियों, दक्षता का स्तर, व्यवसाय आदि सूचकांकों से प्रदर्शित होती है । जनसंख्या के प्रतिवेदनों के अवलोकन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है ।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आज ऐसे अनेक जेण्डर प्रतिरोध है जो महिलाओं के अधिकारी को उनकी सेवाओं तक पहुँचने से न केवल रोकते हैं बल्कि उनका लाभ लेने से भी वंचित कर देते हैं । शासन द्वारा बनाई गई योजनाएँ उनके विकास की प्रक्रिया में तब तक बाधक का काम करेगी जब तक कि इन अवरोधों को दूर न किया जाये । ऐसी स्थिति में भी देश का संपूर्ण आर्थिक प्रगति का लक्ष्य भी केवल सीमित जनसंख्या तक होगा, आधी आबादी अब भी इनकी पहुँच एवं लाभों से दूर रहेगी ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ऐन ओकली (1972) सेक्स जेण्डर एण्ड सोसायटी ।
2. भसीन कमला (2002) भला यह जेण्डर क्या है ? मुद्रण, नई दिल्ली ।
3. दोषी एवं जैन (2000) समाजशास्त्र नई दिशाएँ : नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर ।
4. गौतम कृपा (2010) भारतीय स्त्री : लिंग अनुपात एवं सशक्तिकरण मिश्रा पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली ।
5. गौड, वंदना (2009) ''आधुनिक समाजिक व्यवस्था में लिंग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण'' समाज कल्याण वर्ष 54 अंक 8, मार्च पेज 10-11
6. प्रामाणिक, रवीन्द्र नाथ तथा अधिकारी अशीम कुमार (2006) जेण्डर इनइक्वालिटी एंड वुमेनस एमपावरमेंट अभिजीत पब्लिकेशन, दिल्ली.
7. सिंह अरूण कुमारी (2003) ''जेण्डर की अवधारणा : एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण'' रिसर्च लिंक, वर्ष-2, अंक-8, सितम्बर नवंबर पेज - 50-64
8. सिंह, वी. एवं जनमेजय (2010) आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
9. शर्मा. के. एल. (2011) सामाजिक स्तरीकरण, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
10. त्रिपाठी, मधुसूदन एवं आदर्श कुमार (2012) लिंगीय समाजशास्त्र, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली ।

13. महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षकों का अभिमत

डॉ. स्मिता पंचोली*
डॉ. मितेष जुनेजा**

''किसी भी जाति की उन्नति का सर्वोत्तम मापदण्ड महिला जाति के प्रति उनका व्यवहार है ।''

- स्वामी विवेकानन्द

समाज और सामाजिक व्यवस्था में स्त्री और पुरूष दोनों की महत्ता स्पष्ट है और इसके उदाहरण विश्व की सभी संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में अवश्य देखे जा सकते हैं लेकिन बदलाव के विविध दौर लैंगिक भेदभाव की सुदृढ़ आधारशिला का निर्माण करते गए, जिसका परिणाम महिला सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता के लिए किए जा रहे अनेकानेक प्रयासों के रूप में दिखायी देता है, इन प्रयासों का एक भाग लेखन से भी दृष्टिगोचर होता है ।

स्त्री की शक्ति के अतुल भण्डार को परिवार की आधारशिला माना गया है । चूँकि परिवार सामाजिक व्यवस्था की सुदृढ़ता का आधारस्तम्भ है अतः यह कहा जा सकता है कि स्त्री सामाजिक व्यवस्था और उसके समायोजन में अपनी प्रभावी भूमिका अदा करती है इसीलिए कहा भी जाता है कि सशक्त महिला ही सशक्त समाज की आधारशिला है । महिला सृष्टि की जननी, संतान की प्रथम गुरू तथा पुरूष की प्रेरणा आदि कई रूपों में जानी पहचानी जाती है अतः समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति को सशक्तता प्रदान करना भी अत्यावश्यक है परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि पारिवारिक व सामाजिक धरातल पर स्त्रियों को उसकी सकारात्मक भूमिका निर्वहन के अधिकार प्राप्त होते रहें ।

महिला संदर्भित विषय भारतीय समाज एवं चिन्तनशील दुनिया के लिए न तो अछूता है न नया, फिर भी इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । ब्रिटिश शासनकाल से ही स्त्रियों को शिक्षा एवं अन्य संदर्भों में आगे लाने की पहल की गई । कई भारतीय समाज सुधारकों द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु आन्दोलन भी किये गए और

* **डॉ. स्मिता पंचोली** प्राध्यापक, विद्याभवन गो.से. शिक्षक महाविद्यालय (सीटीई), उदयपुर (राज.)
** **डॉ. मितेष जुनेजा** प्राध्यापक, समाजशास्त्र श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गर्ल्स कॉलेज किशनगढ़, अजमेर (राज.)

इसका परिणाम इस रूप में भी देखा जा सकता है कि संविधान निर्माण के समय महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार प्रदान किये गए । भारतीय संविधान में नारी को पुरूषों की समकक्षता प्रदान करते हुए कहा है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा इसके साथ ही महिलाओं को पुरूषों के ही समान मूल अधिकारों की प्राप्ति एक प्रकार से लैंगिक समानता और संवेदनशीलता को रेखांकित करती है । जनसंख्यात्मक आधार देखा जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुलजनसंख्या 121.05 करोड़ है जिसमें से 58.74 करोड़ महिलाएँ है जोकि देश की कुल आबादी का 48.5 प्रतिशत है ।

महिलाओं को समान अधिकार व सशक्त बनाने की मंशा उसकी भूमिका को एक सशक्त माध्यम में परिणित कर समाज की प्रगति में सहयोग करने के औचित्य को मजबूती देने से हैं । यदि महिला सशक्तिकरण के अर्थ पर प्रकाश डाले तो इसका अभिप्राय आधुनिकीकरण, पाश्चात्यकीकरण या उदारीकरण से नहीं है ना ही शैक्षिक डिग्री प्राप्त करने से हैं अपित इसका अभिप्राय इस रूप में समझना चाहिए कि महिलाएँ आत्मनिर्भरता के साथ अपनी शक्तियों का राष्ट्र एवं समाज के हितार्थ उपयोग कर अपने अधिकारों के प्रति सजग बन आत्मविश्वास की भावना जागृत कर अपने प्रगति के मार्ग में आने वाली समस्याओं का निर्भिकता से सामना कर सके ।

महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नेरोवी 1975 के अनुसार महिला सशक्तिकरण महिलाओं की पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है तथा महिला को पुरूष के समतुल्य प्रतिभावान बनाने का संकल्प लेकर नवयुग का शुभारम्भ करना है ।

आज तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण हेतु काफी प्रयास किये जाते रहे हैं । महिलाओं को कई विशेष अधिकार भी प्रदान किये गए हैं और महिला सशक्तिकरण हेतु कई नीतियों का भी निर्माण हुआ है, इस, दिशा में कई आयोगों की स्थापना हो चुकी है, लेकिन विविध प्रयासों की सार्थकता के धरातल को अनुसंधान के द्वारा जाँचा और परखा जा सकता है ।

शिक्षक को समाज का निर्माता कहा जाता है, औपचारिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक ही विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक और परामर्शक की भूमिका निभाता है, हम

यह भी कह सकते हैं कि विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्यक्षण के अनुरूप अपना प्रत्यक्षण भी बना लेते हैं अतः कहा जा सकता है कि शिक्षक का नज़रिया विद्यार्थी के नज़रिए का निर्माण करने में सक्षम होता है । इसीलिए महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षकों के अभिमत को जानना भी अत्यावश्यक है ।

अध्ययन की प्रासंगिकता

यह अध्ययन महिलाओं की समसामयिक स्थिति से संबद्धता रखता है । नारी की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व विविध क्षेत्रों में समानता व स्वतंत्रता के परिमार्जन में शिक्षक की क्या अहम् भूमिका है, के यथार्थ को समझने का प्रयास इस अध्ययन में किया है । शिक्षक ही समाज को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं साथ ही सरकारी प्रयासों का सकारात्मक प्रचार-प्रसार कर महिला सशक्तिकरण में योगदान भी दे सकते हैं । निश्चय ही यह अध्ययन महिलाओं के विविध विकास के परिप्रेक्ष्य की वास्तविकता को रेखांकित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के वास्तविक पहलू को भी इंगित करता है । अतः यह अध्ययन महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत ही प्रासंगिक रहा ।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन की प्रासंगिकता एवं पृष्ठभूमि के मद्देनजर महिला सशक्तिकरण के प्रति अध्यापकों के अभिमत को निम्नलिखित सन्दर्भों में उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया गया -

- महिला सशक्तिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और नीतियों के प्रति अभिमत ।
- निर्णय क्षमता में महिलाओं की भूमिका के प्रति अभिमत ।
- महिलाओं की समाज व परिवार में भूमिका निर्वहन के प्रति अभिमत ।

न्यादर्श

शोध के परिणामों में वस्तुनिष्ठता लाने की दृष्टि से न्यादर्श चयन अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक होता है अतः अक्त अध्ययन हेतु निम्नानुसार न्यादर्श का निर्धारण किया गया -

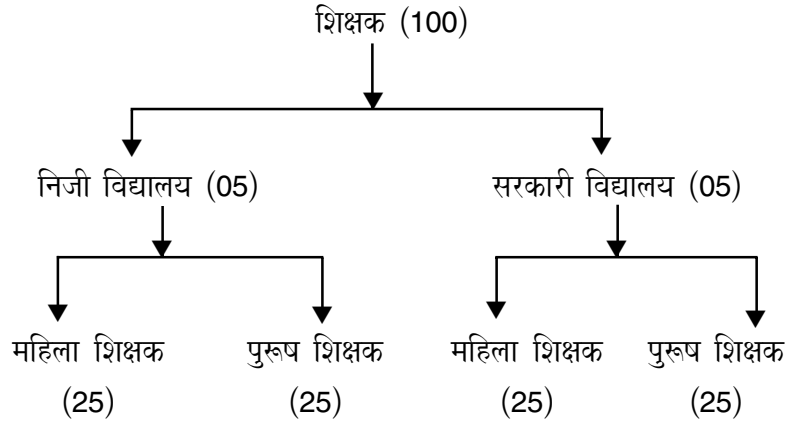

अध्ययन का परिसीमन

- अध्ययन माध्यमिक स्तर के शिक्षकों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है ।
- अध्ययन, अध्यापकों की महिला सशक्तिकरण से संबंधित संवैधानिक नीतियों, प्रावधानो, महिला और निर्णय क्षमता तथा भूमिका निर्वाह को जानने तक ही सीमित है ।
- अध्ययन को उदयपुर शहर के निजी व सरकारी विद्यालय तक ही सीमित रखा गया ।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन हेतु स्वनिर्मित रूप में निम्नलिखित उपकरण का निर्माण किया गया । इस हेतु संरचित प्रश्नावली का निर्माण और प्रयोग किया गया ।

विधि एवं प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि एवं प्रविधि के रूप में प्रतिशत प्रविधि का प्रयोग किया गया ।

तथ्य संकलन की व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त न्यादर्शानुसार एवं उद्देश्यानुसार तथ्यों का संकलन किया गया जिसकी व्याख्या एवं विश्लेषण निम्नानुसार है -

- संविधान में वर्णित संवैधानिक प्रावधानों के प्रति राजकीय विद्यालय के शिक्षकों में स्वतंत्रता के प्रति राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों ने 74 प्रतिशत अभिमत व्यक्त

किया जबकि निजी विद्यालय के शिक्षकों द्वारा 72 प्रतिशत अभिमत दिया गया । इसी प्रकार संविधान के अनुसार समानता प्रदान किए जाने के संदर्भ में भी राजकीय विद्यालयों के 82 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की वहीं दूसरी ओर 80 प्रतिशत निजी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्रतिशत सहमति दी गयी ।

- राष्ट्रीय महिला आयोग से महिला सशक्तिकरण को बल मिलने के संबंध में राजकीय विद्यालयों के 64 प्रतिशत शिक्षकों और निजी विद्यालयों के 70 प्रतिशत शिक्षकों ने सकारात्मकता अभिव्यक्त की ।
- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बालिका दिवस के आयोजन से महिलाओं के विकास को गति मिलने पर राजकीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा 34 प्रतिशत और निजी विद्यालय के 36 प्रतिशत शिक्षकों ने सकारात्मकता व्यक्त की ।
- हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि की भांति अधिनियमों के निर्माण की आवश्यकता के संदर्भ में राजकीय विद्यालयों के पुरूष व महिला शिक्षकों का 68 प्रतिशत की अपेक्षा निजी विद्यालयों के महिला व पुरूष शिक्षक्षकों का 72 प्रतिशत सकारात्मक अभिमत पाया गया । संयुक्ततः 70 प्रतिशत शिक्षकों का सकारात्मक अभिमत पाया गया ।
- घरेलू हिंसा से सुरक्षा के प्रति महिला शिक्षक (80 प्रतिशत) पुरूष शिक्षकों (70 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक अभिमतता पायी गयी ।
- विधवा परित्यकता महिलाओं के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी विभिन्न योजनाओं के प्रति पुरूष शिक्षक (72 प्रतिशत) महिला शिक्षरों (64 प्रतिशत) से अधिक सहमत व संतुष्ट पाए ।
- पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण के संदर्भ में पुरूष शिक्षकों (64 प्रतिशत) की तुलना में महिला शिक्षकों (84 प्रतिशत) का अभिमत अधिक पाया गया ।
- महिलाओं को अपने निजी जीवन से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रततदा देने के प्रति राजकीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा 72 प्रतिशत अभिव्यक्ति दी गयी जबकि निजी विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापकों द्वारा ही इसके प्रति अभिमत व्यक्त किया गया ।
- पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर निर्णय क्षमता के संदर्भ में निजी विद्यालय के शिक्षक सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में अझीधक सकारात्मक नजर

जाए जिसमें निजी विद्यालय के शिक्षकों ने 80 प्रतिशत व सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को 60 प्रतिशत प्राप्त हुआ ।

- वित्तीय निर्णयों में भागीदारी के संदर्भ में पुरूष और महिला शिक्षकों द्वारा क्रमशः 56 प्रतिशत और 78 प्रतिशत अभिमत दिया गया ।
- देरी से आने और अधिक समय तक घर से बाहर रहने से जुड़े निर्णय लेने के प्रति महिला शिक्षकों द्वारा 58 प्रतिशत और पुरूष शिक्षकों द्वारा 38 प्रतिशत अभिमति प्रदान की गयी ।
- परिवार की बालिकाओं को अपने भविष्य के निर्माण हेतु करियर चयन के निर्णय के प्रति महिला शिक्षकों द्वारा 72 प्रतिशत और पुरूष शिक्षकों द्वारा 66 प्रतिशत सहमति व्यक्त की गयी ।
- परिवार से दूर उच्च शिक्षा हेतु भेजे जाने के निर्णय के संबंध में पुरूष शिक्षकों ने 42 प्रतिशत और महिला शिक्षकों ने 40 प्रतिशत सहमति व्यक्त की ।
- परिधान के संबंध में निर्णय लेने के प्रति पुरूष शिक्षकों ने 64 प्रतिशत और महिला शिक्षकों ने 82 प्रतिशत सहमति व्यक्त की ।
- परिवार में लड़का-लड़की एक समान की भावना के संदर्भ में महिला शिक्षकों ने 78 प्रतिशत और पुरूष शिक्षकों ने 82 प्रतिशत ने सहमति प्रकट की ।

इस प्रकार तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण के महत्वपूर्ण पक्षों को प्रस्तुत किया गया ।

निष्कर्ष

तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन का विश्लेषण किया जाना अध्ययन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि उसी आधार पर प्राक्कल्पना की सत्यता का परीक्षण किया जाता है एवं संबंधित सुझावों से समस्या का आधार स्तम्भ बनाया जाता है । उक्त अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात् कई विविध प्रकार के निष्कर्ष दिखायी देते है हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के प्रति राजकीय और निजी विद्यालय के शिक्षकों तथा महिला एवं पुरूष शिक्षकों के अभिमत को सरलता से देखा जा सकता है, इनमें से एक सुरक्षा का पक्ष अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होने से घर-परिवार से दूर बालिकाओं की शिक्षा अर्जन के अवसरों के प्रति अभिमत दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा कम न्यून

दिखायी देता है । कई क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरूष के अभिमत की अधिकता दिखायी देती है । सभी परिप्रेक्ष्य यह स्पष्ट करने का प्रयास करते है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयास और शिक्षकों का अभिमत एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं साथ ही किसी न किसी रूप में लैंगिक समानता और संवेदनशीलता का भाव भी परिलक्षित होता है । संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों और आयोगों का संदर्भ तो महिला सशक्तिकरण के भाव को स्पष्ट करता है लेकिन निर्णय क्षमता और भूमिका निर्वहन के क्षेत्रों से संबंधित अभिमतता वृद्धि की गुंजाइश साफ दिखायी देती है ।

उपसंहार

इस प्रकार अन्त में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सैंकड़ों वर्ष पुराना होकर आज अपनी प्रासंगिकता को बनाये हुए है । नारी व पुरूष सृष्टि निर्माता की अनोखी उपज है और दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों के सहयोग से ही सृष्टि की निरंतरता है अतः महिला को पुरूष के समतुल्य प्रतिभावान बनाने का संकल्प लेकर ही हम समाज व राष्ट्र की एक बहुआयामी प्रगति और सार्थक विकास कर सकेंगे । केवल उक्त उल्लेखित क्षेत्र ही महिला सशक्तिकरण का मात्र आधार नही है लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों की सैद्धान्तिकता के साथ व्यावहारिकता भी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता का प्रभावी आधार स्तम्भ निर्माण करने की दिशा में महत्वपूर्ण है ।

14. छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण

(एक प्रभावी नवाचार)

*** डॉ. अशोक कुमार जायसवाल**

शोध सारांश

छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायत राज संस्थाओं (जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायतों) में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने पंचायतों के हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2010 के त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर स्थानीय स्वशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया तथा जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायत में गठित स्थायी समिति में महिलाओं की योजना निर्माण एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला ।

पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं में आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) में सामान्य क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्रों में एक तिहाई महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य कर ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण की प्रक्रिया एवं निर्णय में महिलाओं की अहम भूमिका ने ''ग्राम-स्वराज'' की परिकल्पना को साकार किया तथा ग्राम पंचायत में महिला वार्ड सभा का आयोजन ने महिलाओं को अपनी समस्याओं को रखने एवं उन समस्या पर कार्य-योजना तैयार करने का एक मंच प्रदान किया ।

प्रस्तावना :

अनुच्छेद 243 G के अनुसार राज्य पंचायतीराज संस्थाओं (जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायत) को उन शक्तियों को प्रदान करें, जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की एक संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सके । ये शक्तियाँ पंचायतीराज संस्थाओं को सत्ता और शक्ति के हस्तांतरण आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके ।

अनुच्छेद 243 G के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों एवं दायित्व को रेखांकित किया गया है, साथ ही ऐसे प्रावधान कानून में दिए जाये जिससे कि पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों पर शक्ति एवं दायित्वों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप

* संकाय सदस्य (पंचायतीराज) ठा. प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा

पंचायतें अपने कार्यों जैसे - आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना को तैयार करने एवं क्रियान्वित करने तथा 11 वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के प्रभावी निष्पादन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके ।

शोध पत्र के उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्न उद्देश्य हैं -

1. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का आंकलन करना ।
2. पंचायतों के कार्य दायित्वों एवं शक्तियों के निष्पादन में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या करना ।
3. ग्राम सभा में महिलाओं की कोरम (गणपूर्ति) की स्थिति की व्याख्या करना ।
4. पंचायतों में गठित महिला स्व सहायता समूहों के कार्य-प्रणाली का विश्लेषण करना ।
5. पंचायतों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश तथा संस्थागत संरचना की व्याख्या करना ।

आंकड़ों का संकलन -

छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायतीराज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण - एक प्रभावी नवाचार का अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ों का उपयोग किया गया है ।

प्राथमिक आंकड़े - प्राथमिक आंकड़ों का संकलन प्रशिक्षण अवधि के दौरान उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों से जानकारियों का संकलन कर किया गया, इसके लिए साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया जिसमें पंचायतों के तीनों स्तरों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जानकारी एकत्रित की गई ।

द्वितीयक आंकड़ें - द्वितीयक आंकड़ों का संकलन प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग एवं छत्तीसगढ़ राज्य महिला सामाक्षा से लिए गए हैं ।

पंचायतों के संस्थात्मक विकास में महिलाओं की भागीदारी :-

पंचायतों में महिलाओं के स्तर में उन्नयन तथा स्त्रियों के प्रति समानता, मौलिक, वैधानिक और संस्थात्मक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये -

1. कानून के क्षेत्र में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी -

कानून दृष्टिकोण से पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन कर पंचायत के तीनों स्तरों जिला /जनपद एवं ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई से बढ़ाकर इसे आधा (50 प्रतिशत) कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पंचायतों के तीनों स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्तमान में औसत रूप में 58.46 प्रतिशत (लगभग) है ।

तालिका - 1

छत्तीसगढ़ प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाएं एवं महिलाओं की भागीदारी

क्रं.	पंचायती राज संस्था	जन प्रतिनिधि	कुल निर्वाचित जनप्रति-निधियों की संख्या	कुल जनप्रति-निधियों के आरक्षण की स्थिति	कुल निर्वाचित महिला जनप्रति-निधियों की संख्या	कुल निर्वाचित महिला जनप्रति-निधियों का प्रतिशत
1.	जिला	अध्यक्ष	27	15	19	70.37
	पंचायत	सदस्य	402	233	245	60.95
2.	जनपद	अध्यक्ष	146	90	97	66.43
	पंचायत	सदस्य	2973	1596	1618	54,42
3.	ग्राम	सरपंच	10971	5554	6172	56.25
	पंचायत	वार्ड पंच	155939	86008	91172	58.46
		कुल योग	**170431**	**93480**	**99304**	**58.56**

पंचायतों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को मिटाने की दृष्टि से विद्यमान कानूनों की समीक्षा कर उनका पुनरीक्षण कर आवश्यकतानुसार नए कानूनों का निर्माण करना, पंचायतों में महिलाओं को भूमि के स्वामित्व का अधिकार दिलाने तथा पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से भूमि, अन्य संपत्ति एवं अन्य उत्पादक संसाधन जैसे कि - मकान, दुकान, कारखाना आदि में स्वामित्व दिलाने के लिए महिला सशक्तिकरण योजना के तहत व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं । पंचायतें ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर ये लाभ अपने क्षेत्र में प्रदान कर रही है ।

पंचायतों में महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाने वाले कानूनों जैसे - समान वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम आदि का प्रभावी क्रियान्वयन तथा दहेज प्रतिषेध विषयक कानून तथा परिवारों में महिलाओं पर अत्याचार, कार्य-स्थलों में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का प्रभावी क्रियान्वयन का अधिकार पंचायतों के तीन स्तरों जिला /जनपद एवं ग्राम पंचायत को दिया गया है ।

गरीब एवं भूमिहीन महिलाओं को न्यायालयीन सेवा (विधिक सहायता) पंचायतों के माध्यम से शिविर लगाकर निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ में पंचायतीराज संस्थाएं महिलाओं में कानूनी अधिकारों का प्रचार-प्रसार तथा जनसामान्य में जागरूकता लाने का कार्य बखूबी निभा रही हैं ।

2. संस्थात्मक क्षमता का उन्नयन - पंचायतों में महिलाओं का आर्थिक स्वावलम्बन-

पंचायतों में महिला स्व सहायता समूहों के गठन एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कम दरों पर ऋण सुलभ करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन हेतु राज्य आजीविका मिशन (बिहान) का गठन किया गया है । राज्य आजीविका मिशन (बिहान) द्वारा पंचायतों में महिला स्व सहायता समूहों का विकास कर उन्हें संस्थागत आर्थिक स्वावलंबन बनाने के कार्य में प्रयासरत है । राज्य आजीविका मिशन (बिहान) के तहत प्रदेश में 56,000 महिला स्वसहायता समूहों का निर्माण कर उन्हें स्वावलंबी बनाया गया है । बिहान के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में व्यय का कम से कम 10 प्रतिशत महिलाओं की आयवर्धक गतिविधियों के लिए चिह्नित किया गया है ।

राज्य शासन द्वारा पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है । पंचायत में महिलाओं के लिए विद्यमान तंत्र के अधीन जिला पंचायत स्तर पर महिला संसाधन केन्द्र (Women Resource Center) की स्थापना की गई है । साथ ही प्रत्येक स्तर पर स्थायी समिति का गठन किया गया है जो महिला सशक्तिकरण विजन 2016 के तहत निश्चित लक्ष्यों के संदर्भ में हुई प्रगति की जानकारी का एकत्रीकरण तथा उनकी समीक्षा सर्वेक्षण प्रचार-प्रसार आदि पर ध्यान केंद्रित करेंगे ।

पंचायतों के आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी :-

पंचायतों के आर्थिक विकास में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में शासन द्वारा महिलाओं की समान भागीदारी दृष्टिकोण को निम्नरूप में शामिल किया गया है -

1. कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी -

पंचायतों में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु तीनों स्तरों पर कृषि स्थायी समिति का गठन किया गया है । स्थायी समिति के माध्यम से महिलाओं तथा उनके समूहों को कृषि एवं कृषि आधारित वस्तुओं के प्रसंस्करण उनके वेल्यू एडीसन तथा विपणन के लिए पंचायतों में प्रशिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया ।

महिला स्व सहायता समूहों द्वारा डेयरी, रेशन, मत्स्य, फलोद्यान तथा पुष्प आदि उत्पादनों तथा सार्वजनिक भूमियों का महिला समूहों द्वारा ईंधन एवं चारे हेतु ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग करने को प्रोत्साहन दिया गया । कृषि एवं कृषि प्रबंधन क्षेत्र में महिलाओं को उच्चस्तर शिक्षा एवं प्रशिक्षण को पंचायतों द्वारा बढ़ावा दिया गया है तथा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु 'महिला, किसान सशक्तिकरण योजना' (MKSP) की शुरुआत की गई है ।

2. स्वच्छता एवं जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी -

पंचायतों के तीनों स्तरों पर स्वच्छता स्थायी समिति में महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के 150 वीं वर्षगाठ वर्ष 2019 तक खुले में शौच की प्रथा को समाप्त कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने को पूरा करना है । छत्तीसगढ़ प्रदेश में समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता के माध्यम से सभी जिला पंचायतों द्वारा ग्रामीणों को जागरूक कर खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । राज्य में वित्तीय वर्ष 2015-16 के एक हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त किया जा चुका है, जिसे जनआंदोलन के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

पंचायतें ठोस अपशिष्ट के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्रदान करने तथा इससे जुड़ी समस्याओं से ग्रामीणजनों को अवगत कराने में महिला स्वसहायता समूहों की अहम भूमिका है । ऐसे ठोस अपशिष्ट जिसका विघटन संभव है, उसके लिए तद्नुसार प्रबंधन करना एवं शेष के लिए समन्वय कर उनके विनष्टीकरण की व्यवस्था करने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है ।

पंचायतों में विजन 2019 के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल सुलभ करने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ''भागीरथी नल-जल योजना'' की शुरुआत राज्य की उच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है । इससे महिलाओं को सिर पर पानी

ढोने के भारी बोझ से राहत मिलेगी । हैंडपम्प के माध्यम से सुरक्षित पेयजल घरों के आसपास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व सहायता समूहों को हैंडपम्प के संधारण एवं प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया गया है ।

प्रदेश में तालाबों की बहुलता एवं निस्तार हेतु इसके व्यापक उपयोग को देखते हुए तालाबों पर महिलाओं के लिए पृथक घाट एवं वस्त्र बदलने की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ''मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना'' के अंतर्गत ''निर्मलघाट'' निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है ।

(3) उद्योगों के विकास में महिलाओं की भागीदारी -

पंचायतों में महिलाओं को आर्थिक आय उपार्जन के कौशल प्रदान करने हेतु उद्योग स्थायी समिति के माध्यम से योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा प्रशिक्षणों का आयोजन विशेषकर हथकरघा आधारित बुनाई, पारंपारिक छत्तीसगढ़ी कलाकृतियों, दस्तकारी, मिट्टी (टेराकोटा) के क्षेत्र में सिलाई प्रशिक्षण तथा जैविक तकनीक आदि क्षेत्रों के उपयोगी एवं उत्पादक कौशल उन्नयन कार्यक्रम से महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ।

पंचायतों में ऐसे कुटीर उद्योगों जिनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की संभावना तथा महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए उनको प्रबंधकीय व औद्योगिक कुशलता के विकास एवं महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन की व्यवस्था हेतु आवश्यक उपाय, पुस्तैनी व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं को कौशल उन्नयन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने, कच्चे माल को यथासंभव सुगमतापूर्वक कम दरों पर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है ।

(4) वन विकास एवं महिलाओं की भागीदारी -

छत्तीसगढ़ प्रदेश का 44 प्रतिशत क्षेत्र वनों से अच्छादित हैं तथा कुल 27 जिला पंचायतों में 13 जिला पंचायत पूर्णतः एवं 06 जिला आंशिक रूप में अनुसूचित क्षेत्रों में है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का एक बड़ा अनुपात है । पंचायतों में वन विकास स्थायी समिति के माध्यम से निम्न प्रयास किए जा रहे हैं -

- महिलाओं को विपणन योग्य पौधों विशेषतः पौधौं के रोपण प्रबंधन तथा उनके विपणन में प्रोत्साहन देना ।
- संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों के गठन को प्रोत्साहन ।

- अनुसूचित जनजाति की महिला के विकास हेतु विशिष्ट कार्ययोजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन को प्रोत्साहन ।
- महिला समूहों के गठन में सहायता, ईमारती लकड़ी को छोड़कर शेष वनोपज जो राज्य की राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है, के संचयन, प्रसंस्करण, वेल्यू एडीशन, भंडारण तथा विपणन में सहायता करना ।

पंचायतों के सामाजिक विकास में महिलाओं की भागीदारी :-

पंचायते जब तक सामाजिक मान्यताओं दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लायेंगी तब तक महिलाओं की स्थिति में कानून तथा आर्थिक विकास के माध्यम से स्थायी एवं प्रभावी विकास संभव नहीं है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के माध्यम से सामाजिक विकास को पर्याप्त बल दिया गया है ।

1. स्वास्थ्य एवं पोषण में महिलाओं की भागीदारी -

पंचायतों के तीनों स्तरों (जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायत) स्तर पर स्थायी समिति के माध्यम से स्वास्थ्य पंचायत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका इस रूप में रही है -

- पंचायतों में गठित महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं एवं जानकारी सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना ।
- पंचायतों के माध्यम के स्वास्थ्य संबंधी (विशेषतः प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य) प्रशिक्षण, महिलाओं के पोषण आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास, विशेषतः उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हों ।
- पंचायतों में शिविरों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र में परिवार नियोजन के सुरक्षित एवं प्रभावी तथा कम खर्चीले साधनों का विकास तथा उनमें अभिवृद्धि ।
- पंचायतों द्वारा महिलाओं की संस्थाओं/स्व सहायता समूहों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों जिनमें पारंपारिक चिकित्सीय ज्ञान, स्व-चिकित्सा एवं सामुदायिक चिकित्सा शामिल है, को प्रोत्साहन देना ।

2. शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी -

पंचायतें स्थायी समिति के माध्यम से शिक्षा संबंधी कार्ययोजना तैयार करने में तथा उनके क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी प्राप्त कर रही हैं । पंचायतें शिक्षा स्थायी

समिति में महिलाओं की भागीदारी से निम्न कार्य को बढ़ावा दे रही हैं -

- बालिकाओं की शालाओं में प्रवेश संख्या बढ़ाने का प्रयास ।
- अनुसूचित जाति /जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की बालिकाओं विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को निःशुल्क /यथासंभव न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा सुलभ कराना ।
- क्रियात्मक साक्षरता जिसमें अर्थोपार्जन के लिए कौशल विकास शामिल हो, को प्रोत्साहन देना ।
- जरूरतमंद महिलाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता / ऋण उपलब्ध कराना ।
- महिलाओं को खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।

३. सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी -

पंचायतें स्थायी समिति के माध्यम से सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक परिदृश्यों को बढ़ावा देने हेतु तीनों स्तरों पर कार्य योजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी निम्न रूपों में प्राप्त कर रही हैं -

- महिलाओं के प्रताड़ित करने के पारंपारिक अत्याचारपूर्ण कुप्रथाओं यथा टोनही प्रथा आदि को समाप्त करना ।
- पारिवारिक उत्पीड़न को हतोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाना ।
- विधवाओं के पुर्नविवाह को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना ।
- महिला बंदियों के पुर्नवास को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना ।
- पारिवारिक हिंसा के लिए उत्तरदायी पुरुषों में मदिरा सेवन की आदत को निरुत्साहित करने की दृष्टि से नशाबंदी कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन करना ।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के पंचायतीराज व्यवस्था में भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप पंचायतों के तीनों स्तरों (जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायत) पर महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित कर उन्हें शोषित व उपेक्षित

सामाजिक स्थिति से उबारकर उनके सशक्तिकरण के उपाय कानूनी प्रावधानों के रूप में सजोये गए हैं। इनमें मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में शामिल सार्थक महिलावादी सोच प्रमुख प्रावधान हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2000 में आयोजित सहस्त्राब्दी विकास मुद्दों पर शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे 199 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सर्वसम्मति से इस सहस्त्राब्दी के वर्ष 2016 तक मानव विकास की चुनौतियों को साधने हेतु जो आठ विकास लक्ष्य तय किए हैं, वे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सर्वोच्च हैं ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 ''पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग'' मंत्रालय, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 ''महिला एवं बालविकास विकास विभाग'' मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग)
3. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 ''छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग'' रायपुर (छ.ग)
4. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 ''छत्तीसगढ़ महिला सामावक्षा'' न्यू राजेन्द्र नगर, नया रायपुर (छ.ग)
5. वी.एन. सिंह एवं जनमेजय सिंह वर्ष 2010 ''आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर
6. निशांत सिंह वर्ष 2011 ''स्त्री सशक्तिकरण - एक मूल्यांकन'' खुशी पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
7. डी. बन्द्योपाध्याय एवं अमिताभ मुखर्जी वर्ष 2007 ''महिला पंचायत सदस्यों का सशक्तिकरण'' कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली

15. भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के उपकरण जनमाध्यम

संदीप भट्ट*

महिलाएं किसी समाज के निर्माण का केंद्र होती है । समाज के आगे बढ़ने में महिलाओं की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी कि पुरुषों की । किसी देश या वहां के समाज में विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में जितनी ज़रूरत पुरुषों की होती है उतनी ही आवश्यकता महिलाओं की भी होती है । आधुनिक समाज में सामाजिक विकास के नजरिये से देखा जाए तो सभी सामाजिक प्रक्रियाओं में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी भी अनिवार्य है तभी किसी समाज को सशक्त कहा जा सकता है जब यहां स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप की सामाजिक हैसियत रखते है । अर्थात उतनी ही सामाजिक मान्यता और अधिकार, शक्तियां स्त्री को भी प्राप्त हो जितनी की किसी पुरूष को प्राप्त होती है । लेकिन व्यवहार में देखने में आता है कि समूची दुनिया में अभी भी स्त्रियों की दशा में बहुत से परिवर्तन आना बाकी है । दुनिया की तमाम सामाजिक क्रांतियों के बावजूद अभी भी दुनिया के बहुत से हिस्सों में स्त्री की भागीदारी विकास की प्रक्रियाओं में अपेक्षाकृत ढंग से कम है । विश्व कल्याण में महिलाओं की अहमियत को समझाते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि ''दुनिया का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार नहीं होगा ।'' वास्तव में पूरी दुनिया में अभी भी कई मुल्क और समाजों में स्त्रियों के हालात बहुत अच्छे नहीं है । कहीं उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद है तो कहीं सामाजिक कार्यक्रमों, महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भागीदारी बहुत कम है । यही नहीं लिंगभेद का शिकार होना और लिंगानुपात का जबरदस्त तरीके से गड़बड़ाना भी महिलाओं की बड़ी समस्याएं हैं । घर के भीतर से लेकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियाँ परिस्थितियों में जब तक संतोषप्रद परिवर्तन नही आ जाते तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण एक कठिन चुनौती है ।

भारत भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां अधिकतर महिलाएं विकास की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सकी हैं । सैद्धांतिक तौर पर महिला सशक्तिकरण का विचार 1970 के दशक में तब उभर कर आया जब तीसरी दुनिया के महिलावादी तथा महिला संगठनों ने इसकी चर्चा आरंभ की । सामाजिक, संस्थागत और पारिवारिक स्तरों पर महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलने के लिए दुनियाभर में वैचारिक आंदोलन हुए हैं ।

* प्रभारी प्राचार्य कर्मवीर विद्यापीठ, परिसर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश

न सिर्फ महिलावादी संगठनों ने इसकी मांग की बल्कि प्रगतिशील विचारधारा के विचारकों ने भी महिला समता की पुरजोर वकालत की । वास्तव में समाज, विवाह, जाति, धर्म अथवा विश्वास, बाजार, राज्य व्यवस्था आदि विभिन्न संस्थाओं द्वारा ही हमारे बहुत से जीवन के नियमों को तय किया जाता रहा है । ये संस्थान स्थाई होते हैं और यही इनकी परिधि में निवासरत लोगों के लिए सामाजिक मान्यताओं का निर्धारण करते है । इन्ही मान्यताओं से संबंधों का निर्माण होता है अथवा समाज विभिन्न प्रक्रियाओं का संचालन करता है ।

दुनिया-के अलग-अलग समाजों तथा संस्कृतियों व महिलाओं की सामाजिक उपस्थिति, उनकी भूमिका और उनके महत्व को विभिन्न प्रकार की दार्शनिक तथा सामाजिक मान्यताएं मिली हैं । भारतीय चिंतन में स्त्री को 'शक्ति' तथा 'प्रकृति' का प्रतीक माना गया है । यह एक तरह से महिलाओं की भारतीय समाज में निर्णायक हिस्सेदारी को प्रदर्शित करती हुई स्वीकृति है । लेकिन लंबे ऐतिहासिक विवरण वाले इस देश में स्त्रियों की दशा हमेशा एक सी ही रही हो ऐसा नहीं है । इतिहास के आलेख भारतीय समाज में महिलाओं की अलग-अलग स्थितियों का वर्णन करते हैं । भारत में वैदिक और उत्तरवैदिक इतिहास में महिलाओं की स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन दिखाई देते हैं । सती प्रथा, बाल-विवाह, शिक्षा के अधिकार का नहीं अथवा सीमित होना, सामाजिक, पारिवारिक निर्णयों में उसकी सीमित भूमिका इत्यादि परिवर्तनों ने भारत में महिलाओं की स्थितियां विषम कर दीं । चूंकि समाज एक गतिशील इकाई होता है और शनैःशनैः इसकी मान्यताओं में परिवर्तन भी संभव होता है । परिवर्तन की लहर भारत में भी आई और वर्तमान समय में चहुं ओर स्त्रियों के बढ़ते कदम दिखाई पड़ते हैं । शिक्षा, व्यापार, राजनीति, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, रक्षा, सामाजिक विकास आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं का हस्तक्षेप उल्लेखनीय है ।

लेकिन सही मायनों में किसी देश, क्षेत्र या राज्य में महिलाओं को तब तक सशक्त नहीं कह सकते जब तक वहां की प्रत्येक महिला तक विकास की धारा नहीं पहुंच जाती । ऐसा करने में संचार और संवाद के माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है । सभी जनमाध्यम समाज में संचार और संवाद की प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं । संचार समाज को प्रगति पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण होता है । यह एक किस्म की दो तरफा प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा संस्थान लक्षित जनता तक किसी विषय पर संदेशों का संप्रेषण करता है और इसे तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसे संदेश प्रापक से कोई प्रत्युत्तर न मिल जाए । संचार संदेश प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच

सामंजस्य भी स्थापित करता है । संचार माध्यमों में मुद्रित माध्यम (अखबार, पुस्तकें, पत्रिकाएं), इलेक्ट्रानिक माध्यम (रेडियो, टेलीविजन), परंपरागत माध्यम (कठपुतली, लोकगीत, लोकनृत्य), आउटडोर माध्यम (होर्डिंग्स, बैनर, दीवारों पर लेखन, पोस्टर) तथा नये माध्यम (मोबाइल, सोशल मीडिया, कंप्यूटर) इत्यादि आते हैं । माध्यम कोई भी हो, सभी समाज में अपने दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों को विभिन्न मुद्दों पर सूचित करने, शिक्षित करने और जागरूक करने का कार्य करते हैं । ये माध्यम किसी विषय पर जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण जरिया भी होते हैं । इन सभी जनमाध्यमों में रेडियो का भी महत्वपूर्ण स्थान है ।

प्रसिद्ध संचार वैज्ञानिक डेनियल लर्नर ने कहा है कि जिन समाजों के लोग मीडिया के प्रति जितने अधिक अभिमुख होते हैं वे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में उतने ही सक्रिय भी होते हैं । माध्यम किसी भी समाज में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं । माध्यम जनसाधारण को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं । हमें अपने आस-पास के बहुत से जरूरी विषयों के बारे में सूचनाएं इन माध्यमों से ही मिलती हैं और जरूरी सूचनाएं हमारी प्राथमिकताओं और हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं । ऐसे में निश्चित ही इन माध्यमों की सामाजिक विकास में भी अहम भूमिका होती है । स्त्री सशक्तिकरण भी सामाजिक विकास का एक प्रमुख सूचक है । स्त्री सशक्तिकरण की प्रक्रिया में किसी समाज में उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भागीदारी, शिक्षा का अधिकार, अवसरों की समानता, बराबरी का दर्जा, बेहतर स्वास्थ्य इत्यादि विशषताएं शामिल हैं । सभी प्रकार के जनमाध्यम जिन्हें संयुक्त रूप से मीडिया कहा और समझा जाता है, इन विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थित और सक्रियता से परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं ।

लिंगानुपात और मीडिया – वर्तमान में भारत उन देशों में शामिल है जहां लिंगानुपात की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है । दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हम इस मामले में पीछे हैं । भारत में लिंगानुपात वर्ष 1901 में प्रतिहजार पुरूषों पर 972 था जोकि 2001 में 933 रह गया । वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इसमें कुछ सुधार हुआ है और वर्तमान में यह 940 हो चुका है लेकिन चिंता की बात यह भी है कि लगभग 8 राज्यों में यह आंकड़ा 900 से भी कम का है । इसका सबसे बड़ा कारण है समाज में बेटों की चाह और बेटियों को दूसरा दर्जा देना । भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी पराया धन समझा जाता है । उसे विवाह कर दूसरे घर जाना है ऐसा मानकर उसे अपने वंश को आगे न बढ़ा पाने में महत्वहीन समझा जाता है । हालाँकि अब बहुत बदलाव आया है लेकिन समाज में अभी

भी यह विचार मौजूद है । इसी कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसा अपराध हमारे यहाँ होता है । सिर्फ ग्रामीण तथा गरीबी और पिछड़ेपन वाले इलाकों में ही यह होता हो ऐसा नहीं है । पंजाब समेत दिल्ली और हरियाणा में भी यही हालात हैं । देश में ''बेटी बचाओ अभियान'' चल रहा है । इसके तहत सरकार केंद्रीय और राज्यों के स्तर पर 0-3 वर्ष के आयुवर्ग में लिंगानुपात को बेहतर करना चाहती है । टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र-पत्रिकाओं सहित तमाम परंपरागत माध्यमों के जरिये लोगों को बेटियों को बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है । मीडिया के उपयोग से लोगों को समाज में समान लिंगानुपात के महत्व को समझाया जा रहा है । इस अभियान के परिणाम भी बेहतर आएंगे । मीडिया के इस प्रयास से लोग इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि संतुलित विकास के लिए स्त्री और पुरूष की समान भागीदारी आवश्यक है । सभी जनमाध्यम देश तथा प्रकृति में महिलाओं की उपस्थिति के महत्वों को अलग-अलग प्रकार से समझा सकते हैं । इससे पूरे समाज में एक माहौल तैयार हो सकता है ।

महिला शिक्षा और माध्यम – शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे बेहतर जरिया है । मीडिया महिलाओं के शिक्षित करने तथा उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाने में कारगर साबित हो सकता है । ग्रामीण तथा कस्बाई इलाकों में बेटियों की अपेक्षा बेटों को तरजीह देने से उन्हें अधिकांश मामलों में सीमित शिक्षा के अवसर ही मिल पाते हैं । कई इलाकों में तो घर के काम करने जैसे बर्तन धोने, पानी भरने, पशुओं को चराने अथवा उनके लिए चारा इत्यादि लाने जैसे कार्यों के कारण बटियों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता है । कई मामलों में तो स्कूल थोड़ा दूर होने से भी बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है ।देश में अभी भी यह सोच बरकरार है कि यदि बेटे और बेटी की शिक्षा की बात हो तो बेटे को ही पहली प्राथमिकता मिलेगी । लेकिन यदि एक बेटी पढ़ती है तो वह न सिर्फ अपने घर में बल्कि विवाह के पश्चात दूसरे घर में भी शिक्षा के प्रकाश का प्रसार करती है । भारत में साक्षरता दर की बात की जाए तो वर्तमान में पुरूषों में 82.14 प्रतिशत साक्षरता दर है जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत महज 65.46 का है । माडिया इन स्थितियों में बदलाव ला रहा है । तमाम सरकारी और गैर-सरकारी संगठन महिला शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने में लगे हैं । अलग-अलग क्षेत्रों में सभी प्रकार के माध्यमों से इन प्रयासों और महिला शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों की सोच में बदलाव ला सकते हैं । गुजरात, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में स्थापित सामुदायिक रेडियो केंद्रों द्वारा वहां की स्थानीय बोलियों तथा भाषाओं में बालिका शिक्षा को लेकर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं और इससे उन ग्रामीण इलाकों में भी बदलाव आ रहा है जहां अन्य कई माध्यम अपेक्षाकृत रूप से कम कारगर हैं ।

महिला स्वास्थ्य और जनमाध्यम — स्वास्थ्य भी किसी समाज में विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है । वर्ष 2015 में इंडिया टूडे नामक एक समाचार पत्रिका में प्रकाशित स्वास्थ्य पर आधारित रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जिन महिलाओं का विवाह 18 से कम उम्र में किया जाता है उनके बच्चों में भी एनिमिया होने का सबसे बड़ा कारण यही है । भारत में मातृमृत्यु दर भी अधिक है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समेत अनेक सरकारी योजनाओं के जरिये महिला स्वास्थ्य को बेहतर करने के प्रयास किये जा रहे हैं किंतु अभी भी हालात बहुत बेहतर नहीं हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना में बहुत कमी है । हमारे समाज में स्त्रियां पूरे घर का ध्यान रखती हैं किंतु वे अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं अधिक सचेत नहीं रहतीं । कई मीडिया रिपोर्ट में प्रायः आता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं बावजूद इसके समाज में स्त्री स्वास्थ्य को लेकर जारूकता बहुत कम है । लडकियों का स्वास्थ्य हो या फिर गर्भवती महिलाओं की देखभाल या फिर कामकाजी (शहरी और ग्रामीण) महिलाओं के स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो हमारे देश में इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है । नतीजा महिलाओं में मधुमेह, दिल की बीमारियां, आस्टियोपोरेसिस जैसी बीमारियां आम हो गई हैं ।

महिलाएं हमारे घरों की धुरी होती हैं । अगर वे ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो घर या समाज कैसे स्वस्थ हो सकता है ? जनमाध्यम अपने कार्यक्रमों और विषय-वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण से समाज और स्वयं महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर सकते हैं । मीडिया के लगातार प्रयासों से स्त्री स्वास्थ्य की मौजूदा तस्वीर में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं । पोलियो जैसी खरतनातक बीमारी हो या एड्स जैसा संक्रामक रोग या फिर अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या, दुनियाभर में जनसंचार के माध्यमों ने अपने कार्यक्रमों, सूचनाओं के जरिये लोगों को जागरूक कर उन्हें इन बीमारियों से बचाया है । भारत आज पोलियो जैसी महामारी से मुक्त देश बन सका है तो इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका रही है । सरकार ने सभी संचार माध्यमों के जरिये अनेक विज्ञापन प्रसारित किये कि लोग नौनिहालों को पोलियो की ''दो बूंद जिंदगी की'' पिलवाएं ताकि उनके बच्चे पोलियो से लड़ सकें । इसमें लंबा समय लगा लेकिन वर्ष 2014 के मार्च माह में जाकर भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की पोलियो मुक्त देशों की सूची में शामिल हो सका ।

जनमाध्यम और महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन — आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है । भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में तमाम सरकारी विभाग और गैर-सरकारी संगठन महिलाओं को आत्मनिर्भर

तथा उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के प्रयास कर रहे हैं। विश्व बैंक के एक शोधपत्र में (सोनाली दास और अन्य द्वारा प्रस्तुत) में कहा गया है कि भारत में कार्यशील महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में बहुत कम है। यहां भी कार्यक्षेत्र में स्त्री/पुरूष भागीदारी में संतुलन नहीं दिखाई देता। भारत सरकार के सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में सार्वजनिक संगठनों में केवल 18.1 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रों में 24.3 प्रतिशत महिलाएं ही कार्यरत थीं। आधी आबादी कहलाने वाली स्त्रियों का कार्यक्षेत्रों में कम दखल होना एक बेहतर संकेत नहीं है। देश में महिला उद्यमी भी बहुत कम संख्या में हैं। ऐसे में मीडिया सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की डगर पर अग्रसर कर सकता है।

सरकारों के प्रयासों, योजनाओं के बारे में देश की महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारियां देकर, उनकी समस्याओं को एक सशक्त मंच प्रदान कर मीडिया महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। महिला उद्यमियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों, नीतियों के बारे में सूचनाओं के प्रसार से भी बदलाव आ सकता है। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि आर्थिक निर्भरता के चलते भी महिलाएं अवसरों के उपयोग से वंचित रह जाती हैं। अगर उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता हो तो वे अपने लिए मौजूद अवसरों को व्यर्थ ही नहीं जाने देंगी बल्कि उसका अधिकतम उपयोग करेंगी। मीडिया को महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारियां देकर उन्हें आर्थिक आजादी में भी सक्रिय करना होगा। सभी जनमाध्यम सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में मौजूद रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने हेतु महिलाओं को प्रेरित करना होगा।

स्त्रियों की राजनैतिक सक्रियता और जनमाध्यम – भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। छोटे-छोटे गांवों की पंचायतों से लेकर संसद तक हमारे यहां एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। यहां आम आदमी सरकार बनाता है और उसमें उसकी सच्ची भागीदारी होती है। पंचायतीराज संस्थाओं में अनेक राज्यों में महिलाओं के लिए पचास फीसदी स्थान सुरक्षित हैं। विधानसभाओं और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक प्रतीक्षारत है। यह मामला चर्चा और शोर-शराबे से आगे बढ़ता नहीं दिखता। दिल्ली पालिसी ग्रुप नामक एक गैरसरकारी संगठन के 2014 के आंकड़ों के अनुसार संसद में महिलाओं के अनुपात के मामले में भारत दुनिया में 11 वें स्थान पर है। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों से भी पीछे है। यहां तक कि परंपरागत और रूढ़ीवादी समाज समझे जाने वाले मुल्क सउदी अरब भी इस मामले में भारत से आगे है। संस्था ने इंटर पार्लियमेंटरी यूनियन के हवाले

से यह बात कही है । जिन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण मौजूद है वहां भी उनकी भागीदारी और सक्रियता कम ही दिखाई देती है । यही कारण है कि सरपंच पति, प्रधानपति या पार्षद पति जैसे शब्द---युग्म ईजाद हुए हैं । जिन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी है वहां के निर्णय भी कई बार उनके परिजनों जिनमें पति, भाई, बेटा या और किसी सगे-संबंधी से प्रभावित होते हैं । कहने का मतलब है कि वे स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले पातीं । ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में ऐसा हो लेकिन अधिकांश मामलों में ऐसा होता है । हालांकि कई जगहों पर महिला प्रतिनिधियों ने बेहतर कार्यों के उदाहरण भी स्थापित किये हैं लेकिन ऐसे कार्य उंगलियों पर गिने जाने वाली संख्या तक ही सीमित हैं ।

पंद्रहवीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत केवल 11.2 ही था । इंटर पार्लियमेंट्री यूनियन की 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार रवांडा जैसे बेहद पिछड़े मुल्कों में वहां की संसद में 48.8 प्रतिशत महिलाएं थीं जबकि भारत में यह महज 8.3 प्रतिशत ही था । विकसित मुल्कों जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, अर्जेंटिना, स्वीडन और नार्वे में महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व क्रमशः 36.0 %, 36.8 %, 35%, 45.3 %, 37.9 प्रतिशत था । वास्तव में किसी व्यवस्था में स्त्री और पुरुष की समान राजनैतिक सक्रियता से ही वहां संतुलित प्रणाली कही जा सकती है । मीडिया महिलाओं को उनके राजनैतिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सचेत कर सकता है । यही नहीं बेहतरीन काम करने वाली महिला प्रतिनिधियों के कार्यों से अन्य महिलाओं को परिचित करवाकर उन्हें भी अभिप्रेरित कर सकता है । मीडिया महिला राजनैतिज्ञो को, उनके कार्यों, उनके मुद्दों और समस्याओं को पर्याप्त स्थान देकर एक नई तस्वीर तैयार कर सकता है । महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए, उनकी राजनैतिक सक्रियता को बढ़ाने में भी मीडिया की भूमिका सकारात्मक हो सकती है ।

आजाद भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकारों ने कई सकारात्मक पहल की हैं । आज हमारे देश में महिलाएं सभी क्षेत्रों में मौजूद हैं । समाज और सरकारों ने उन्हें अवसर मुहैया करवाये हैं तो वे बेहतर कार्य कर रही हैं । शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि में सक्रिय भूमिकाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं । इस सभी के बावजूद आज भी अधिकतर महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से बेहतर हालात में नहीं है । हाल ही में एसोशिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री(ऐसोचैम) तथा सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि कामकाजी महिलाओं में से 25 प्रतिशत तथा 40

प्रतिशत मां बन चुकी महिलाएं लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, असुरक्षा, पारिवारिक समस्याओं आदि के चलते काम नहीं करना चाहती ।

मीडिया इनमें से बहुत सी परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है । रजिस्ट्रार न्यूजपेपर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार देश में प्रतिदिन 7871 समाचार पत्रों की 26-29 करोड़ से भी अधिक प्रतियाँ प्रकाशित होती है । रिपोर्ट आगे कहती है कि हमारे यहाँ 8084 साप्ताहिक, 3912 मासिक और 2219 पाक्षिक, 309 त्रैमासिक तथा 76 वार्षिक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र भी है । इसके अतिरिक्त 282 अन्य प्रकाशन भी है । फिक्की नामक प्रतिष्ठित संगठन की मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र पर आधारित 'फिक्की-केएमपीजी रिपोर्ट-2015'' के अनुसार 16.8 करोड़ घरों में टेलीविजन मौजूद है । यह संख्या चीन के बाद दूसरे स्थान पर है । देश में सार्वजनिक रेडियो प्रसारक 'आकाशवाणी' के अतिरिक्त कई निजी एफएम तथा सामुदायिक रेडियो स्टेशन है । कुल मिलाकर मीडिया की मौजूदगी देश में उल्लेखनीय है । अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य 22 भाषाओं में ये प्रकाशन सूचनाओं को प्रकाशित करते हैं । वी.एस. गुप्ता ने अपनी पुस्तक 'कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया पालिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट'' में लिखा है कि महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महिलाओं को उनकी स्वयं की शक्ति का आभास करवाया जाता है तथा उन्हें इस शक्ति के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाता है । वे इस प्रक्रिया में वे विकल्पों का उपयोग कर सकती हैं, संसाधनों पर उनका भी अधिकार होता है तथा परिवार और समाज में ये सहभागी की भूमिका में होती है । सभी तरह के जनमाध्यम (समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल और परंपरागत माध्यम) समाज और स्त्री दोनों को सकारात्मक रूप से सामाजिक विकास में सहभागी बना सकते है । हमारे समाज में मौजूद सभी संचार के जनमाध्यम अपनी प्रभावशीलता से भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को भी गति दे सकते हैं ।

संदर्भ सूची -

1. गुप्ता वी.एस. कम्युनिकेशन टेक्कनॉलोजी, मीडिया पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, 1999, कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ - 166
2. कुमार हजिरा एंड वर्गीस जैमन, वुमेन एम्पॉवरमेंट, ईश्यूज, चैलेन्जस एंड स्ट्रैटजिस : ए रिसोर्स बुक, 2005 रिजेन्सी पब्लिकेशन्स न्यू दिल्ली, पृष्ठ. 231
3. एसेस्ड ऑन 17-5-2016, httep://www.thebetterindia.com/22023/वूमेन कम्युनिटी - रेडियो - रूरल - इंडिया

4. एसेस्ड ऑन 17/05/2016,httep:indiatoday.intoday.in/education/story/india-health-report/1/544495.html

5. एसेस्ड ऑन 17/5/2016, http://www.delhipolicygroup.com/uploads/publication_file/1066_Women_in_Politics_final.pdf

6. एसेस्ड ऑन 19/05/2016,http://www.garph.co.uk/IJARMSS/Jan2015.pdf

7. एसेस्ड ऑन 19/05/2016,http://www.downtoearth.org.in/news/maternal-mortality-india-liketly-to-miss-mdg-target--49036

8. एसेस्ड ऑन 19/05/2016,http://www.ijhssi-org/papers/v2(9)/Version-2/JO292078071.pdf

9. एसेस्ड ऑन 19/05/2016,http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1555.pdf

10. एसेस्ड ऑन 19/05/2016,http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/mand_manand_women/Chapter%204.pdf

11. एसेस्ड ऑन 19/05/2016,http://wwwthehindu.com/sci-tech/health/policy-and-issues/who-officially-declares-india-poliofree/article5839833.ece

12. एसेस्ड ऑन 28/05/2016,http://www.assocham.org/newsdetail.php?id=5551

13. रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स इन इंडिया, 2014-2015, http:/rni.nic.in/pin2014_pin01.pdf,Accessed on 21/05/2016

14. रिपोर्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 2015,https://www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FICCI-KPMG_2015.pdf,Accessed on 21/05/2016

16. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं आरोग्य

*** डॉ. मीनू जैन**

आरोग्य एवं विकास पटल पर महिला सशक्तिकरण .....

महिला सशक्तिकरण के साथ आरोग्य जैसे विषय को रखना विद्वतजनों को थोड़ा अलग जरूर लग रहा होगा क्योंकि जब जब महिला सशक्तिकरण की बात उठती है तब तब उसके पीछे शोषण गुलामी व दासतां की जंजीरों से बाहर निकलने की बात होती है या फिर उसकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आजादी की बात की जाती है अथवा फिर यह बात महिला पुरुष की बराबरी के दर्जे पर आकर अटक जाती है। लेखक ने लीग से अलग हटकर इस विषय को देखने की कोशिश की है जिसका संबंध महिलाओं के आत्म-सम्मान और उनकी जीवन की भूमिका के लिए बड़े एवं अहम भाग को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने से रहा है ।

मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स के पश्चात विकास का जो परिदृश्य उभरकर हमारे सामने आया है उसके तीन प्रमुख पहलू हैं- शिक्षा, आरोग्य और आजीविका अर्थात कौशल्य विकास। स्पष्ट है कि मानव विकास के लिए आरोग्य घटक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिससे विकास के बाकी के दो पक्ष शिक्षा व आजीविका भी प्रभावित होते हैं। हमारी संस्कृति भी आजीविका से पहले आरोग्य की सर्वोपरिता की दुहाई देती है यथा - पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया।

आरोग्य विकास की समझ एवं महिला समुदाय....

आरोग्य विकास को लेकर कुछ गैर समझ है जिसकी बात यहाँ कर लेना उचित होगा। आरोग्य विकास से सामान्य अर्थ लिया जाता है आरोग्य लक्ष्मी आधारभूत संरचना के विकास से, साधन संसाधनों की व्यवस्था से और सभी के लिए आवश्यक दवाओं व आरोग्यलक्ष्मी आधारभूत संरचना की उपलब्धता से। कुदरती उपचार की संभावना आरोग्यलक्ष्मी विकास की परिकल्पना दवा के बिना उपचार के तौर पर करती है, जीवनशैली को नियमित बनाने पर बल देती है, स्वयं को प्रकृतिमय बनाने की वकालत करती है जिसमें प्रकृति में बसे हुए पंचमहाभूत-जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की हर मर्ज का रामबाण इलाज है। व्यक्ति का आरोग्य स्वयं उसके हाथ में है वह चाहे उसे

---

* कुदरती उपचार एवं योग
सी- 203, स्वप्नविला, जैन फ्लैट, पेथापुर, गांधीनगर (गुजरात) 382610

बना सकता है और चाहे बिगाड़ सकता है । यदि हम महात्मा गांधीजी की संक्षिप्त किन्तु सारभूत कृति आरोग्य की कूंजी का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि हमारा आरोग्य एक सीमा तक आहार और जीवनशैली पर टिका हुआ है । हम किस तरह से उसका जतन करते हैं इस पर निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य । इस आधार पर यदि हम कहें कि हमारा आरोग्य हमारे हाथ में है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । आहार से तात्पर्य महंगें व अमर्यादित भोजन प्रमाण तथा भोजन में अनेकानेक वस्तुओं की संख्या से नहीं हो सकता अपितु इसका सरोकार सादगी से है, पौष्टिकता से है, सर्व सुलभता से है जो स्थानीय स्तर पर उत्पन्न धान्य, सब्जी और मौसमी फलों को शामिल करता है, इसका आशय भोजन के समय नियोजन से है ताकि पाचन क्रिया सुचारू रहे, इसका निहितार्थ शरीर को योगाभ्यास व कसरत द्वारा मेहनतकश बनाने से है ताकि भोजन के प्रमाण और हमारी जरुरतों का संतुलन आरोग्य की दृष्टि से बना रहे।

आरोग्य की दृष्टि से महिला सशक्तीकरण का स्वरूप .....

क्योंकि अवसर महिला सशक्तिकरण की बात करने का है तो आरोग्य का राग आलापना अप्रासंगिक बन सकता है और आरोग्य को महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़कर देखना उतना ही प्रासंगिक है । आप सभी भारतीय समाज व्यवस्था से भलीभाँति परिचित होंगे कि यहाँ पुरुष प्रधान समाज की बहुलता है, जहाँ परंपरागत रूप से घरकाम की व चूल्हा चौके की जिम्मेदारी महिलाओं की तथा कमाने की जिम्मेदारी पुरुषों की मानी जाती रही है । इसकी अति का प्रभाव यह रहा कि महिलाएं अपनी स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकारों से वंचित रहने लगी, उनके साथ भेदभाव होने लगा खाने पीने के मामले में भी । यथा यह मान्यता व व्यवस्था रही है कि पुरुषों के भोजन कर लेने पश्चात ही महिलाएं भोजन करेंगी, रसोई में जो बच जायेगा, उसे खाकर ही संतुष्ट रहेंगी, रसोई में क्या बनना चाहिए यह निर्णय भी परिवार के पुरुष सदस्य करेंगे । इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि इसमें बदलाव नही आया है, जड़ परंपराएं टूटी हैं किन्तु काफी महिलाएं इसे नियति मानकर ढोती हैं और अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती रहती हैं अथवा उसे नजरअंदाज करती रहती है । इसके अलावा भी वे महिलाएं जिनमें संकोच है, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है अथवा जिन्हें विकास का योग्य वातावरण नहीं मिल रहा है उनके साथ निर्दयता से मारपीट की जाती है, उन्हें मानसिक प्रताडना दी जाती है, उसकी निहित क्षमताओं को बाहर आने के अवसर इस संकुचित वातावरण में घुट घुटकर दम तोड़ने लगते हैं, हर निर्णय उन पर थोपा जाता है, उनकी मर्जी व इच्छा की बलात् उपेक्षा की जाती

है और इस तरह घरेलू हिंसा व सामाजिक बंधनों का घेरा उनके चारों ओर निरंतर कसने लगता है। हमारे समाज सुधारकों ने इस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए समय समय पर काफी प्रयास किए और बदलाव आए भी। जिसकी परिणति शिक्षा और आरोग्य के क्षेत्र में ही नहीं अपितु उन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और उनकी लोहा मनवाने वाली प्रतिभा के साक्षात्कार में मिलती है जो पुरुषों की बराबरी में ही नहीं अपितु आज उनसे कहीं आगे जाकर खड़ा करती है।

ग्रामीण भारत में महिलाएं - आरोग्य - सशक्तिकरण के प्रतिमान ....

भारत गांवों का देश है। ग्रामीण महिलाओं में शिक्षण का प्रमाण अभी अपेक्षित रूप से बढ़ा नहीं है। महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर भी कई तरह से प्रयास हुए उनके परिमाणों पर टिप्पणी करना मेरा मकसद नहीं है अपितु मेरी सोच में एक सकारात्मक कोशिश है जो विरोध का रास्ता न चुनकर उनकी अपनी उस भूमिका को बेहतर तरीके से निर्वहन की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है जिनसे उनका एवं उनके परिवार का, बच्चों का, उनके अपनों का आरोग्य संवर सकता है, जिसे महिला सशक्तिकरण की होड़ में, फैशन की आड़ में हम कहीं दूर छोड़ने को आतुर हैं। कहने का आशय यह है कि आज महिला सशक्तिकरण का मतलब घर से बाहर निकलना एवं उन कामों को करना मात्र रह गया है जिन्हें पुरुष करता आ रहा है। आज की महिला पीढी रसोई ज्ञान में अरुचि रखते हुए अपने पारंपारिक ज्ञान की विरासत को विसराने में लगी है। सोचो यदि यह आगे नहीं गई तो किताबों में पढ़-पढ़ कर चित्र देख देख कर हमें आरोग्यप्रद भोजन तैयार करना पड़ेगा। अलबत्ता तो इस आधुनिक फैशन के दौर में पेट को होटल, ढ़ाबों और ठेलों पर मिलने वाले चाट पकोडी, फ्रिज के बासे-तिबासे भोजन, मैदे के पाव आदि बेकरी उत्पादों का आदी बना लिया है। कामकाज की व्यस्तता की दुहाई देती हाथ से पैसा कमाना तथा दूसरे हाथ से मजबूरी में लुटाना और अपना तथा अपने परिजनों का आरोग्य बिगाड़ना, नई नई बीमारियों के लिए वातावरण जाने अनजाने में तैयार कर लेना यही सब तो हुआ है इस तरक्की के जमाने में। आज पैसा है तो साथ बैठकर, आराम से बैठकर शांति से खाना खाने का समय अधिकांश के पास नहीं है। अपने ही शरीर की हिफाजत के लिए समय नही है जिस पर हमारी आजीविका व शिक्षण आदि का दारोमदार टिका हुआ है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों की आलोचना करना या रोकने की यहाँ कोई मंशा दूर दूर तक नहीं है किन्तु महिलाओं को हर हाल में जागृत होना है, विकास एवं निर्णय प्रक्रिया में बराबर का हिस्सेदार बनना है, हर उस क्षेत्र में अपनी काबिलियत सिद्ध कर योग्यता, कार्यक्षमता व कार्यकुशलता का परचम लहराना है जिसमें उसे उपेक्षा या हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है।

मेरा इस देश की माताओं, बहनों व युवा पीढ़ी से विनम्र आग्रह है कि वे देश के आरोग्य को संरक्षित करने में अपनी स्थापित भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाएं, रसोई से अपनी पाकशास्त्रीय कुशलता व ममता का वर्चस्व न छोड़ें, वात्सल्यपूर्ण भावना के साथ मानव जाति के पेट को गटर बनने से रोकें, समाज के लालन पालन की बागडोर कसकर अपने हाथ में रखें, आरोग्य को नष्ट करने वाले पैकटबंद खाद्यान्न उत्पादन करने वाले कारखानों को पनपने से रोकें, इससे प्लास्टिक प्रदूषण भी घटेगा । हमारी ग्रामीण महिलाओं में भी कुपोषण की समस्या देखने को मिलने लगी है जो संभवतः अन्न की कमी मात्र से नहीं, अपितु संतुलन के अभाव से उठ खड़ी हुई है, तथाकथित विकास की लालसा में, सशक्तिकरण के दिखावे की चाह में शहरीकरण अर्थात शहर में इसके नाम पर जो हो रहा है, उसका अन्धानुकरण करने में यथा घर के भोजन की बेदरकारी, पोषक तत्वों के संयोजन के प्रति लापरवाही एवं रसोई में जाने के आलस में चलते उत्पन्न हुई हैं । क्या आप सभी नहीं मानते कि समय रहते इस पर विचार करने, गहन करने की नितान्त आवश्यकता है ? मुझे लगता है कि आपका उत्तर हाँ में ही होगा यदि आपने आरोग्य की विभावना को भलीभाँति समझ लिया है ।

उपसंहार :

सही मायनों में सशक्तिकरण उस व्यवस्था का नाम है जिसमें सामने वाला समझने लगे कि आप उसकी बुनियादी आवश्यकता पूर्ति की वह महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिसके अभाव में उसका समूचा अस्तित्व जोखम में आ जायेगा, वह रोगों का घर बन जायेगा, वह पैसे से भी जायेगा और काम से भी । अपने इस ज्ञान को यूं ही जाया न होने दें । खुद को सशक्त बनायें और समाज को सशक्त बनाते हुए समाज पर, मानव जाति पर और प्रकृति पर उपकार करें जो इस दिशा में संघर्ष की बजाय एक सकारात्मक पहलू सिद्ध हो सकता है ।

महिलाओं की भूमिका और ताकत को न तो पहले और न ही आज कम आँक कर देखने की हिमाकत कोई कर सकता है, वह मानव समाज की जन्मदात्री, सभ्यता के संस्कारों का सिंचन करने वाली प्रथम शिक्षक ही नहीं अपितु जीवन के विभिन्न पड़ावों की जरूरत के अनुरूप स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए विभिन्न रूपों में लालन पालन करने वाली अन्नपूर्णा है जिसकी भूमिका आजीविकोपार्जन करने वाले समुदाय से कहीं अधिक है क्योंकि वही है जो मानव जाति को शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने कि क्षमता पैदा करती है, सामाजिकता का वातावरण पैदा करके आन्तरिक व बाह्य शांति बनाए रखने में परदे के पीछे रहकर किंग मेकर की भूमिका निभाती है । भारतीय संस्कृति में महिला को आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है । वैज्ञानिक दृष्टि से शक्ति के इन स्वरूपों का

अवलोकन करें तो हम पायेंगे कि ये जीवन की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति करने वाली शक्ति की प्रतीक ही तो है । इसलिए इसकी उपेक्षा संभव नहीं है ।

लेखिका कुदरती आरोग्य एवं योग क्षेत्र के साथ साथ स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र व ग्रामीण विकास की भी विद्यार्थी रही हैं इसलिए महिला सशक्तिकरण के अभिगम को विकास पटल पर आरोग्य के साथ देखने की एक जिज्ञासा को साकार रूप देने का साहस कर सकी है जिसमें परस्पर संघर्ष की जगह गांधी का अहिंसक पथ दिखता है, बराबरी की जगह पूरकता दिखती है । हमें अपनी पहचान बनाए रखते हुए समाज के विविध क्षेत्रों में अपना योगदान सुनिश्चित करना है । अंत में इतना ही कहना है कि आरोग्य की दिशामें महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आज पुनर्विचार करने की नितान्त आवश्यकता है ताकि देश में आरोग्य स्वराज लाया जा सके, परिवार की पूँजी परिवार में रहे, अनावश्यक व बिन जरूरी कार्यों में व्यय न हो तथा हमें व हमारे परिवारजनों को अस्पतालों के धक्के न खाने पड़े । इस दिशा में पहल करने की जरूरत समाज के संभ्रान्त वर्ग को है जो आर्थिक व शैक्षणिक रूप से शक्ति सम्पन्न है क्योंकि उसका अनुसरण ही निम्न मध्यम वर्ग करता है प्रतिष्ठा व समानता पाने की मृगमरीचिका में । हम आरोग्यलक्षी विकास के द्वारा महिला सशक्तिकरण के इतिहास को दोहरा सकते हैं तथा समाज को बीमारी के गहरे गर्त में जाने से बचाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकते हैं । यहाँ भोजन व जीवन शैली के अलावा आरोग्य के अन्य पक्षों को समय व विषय विश्लेषण की मर्यादा के चलते छोड़ दिया गया है जिसकी समझ ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों के लिए आवश्यक है, जिनसे संबंधित प्रश्नों के संदर्भ में पर्याप्त व उचित जागृति के अभाव में महिलाओं को जूझना पड़ता है । यदि वे इस दिशा में यथाशक्ति जागृति के प्रयास करेंगी तो न सिर्फ प्रसूति आदि से जुड़ी, समस्याओं का हल निकलेगा अपितु संरचना में व्याप्त विसंगतियां भी समाप्त हो सकेगीं जिसका लाभ महिला समुदाय ही नही अपुित समस्त मानव जाति को मिल सकेगा और उनके हाथ मजबूत होंगे । इसके माध्यम से देश की जनसंख्या की समस्या, बाल आरोग्य, महिला आरोग्य आदि में जो बदलाव आयेंगे वो विकास व सशक्तिकरण की राह में मील का पत्थर साबित होंगे ।

संदर्भ

1. डॉ. अभय बंग, हृदय रोग से मुक्तिः एक हृदय रोगी चिकित्सक की आत्मकथा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली ।
2. डॉ. राकेश जिंदल, प्राकृतिक आयुर्विज्ञान, आरोग्य सेवा प्रकाशन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश
3. मोहनदास करमचंद गांधी, आरोग्य की चाबी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद ।

17. महिला सशक्तिकरण : भारतीय परिदृश्य अवलोकन

आशीष कुमार तिवारी *

सशक्तिकरण, जागरुकता व क्षमता, विकास की वह प्रक्रिया है जो वृहत्तर भागीदारी, वृहत्तर निर्णय, निर्माण, अधिकार और नियंत्रण तथा रुपान्तरण की क्रिया की ओर ले जाती है । हिन्दु धर्म में महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है, नवरात्र पूजा में कन्याओं को भोजन कराना इस बात की पुष्टि करता है । प्रारंभ में, भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें पुरुषों के बराबर ही महत्व दिया जाता था यज्ञ इत्यादि महत्वपूर्ण कर्म में उनकी भूमिका होती थी और किसी भी प्रकार से वे पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं थी, ऋग्वेदिक काल में अनेक महिलाओं का नाम उल्लेखित है जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, एवं विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन है । हमारे देश में जहाँ एक ओर लिंग पूजा देखने को मिलती है वही दुसरी ओर योनी पूजा का वर्णन भी है । हड़प्पा उत्खनन में योनी का मिलना इस बात की पुष्टि करता है आसाम स्थित कामाख्या शक्तिपीठ में आज भी देवी की योनी की पूजा की जाती है परंतु फिर भी अथर्वकाल आते-आते महिलाओं के सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है । इसी प्रकार मैत्रायणी संहिता में महिलाओं को सुरा, पांसा की श्रेणी में रखा गया तथा उन्हें प्रमुख बुराई के रूप में चित्रित किया गया है इससे पता चलता है कि दिनों-दिन महिलाओं के सामाजिक जीवन में ऋणात्मक प्रगति हुई और यह ऋणात्मक प्रगति आजादी मिलने तक चलती रही चाहे मौर्य काल हो, गुप्त काल हो अथवा सल्तनत काल महिलाओं के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया अपितु अनेक प्रकार की सामाजिक हिंसा उनके साथ जुड़ती चली गई उदाहरण के रूप में सती प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा दहेज प्रथा प्रमुख है महिलाओं के साथ ऐसी सामाजिक हिंसा केवल भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों व अन्य अनेक धर्मों में देखने को मिलती है । महात्मा गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में भी महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था परंतु महात्मा गौतम बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी के अनुरोध पर सर्वप्रथम उनको ही बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया गया इसी प्रकार ईसाई धर्म में भी महिलाओं के साथ भेदभाव दिखाई देता है । आज तक किसी महिला को पोप नहीं बनाया गया । मुस्लिम धर्म में तो महिलाओं को आज तक मस्जिद में आने की अनुमति नहीं मिली है । इन सभी तथ्यों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है किसी भी धर्म में महिलाओं के साथ वांछित न्याय नही किया गया । महिलाओं की स्थिति केवल

* संगम चौक, दरबारी टोली, जशपुर नगर, छत्तीसगढ़

धार्मिक रूप से कमजोर नहीं थी वरन राजनैतिक दृष्टिकोण से भी उन्हें हासिये पर रखा गया, रजिया सुल्तान के शाषक बनने पर वहाँ के अमीरों द्वारा विरोध किया गया यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि किसी भी स्थिति में महिलाओं का आधिपत्य पुरुषों को स्वीकार नहीं था केवल भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी पिछली शताब्दी तक महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था । परंतु महिलाओं के जीवन पर व्याप्त ग्रहण काल 19 वीं शताब्दी उपरांत धीरे धीरे हटने लगा । अनेक समाज सुधारकों का जन्म हुआ जिन्होंने महिलाओं के उत्थान हेतु प्रयास किया और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु प्रयास किया जिसमें राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रमाबाई, लेडी सदाशिव अय्यर का नाम प्रमुख हैं । सती प्रथा निषेध कानून 1829 में विलियम बैटिंग द्वारा लाया गया, हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लार्ड डलहौजी द्वारा 1856 में लाया गया जिसके द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दी गई । शारदा एक्ट के द्वारा महिलाओं के शादी के लिये 14 वर्ष की आयु निर्धारित की गई ।

महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रमुख तथ्य :- आज पुरी दुनिया में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और क्रूर रूप लेती जा रही है ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि समाज में औरत का दर्जा पुरुष से कम माना जाता है यही कारण है कि घर के बाहर जितनी हिंसा महिला से नहीं होती उससे ज्यादा हिंसा घर के अंदर होती है पिछले कुछ समय में भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा बहुत ज्यादा हुई है । हर 26 मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है 34 मिनट में बलात्कार होता है, 42 वें मिनट में यौन शोषण की घटना होती है । हर 43 वें मिनट एक महिला को दहेज के कारण जलाया जाता है । बलात्कार के जो मामले दर्ज होते हैं उनमें से एक चौथाई मामलों में बलात्कार की शिकार लडकी 16 साल के आसपास की उम्र की होती है पर ज्यादातर मामले में पुलिस में रिपोर्ट नहीं किये जाते । बलात्कारी के लिये कठोर दंड का प्रावधान है पर 95 फीसदी बलात्कारी छूट जाते हैं उन पर आरोप सिद्ध हो नहीं पाता ।

समाज का महिला के प्रति दृष्टिकोण -

एक महिला किस प्रकार के पकड़े पहनेगी या एक विधवा किस तरह का जीवन यापन करेगी इसका निर्धारण हमारे रीति रिवाज और परंपराओं से होता है । स्पष्ट है कि महिलायें निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र नहीं है । देश के बड़े हिस्से में पर्दा प्रथा प्रचलित है अतः महिलायें पुरुषों के समान समाज के क्रियाकलापों में भाग नहीं ले पाती । आज कुछ पुरुष दहेज प्रथा की बुराई तो करते हैं परंतु वे अपनी ही बहन को पिता की संपत्ति में हिस्सा देने को तैयार नहीं है । हमारे परंपरागत सामाजिक ढांचे में जाति, धर्म समुदाय और वर्ग के आधार पर जो असमानताएँ अंतर्निहित हैं उनसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्त्री की

भूमिका व स्थिति प्रभावित होती हैं । समाज में महिलाओं के स्वीकृत अधिकार, उनकी भूमिका, उनका अपना व्यवहार और उनके प्रति दूसरों के व्यवहार का निर्धारण करने वाले नियम हर समाज और समुदाय के अलग-अलग और अपने-अपने हैं ये क्या और कैसे हैं, यह काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में उस समुदाय विशेष का क्या स्थान है और विकास के स्तर पर वह कहाँ खड़ा होता है । जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं का सारा जीवन परंपरा व धर्म से निर्धारित होता है ।

आज के परिवेश में महिलाओं की स्थिति :-

सरकार, महिला आंदोलन और विभिन्न स्तरों के लोगों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है कि देश के 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करते हुए महिलायें एक ताकत के रूप में उभर रही है । सन् 2001 के जनगणना के अंतरिम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 दशकों में महिलाओं की शिक्षा दर दुगने से भी ज्यादा हो गई है । 1971 में यह 22 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर 54 प्रतिशत हो गई इससे संकेत मिलता है कि भारत में महिलायें एक ऐसे महत्वपूर्ण जनसमूह में तब्दिल हो रही है जिससे भविष्य में मानव ऊर्जा और समाज दोनों का स्वरूप बदलेगा परंतु राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2000 व कुछ अन्य शोध अध्ययन से यह तथ्य भी उभर कर सामने आया कि महिलाओं के पास राजनैतिक भागीदारी के कम मौके हैं, वे संगठित नहीं है, ऋण या संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं है, वे कुपोषण के शिकार है तथा 15-19 आयु वर्ग की करीब 50 प्रतिशत महिलायें रक्त की कमी की शिकार है गांवों में आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है अतः मातृ मृत्यु दर काफी ज्यादा है विकलांगता, विधवापन आदि जीवन की विषम परिस्थितियों में उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा संबंधी देश की चिंता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई है । संविधान की धारा 14 राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में सभी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार व समान अवसर प्रदान करती है, धारा 15 लिंग, धर्म, रंग, जाति आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का निषेध करती है । धारा 15 (3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार देती है धारा 42 राज्य को ऐसे प्रावधान बनाने का निर्देश देता है जिनसे काम की न्यायपूर्ण व मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत सुनिश्चित हो सके । धारा 51 (ए) (ई) के अनुसार महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले रीति रिवाज या व्यवहार की निंदा करना हर नागरिक का मूलभूत कर्त्तव्य है । संविधान महिलाओं को समानता ही नही देता अपितु उनके पक्ष में सकारात्मक पक्षपात करने की छुट भी देता है ।

भारत ने महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते व मानवाधिकार नियमों की पुष्टि की है इनमें सबसे प्रमुख समझौता सीडा (कन्वैशन ऑफ इलिमिनेशन ऑफ आल फार्मस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंगेस्ट वूमैन) है इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में समय समय पर हुए विश्व महिला सम्मेलनों में पारित प्रस्ताव मेक्सिको प्लान आफ एक्शन, नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्ट्रेटिजिस, बीजिंग प्लेटफार्म फार एक्शन पर भी भारत सरकार ने मुहर लगाई है ।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को भारत सरकार ने 20 मार्च 2001 में स्वीकार किया । इसका लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना, उनके प्रति हर प्रकार के भेदभाव को खत्म करना था । वैसे तो सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना से ही महिला विकास पर ध्यान देना प्रारंभ किया था परंतु उस समय उनका उद्देश्य महिला के कल्याण पर केन्द्रित था । परिणामस्वरूप उसने विकलांग वृद्ध महिला, गरीब महिला को जोड़ा गया । छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार का दृष्टिकोण बदला और अब उनका लक्ष्य कल्याण न होकर विकास हो गया, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार तीनों मुद्दों को प्रमुखता से जोड़ते हुए महिला के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया ।

1986 में प्रधानमंत्री कार्यालय के संकेत पर महिलाओं की 27 बीओएस योजनाओं की निगरानी के लिये विशेष तंत्र स्थापित किया गया जो आज तक कार्य कर रहा है ।

महिलाओं के हितार्थ कुछ विशेष योजनाओं के नाम :

क्र.	**योजना का नाम**	**प्रारंभ वर्ष**
01.	महिला एवं बाल विकास विभाग	1985
02.	राष्ट्रीय महिला कोष	1993
03.	राष्ट्रीय महिला आयोग	1992
04.	महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय आयोग	1997
05.	पंचायती राज में आरक्षण	73 वां व 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
06.	सशक्तिकरण योजना	16 अक्तूबर 1998
07.	महिला प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम	1987
08.	स्वावलंबन योजना	1982-83
09.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (महिना प्राथमिकता	1999
10.	साक्षर भारत मिशन	2009

18. कृषिरत महिला : बढ़ती जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ

शिवाजी अरगड़े* अनन्ता सरकार *
सागर वाडकर*

कृषिरत महिला :

प्राचीन काल से कृषि और महिलाओं का घनिष्ठ संबंध रहा है । वह महिला थी जिसने खेती की कला को जन्म दिया । आज महिलाएं हर खेती एवं घरेलू गतिविधियों में अहम् भूमिका निभा रही है । वे वैश्विक कृषि कार्यबल की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है । वैश्विक कृषि कार्यबल का 43 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाएं करती है । भारतीय कृषि 80 प्रतिशत आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है । भारतीय स्वरोजगारित किसानों में 48 प्रतिशत महिलाएं है । एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 79 प्रतिशत महिलाएं और 63 प्रतिशत पुरूष कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों में कार्यरत रहना चाहते है । भारत में 12 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों का नेतृत्व महिलाएं कर रही है । खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अध्ययन में यह पता चला है कि भारत के हिमालयीन क्षेत्र में एक हेक्टयर खेत में एक साल में एक बैल जोड़ी 1064 घंटे, एक पुरुष 1212 घंटे, और एक महिला 3485 घंटे काम करते हैं । इससे कृषि उत्पादन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान स्पष्ट हो जाता है ।

महिलाओं की तिहरी भूमिका :

अगर महिलाओं की कृषि उत्पादन और अवैतनिक प्रजनन या घरेलू कार्यों को ध्यान में रखा जाए या एक साथ जोड़ दिया जाए तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा घंटे काम करती है । महिलाओं के कार्यों को उनकी तिहरी भूमिकाओं में वर्गीकृत किया गया है ।

1. **उत्पादन भूमिका :** यह बिक्री या आदान प्रदान या परिवार की जरूरतों को पूरा करने हेतु कृषि माल और सेवाओं के उत्पादन में महिलाओं द्वारा किए गए गतिविधियों को दर्शाता है ।
2. **प्रजनन भूमिका :** यह श्रम शक्ति के प्रजनन को सुनिश्चित करने हेतु जरुरी गतिविधियों को दर्शाता है । यह खाना पकाना, बच्चो का पालन पोषण, परिवार

* आई सी ए आर - केन्द्रीय कृषिरत महिला संस्थान, भुवनेश्वर ओडिशा
** टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई - 400088

के सदस्यों की देखभाल, युवाओं का समाजीकरण और अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर ध्यान के माध्यम से समाज में नैतिकता फैलाना भी दर्शाता है ।

3. **समुदाय प्रबंधन भूमिका :** यह महिलाओं के प्रजनन भूमिका का विस्तारित रूप दर्शाता है । यह मुख्य रूप से समुदाय स्तर पर पानी, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और सामूहिक खपत के दुर्लभ संसाधनों का प्रावधान और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है।

कृषि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर (Gender Gap in Agriculture)

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी वे अप्रयुक्त संसाधन रहे हैं । भारतीय कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और उनकी अधीनस्थ स्थिति चिंता का विषय है, खासकर जब पुरुष किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं, 40 प्रतिशत पुरुष किसानों की खेती व्यवसाय छोड़ने की चाह और गैर-कृषि गतिविधियों की ओर उनका बढ़ता स्थलांतरन । यह स्थिति महिलाओं को परिवार के साथ-साथ कृषि गतिविधियों की भी जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर कर रही है । कृषि अनुसंधान और नीतियां गठन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के स्थान पर महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, लैंगिक संवेदनशील नीति निर्माण और कृषि प्रौद्योगिक विकास को प्रभावित करता है । वर्तमान स्थिति में, भारत की राज्यसभा में 10.60 प्रतिशत, लोकसभा में 11.20 प्रतिशत और कृषि अनुसंधान प्रणाली में 17.40 प्रतिशत महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है । खाद्य और कृषि संगठन के एक सर्वेक्षण के अनुसार, भले ही महिलाएं प्रमुख खाद्य उत्पादक हैं, फिर भी वे भूमि के स्वामित्व और भूमि से प्राप्त आय के उपयोग में पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे हैं । कृषि के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण में असमानता को ही लैंगिक अंतर कहा जाता है । भारतीय कृषि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर कुछ इस प्रकार से मौजूद हैं :

1. यह सच है कि किसान का मतलब पुरुष किसान माना जाता है । महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शेयरधारक के रूप में नहीं देखा जाता है ।
2. भूमि के अधिकार का बड़ा हिस्सा पुरुष किसानों के नाम होने के कारण किसानों की क्रेडिट जैसे अन्य उत्पादक संसाधनों तक की पहुंच प्रभावित हो रही है ।
3. महत्वपूर्ण कृषि आदानों और प्रौद्योगिकियों के असमान पहुँच के कारण महिला किसानों द्वारा संचालित खेतों की उत्पादकता कम हो रही है ।
4. वर्तमान कृषि अनुसंधान प्रणाली का ध्यान ज्यादातर महिला किसानों के बजाय पुरुष किसानों के लिए प्रौद्योगिकियों का संशोधन एवं उत्पादन पर केंद्रित है ।
5. भारत में पुरुष और महिला कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की संख्या में भारी अंतर है ।

भारत में 85 प्रतिशत कृषि विस्तार कार्यकर्ता पुरुष है । वैश्विक स्तर पर केवल 5 प्रतिशत महिलाओं को कृषि विस्तार सेवाएं प्राप्त हो रही है ।

6. महिला किसानों की असमान रूप से कृषि बाजार तक की पहुंच उनकी कृषि आय में हिस्सेदारी को कम कर रही है ।

7. महिलाओं में निरक्षरता और कौशल की कमी कृषि संबंधित निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को हतोत्साहित कर रही है ।

कृषि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर का प्रभाव :

उच्च स्तर की लैंगिक असमानता वाले देशों की तुलना में निम्न स्तर की लैंगिक असमानता वाले देशों की औसत अनाज पैदावार अधिक है । अनुमान है कि पुरुष और महिला किसानों द्वारा प्रबंधित खेतों की उपज में औसत 25 प्रतिशत का अंतर पाया गया है । खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के एक अध्ययन के अनुसार अगर महिला किसानों को पुरुष किसानों के समान उत्पादक संसाधनों की पूर्ति की जाये तो वे 20-30 प्रतिशत उपज को बढ़ावा दे सकती है, विकासशील देशों में 2.5—4 प्रतिशत समग्र कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती है और इस उत्पादन में हुई बढ़त से विश्व में 12-17 प्रतिशत भूखे लोगों की संख्या कम हो सकती है ।

बढ़ती जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ :

पुरुष किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं, गैर-कृषि गतिविधियों की ओर अनका स्थलांतरित होना और कृषि उद्यम क्षेत्र में उनकी बढ़ती नीरसता को देखते हुए भारतीय कृषि का वर्तमान और भविष्य केवल महिला किसानों पर निर्भर है। इसीलिए शिक्षित, प्रशिक्षित, आत्मनिर्भर, स्वयं प्रेरित, अभिनव, जिम्मेदार और दूरदर्शी महिला किसानों को तैयार करने की आवश्यकता है जो हमारी कृषि का नेतृत्व कर सके । यह अनुमान है कि, साल 2020 में भारतीयों की औसत उम्र केवल 29 साल होगी, जो भारत को दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र बनाएगी और सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि उनमें से 70 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले होंगे । वर्तमान स्थिति में 55 प्रतिशत कृषि छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से है और उनमें 36 प्रतिशत लड़कियाँ हैं । हम इस जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कर भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते है । यह तब संभव होगा जब हम महिलाओं के रसोई से खेत, खाद्य प्रदाता से खाद्य उत्पादक, मजदूर से किसान, और कृषि छात्र से कृषि उद्यमी तक के मार्ग को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाएंगे ।

पहली हरित क्रांति ने खाद्य प्रचुरता को सुनिश्चित किया जब की दूसरी हरित क्रांति खाद्य स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए। पहली हरित क्रांति बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया बल्कि दूसरी हरित क्रांति में बड़े पैमाने पर किसानों, खास कर महिला किसानों द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और स्थायी कृषि विकास के लिए, हमें ऐसी कृषि प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की जरूरत है जो विशेष रूप से महिला किसानों द्वारा अपनाई जा सके।

महिला किसानों के सशक्तिकरण हेतु सुझाव :

महिला किसानों में प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता के साथ साथ उन्हें कृषि विकास की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) के द्वारा ग्राम स्तर पर महिला किसानों तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु कुशल तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय किसान क्षमता निर्माण परियोजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों में क्षमता और कौशल को विकसित किया जाना चाहिए। सभी किसान प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुल प्रशिक्षुओं में 50 प्रतिशत महिला किसान हो। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लागू की जा रही है वह महिला किसानों को सशक्त बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक आबादीवाले देशों में से एक और उनमें से अधिक प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर होने के कारण हमें अपना ध्यान किसान महिलाओं के कौशल सुधार, किसान महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकास, किसान महिला समूहों के संगठन, किसान महिलाओं का उत्पादक संसाधनों पर बराबर का नियंत्रण एवं उपयोग, किसान महिलाओं के अनुकूल नीतियों का गठन करने हेतु लैंगिक असंकलित डेटा का एकत्रीकरण और लैंगिक संवेदीकरण जैसे मुद्दों पर केंद्रित करने का समय आ गया है जिससे किसान महिलाओं को अपनी जगह बनाने और भारतीय कृषि का दृश्य चेहरा बनने में मदद मिलेगी।

19. महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के प्रति स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन (सागर जिले के संदर्भ में)

*** ममता व्यास**

**** मोहसिन उद्दीन**

परिवार की धुरी नारी को सशक्त बनाकर ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है । किसी भी देश के विकास संबंधी सूचकांक को निर्धारित करने के लिये उस देश की महिलाओं की स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है । महिला सशक्तिकरण का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं की अपने आप को संगठित करने की क्षमता बढ़ती है । इसका यह भी अर्थ है कि महिलायें सामाजिक आंदोलन में भाग ले सके और उसका नेतृत्व कर सके । महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में 1985 में नैरोबी में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में दी गई परिभाषा 'महिलाओं के पक्ष में सामाजिक शक्ति का वितरण तथा संसाधनों का संकेन्द्रण होना महिला सशक्तिकरण है ।' सामान्यतः महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक व अन्य तरह से सशक्त करने से है जिससे वे समाज में समानता एवं गरिमा के साथ रह सकें ।

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाना है इसके लिए 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया । महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों में स्वशक्ति, स्वावलम्ब कार्यक्रम, जेण्डर बजटिंग का प्रारम्भ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सी.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. में लोक अदालतें परिवार अदालतों का निर्माण निःशुल्क विधि सहायता, (39 ए भारतीय संविधान) महिला आरक्षण (स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में) अनु. 330-332 में सुधार 330 ए. 332 ए. जोड़कर महिला आरक्षण बिल पेश किया जाना विभिन्न महिला पुरस्कारों की स्थापना, महिला समाख्या योजना, महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना, प्रशिक्षण योजना, एन.आर.ई.जी. विपणन वित्त योजना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, उज्ज्वला कार्यक्रम, प्रियदर्शिनी कार्यक्रम, कस्तूरबा गाँधी बालिका कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि, मुख्यमंत्री कन्या योजना इत्यादि शामिल है ।

---

* शोधार्थी, श्री सत्य साई विकास तकनीकी एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय, सीहोर
प्रोजेक्ट फेकल्टी, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

महिला उत्पीडन का प्रादुर्भाव बालिका के गर्भ में आने के बाद ही प्रारम्भ हो जाता है । जहाँ बहुत सारी बच्चियों की भ्रूण हत्या हो जाती है । यदि वे संसार में आते भी है तो जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करती है ।

पुरुष प्रधान समाज में नारी ही सर्वाधिक पीड़ित है । महिला उत्पीड़न के अन्तर्गत भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार, शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, बाल-विवाह, वैश्यावृत्ति इत्यादि घोर मानवीय अत्याचार आते है ।

पुरुष प्रधान समाज में नारी ही सर्वाधिक पीड़ित है । महिला उत्पीड़न के अन्तर्गत भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार, शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, बाल-विवाह, वैश्यावृत्ति इत्यादि घोर मानवीय अत्याचार आते हैं ।

पूर्व में कुछ अध्ययन हुए है जिनका विवरण निम्न है :

अजीत रायदादा (2000) ने अपने अध्ययन महिला उत्पीड़न समस्या और समाधान में पाया कि महिलाओं के विरूद्ध यौन हिंसा अपराध की गंभीरता व संवेदनशीलता का समुचित प्रदर्शन करता है । इस यौन शोषण की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि भुक्तभोगी शारीरिक कष्ट के साथ-साथ मानसिक यंत्रणा का दारूण दुःख भोगने को विवश हो उठती है, जबकि वह पूरी तरह से निर्दोष होती है । पिछले 20 वर्षों में महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा 40 प्रतिशत, अपहरण के प्रकरणों में 50 प्रतिशत तथा छेडछाड़, दहेज हत्या के प्रकरणों में क्रमशः 60 प्रतिशत व 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

एस.एन. मोहम्मद (2000) ए स्टडी ऑफ एजूकेशनल प्रॉब्लम ऑफ लो इनरोलमेंट ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन सेलेक्टेड ब्लॉक तहसील हिड़वारा इन कुपवाड़ा जनपद जम्मू कश्मीर ।

आपने मुस्लिम बालिकाओं के नामांकन की समस्याओं का अध्ययन किया और पाया कि -

- विद्यालय में बालिकाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं ।
- प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन कम था तथा मुस्लिम बालिकाओं का नामांकन अत्याधिक बनाया कारण आर्थिक पिछड़ापन था ।

सुजाता मनोहर (2001) ने कहा है कि आज हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती समानता के वातावरण को निर्मित करने की है इसके लिए समाज के प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व को अपने उत्तरदायित्व को समझना आवश्यक है । इसका मत है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कानून में सुधार एक महत्वपूर्ण उपाय है । इसका स्पष्ट मत है कि समाज में

महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए समानता पर आधारित कानून का निर्माण एवं उसका पालन राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा ।

अनिता पटेल (2001) 'महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक' के शोध पत्र में महिला उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की मानसिक स्थिति और उनके बच्चों के विकास में हिंसात्मक परिवेश में नकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है इस लेख में बताया है कि स्त्री के प्रति घटित महिला उत्पीड़न में पति, जेठ, ससुर, देवर के अतिरिक्त सास, जेठानी, देवरानी अर्थात पुरुषों के साथ महिलाएं भी उत्तरदायी होती तो उनका क्या असर होता है । इस अध्ययन के निष्कर्ष में उन्होंने जिन पीढ़ियों का अध्ययन किया और पाया कि बच्चे जो देखते है उनका अनुसरण करते है । पिता जब उनकी माँ को मारते और गालियाँ देते, ठीक उसी प्रकार बच्चा खिलौने (गुड़िया) के साथ तोड़-फोड़ करता है ।

डॉ. मंजुलता (2004) महिला उत्पीड़न ने अपने कारण और निवारण में बताया है कि आधुनिकता की विकृति ही महिला उत्पीड़न का प्रमुख कारण है । इनके अनुसार भारतीय समाज आधुनिकता के संदर्भ में महिलाओं के पहनावे में भड़काऊपन, बातों में बनावटीपन, सम्बन्धों में स्वार्थीपन, बोलने में अंग्रेजी आदतों में पश्चिमीकरण ये सब भारतीय परंपरा के विरोधी है जिससे सामाजिक मूल्यों का पतन होता है और जिसे घर के बड़े बुजुर्ग सहन नहीं कर पाते है । अतः आधुनिक विचारों की परिपक्वता, चिन्तन की प्रगति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिंग भेदभाव का विरोध, व्यवहार में पारदर्शिता तथा शालीनता, सम्बधों में तार्किकता एवं वस्तुनिष्ठता से सम्बन्धित है । भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न दास्य जीवन, व्यावहारिक विसंगतियाँ, देह व्यापार के चलते स्वरूप है ।

मौजी लाल एम.एण्ड कौशिक पी. (2004) सोर्स क्रियेशनः गुरुनानक जनर्ल्स ऑफ सोशल क्राइम अगेन्स्ट वूमन । महिलाओं के अपराध गहनता के साथ-साथ समाज पर निर्भर करता है जो कि सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है । महिला समाज में तथा जीवन के प्रत्येक चरण में इसे झेलती है । यह उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, दहेज, दहेज हत्या, अपहरण, कुपोषण, प्रताड़ना व्यापार (मानव), इत्यादि के रूप में होता है । यह महिला के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है । महिला के विरुद्ध अपराध प्रमुख रूप से समानता, विकास एवं शान्ति को बाधित करती है । शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न मानवाधिकार के प्रति एक गंभीर हिंसा है । 1993 में मानवाधिकार के वियना सम्मेलन के सन्दर्भ में महिलाओं पर केन्द्रित था, बीजिंग में 1995 में महिला सम्मेलन में गरीब एवं मुख्य रूप से शोषण को बिन्दु माना गया । महिलाओं के विरुद्ध अपराध घर के अन्दर एवं घर के बाहर दोनो दशाओं में पाया जाता है । यह अपराध गरीब एवं अमीर दोनों परिवारों में पाया जाता है ।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक मध्यप्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले 2005-06 में 68.5 थे और वर्तमान सर्वे 2015-16 में 82.8 हैं ।

उद्देश्य :

१. महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के प्रति कला स्तर के छात्र-छात्राओं की अभिवृत्तियों का अध्ययन करना ।
२. महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के प्रति विज्ञान स्तर के छात्र-छात्राओं की अभिवृत्तियों का अध्ययन करना ।

परिकल्पना :

इस अध्ययन के लिए निम्न चार शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है :

- महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं होता है ।
- महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति विज्ञान स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं होता है ।
- महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं विज्ञान स्तर के छात्रों की अभिवृत्तियों में सार्थक अंतर नहीं होता है ।

शोध अधिकल्प

अध्ययन में संपूर्ण जनसंख्या को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है । अतः न्यादर्श का चयन कर उसे शोध प्रक्रिया में समाहित किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन में ''सर्वेक्षण अनुसंधान विधि'' का प्रयोग किया गया है ।

न्यादर्श का आकार

प्रस्तुत अध्ययन में सागर जिले के शासकीय महाविद्यालयों से कुल 300 छात्र-छात्राओं-कला, विज्ञान स्नातक, स्तर के 75-75 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है । निम्न तालिका के द्वारा चुने गये यादृच्छिक विधि से न्यादर्श दर्शाये गये है -

सागर जिले के छात्र छात्राओं का न्यादर्श रूप में संख्यात्मक विवरण

तालिका - 1

कला स्तर		कुल	विज्ञान स्तर		कुल
छात्र	छात्राएं		छात्र	छात्राएं	
75	75	150	75	75	150

अध्ययन की सीमायें :

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नांकित सीमाऐं निर्धारित की गई है ।

1. प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत सागर जिले के शासकीय महाविद्यालयों का चयन किया गया है ।
2. स्नातक स्तर के कला, विज्ञान के छात्र-छात्राओं को सम्मिलित किया गया है ।

उपकरण :

आंकड़े संकलन के लिए स्व-निर्मित प्रश्नावली का निर्माण कर उसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में छात्र-छात्राओं से उनकी अभिवृत्ति जानने का प्रयास किया गया है ।

तालिका - 2

छात्र-छात्राओं की अभिवृत्तियों से संबंधित सारणी

क्र सं.	वर्ग	लिंग	मध्यमान	प्रामाणिक विचरण
1.	कला स्नातक	छात्रायें	190.87	14.15
2.	विज्ञान स्नातक	छात्रायें	191.0	16.73
3.	कला स्नातक	छात्र	176.73	13.60
4.	विज्ञान स्नातक	छात्र	185.93	18.12

विश्लेषण व व्याख्या

परिकल्पनाओं का सत्यापन

Ho = **महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं होता है ।**

$$t = \frac{M^1 - M^2}{\sigma_{Ed}} \qquad \sigma_{Ed} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_1^2}{N_2}}$$

M1 = 190.87 $\qquad$ σ_1 = 14.15.0

$M_2 = 176.73$ $\sigma_2 = 13.60$

$$t = \frac{190.87 - 176.73}{2.26} \qquad \sigma_{Ed} \sqrt{\frac{14.15^2}{75} + \frac{13.60^2}{75}}$$

= 6.25 = 2.26

df = (75-1)+(75-1) = 148

148 df के लिये 00.5 सार्थकता स्तर पर टी का प्रामाणिक मान 1.97 होता तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर t का प्रामाणिक मान 2.60 होता है । गणना किया गया t का यह मान 6.25 इन दोनों से अधिक है अतः सार्थक है । अर्थात् यह शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है । अतः महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर होता है ।

Ho = **महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं होता है ।**

$$\frac{M^1 - M^2}{\sigma_{Ed}} \qquad \sigma_{Ed} = \frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_1^2}{N_2}$$

$M_1 = 185.93$ $\sigma_1 = 18.12$

$M_2 = 191.00$ $\sigma_2 = 16.73$

$$t = \frac{191.00 - 185.93}{2.84} \qquad \sigma_{Ed} \sqrt{\frac{18.12^2}{75} + \frac{16.73^2}{75}}$$

= 1.78 = 2.84

df = (75-1)+(75-1)=148

148 df के लिये 0.05 सार्थकता स्तर पर t का प्रामाणिक मान 1.97 होता है तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर t का मान 2.60 होता है । t का गणनात्मक मान 1.78 इन दोनों

से कम है अतः सार्थक नहीं है । अर्थात यह परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है अतः महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति विज्ञान स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं होता है । विज्ञान स्नातक स्तर के छात्र-छात्रायें इन सामाजिक समस्याओं के प्रति कम संवेदनशील होते हैं ।

Ho = **महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं विज्ञान स्तर के छात्रों की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं होता है ।**

148 df के लिये 00.5 सार्थकता स्तर के लिये प्रामाणिक मान 1.97 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर t का प्रामाणिक मान 2.60 होता है । t का गणनात्मक मान 3.52 इन दोनों से अधिक है अतः सार्थक है, अर्थात् परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है अतः महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं विज्ञान स्तर के छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर होता है ।

Ho = **महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं विज्ञान स्तर के छात्रों की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं होता है ।**

$$t = \frac{M^1 - M^2}{\sigma_{Ed}} \qquad \sigma_{Ed} = \frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_1^2}{N_2}$$

$M_1 = 176.73$ $\sigma_1 = 13.60$ कला छात्रायें

$M_2 = 185.93$ $\sigma_2 = 18.12$ विज्ञान छात्रायें

$$t = \frac{185.93 - 176.73}{2.61} \qquad \sigma_{Ed} \sqrt{\frac{13.6^2}{75} + \frac{18.12^2}{75}}$$

= 3.52 = 2.61

df = (75-1)+(75-1)=148

148 df पर t का 00.5 सार्थकता स्तर के लिये प्रामाणिक मान 1.97 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर t का प्रामाणिक मान 2.60 होता है । t का गणनात्मक मान 3.52 इन दोनों से अधिक है अतः सार्थक है अर्थात् परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है अतः महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं विज्ञान स्तर के छात्रों की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर होता है ।

Ho = **महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं विज्ञान स्तर के छात्रों की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं होता है ।**

$$t = \frac{M^1 - M^2}{\sigma_{Ed}} \qquad \sigma_{Ed} = \frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_1^2}{N_2}$$

$M_1 = 190.87$ $\sigma_1 = 14.15$ कला छात्रायें

$M_2 = 191$ $\sigma_2 = 16.73$ विज्ञान छात्रायें

$$t = \frac{190.87 - 191.0}{2.53} \qquad \sigma_{Ed} \sqrt{\frac{14.15^2}{75} + \frac{16.73^2}{75}}$$

= 0.05 = 2.53

df = (75-1)+(75-1)=148

148 df पर t का 00.5 सार्थकता स्तर के लिये प्रामाणिक मान 1.97 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर t का प्रामाणिक मान 2.60 होता है । t का गणनात्मक मान 0.05 इन दोनों से कम है अर्थात् परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है अतः महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं विज्ञान स्तर के छात्र एवं छात्रों की अभिवृत्तियों में कोई अन्तर सार्थक नहीं होता है ।

महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के संदर्भ में शिक्षा के प्रति कला एवं विज्ञान विषयों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है । सभी छात्रों की सोच एक जैसी नहीं होती है ।

निष्कर्ष :

तथ्यों के विश्लेषण एवं व्याख्या के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि आज महिला सशक्तिकरण के साथ महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दे सामने आ रहे है । विज्ञान स्नातक स्तर के छात्र-छात्रायें सामाजिक समस्याओं के प्रति कम संवेदनशील होते है । अतः छात्र छात्राओं का सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है । आज यदि हम अपने आस-पास के शहरों और गांव के बदलते परिवेश और उसमें महिला की स्थिति पर नज़र ड़ाले और हम इस आभासी प्रतिबिम्ब से बाहर आकर वास्तविकता का

सही मायने में विश्लेषण करें तो एक अलग और चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। दुर्भाग्य की बात है कि महिला सशक्तिकरण की बातें और योजनायें केवल शहरों तक ही सिमटकर रह गई है। एक ओर बड़े शहरों और मेट्रो शहर में रहने वाली महिलाएं शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, नई सोच वाली, ऊँचे पदों पर काम करने वाली महिलाएँ हैं, जो पुरुषों के अत्याचारों को किसी भी रूप में सहन नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी ओर गांवों में रहनेवाली महिलाएं हैं जो ना तो अपने अधिकारों को जानती हैं और ना ही उन्हें अपनाती हैं। वे अत्याचारों और सामाजिक बंधनों की इतनी आदी हो चुकी हैं कि अब उन्हें वहां से निकलने में डर लगता है। वे उसी को अपनी नियति समझकर बैठ गई हैं।

हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विज्ञान संकाय हो या कला संकाय या कि अन्य संकाय सभी छात्रों को आरम्भ से ही महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने का पाठ पढाया जाना चाहिए। दुनिया की आधी आबादी यानि महिलाएं किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। उनके भी अधिकार हैं उन्हें भी समाज में उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना पुरुष खुद के लिए चाहते हैं। जब इस तरह की शिक्षा बच्चों को बचपन से ही दी जाएगी तो वे अगर पुरूष हैं तो महिलाओं की इज्जत करेंगे और यदि वे स्वयं महिला हैं तो वे खुद भी अपनी इज्जत करेंगी। इससे एक बड़ा भारी बदलाव आएगा।

सन्दर्भ

- अजीत रायदाद (2000), महिला उत्पीड़न एवं समस्या और समाधान, म.प्र. हिन्दी अकादमी, भोपाल
- अनिता पटेल (2002), महिला उत्पीड़न का सिलसिला, कब तक योजना, वर्ष 46 अंक 9
- अंसारी नियाज (2002), 'महिला सशक्तिकरण, वादे और क्रियान्वयन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- आशा सिंह (2003), महिलाओं के विरुद्ध महिला उत्पीड़न का विभिन्न जातियों में प्रभाव, शोधपत्र, योजना वर्ष 46 अंक 9
- मंजुलता (2004), अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिशर्स हाऊस, नई दिल्ली

- मौजी लाल एम. एण्ड कौशिक पी. (2004), गुरुनानक जनर्ल्स ऑफ सोशल क्राइम अगेन्स्ट वूमन 2003, अक्टूबर (24) (2)
- एस.एन. मोहम्मद (2000) नीपा, नई दिल्ली
- हिमांशु शेखर (2014) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, कुरूक्षेत्र, वर्ष, 60, अंक 3
- स्टार न्यूज एजेंसी (जुलाई 13. 2010) ''महिलाओं के समान अधिकार क्या है''
- फेमिनिज्म पत्रिका (फरवरी 13, 2016) महिला सशक्तिकरण किस हद तक जायज ।
- डी.के.दुआ (2016) मैन Vs वूमैन, एजूकेशन पब्लिशिंग, बिलासपुर

20. भारत में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की भूमिका

*** डॉ. दशमन्तदास पटेल**

**** राजेशकुमार मर्सकोले**

शोध सारांश

विश्व में मातृ शक्ति से अधिक और कोई भी पूज्यनीय नहीं है । परिवार में प्रेम, वात्सल्य, माँ की ममता, अनुराग की प्रतिमूर्ति तथा ग्रहस्थ जीवन को सफलतापूर्वक संचालित करने वाली शक्ति का नाम ही महिला है, महिलाएँ विभिन्न कालों में अपमानित एवं तिरस्कृत हुई है, किन्तु अनेक विद्वानों, समाज सुधारकों, महान पुरुषों ने महिला उत्थान एवं उन्हें दीन-हीन एवं असहाय स्थिति से उभारने के लिए समय-समय पर अनेक सुधार किए। एक ओर आर्थिक आस्था में विश्वास रखने वाला पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को देवी स्वरूप मानकर पूजता है, चाहे वह माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का रूप हो या माता सरस्वती हो । वैदिक काल से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान दृष्टव्य है। भारत में अपाला घोष गार्गी, भारती, रानी दुर्गावती, जीजा बाई, स्वर्ण कुमारी देवी जैसी अनेक महिला हस्तियाँ रही हैं, जिन्होंने अपने कार्यों, योगदानों एवं साहस से आदर्श प्रस्तुत किए है ।

विश्व में मातृ शक्ति से अधिक और कोई भी पूज्यनीय नहीं है । परिवार में प्रेम, वात्सल्य, माँ की ममता, अनुराग की प्रतिमूर्ति तथा ग्रहस्थ जीवन को सफलतापूर्वक संचालित करने वाली शक्ति का नाम ही महिला है, महिलाएँ विभिन्न कालों में अपमानित एवं तिरस्कृत हुई है, किन्तु अनेक विद्वानों, समाज सुधारकों, महान पुरुषों ने महिला उत्थान एवं उन्हें दीन-हीन एवं असहाय स्थिति से उभारने के लिए समय-समय पर अनेक सुधार किए हैं ।

महिला अर्थात् स्त्री जिसे पौराणिक काल से सृष्टि की अति गौरवशाली सुन्दर एवं सृजनात्मक कृति माना गया है जो कि सम्पूर्ण निर्माण में अविवाहित भूमिका निभाती है । महिलाओं की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति पर पुरातन काल से भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विवेचनाएँ हुई हैं तथापि पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर

* संकाय सदस्य -अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुशासन विभाग, रा.दु.वि.वि. जबलपुर (म.प्र.)

** शोधार्यी - अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुशासन विभाग, रा.दु.वि.वि. जबलपुर (म.प्र.)

महिलाओं की स्थिति 21 वीं शताब्दी में भी विवाति है । एक ओर आर्थिक आस्था में विश्वास रखने वाला पुरूष प्रधान समाज भी स्त्री को देवी स्वरूप मानकर पूजता है, चाहे वह दुर्गा हो या माँ लक्ष्मी का रूप हो, सरस्वती या फिर माता काली हो या आदि शक्ति । समाज के दोहरे मानदण्डों के बीच स्त्री के प्रति, सिक्के का दूसरे पहलू चिन्तनीय है । जहाँ स्त्री को अबला, उपभोग वस्तु, जननी और पुरूष समाज की सेविका के रूप में न केवल आत्म सम्मान से वंचित रखा गया है, वरन् सामाजिक पृष्ठभूमि में दोयम दर्जे का माना जाता रहा है । स्त्री-पुरूष के परस्पर निर्भर पहियों के रूप में चलने वाली पारिवारिक एवं सामाजिक प्रणाली में स्त्री को सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक दृष्टि से वह स्वतंत्रता आज भी उपलब्ध नहीं है, जो पुरूष को प्राप्त है । इतिहास में वर्णित नारी साहस की असंख्य कथाएँ, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्रांतियों में महिलाओं के असंख्य योगदानों और उससे भी अधिक समाज के क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से असीम योगदानों के बावजूद वर्तमान स्थिति में नारी (सभ्य समाज में महिला) हर क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में अपने मानवीय अधिकारों से वंचित है ।

ब्रह्माण्ड की संरचना के उपरांत इस पृथ्वी पर मानव देहधारियों की उत्पत्ति हेतु नारी शक्ति का सृजन किया गया । मानव इतिहास की पृष्ठभूमि में मानव आदिम एवं ईव तथा हिंदु ग्रंथों में मनु और शतरुपा की संतान के रूप में वर्णित है । नारी को यदि मानव जीवन का सृजनकर्ता कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि प्रकृति ने नारी को ही सृजन की शक्ति प्रदान की है, नारी के गर्भ में ही नव जीवन की उत्पत्ति होती है । कालांतर से मानव सभ्यता का इतिहास महिलाओं के योगदान का साक्षी रहाहै । परिवार में बेटी, बहू, पत्नी और माँ के रूप में तथा वर्तमान परिवेश में सहकर्मी, सहयोगी तथा मित्र के रूप में विश्व में महिलाओं का योगदान अमूल्य तथा अविस्मरणीय है । सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि में सर्वोत्तम भूमिका का निर्वहन स्त्री द्वारा ही किया गया है । मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महित्वपूर्ण रही है । वैदिक काल से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान दृष्टव्य है । शौर्य, पराक्रम तथा युद्धों से लेकर राजनैतिक क्षेत्रों तक विश्व के महान चर्चित नामों में कई महिलाओं के नाम अंकित है । भारत में अपाला घोष, गार्गी, भारती, रानी दुर्गावती, जीजाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरूणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, जैसी अनेक महिला हस्तियाँ रही हैं जिन्होंने अपने कार्यों, योगदानों एवं साहस से आदर्श प्रस्तुत किये हैं । एशियन संदर्भ में सिरिमाओ भण्डारनायके, इंदिरा गांधी, चंद्रिका कुमारतुंगे, खालिदा जिया, बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना आदि कुछ नाम प्रमुख है ।

बैरिस्टर (कार्नेलिया सारोबजी) से लेकर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधिश (फातिमा बीवी) तक, भारतीय पुलिस सेवा में उच्चाधिकारी (किरण बेदी) से लेकर अंतरिक्ष यात्री (कल्पना चावला) तक हर पद पर महिलाओं ने कुशलतापूर्वक निर्वहन कर स्वयं को प्रतिष्ठित किया है । एवरेस्ट विजेता बछेन्द्रीपाल, खेल जगत में पी.टी. ऊषा आदि महिलाओं का समाज में एवं राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान दिये हैं । महिला संपूर्ण विश्व की भले की जननी मानी गयी हो किन्तु उसकी सामाजिक स्थिति सदैव परावलंबी रही है । ऐतिहासिक प्रमाण दुनिया के सभी संलेखों में एवं इतिहास के पन्नों में देखे जा सकते है ।

वर्तमान काल में महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में अपनी कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है । शासन ने अपने स्तर पर भी पिछले दो दशकों से भारत में महिलाओं को जीवन में विभिन्न क्षेत्रों और पहलुओं में अधिकार संपन्न बनाने के लिए कड़े कदम उठाये गये हैं । वर्ष 1987 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, 73 वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयास, पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट का आरक्षण, अंतर्राष्ट्रीयल महिला दिवस के रूप में वर्ष 2001 को स्त्री शक्ति वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उठाया गया पहला कदम अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संरचना में स्त्री को बहुप्रतिक्षित स्वातंत्र्य की ओर ले जाने का सराहनीय प्रयास है । सशक्तिकरण तभी सम्भव है जब महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम व स्वावलंबी बनाया जाये ।

महिला सशक्तिकरण के सामाजिक एवं आर्थिक योगदान के प्रमाण है, तथापि महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण एवं समाज में महिलाओं की निर्भरता विशेष रूप से आर्थिक निर्भरता एवं उसकी आर्थिक उपादेयता के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैये ने स्त्री को दयनीय स्थिति में ला खड़ा किया है । गिरता हुआ स्त्री-पुरूष अनुपात, बढ़ती हुई नारी मृत्यु दर, घटती जन्म दर, प्रसूति अवसर पर बढ़ती महिला मृत्यु दर तथा कुपोषण की शिकार महिलाओं की बढ़ती मृत्यु दर, पुरूषों की तुलना में महिलाओं को कम मजदूरी तथा तुलनात्मक दृष्टि से सक्षम समझे जाने की प्रवृत्ति कुछ ऐसे तथ्य हैं जो समाज में महिलाओं की विपरीत स्थिति दर्शाते हैं । भ्रूण हत्याओं में भी स्त्री लिंग प्रमुख कारण सर्वविदित है । महिला सशक्तिकरण समाज में एक ऐसी संकल्पना है जो महिलाओं के उस स्वरूप को परिलक्षित करता है, जहाँ वह एक स्वतंत्र विचारधारा युक्त, आत्मसम्मान से परिपूर्ण सशक्त महिला के रूप में निर्वहन करती है । यह वह महिला होगी जो समाज में आर्थिक रूप से स्वरोजगार युक्त एवं परिवार को सक्षम आर्थिक सहयोग देने वाली स्वतंत्र नारी होगी, वहीं परिवार में पारिवारिक विकास हेतु आधुनिकतम विचारधारा के बीच एक बेहतर समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करेगी ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में स्त्री / महिला के सशक्तिकरण हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया गया । पिछली 11 वीं पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री विकास एवं उन्नति हेतु अनेक योजनाएँ बनाई गई । केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर समकक्ष मंत्रालय के माध्यम से अनेक योजनाएँ लागू की गई। इन सभी योजनाओं में स्त्री शिक्षा, स्त्री रोजगार, स्वरोजगार, कौशल का विकास तथा परिवार कल्याण प्रमुख बिन्दु थे तथा इनके अतिरिक्त संयुक्त योजनाओं में भी महिला सशक्तिकरण को ध्येय बनाकर अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन हुआ है । वहीं दूसरी ओर राजनैतिक दृष्टि से महिलाओं को निर्णय में सक्षम भूमिका निभाने के लिए सशक्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर शिक्षा तथा सेवाओं (नौकरियों) में एवं आर्थिक आवंटन में आरक्षण प्रदान किये गये तथा इसी तारतम्य में भारतीय प्रजातंत्र के ढाँचे में महिलाओं की जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजनैतिक संरचना क्षेत्र में महिलाओं के आरक्षण का विषय विवादित बनकर रह गया है ।

भारत में महिला सशक्तिकरण समाज में संभवतः महिला उत्थान का मूलतंत्र मान लिया गया है । यद्यपि महिलाओं से जुड़े अन्य पहलू जो उसकी सामाजिक, पारिवारिक एवं भौतिक स्थिति से संबंधित है उसके आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव डालते हैं तथापि यह निर्विवाद सत्य है कि भारत में महिलाओं की दशा एवं दिशा को उन्नत करने हेतु उनका सामाजिक रूप से सशक्त होना परिहार्य है ।

महिला के सामाजिक सशक्तिकरण के सदस्यता के रूप में लिये जाने की महती आवश्यकता है । महिला आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी रूप में ऐसी संकल्पना को जन्म देने की बात नहीं है जहाँ अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यबोध को विपरित किसी अनियंत्रित स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करें, वरन् महिला सशक्तिकरण समाज में ऐसा स्वावलंबन है, जहाँ महिला अपने 'स्व' को समाज के संपूर्ण ढाँचे में प्रतिष्ठित कर सके और उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रह सके । घर में शान्ति का वातावरण हो तभी महिला का विकास सम्भव है । महिला के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि एक ऐसा वातावरण घर समाज में हो जो हिंसक न हो । सरकार प्रयत्नशील है कि महिलाओं को और जागृत करें ।

निष्कर्ष :

उपरोक्त निष्कर्ष के अनुसार कहा जा सकता है कि मानव संसाधन के रूप में महिला श्रम शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली हुई पहचान भले ही इस बात के लिए

पर्याप्त प्रमाण न हो परन्तु विश्व स्तर पर महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष माना जाने लगा है, किन्तु यथार्थ इसके विपरित दिखाई पड़ता है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. खमेरिया मधुलता (1996), 'ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक क्रियाएँ एवं पारिवारिक स्थिति'
2. निष्पादन बजट (2004-2007), महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार
3. प्रशासकीय प्रतिवेदन (1992-1998), महिला एवं विकास विभाग, म.प्र.
4. वार्षिक प्रतिवेदन (2003-2007), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार
5. शुक्ला श्रीमती हंसा (2006) 'भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों का मूल्यांकन'

21. महिला सशक्तिकरण; ''एक पहल''

सीमा जाट *

'महिला सशक्तिकरण' के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिये कि हम 'सशक्तिकरण' से क्या समझते है । 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें योग्यता आ जाती है वो अपने जीवन से जुडे सभी निर्णय स्वयं ले सके । महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिला दिवस पर कहा गया मशहूर वाक्य ''देश की तरक्की के लिए पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा ।''

राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सच्ची महता और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिये मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे है और लागू किये गये हैं । पंडित जवाहरलाल नेहरु द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य ''लोगों को जगाने के लिये महिलाओं का जागृत होना जरुरी है ।'' एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है । भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरुरी है जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे हीदूसरे विषय । लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर धकेलता है ।

भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है इस तरह की बुराईयों को मिटाने के लिए । भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार, पुरूषों की तरह सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिये कानूनी स्थिति है । भारत में बच्चों और महिलाओं के उचित विकास के लिये इस क्षेत्र की महिला और बाल विकास विभाग अच्छे से कार्य कर रहा है । प्राचीन समय से ही भारत में महिलाएँ अग्रणी भूमिका में थी हालाँकि उन्हें हर क्षेत्र में हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं थी । अपने विकास और वृद्धि के लिये उन्हें हर पल मज़बूत, जागरूक और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है । विकास का मुख्य उद्देश्य

* दयानंद कॉलेज, अजमेर : Email : jatseema1991@gmail.com

महिलाओं को समर्थ बनाना है क्योंकि एक सशक्त महिला अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के साथ ही देश का भविष्य सुनिश्चित करती है ।

विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिये भारतीय सरकार द्वारा कई योजनाओं को निरुपित किया गया है । पूरे देश की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी आधी है और महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये हर क्षेत्र में इन्हें स्वतंत्रता की जरूरत है । इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है इसलिये देश को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाने के लिये महिला सशक्तिकरण बहुत जरुरी है । उनके उचित वृद्धि और विकास के लिये हर क्षेत्र में स्वतंत्र होने के उनके अधिकार को समझाना महिलाओं को अधिकार देना है । महिलाएँ राष्ट्र के भविष्य के रूप में एक बच्चे को जन्म देती है इसलिये बच्चों के विकास और वृद्धि के द्वारा राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य को बनाने में वो सबसे बेहतर तरीके से योगदान दे सकती है ।

महिलाओं के खिलाफ कुछ बुरे चलन को खुले विचारों के लोगों और महान भारतीय लोगों द्वारा हटाया गया जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्यों के लिये अपनी आवाज उठायी, राजा राम मोहन राय की लगातार कोशिशों की वजह से ही सती प्रथा को खत्म करने के लिये अंग्रेज मजबूर हुए, बाद में दूसरे भारतीय समाज सुधारकों आचार्य विनोबा भावे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले, और सावित्रीबाई फुले आदि ने भी महिला उत्थान के लिये अपनी आवाज उठायी और कड़ा संघर्ष किया । भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने लगातार प्रयास से विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत करवाई ।

महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिये महिला आरक्षण बिल 108 वाँ संविधान संशोधन का पास होना बहुत जरुरी है ये संसद में महिलाओं की 33 प्रतिशत हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है । दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिये कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया । सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिये पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहाँ की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके । महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिये लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की ज़रूरत है । इसके साथ ही हमें महिलाओं के प्रति हमारी सोच को भी विकसित करना होगा ।

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिये सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किये गये हैं। हालाँकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिये महिलाओं सहित सभी का लगातार सहयोग की ज़रूरत है। आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज्यादा जागरूक है जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयं-सेवी समूह और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिये। ये जरुरी है कि महिलाएँ शारीरिक,मानसिक, और सामाजिक रूप से मजबूत हो। चूंकि एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है, महिलाओं के उत्थान के लिये एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता-पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिये महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिये सरकार कई सारे कदम उठा रही है।

भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिये महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो कि समाज की पितृसत्तात्मक और पुरूष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। ज़रूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाये।

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये संसद द्वारा पास किये गये कुछ अधिनियम है -

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956

दहेज रोक अधिनियम 1961

एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976

मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987

लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994

बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013

22. कहाँ से हो तेरी शुरुवात

दिवाकर चौधरी *

क्या आपने यह सोंचा है कि एक स्त्री की अपनी पहचान कैसे विकसित होती है ?

पुरूषों के साथ तो ये मामला है कि उनका नाम ही काफी है परन्तु महिलाओं में इतनी बहुधा से पहचान बदलती है कि कभी कभी यह तय करना कठिन होता है कि उसे किसी की बेटी कहकर संबोधित किया जाय या किसी की बहु या किसी की पत्नी ... और यहीं मैं सोंच बैठता हूँ के ''कहाँ से करूँ तेरी शुरुवात'' .. प्रायः हम कहते हैं कि देश हमारा न्याय प्रिय है .. यहाँ सबको बराबर का अधिकार प्राप्त है ... ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर यह प्रश्न उठता है कि महिलाओं के लिये इतने कानून क्यों बने हैं जिससे यह स्वयं प्रतीत होता है के महिला असहाय है, कमज़ोर है ... उदाहरण के तौर पर हम दहेज सम्बन्धिक क़ानून को ही लें .... ऐसी क़ानून को बनाने की आवश्यकता ही क्यों आयी ? महिलाओं द्वारा इन कानूनों का दुरूपयोग भी किया जाता है, तब क्यों नहीं पुरूषों के लिये ऐसे कानून का प्रावधान बनता है ? यहाँ आकर न जाने कहाँ धुंधला जाती है हमारी समानता वादी विचार धारा .... क्योंकि, क़ानून, संविधान किसी वेद या पुराण का दिया हुआ नहीं बल्कि हमारी और आपकी ही देन है ।

कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना कामायिनी में कहते हैं ''... .ये आज समझ तो पायी हूँ, मैं दुर्बलता मैं नारी हूँ, अव्यय की सुन्दर कोमलता, लेकर मैं सबसे हारी हूँ । ''वो ये भी कहते हैं ''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग-पग तल में, पियुष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन की सुन्दर समतल में । '' परन्तु कदाचित हम यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि ये उनके द्वारा दी गयी नारी का एक ही परिचय है । उक्त पंक्तियों द्वारा कवि ने नारी का एक ही रूप दिखाया है । परन्तु अगर हम उनके दूसरे रूप को देखें तो हम यह भी पढेंगे '' दुर्गा तुही, लक्ष्मी तुही, सरस्वती का स्वरूप है, कण कण में तुही समाई है, तुही छावं है, तुही धूप है ।'' जब इतना सब कुच एक नारी में सम्माहित है तो नारी किस प्रकार अबला हो चली ?

एक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में नौ माह तक रखती है और बड़े ही तकलीफ़ को झेलते हुए उस बच्चे को जन्म देती है - पुनः ये प्रश्न उठता है कि इतनी तकलीफ़ झेलने

* जी जी डी आर एम - बैच 11 फोन : 09470728854 Email : diwakarsisi@gmail.com

की क्षमता जिस औरत के पास है वो दुर्बल कैसे हो गयी ? मैं पुनः कहूँगा, ये सोंच उनकी नहीं हमारी और आपकी है ।

अब समझते हैं, महिलाओं को दुर्बल और डरे हुए प्रवृत्ति कैसे उन पर थोपा जाता है । ये प्रवृति उनको प्रकृति द्वारा नहीं दी जाती है :-

1. पालन पोषण में पृथकता । सामान्यतः यह पाया गया है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को अत्याधिक जतन से पालन पोषण किया जाता है । फिर चाहे वो आहार में हो, शिक्षा में हो या अन्य सुविधाओं में हो ।

2. हम सदा उनको पुरूषों से अलग समझते हैं । ये समझ किसी विषय के बारे में पारंगता या किसी परिस्थिति को झेलने से होता है । ऐसे स्थिति में महिलाओं के मुकाबले पुरूषों को अत्याधिक महत्व दी जाती है ।

3. उपरोक्त बिंदु हम महिलाओं को प्रतीत भी करवा देते है और एक समय ऐसा आता है कि महिलायें भी इसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं या यूँ कहें की हथियार डाल देते हैं ।

4. ये सत्य है कि हमारे देश में नारी को बहुत ही सम्मान से देखा जाता है और एक आदरणीय दर्जा दिया जाता है । परन्तु सम्मान और आदर के नाम पर हम उन्हें अनायास सहारा देते हैं या देना चाहते हैं । हर बात पर उनको मदद प्रदान करते हैं । फिर चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो । यहाँ हम यह भी देखते हैं कि कभी कभी ऐसी अनचाही सहायता के पीछे हमारी मंशा अच्छी भी होती है और बुरी भी ।

5. अगर उपरोक्त बिंदु में हमारी मंशा बुरी सिद्ध होती है तो एक बार फिर उन्हें असुरक्षित महसूस करने का कारण हम प्रदान करते हैं .... आदि ।

   और भी कई कारण है जो उन्हें मानसिक तौर पर दुर्बल और निःशक्त बनाते हैं । और फिर हम बखान करते हैं ''नारी शक्तिकरण ।''

निम्न बिंदुओं को अगर हम देखें तो कदाचित नारी सशक्तिकरण का विचार छोर और अन्य विकास के बारे में चिंतन कर सकेंगे ।

1. सर्व प्रथम लड़का और लड़की के प्रति समान दृष्टिकोण हो । और सभी संसाधनों पर बराबर अधिकार हो । कानूनन और मानसिक तौर पर ।

2. हमें यह कभी न तो सोचना चाहिए और न ही उन्हें (महिलाओं) को सोचने देना चाहिए कि वो पुरुषों के बिना कुछ नहीं कर सकते। उनके हर छोटे और बड़े अच्छे कामों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

3. उन्हें व्यर्थ का सहारा और मदद देना बंद करें।

4. छोटी बालिकाओं को आत्म रक्षा करने की प्रेरणा और कौशल प्रदान करना चाहिए न कि समाज से उनको भ्रमित रखना चाहिए।

5. उनके प्रति सदैव आदर भाव रखना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास का सृजन होगा और वे खुल कर हमारे साथ कदम से कदम मिला कर चल सकेंगी। याद रहे हमारी भी माँ और बहने बाहर हैं। जो व्यवहार हम दूसरे महिलाओं के साथ कर रहे होते हैं, हो सकता है हमारे भी परिजनों के साथ कहीं वैसा व्यवहार तो नहीं हो रहा। अगर हम अन्य महिलाओं के साथ अच्छे भाव नहीं रखते हैं तो हम यह आशा कैसे रखें के हमारे घर की महिलायें सुरक्षित होंगी। हमें यह सदैव सोचना चाहिए की अकेली महिला हमारी जवाबदेही होती है न कि हमारी उपलब्धि।

अगर उक्त बातों का ध्यान रखें तो कदाचित हमें उनके लिये न तो कोई विशेष कार्यक्रम संचालित करना पडे और न ही हम नारी सशक्तीकरण जैसी कोई विषय का विश्लेषण करें। यह शब्द केवल एक इतिहास ही बन कर रह जाये। और इसी इतिहास को देखते समय हम सोचें .....'' कहाँ से हो तेरी शुरुवात'।

परन्तु क्या यह संभव है ?.....

23. महिला एवं महिला सशक्तिकरण

राम राज रेड्डी *

नारी सृष्टि की अनुपम रचना है जिसके 'अस्तित्व' पर ही हमारा, अस्तित्व, हमारा जीवन, हमारी खुशियाँ, हमारी भावनाएँ आदि सब कुछ टिकी है । सृष्टि की रचना में नारी और पुरुष की समान भूमिका मानी जाती है । परन्तु पुत्र के लिए माता का स्थान पिता से बढ़कर है । क्योंकि वही उसे गर्भ में धारण करती है, अपने रस, रक्त और शरीर से ही नहीं भावनाओं और संस्कारों से भी पालन करती है । इसलिए वह सर्वोपरि मार्गदर्शक और कल्याणात्मक गुरू के रूप में प्रतिष्ठा की पात्र है । परिवार और समाज निर्माण में नारी का स्थान महत्वपूर्ण होता है । जब समाज सशक्त और विकसित होता है, तब राष्ट्र भी मजबूत होता है । इस तरह राष्ट्र निर्माण में नारी केन्द्रीय भूमिका निभाती है । माता के रूप में नारी प्रथम गुरू होती है । जार्ज हर्बट के मतानुसार - ''एक अच्छी माता सौ शिक्षकों के बराबर होती है, इसीलिए उसका हर हालत में सम्मान करना चाहिए ।''

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रमुख प्रयास 'महिला दिवस' का आयोजन माना जाता है । हमारे देश में तो 'महिला दिवस' दो तरीके से मनाया जाता है । एक तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे 'राष्ट्रीय महिला दिवस' की संज्ञा दी गई है । इस दिन 1879 को हैदराबाद में सरोजिनी नायुडू का जन्म हुआ था । 'भारत कोकिला' के नाम से विख्यात, सरोजिनी नायडू की समाजसेवा से प्रभावित होकर, 1928 में उन्हें 'केसर-ए-हिन्द' नामक उपाधी से विभूषित किया गया था । उन्होंने अपनी सम्पत्ति देश को दान कर दी । हैदराबाद के हृदय स्थल अबिड्स इलाके में बसी 'गोल्डन थ्रेशोल्ड' नामक इमारत सरोजिनी नायडू की है, जो हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दी । अफसोस हमारा 'राष्ट्रीय महिला दिवस' राजनीति का शिकार होकर अपनी चमक और पहचान खो बैठा है । दूसरे 8 मार्च को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया जाता है । लेकिन सिर्फ 'महिला दिवस' का आयोजन करना तब तक सार्थक नहीं हो सकता, जब तक महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच एवं संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन न लाया जाए । सशक्तिकरण का अर्थ किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसमें उसमें यह योग्यता आ जाती है कि वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकता है । अतः महिला सशक्तिकरण में हमें महिलाओं में इसी क्षमता का विकास करना है ।

* सहायक परियोजना परामर्शक, एन एफ डी बी, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

आधुनिक भारत में महिला कितनी सशक्त है इसे जानने से पहले प्राचीन काल और मध्यकाल में नारी की स्थिति को देखना भी जरुरी है । प्राचीन काल की नारी की स्थिति के लिए मनुस्मृति की अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम काल था । पुरुष प्रधान व्यवस्था के बावजूद महिलाओं का समाज में सम्मान था, प्रतिष्ठा थी और उन्हें आगे बढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता थी । मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने नारी को अन्धकार के अंधेरों में धकेल दिया । राजतंत्र में नारी भोग-विलास की चीज बन कर रह गई थी । राजा का यह पूरा हक होता था कि जिस साम्राज्य को जीत लेते थे उस राजा की बेटी पर भी पूरा अधिकार हो जाता था । बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी । आज भी मुस्लिम समाज में बहु विवाह प्रथा कानूनन भी जायज है । जहाँ हिन्दू धर्म अधिनियम के अन्तर्गत यह गैर-कानूनी है, परन्तु हमें ऐसे बहुत से हिन्दू मिलेंगे जिन्होंने एक से अधिक शादियाँ कर अपना शान बढ़ाने का अनुभव करते हैं ।

कहा जाता है कि साहित्य समाज का आईना है । आज के युग में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए हमें आज का साहित्य का सहारा लेना पड़ेगा । समाचार पत्र और अन्य जन संचार के माध्यम जैसे, टेलिविजन, सिनेमा, रेडियो वेब न्यूज पोर्टल आदि ही आज के साहित्य का उदाहरण है । आज के साहित्य के अध्ययन से ही हमें नारी की आज की स्थिति का पता चलता है और साहित्य का मूल्यांकन करने से इसका अंदाजा हो जायेगा कि आज का नारी कितनी सशक्त है । जन संचार हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलूओं पर जानकारियाँ उपलब्ध कराती है । इनकी नकारात्मक जानकारियों पर नज़र डाले तो हमें पता चलता है कि आज भी लाखों-करोड़ों महिलाएँ गरीबी, शोषण एवं उत्पीड़न के शिकार है । कार्यस्थल में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, बलात्कार, ससुराल में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक आदि विभिन्न रूपों में घरेलु हिंसा का शिकार के कारण आत्महत्याएं आदि के बारे में हर दिन अखबारों में पढ़ते है और टेलिविजन में देखते हैं । विश्व में नारी की स्थिति के संदर्भ में डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार 15 करोड़ लड़कियाँ 18 साल से कम उम्र में दुष्कर्म या यौन हिंसा जैसे अन्य अपराधों का सामना करती है । 30 प्रतिशत महिलाएं पार्टनर की किसी-ना-किसी हिंसा को सामना करती है । महिलाओं के हत्या के 38 प्रतिशत मामले में हत्यारा कोई करीबी ही होता है । अकेले एशिया में गर्भपात, भ्रूण हत्या या उपेक्षा के कारण 13.4 करोड़ लड़कियाँ आबादी में जुड़ने से रह जाती है । 6.2 करोड़ लड़कियाँ अब भी स्कूल से बाहर है, स्कूल पहुँची हरेक पांच में एक लड़की माध्यमिक शिक्षा से पूर्व स्कूल छोड़ देती है । विकासशील देशों में 33 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं मिलती ।

भारत में नारी स्थिति के संदर्भ में व्यापक राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है । नेशनल क्राईम ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2013 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध इस प्रकार है - अपराध 295896, बलात्कार - 33707, घरेलू हिंसा - 118866, यौन शौषण - 70739 और दहेज हत्या - 80333 । महिलाओं के खिलाफ हुए इस अपराध में सजा की दर वर्ष 2012 में 21.3 प्रतिशत थी यह वर्ष 2013 में बढ़कर 22.4 प्रतिशत हो गई थी । इसका अर्थ है कि महिला हिंसा के मामलों में एक चौथाई से भी कम लोगों को सजा हुई । एससीआरबी 2013 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के 309546 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 70,739 छेड़छाड़ और 33,307 दुष्कर्म का मामले थे । 70 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती है ।

हाल की 28 नवंबर 2015 की घटना जो समस्त जन संचार माध्यमों में सुर्खियों पर थी, इसी दिन महाराष्ट्र की शनि शिंगणापुर में एक महिला चार सौ साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए मंदिर मे प्रवेश कर गई । उसने शनि भगनान को तेल चढाया । उस महिला के ऐसे करने के कारण मूर्ति को अपवित्र मानते हुए मंदिर प्रशासन ने शुद्धिकरण किया और मंदिर को धोया । यह घटना अनुच्छेद 15 (1) के अन्तर्गत लिंग के आधार पर अपराध पर भेदभाव प्रतिबंध के खिलाफ थी । इसके लिए कई आंदोलन भी हुए । ऐसी स्थिति में महिलाओं के उत्थान कैसे हो ? महिला शक्ति सम्पन्न कैसे बनाई जाए ? उनके दायित्व के अनुसार समाज में उचित स्थान कैसे मिले ? इन सारी प्रश्नों का उत्तर काफी समय से ही ढूंढा जा रहा है ।

आज के समाज में नारी की स्थिति के बारे में जनसंचार के माध्यम की सकारात्मक खबरों पर नजर डालें तो पता चलता है कि विश्व में 117 देश ऐसे है, जहाँ पुरुष और महिला के समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाने का कानून है । 125 देशों में घरेलू हिंसा को गैर कानूनी घोषित किया गया है । 173 देशों में अनिवार्य रूप से संवैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है । 117 देशों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को गैर-कानूनी घोषित किया गया है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अन्तर्गत 'लिंग' के आधार पर अपराध पर भेदभाव प्रतिबंध करने के साथ-साथ अनुच्छेद 15 (2) के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के लिए अलग नियम बनाने को भी अनुमति प्रदान की तथा 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) एवं 243 (टी) के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों एवं उनकी प्रमुखों की एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की । खैर ये तो महिला सशक्तिकरण

के कानूनन प्रयास है । परन्तु महिला सशक्तिकरण के जीता जागता सबूत हमें 8 अप्रैल 2015 यानी विक्रम संवत 2073 का पहला दिन । इस को आन्ध्र में एवं तेलंगाना में उगादी (तेलुगु नव वर्ष) के रूप में मनाया जाता , महाराष्ट्र में गुढी पाडवा, कर्नाटक में युगादी सारे देश में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाया गया । परन्तु महिला सशक्तिकरण के लिए भी यह दिन ऐतिहासिक है । इसी दिन शनि सिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने 400 सालों से चली आ रही महिलाओं के प्रति भेदभाव परंपरा को अंत का ऐलान किया । मंदिर ट्रस्ट ने ऐलान किया कि अब महिलाएं भी मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे और शनि भगवान की पूजा भी कर पायेंगे । तृप्ति देसाई की नेतृत्व में लड़ी लड़ाई आधी दुनिया की पूरी जीत का सबूत दिया है।

घर और परिवार को व्यवस्थित ढंग से प्रबंधित करते-करते महिलाएं जब किसी कारोबार को संभालती है तो उनके दायित्व भले ही बढ़ जाती हो, लेकिन कारोबार एवं व्यवसाय की सफलता भी सुनिश्चित हो जाती है । अनेक अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि महिलाओं में उच्च प्रबंधकीय प्रतिभा एवं क्षमता है । आज देश में कई बड़े-बड़े निकाय ऐसी है जिन्हें महिलाएं ही संभाल रही है - जैसे अरुंधती भट्टाचार्य, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, निशी वासुदेव, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, चित्रा रामकृष्णा, प्रबंध निदेशक, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सेंज, ज्योति देशपांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकार, सह प्रबंध निदेशक, इरोज इंटरनेशनल, नीता अंबानी, अध्यक्ष रिलायंस फाउंडेशन, प्रिया नायर, अधिशासी निदेशक, होम केर हिन्दुस्तान युनीलिवर, दीपिका अरोरा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष (युरोशिया), विन्टम होटल समूह, इप्सिता दासगुप्ता, मुख्य वाणिज्य अधिकारी जी.ई. दक्षिण एशिया, तान्या दुबाश, अधिशासी निदेशक एवं मुख्य ब्राँड अधिकारी, गोदरेज समूह, शान्त एकम्बरम, अध्यक्ष, उपभोक्ता बैंकिंग, कोटक महिंद्रा बैंक, अरूणा जयंती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप जैमिनी इंडिया, मेहर पद्मजी, अद्यक्ष थोरमैस, कीर्तगा रेड्डी, प्रबंध निदेशक, फेसबुक इंडिया, सुनीता रेड्डी, प्रबंध निदेशक अपोलो हॉस्पीटल, संगीता सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हेल्थकेअर एवं साइंस विप्रो, ज्योत्स्ना सुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारत होटल्स पिक्की, आयशा डे सेक्योरिया, सहकन्ट्री प्रमुख, इनवेस्टमेंट बैंकिंग मार्गन स्टेनले इंडिया, नीलम धवन, प्रबंध निदेशक, एच.पी. इंडिया, विनीता गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लुपिन, सुनीया कोया, महा प्रबंधक, रामोजी ज्ञान केन्द्र, चंदा पंडित रजिस्ट्रार एवं निदेशक, एनआईआरडीपीआर, अनिता पांडे, सहायक निदेशक (रा.भा.) एनईआरडीपीआर

आदि ऐसे कई सशक्त महिलाओं के नाम है जो प्रबंधन के क्षेत्र में उतरने के लिए आतुर नव महिला उद्यमियों के लिए अनुकरणीय और प्रेरणा के स्त्रोत है ।

आज सिनेमा, टीवी धारावाहिक, विज्ञापन में महिलाओं को केवल गृहिणी के रूप में न दिखाकर एक पायलट, एक आई.पी.एस अधिकारी आदि भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं । विज्ञापन जगत में पहले महिलाओं को शैम्पू, साबुन तक ही सीमित रखते थे पर आज उन्हें पुरूषों से ऊंचे पदों पर होने के दिखाते है । एयरटेल के एक ऐसा ही विज्ञापन है जहाँ एक महिला जो कार्यालय में पति के बॉस होने के साथ साथ सफल गृहिणी के रूप में भी दोहरी भूमिका निभाते हुए दिखाया गया है । अतः समाज में महिलाओं के प्रति सोच में कुछ बदलाव जरूर आया है । चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के समय अभिनेता शाहरूक खान ने ऐलान किया कि उस फिल्म के बाद से उसकी हर फिल्म में नायिका का नाम पर्दे पर पहले दिखाया जायेगा । यही कारण है कि चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का नाम शाहरुख खान से पहले आता है । यह नारी के प्रति सम्मान का उदाहरण है । हालांकि भारत वर्ष में सदियों से ही देवी-देवताओं के सम्मिलित रूप में नाम लेते समय पहले देवी का ही नाम लिया जाता है - जैसे राधेकृष्ण, सीताराम, उमा महेश्वर, राधेश्याम, लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर आदि ।

कुल मिलाकर जन संचार के सकारात्मक पक्ष को देखा जाय तो हम कह सकते है कि आज की नारी सशक्त है । माननीय प्रधानमंत्री ने 6 मार्च 2016 को एक बयान में आज के महिलाओं को सशक्त माना है उन्होंने अपने बयान में कहा था कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाला पुरुष होता कौन है ? महिला तो स्वयं सशक्त है ।

संदर्भ ग्रंथ -

डब्ल्युएचओ रिपोर्ट

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्युरों रिपोर्ट

प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल 2016

24. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा : एक विश्लेषण

सुनील *
महन्तेश*

भारत के संविधान में शिल्पी डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी समुदाय की प्रगति को मापना है तो वहाँ की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति की मात्रा को देखना चाहिए। प्रस्तुत भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं द्वारा की जा रही भागीदारी और प्रगति के संदर्भ में उपयुक्त वाक्यांश अधिक महत्व दर्शाता है। व्यक्तियों या समूहों का अपने हालात पर नियंत्रण रखना, अपने अधिकारों को जानना, अपनेलक्ष्य को प्राप्त करना तथा जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने की क्षमता को ही सशक्तिकरण कहा जाता है।

महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य महिलाओं को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले खुद ले सके। हालांकि भारत अपनी संस्कृति परम्परा, धर्म, सभ्यता और भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है परन्तु साथ ही यह एक पुरूष प्रधान राष्ट्र के लिए भी प्रचलित है।

हालांकि स्वतन्त्र भारत के संवैधानिक व व्यवस्था द्वारा स्थापित कानून के लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, किन्तु ग्रामीण भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार की कमी पाई जा रही है।

भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकसित राष्ट्रों में से एक है जो भौगोलिक क्षेत्र के 2.4 प्रतिशत (329 मिलियन हेक्टेयर) और 17 प्रतिशत (121 करोड) जनसंख्या के साथ दुनिया का दूसरासबसे आबादी वाला देश है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है जिसमें पूरी जनसंख्या का आधा भाग (48 प्रतिशत) महिलाओं का है और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले है जिनका प्रमुख व्यवसाय खेतीबाड़ी/कृषि है। (www.censusindia.gov.in)

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए आजादी के बाद से ही प्रयास किए जा रहे है। पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी आधारिक संरचना की सुविधा, कृषि उत्पादकता में सुधार, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि प्रावधान तथा

* Sunil.peddi90@gmail.com

ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने इत्यादि के प्रावधान तथा ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने इत्यादि के लिए योजनाओं को लागू किया गया । इनमें कुछ प्रयास इस प्रकार है - स्त्री शक्ति, राष्ट्रीय महिला कोश, प्रियदर्शनी, स्वधार, स्वयंसिद्ध महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के विकास (DWACRA, STEP) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, पंचायती राज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जननी सुरक्षा योजना, स्वर्णजयन्ती ग्रामस्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना,एमजी नरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम)

इन सभी योजनाओं के बावजूद महिला सशक्तिकरण में की गई प्रगति का कोई साक्षात प्रमाण नहीं है लेकिन एक दशक के बाद वर्तमान पहल मनरेगा ने महिलाओं के सशक्तिकरण में बड़ा योगदान दिया है जिसका निम्नलिखित साहित्य द्वारा पुष्टिकरण किया गया है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) 23 अगस्त 2005 को कानून द्वारा अधिनियमित किया गया और 7 सितम्बर 2005 को भारत के राजपत्र द्वारा अधिसूचित किया गया । नरेगा योजना को पहली बार भूतपूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहिन सिंह द्वारा 2 फरवरी 2006 को आन्ध्रप्रदेश के अनंतपूर जिले में लागू किया गया । बेल्जियम अर्थशास्त्र विशेषज्ञ श्रीमान जोन ड्रेज इस परियोजना के वास्तुकार थे ।

इस परियोजना को भारतीय सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया और यह देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है । इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा को बढाना है जिसके तहत कम से कम 100 दिनों का आश्वस्त मजदूरी रोजगार लोगों की मांग के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है । इस काम की गारंटी उन उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है जैसे कि उत्पादक परि-संपतियों को पैदा करना, वातावरण संरक्षण, विकास की पहल, स्थायी संपति के निर्माण के लिए सार्वजनिक निवेश, विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन, इत्यादि । संपूर्ण ग्रामीण रोजगार और काम के लिए राष्ट्रीय योजना इत्यादि को भी NREGA में ही एकीकृत किया जा रहा है । अधिनियम को इसके पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया है और 2007-2008 में 130 अतिरिक्त जिलों के लिए भी बढ़ा दिया गया है । सभी शेष ग्रामीण क्षेत्रों को 1अप्रैल 2008 से इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है और 2 अक्टूबर 2009 को इस अधिनियम का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) रखा गया है ।

अधिनियम में महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है जिसके अन्तर्गत एक तिहाई लाभार्थियों में महिलाएं होनी चाहिए इसके अलावा कार्यस्थल के पास बच्चे की देखभाल की सुविधाएं होना भी अनिवार्य है, तथा महिलाओं को अपने निवास से पांच किलोमीटर की दूरी से काम करने की वरीयता प्राप्त है और पुरूषों के महिलाओं को समान वेतन दिया जाता है । महिलाओं के सशक्तिकरण पर MGNREGA के प्रभाव का पता करने के लिए विभिन्न शोधकर्ता द्वारा प्रयास किये गये है जिनमें से कुच नीचे वर्णित उल्लेखित है ।

कोहली 2013 ने "NREGA और आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव नामक अध्ययन'' में सूचित किया है कि NREGA लाभार्थियों को भूख से बचने में मदद की है और आहार में सुधार किया है । NREGA प्रतिशत लोगों में 59.00 की मदद से 50 प्रतिशत तक बिमारियों से निपटने में सहायता मिली है, 38 प्रतिशत बच्चे स्कूल जा पा रहे है, 35 प्रतिशत खतरनाक काम करने से लोगों को राहत मिली है और 32 प्रतिशत कर्ज चुकाने में सक्षम हुए है । NREGA में ग्रामीण क्षेत्र की महिला को महिलाओं को अपनी आय कमाने का अद्वितीय अवसर प्रदान किया है । लगभग 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के पास की मजदूरी के अलावा 3 महिने पहले कोई भी कमाई का साधन नहीं था । NREGA योजना के उपरान्त मजदूरी में 85 रूपयी तक की वृद्धि होने से श्रम के शोषण में कमी आई है । सर्वेक्षण के तहत कई मजदूरों ने ये भी कहा है कि उन्हें अन्य निजि भूमि मालिकों के लिए काम की तुलना में नरेगा के तहत काम करना पसंद है क्योंकि काम की स्थिति, काम के अवधि (घंटे) और उत्पादकता मानदंडों के लिहाज से नरेगा बेहतर है ।

जयन्त रॉय (2012) ने अपने अध्ययन के विषय ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का त्रिपूरा के धलाई जिले में प्रभाव'' का विश्लेषण में पाया कि NREGA योजना के कार्यान्वयन से पहले 31.30 प्रतिशत लाभार्थी अपने जीवन स्तर में निम्न स्तर से संबंधित थे । यह एक दिलचस्प ध्यान देने वाली बात है । NREGA कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद केवल 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जीवन स्तर निम्न स्तर से नीचे है । भुवना (2013) में अपने अध्ययन के वि,य NREGA कार्यक्रम का महिला लाभार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव'' में प्रकाशित किया कि मनरेगा के कार्यान्वयन के पहले (रुपए 9918/-) और बाद में (रुपए 20829/-) के 11711 रुपए की वार्षिक आय में औसत वृद्धि हुई है । NREGA के कार्यान्वयन के होने के पहले और

बाद में कुछ संकेतकों में आये परिवर्तन से भी वृद्धि को मापा गया जैसे कि सामाजिक स्थिति, खाद्य उपभोग व्यय, सामाजिक भागीदारी और स्थूल संपति में परिवर्तन आया है ।

सुनील (2013) के अध्ययन ''कर्नाटक के कलूरगी जिले में मनरेगा के लाभार्थियों का रवैया और सशक्तिकरण'' में पता लगा है कि MGNREGA के अंतर्गत कार्यरत होने से पहले की तुलना में MGNREGA के तहत कार्यरत होने के बाद लाभार्थियों की आय में 111 प्रतिशत परिवर्तन आया है । कई अन्य संकेतकों में भी वृद्धि को महसूस किया गया है कि व्यय या उपभोग में 64.77 प्रतिशत की वृद्धि, परि-संपतियों कब्जे में 74.24 प्रतिशत वृद्धि, किफायत/ बचत में 199.22 प्रतिशत वृद्धि और पारिवारिक शिक्षा में 189.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि कुछ संकेतको में उधार राशि में 55.50. प्रतिशत की कमी पाई गई और देशान्तरण में मनरेगा से पहलेऔर बाद में 71.35 प्रतिशत का परिवर्तन पाया गया और यह भी पाया गया कि बहुत से लाभार्थी सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त हुए ।

NGNREGA अपनी स्थापना के बाद से जून 2016 तक 341425.18 करोड रुपये के कुल व्यय के साथ लोगों को 2107.88 करोड दिनों का रोजगार उत्पन्न कराने में सक्षम है । वित्त वर्ष 2015-16 में यह 43847.78 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 235.57 करोड़ दिनों का रोजगार उत्पन्न करने में सक्षम है जिनमें 55.21 प्रतिशत दिनों का रोजगार महिलाओं को दिया गया है । (www.nrega.nic.in)

इसमें कोई शक नहीं है कि NREGA महिला लाभार्थियों की आय बढ़ाने में सफल रहा है । इसके साथ-साथ यह अन्य पहलू जैसे की संचार क्षमता, विस्तार भागीदारी, सरकार की नीतियों के बारे में जागरूकता, सामाजिक संगठन में भागीदारी, नेतृत्व के गुण, कार्यत्मक साक्षरता, सामाजिक पहलुओं में भागीदारी, खाली समय के दौरान किया गया काम, परिवार में आत्म छवि, निर्णय क्षमता, परिवार के उपचार, चुनाव में भाग लेना, स्वच्छता, स्वास्थ्य पोषण, जनसंपर्क माध्यम में भागीदारी इत्यादि अनेक मुद्दों के सशक्तिकरण में सफल रहा है ।

निष्कर्ष :

MGNREGA ने अब तक जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में महिलाओं को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है लेकिन अभी भी भारत में सांस्कृतिक बाधाए है जो महिलाओं की प्रगति को रोक रहे है । इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार, निजी, और सरकारी संगठनो, पुरूषों और अन्य सामाजिक संस्थाओं से समर्थन की जरूरत है ।

25. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की एक विवेचना : राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में

सुनीता चौधरी*
भरतकुमार चौधरी**

कानून संरचनात्मक समानता को दूर नहीं कर सकते है लेकिन वे निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन में सहायता कर सकते हैं, हमें समतामूलक और न्यायसंगत समाज को प्राप्त करने के लिए अहिंसा और पूर्वाग्रह की संस्कृति पर जागरूकता लाने की जरूरत है । हमें प्रणालीगत सुधार करने की जरुरत है न कि व्यक्तिगत मामलों से अपनी सफलता को सीमित करने की । राजनीतिक भागीदारी न केवल महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि यह आगे भी जागरूकता पैदा करती है और बड़े पैमाने पर उनके और सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र का एक हिस्सा होने के लिए अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करती है । महिलाओं को न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए बल्कि सही अर्थो में सशक्त कहलाने के लिए विचार विमर्श के परिणाम को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए ।

परिचय :

''लिंग असमानता एक ऐसा पहलू है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । आबादी की आधी संख्या महिलाओं व बालिकाओं की है फिर भी हमारा समाज इनके प्रति निष्पक्ष नहीं रहा है । इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है परन्तु अब भी अंतराल व्याप्त है । आधी आबादी की सक्रिय सहभागिता के बगैर कोई सार्थक विकास नहीं हो सकता और सहभागिता तब तक नहीं हो सकती है जब तक वे सुरक्षा और संरक्षा के प्रति आश्वस्त न हो जाए ।'' राष्ट्रीय विकास परिषद की 57 वीं बैठक के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा प्रकट विचार समाज में गहराई तक व्याप्त उस भयावह समस्या की ओर इशारा करते रहे हैं जिस पर अब सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

हजारो वर्षों से हमारे समाज में लिंगानुभेद आधारित विविधता के परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की चुनौती धीरे-धीरे परस्पर द्वेष, के भाव में परिवर्तित होती जा रही

* शोधार्थी, लोकप्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - email : ms.sunita,choudhary02@gmail.com
** शोधार्थी, लोकप्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - email :bharatkc85@gmail.com

है । हमारा पुरूष प्रधान समाज जिन संस्कारों, परंपराओं और मर्यादाओं की दुहाई देकर महिलाओं को अपने द्वारा निर्मित दायरे में बांधकर रखना चाहता है पुरूष द्वारा उन्हीं सीमाओं का अतिक्रमण और अवमानना कोई बात नहीं है । खास बात यह है कि उसे ऐसे कृत्य के लिए कोइ ठोस सजा नहीं दी जाती है । वही अगर कोई महिला इन बंधनों को तोड़ कर बाहर निकलना चाहे तो उसे हमारे समाज के ठेकेदारों की कोपदृष्टि का पात्र बनना पड़ता है । भले ही खुद को आधुनिक कहने लगें हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि आधुनिकता केवल हमारे पहनावे और व्यवहार में आई है । लेकिन चरित्र और विचारों से अभी भी हमारा समाज और इसमें रहने वाले लोग पिछड़े हुए ही हैं । पुरूष वर्ग महिलाओं को आज भी एक वस्तु की भांति अधीन बनाए रखना चाहता है ।[1] आज महिलायें गृहिणी से लेकर एक सफल व्यवसायी की भूमिका को सहज ढ़ंग से निभा रही है। अगर वह खुद में छिपी ताकत को पहचान अपना पृथक और स्वतंत्रत अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास करती है तो वह पुरूषों से ज्यादा बेहतर निर्णय लेने की भी काबिलियत रखती है ।

मौलिक रूप से हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है । महिलाओं को हमेशा यहां दोयम दर्जे का स्थान ही प्रदान किया गया है । पहले महिलाओं के पास किसी प्रकार की स्वतंत्रता ना होने के कारण उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक और कुछ नहीं थी, जिसे हर कदम पर पुरूष के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी परिवार नामक संस्था की पुरोधा बनकर जिस स्त्री ने अपने त्याग से समाज की श्रृंखला को उन्नत किया है, ये उस नारी का ही तो संस्कार है जो हमें मां के ममत्व के रूप में मिला है । ये एक नारी का ही तो त्याग है जो भार्या के रूप में उसे मिला । हम आज उसी नारी के सशक्तिकरण पर इतने व्यग्र इसलिए है क्योंकि समाज के बहु आयामी विकास की, परिकल्पना में चाहे सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक प्रतिनिधित्व की बात हो या महिला के अंदरूनी विकास की हर तरफ शून्यता ही नजर आती है । नारी को उपभोग की वस्तु मानने वाले इस समाज ने पश्चिम की विसंगति को मानो आत्मसात कर लिया हो । अत्याचार और दुराचार, दहेज की आग में धधकना और मिथ्या पुरूषार्थ के दबाब में सिसकना मानो नारी समाज की नियति बन गयी है ।

हर मामले में लड़कों के सामने लड़कियों की उपेक्षा की जाती है चाहे खानदान का मामला हो या फिर शान-शौकत का या पढ़ाई-लिखाई का या बीमार होने में दवा-दारू का हर वक्त, हर जगह महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है[2] लेकिन फिर भी आज की महिलायें सिर्फ घर गृहस्थी तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि हर क्षेत्र

में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है । व्यावसायिक क्षेत्र हो या पारिवारिक कलह, महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वह हर वो काम कर सकती है जो पुरूषों के योग्य समझा जाता था । शिक्षा और रोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर बन जाने के कारण वह अपने ऊपर विश्वास कर अपने जीवन संबंध निर्णय लेने लगी है ।

वैसे तो आज़ादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किये जाते रहे है । लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण की बयार में अत्याधिक तेजी देखी गई है । इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं के आत्मविश्वास में कई गुणा बढ़ोतरी हुई है और वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने लगी है । जहाँ सरकारें महिला उत्थान के उद्देश्य से नई-नई योजनाएं बनाने लगी हैं वहीं कई गैर-सरकारी संगठन भी उनकेअधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं । नारी सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के भीतर ऐसी प्रबल भावना को उजागर कर बिना किसी सहारे के आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें ।

महिलाओं के अभिकरण व एनजेंडरिंग विकास

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की संख्या 586.47 मिलियन थी जो कुल जनसंख्या का 48.46 प्रतिशत थी । यद्यपि लिंगानुपात में 7 अंको की समग्र वृद्धि हासिल की गई है जो वर्ष 2001 में 933 से बढ़कर वर्ष 2011 में 940 हो गया, शिशु लिंग अनुपालन (0-6) वर्ष में 13 अंकों की गिरावट आई है जो 2001 में 927 से कम होकर 2011 में 914 हो गया जो चिंता का विषय है । स्वास्थ्य की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन से लिंग संबंधी अनेक मुद्दों में काफी सुधार हुआ है । [3] बालक और बालिका मृत्यु दर के बीच बढता अंतराल चिंता का विषय है लड़कों की तलना में लड़कियों की मृत्युदर 49 है । भारत में 5 वर्ष की आयु तक लड़कियों की मृत्युदर 100 प्रति जीवित शिशु पर 64 है जबकि लड़कों में यह 100 प्रति जीवित शिशु दर 55 है ।

महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई है जो 53.67 प्रतिशत (2001 जनगणना) से बढ़कर 65.46 प्रतिशत (2011 जनगणना) हो गई । यद्यपि लिंग अंतराल को कम करना अभी भी चुनौती है जो 16.68 प्रतिशत है । शिक्षा में लिंग अंतराल मं कमी आई है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर । वर्ष 1993-94 से 2009-10 के दौरान श्रमशक्ति में महिला सहभागिता में कमी आई है जो एन.एस.एस.ओ. डेटा द्वारा दर्शाए गए आंकड़ें के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 प्रतिशत से 26.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 17 प्रतिशत से 13.8 प्रतिशत थी ।[4]

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न सरकारी प्रयास

समय-समय पर सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रयास किए गए है चाहे फिर वो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर । सभी प्रयासों का एक मात्र लक्ष्य यही है कि प्रत्येक महिला का हर स्तर पर सशक्तिकरण किया जाये ताकि वह अपने अधिकारों को पहचान कर स्वयं के खिलाफ होने वाले दमन का सामना कर सकें साथ-साथ स्वयं को सशक्त बना सकें ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने संबंधी संधि (Convention on the elimination of all forms of Discrimination against woem; CEDAW) पर भारत ने 30 जुलाई, 1980 में हस्ताक्षर किए थे और एक आपत्ति और दो घोषित वक्तव्यों के साथ 9 जुलाई, 1993 को उसकी पुष्टि कर दी गयी थी ।[5] संधि में शामिल सदस्य देश महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए अपने यहां कानून बनाने और दूसरे उपाय करने तथा उनके लिए अपने यहां कानून बनाने और दूसरे उपाय करने तथा उनके लिए पुरुषों के समान मूल अधिकारों और मानवाधिकारों का उपयोग करने की आज़ादी को गारंटी देने के लिए बाध्य है ।

महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति

महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन भविष्य की रूपरेखा के रूप में किया गया । इस नीति में महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त करने, कानून प्रणाली सहित मौजूदा संस्थानों को सशक्त करने, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख और अन्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने, निर्णय लेने के क्रम में महिलाओं की भागीदारी के समान अवसर उपलब्ध कराने और विकास की प्रक्रिया में महिलाओं से जुड़े सरोकारों को मुख्यधारा में लाने आदि के लिए विस्तृत निर्देश निर्धारित किए गए । सरकार की नीतिया/कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों के अनुरूपमहिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए समावेशी विकास प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित है ।[6] महिलाओं और पुरूषों में समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं । इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रों में विकास से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं की केंद्रियता स्वीकार कर नियोजन की प्रक्रिया में पूर्णतया कल्याणोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है ।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन

यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 8 मार्च 2010 को महिलाओं के सम्पूर्ण सशक्तिकरण के उद्देश्य से की थी । इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों भारत सरकार साथ ही साथ राज्य सरकारों के विभागों की योजनाओं . कार्यक्रमों के सम्मेलन द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण करना है । इसके पास महिलाओं के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े सभी कार्यक्रमों को सशक्त बनाने और उनके बीच समन्वय सुगम बनाने का अधिदेश है । मिशन के संस्थागत तंत्र का संचालन निदेशक और अपरसचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय इकाई के गठन के माध्यम से किया जा रहा है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबद्ध है। मिशन में एक कार्यकारी निदेशक है तथा इसके सदस्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, जेंडर बजटिंग, महिलाओं के अधिकार और कानून कार्यान्वयन मीड़िया जागरूकता, जनसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ है ।

मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाने और उनकी निगरानी के लिए केन्द्रीय निगरानी समिति और अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है । कैबिनेट सचिव के अधीन अंतर मंत्रालयी समन्वय समिति के सदस्य इसमें शामिल 14 मंत्रालयों और विभागों के सचिव है । इस समिति का काम अंतर मंत्रालयी अभिसरणों की समीक्षा करना है । राज्यस्तरीय संस्था में मिशन प्राधिकरण और राज्य महिला संसाधन केन्द्र है जो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के साथ तालमेल कायम करके काम करते हैं । राज्य मिशन प्राधिकरण के सभापति मुख्यमंत्री होते हैं और इसमें महिला मामलों से संबंधित विभागों के मंत्रियों के अलावा सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं । यह प्राधिकरण संबंधित राज्यों में मिशन की गतिविधियों को निर्देशित करता है ।

राज्य मिशन प्राधिकरण जो 30 राज्य संघ शासित प्रदेश अधिसूचित कर चुके हैं । (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दमन और दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिसा, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तराखण्ड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और तमिनालडु) राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन ने महिला सशक्तिकरण की विभिन्न पहलकदयिमों के लिए 2012 से 2015 तक की एक कार्य योजना तैयार की है ।[7]

अभिसरण मॉडल का मकसद महिलाओं के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों का अभिसारित कार्यान्वयन करना है । इस मॉडल में जिला, तहसील/वार्ड और गांव / क्षेत्र स्तर पर अभिसरण सुविधा केन्द्रों का गठन शामिल होगा । वर्तमान संरचनात्मक प्रबंधों

से भागीदारी संभव होगी । गांव के स्तर पर महिला केन्द्र, महिलाओं के संपर्क का प्रथम बिन्दु है और इसे 'पूर्ण शक्ति केन्द्र' के नाम से जाना जाता है । महिलाओं के लिए यह केन्द्र अभिसरण केंद्रों का अनोखा मॉडल है, जो विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से होने वाले फायदों तक पहुंच बनाने में महिलाओं की सहायता करने के लिए समर्थित है ।'पूर्ण शक्ति केन्द्र' व्यावहारिक स्तर का कार्य मुख्य बिन्दु है जिसके माध्यम से बिल्कुल निचलेस्तर की महिलाओं तक सेवाएं पहुंचाना संभव है । केन्द्रों में गांव के समन्वयक **'हम सुनेंगे नारी की बात'** के ध्येय के साथ महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाते हैं . 'पूर्ण शक्ति केन्द्रों पर जो अन्य कार्य किये जा रहे हैं वह इस प्रकार हैं [8]

- महिलाओं के लिए सभी सरकारी योजनाओं सेवाओं कार्यक्रमों की सूचना,
- लक्षित जन संस्था का डाटाबेस तैयार करना,
- कानूनी अधिकारों और पात्रता के प्रति जागरूकता जगाना,
- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन पर सरकार की योजनाओं, सेवाओं कार्यक्रमों को उपलब्ध कराना और उन लोगों की पहुंच आसान बनाना,
- नेतृत्व और कानूनी अधिकारों जैसे मामलों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण,
- विभिन्न संसाधनों तक पहुंचने के लिए महिलाओं को संगठित करना,
- विभिन्न विभागों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए समन्वय ।

मिशन के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार है -

- बच्चों का घटता लिंग अनुपात,
- महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा,
- बाल विवाह
- जेंडर बजटिंग और महिलाओं को मुख्यधारा में लाना,
- शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलाना,
- शोषित और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को मुख्यधारा में लाना और मानव तस्करी ।

महिलाओं से संबंधित कानून - महिला एवं बाल विकास विभाग पर निम्न अधिनियम लागू करने का दायित्व है ।[9]

- अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 (1986 से संशोधित)
- महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986
- दहेज निरोधक कानून, 1961 (1986 में संशोधित)
- सतीप्रथा (निरोधक) अधिनियम, 1987
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, जनवरी, 2007 में अधिसूचित
- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, प्रतिशोध एवं निवारण) 2012

12 वीं पंचवर्षीय योजना में संवेदनशील वर्गों की महिलाओं लिए किये गये प्रयास

संवेदनशील वर्गों की महिलाएं जिनमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक की महिलाएं, अकेली और विधवा महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, प्रवासी श्रमिक महिलाएं, अशांत क्षेत्रों में महिलाएं आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं । इन महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में कुछ विशेष परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है । जिसके कारण इनकी समस्याएं और ज्यादा तो बढ़ ही जाती है साथ ही इनके सशक्तिकरण के प्रयासों में भी कठिनाई आती है । 12 वीं पंचवर्षीय योजना में इन वर्गों की महिलाओं पर गम्भीरता से ध्यान देते हुए इनके सशक्तिकरण व उत्थान के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किये गये है ।

अनुसूचित जाति की महिलाएं - अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली अनेक प्रकार की असुरक्षित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले मकान की जगह पत्नी और पति के संयुक्त नाम पर दी जा रही है । [10] सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति के इलाकों में आउटलेट खोले जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा यथासंभव संचालित किया जा रहा है ।

अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं - अर्थात आदिवासी महिलाओं के बीच नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों तथा इसके लिए वैधानिक कानूनों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया द्वारा जागरूकता बढाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपारिक वन निवासी (वन संबंधी अधिकारों को मान्यता) अधिनियम के कार्यान्वयन पर और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपारिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत

सभी भूमि मालिकों की पर्याप्त भूमि विकास सुविधाओं तथा ऋण सुविधाओं पर प्राथमिकता के आदार पर ध्यान दिया जा रहा है ।[11] लघु वनों पर न्यूनतम समर्थन निर्धारित करने के लिए बनी समिति में आदिवासी महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है ।

धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं - शिक्षा के लिए मुस्लिम लड़कियों को अतिरिक्त सहायता दी जा रही है जिसमें सामूहिक परिवहन सुविधा का प्रावधान शामिल है जिससे इनके नामांकन और उपस्थिति में सुधार होगा । मदरसों सहित धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक शिक्षा के साथ-साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है । अल्पसंख्यक वर्ग की महिला दस्तकार जो व्यवसायिक विविधीकरण की इच्छा रखती हैं उन्हें वैकल्पिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ।[12]

अकेली महिलाएं और विधवाएं - विधवा पेंशन योजना को ज्यादा महिलाओं तक पहुँचाते हुए कुछ राज्यों में आयु की पात्रता की समीक्षा द्वारा लाभार्थियों की संख्या बढ़ायी जा रही है । अकेली महिलाओं के लिए इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के तहत अलग कोटे पर विचार किया जा रहा है और मनरेगा के तहत अकेली महिलाओं के लिए विशेष नौकरी कार्ड द्वारा रोजगार और समान मजदूरी को सुनिश्चित किया जा रहा है । अकेली महिलाओं के लिए अलग उद्यमशीलता और नेतृत्व विकास योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है इसके साथ-साथ भुगतान की लचीली विधि और कम ब्याज दर के साथ ऋण देने में प्राथमिकता के आधार पर चयन को भी अपनाया गया है ।

वृद्ध महिलाएं - स्वास्थ्य, पोषण तथा पेंशन संबंधी विषयों के बारे में वृद्ध महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है । वृद्ध महिलाओं को ज्यादा असुरक्षित रोगों के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है । जिनमें ऑस्टिपोरोसिस, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसे रोग शामिल है । ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी स्लम में 75 वर्ष से ज्यादा की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन के लिये आय के मानदण्डों में छूट जी जा रही है । गैर संगठित क्षेत्रों में वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन को, भी बनाया जाएगा जो बिना किसी बचत और नौकरी न होने पर तथा काम करने में अक्षम होने पर सहायता देगा ।

प्रवासी श्रमिक - 12 वीं योजना में प्रवासी महिलाओं को वित्तीय सेवाओं के प्रावधान सुनिश्चित किये जा रहे है जिससे बचत को बढ़ावा मिल रहा है । और साथ ही पैसा दूसरी जगह भेजने में सुरक्षित अंतरण को सरल बनाया जा रहा है । प्रवासी श्रमिकों को हाशिए पर रखने से रोकने के लिए विशेष रूप से प्रवासी महिलाओं को नई जगह पर अनुभव के आधार पर पात्रता सुविधा जैसे राशन कार्ड जारी करना सुनिश्चित किया जा रहा है ।

अशांत क्षेत्रों में महिलाएं - अशांत क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं विशेष स्थिति को झेलती है जिसमें सेना की नियमित उपस्थिति, नागरिक अधिकारों का निलंबन और लगातार हिंसा के कारण सेवाओं / सुविधाओं का अभाव शामिल है । महिलाओं को न्याय तक पहुँच, सभी केन्द्र सरकार की स्कीमों से लाभलेने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए इन्हें सूचना और काउंसलिंग देने के क्रम में अशांत क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सभी पॉकेट में महिला और बाल विकास के लिए राज्य विभागों द्वारा जेंडर रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ।[13] सशस्त्र सेना विशेष शक्ति अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिंग आयामों के उल्लंघन का प्रलेखीकरण और आवश्यकताओं का आकलन भी 12 वीं योजना के अंतर्गत किया गया है ।

देह व्यापार वाली महिलाएं - महिलाओं और बच्चों का व्यावसायिक रूप से यौन शोषण के लिए देह व्यापार महिला और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध का सबसे घिनौना रूप है क्योंकि इसमें जीवन शोषण तथा यौन उत्पीड़न में व्यतीत होता है । महिलाओं और बच्चों को इस तरह के देह व्यापार के प्रति संवेदनशील बनाने वाले घटकों में गरीबी, अशिक्षा, जीविता के साधनों का अभाव, प्राकृतिक मानव निर्मित आपदा और सामाजिक एवं परिवार सहायता की कमी, प्रवास आदि शामिल है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित तथा ग्राम नियोजन केन्द्र द्वारा ''भारत में वेश्यावृत्ति में लडकियाँ और महिलाएँ'' (2002-2004) शीर्षक पर एक अध्ययन किया गया जिसमें आकलन किया गया है कि महिलाऔर बच्चों की लगभग तीन चौथाई संख्या का वेश्यावृत्ति में प्रवेश अवैध व्यापार के कारण होता है और देश में लगभग 2.8 मिलियन वेश्याओं (सेक्स वर्कर) में 36 प्रतिशत बच्चे हैं ।[14]

12 वीं योजना के दौरान सरकार द्वारा व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए प्रयासों को दहेज किया जा रहा है और ट्रैफिक की शिकार महिला के पुर्नवास के प्रयास बढ़ाएं जा रहे हैं जिसमें वेश्यावृत्ति वाली महिलाएं भी शामिल हैं जो इस शोषण वाली स्थिति से निकलना चाहती है । वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को वैकल्पिक जीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है । वेश्यावृत्ति में लिप्त महिला की दूसरी पीढ़ी को इस कुचक्र और वेश्यालय संबंधी जीवन यापन से बचाने के लिए सेक्स वर्करों के बच्चों को उचित शिक्षा से समाज की मुख्य धारा में लाना होगा और एक सक्षम, प्रेरक परिवेश प्रदान करना होगा ।

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न प्रयास :

राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में समानता लाने के उद्देश्य से महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास तथा उनकी सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन के लिए कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं। जिन्होंने राजस्थान में न केवल महिलाओं की उन्नति बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में भी योगदान दिया है ।

भामाशाह योजना - जनसंख्या में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। समाज की सभी गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय एवं समान सहभागिता के बिना स्थायी विकास संभव नहीं हो सकता है। महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण तैयार करने पर निर्भर करता है जो कि सभी स्तरों पर महिलाओं को निर्णय लेने में समान सहभागिता में सहायक होगा। वित्तीय समावेशन एवं महिलाओं के सशक्तिकरण की भामाशाह योजना वर्ष 2008 में लागू की गयी थी। वर्ष 2014 में भामाशाह योजना को बृहद् उद्देश्यों सहित पुनः लागू किया गया है । भामाशाह योजना एक परिवार आधारित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण एवं बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है ।

महिला विकास कार्यक्रम - महिला विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ लेने हेतु सशक्त बनाना है। ग्राम स्तर पर साथिन मुख्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रही हैं। न केवल महिलाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच सेतु का कार्य कर रही है, बल्कि महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत करना भी साथिन का कार्य है। साथिन की आवश्यकता ऐसी बुराइयों एवं ऐसी परिस्थितियों के प्रति, जिनमें महिलाएं बहुधा अपने आपको परेशान, शोषित एवं पीड़ित पाती हैं, के विरुद्ध वातावरण निर्माण करने के लिए भी है। वर्तमान में राज्य में 7,905 साथिनें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों / योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलवाने के लिए कार्यरत है ।

सामूहिक विवाह योजना (सामूहिक विवाह हेतु अनुदान) - सामूहिक विवाह योजना, दहेज प्रथा एवं व्यक्तिगत विवाहों पर होने वाले व्यय को कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा रु. 12,500 प्रति जोडे की दर से अनुदान दिया जाता है, जिसमें से रु. 10,000 की राशि वधू के नाम से बैंक / डाकखाने में जमा करायी जाती है। रु. 2,500 आयोजनकर्ता को विवाह आयोजन हेतु दिए जाते हैं ।

महिला सशक्तिकरण के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम - महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है, जब उनके जीवन चक्र के लिए उचित दृष्टिकोण की नीति अपनाई जाए। यह कार्यक्रम केन्द्रित हैं - 1. सुरक्षित मातृत्व, 2. शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, 3. जनसंख्या स्थिरीकरण, 4. बाल विवाहों की रोकथाम, 5. लडकियों का कम से कम कक्षा-10, 6. महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, 7.आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

बाल विवाह रोकथाम - शीघ्र विवाह करने का परिणाम यह होता है कि लड़कियाँ जल्दी गर्भाधारण कर लेती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण विकास परिमाणकों पर प्रभाव पडता है। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय बाल विवाहों की रोकथाम करना और लड़कियों को शिक्षा एवं विकास हेतु समुचित वातावरण उपलब्ध कराया जाना है।

लिंग प्रकोष्ठ - लिंग प्रकोष्ठ, राज्य की बजट प्रणाली में लिंग अवधारणा की मुख्यधारा को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया है तथा लिंग के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

महिला संरक्षण प्रकोष्ठ - महिलाओं के संरक्षण से जुड़े निम्नलिखित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक विशिष्ठ महिला संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की भी की गई है जो महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, 24 घण्टे की महिला हेल्पलाईन, घरेलूहिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण आदि कार्य सम्पन्न करती है।

महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम - महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान में 2.53 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिनमें से 1.84 लाख स्वयं सहायता समूह, रु. 812.87 करोड़ का ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर रहे हैं

स्वावलम्बन - इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण व दक्षता उपलब्ध कराया जाना है ताकि वे स्थायी रूप से रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना का लक्षित समूह निर्धन एवं जरूरतमंद महिलाएं, विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं यह योजना मुख्यतः गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से आयजनक गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु संचालित की जाती है।

महिलाओं के लिए आर.के.सी.एल. के सहयोग से निःशुल्क कम्प्यूटर का बेसिक प्रशिक्षण - सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में महिलाओं को सूचना सम्पन्न बनाने के उद्देश्य से आर.के.सी.एल. (राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड) के सहयोग से निःशुल्क कम्प्यूटर का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।[15]

वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वित महिलाएं / बालिकाएँ	व्यय (रू. लाख में)
2011-12	25284	447.19
2012-13	65915	725.78
2013-14	26525	390.13
2014-15	53381	679.95
2015-16	15266	168.97

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना - ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत मानवीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2015 को 100 जिलों में प्रारंभ की गई, जहां गत 10 वर्षों में लिंगानुपात में तेजी से गिरावट आई है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को सशक्त करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका के जन्म से पहले और बाद में होने वाले भेदभाव का विरोध प्रमुख है । यह योजना राजस्थान में 10 जिलों (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुन्झुनू, जयपुर, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर और श्रीगंगानगर) में संचालित की जा रही है ।

राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही अन्य योजनाएँ - अमृता हाट बाजार, अमृता महिला स्वयं सहायता समूह पुरस्कार योजना, प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना, मुख्यमंत्री सहरिया जाति के लिए विशेष पैकेज, मिशन ग्रामीण शक्ति, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र, स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण पर अनुनदान योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों को राशन की दुकानों का आवंटन आदि ।

निष्कर्ष -

महिला सशक्तिकरण के विषय पर जब हम बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि भारतीय समाज में सदैव ताकतें सक्रिय और सशक्त रही है जो महिला सशक्तिकरण का पुरजोर विरोध करती हैं। ये एक तथ्यात्मक सत्य है इसे हमें स्वीकार करना चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं है कि हजारों वर्षों से चलीआ रही इस

लिंगानुभेद आधारित विविधता को रातों-राता ठीक नहीं किया जा सकता है । समाज में प्रचलित मूल्य और प्रतिमान इसकी सफलता के मार्ग में बहुत बड़े अवरोधक बने हुए हैं । एक तरफ परम्परागत प्रतिमानों व मूल्यों तथा महिला-पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव द्वारा महिलाओं के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया जाता है तो वहीं दूसरी ओर की ग्रामीण महिलाएं अपने सामान्य कानूनी अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ रहती हैं । उनकी अनभिज्ञता और अज्ञानता ही सारे शोषण की जड़ है ।

महिलाओं के बाह्य क्रियाकलापों पर अब भी अंकुश लगाया जाता है । महिलाओं का उद्यम उनकी सामाजिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि के तहत निर्धारित किया जाता है । घर के अंदर महिलाओं का कार्य विशेष रूप से पूरूष व महिला के बीच श्रम विभाजन पर आधारित होता है । इस तरह के घरेलू कार्यों हेतु उन्हें कोई पारिश्रामिक नहीं मिलता और नहीं उसे उत्पादक उद्यम में शामिल किया जाता है । महिला पुरूषों में श्रम विभाजन का सर्वाधिक विभेदक लक्षण यही है । इस श्रम विभाजन में महिलाएं शोषित होती हैं ।[16] इस प्रकार की असमानता मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि प्रत्येक रूप में महिलाओं के प्रति समाज में एक उपेक्षित सोच को जन्म देती है ।

शक्ति संपन्न महिलाएं विकास के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे कारगर हथियार है । शिक्षित और अवसर प्राप्त महिलाओं ने यह साबित किया है कि वे अपने पेशे और कैरियर में ऊँचाइयाँ हासिल कर सकती हैं । शिक्षित और जागरूक महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर सकती है बल्कि राष्ट्र को प्रगतिशील बना सकती है । महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए कानून एवं नीतियों को तेजी से लागू करना समय का तकाजा है । महिलाओं के बीच कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के बारे में अकसर जानकारी का अभाव रहता है । जिससे महिलाएं इनका लाभ नहीं उठा पाती हैं इसमें सुधार की जरूरत है ।[17] दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो । महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है । आज अनवरत संघर्ष के बूते देश में महिलाओं ने सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़कर हर क्षेत्र में स्वयं को पुरूषों के समकक्ष साबित किया है । अपने सपनों को साकार करने के लिए महिलाओं ने सामाजिक बन्धनों को तोड़ा है जो जाहिर तौर पर महिलाओं में चेतना का प्रतीक है ।

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को विकास के एक मुख्य समर्थक के रूप में स्वीकार किया गया है यह वैश्विक स्तर पर एक 'वृहद्-स्त्रोत' के रूप में है । ज्ञान और सूचना

21 वीं सदी की शक्ति है यह भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए विकास के नए आयाम खोले है ।[18] इसी परिप्रेक्ष्य में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी लिंगसंवेदनशीलता व क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को हटाने में सफल हुयी है । इसने महिलाओं की पारंपारिक भूमिका में परिवर्तन करते हुए उन्हें आधुनिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया है । यह महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करती है साथ ही इनके सर्वांगीण विकास को भी प्रोत्साहित करती है । सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने महिलाओं की क्षमताओं में वृद्धि में सकारात्मक भूमिका अदा की है । कई विकसित व विकासशील देशों ने महिलाओं की शिक्षा व रोजगार में आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है जिसके द्वारा महिलायें सभी क्षेत्रों में सशक्त हो रही है ।[19] विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाली सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का महिलाओं द्वारा उपयोग करने से उन्होंने अपने वजूद से दुनिया को परिचित कराया है । शिक्षा व रोजगार दोनों ही क्षेत्रों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का योगदान दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है जिससे महिलाओं का क्षमता निर्माण हुआ है और अपनी इसी क्षमता निर्माण से उन्होने पुरूष वर्चस्वकारी सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा दिया है ।[20]

अंततः समय आ गया है कि 'सशक्त नारी सशक्त भारत' का सपना साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाएं स्वयं प्रेरणा से संगठित होकर आत्मशक्ति के आधार पर सशक्तिकरण की नवीन परिकल्पना की सूत्रधार बने और लिंग भेद आधारित व्यवस्था को जड़ से समाप्त करें । नारी को शक्ति स्वरूपा नारायणी बनाकर मूर्ति एवं मूल्यों में पूजने के बजाय समाज में रह रही उस जीवित स्त्री को अपने सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होने दिया जाये । नीयत में, दृष्टि में, सोच जो खोट है उसे निकाल कर विकास के आयाम में जो भी पहलू हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि महिलाएं सिर्फ अधिकार की ही नहीं बल्कि सम्मान की भी हकदार है । सात ही अगर देश समावेशी लोकतंत्र को सही अर्थों में लागू करना चाहता है,तो समाज के विभिन्न तबकों की महिलाओं का सशक्तिकरण ही एकमात्र विकल्प है ।

संदर्भ :

1. http://www.web.undp.org/comtoolkit/success-stories/asia-indiademgov.html
2. तिवारी, कनिका, ''महिला सशक्तिकरण का आत्मावलोकन', कुरूक्षेत्र, वॉल्यूम-59 अंक-10 अगस्त-2013 पृ.3-6
3. http://www.un.org/womanwatch/daw/public/w2000beyond.html
4. www.indiaonlinepages.com/population/sex-ratio-ofindia.html

5. भारत - 2015, ''कल्याण'' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, - पृ.865
6. www.nmew.gov.in
7. भारत - 2015, ''कल्याण'' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, - पृ.854
8. भारत - 2015, ''कल्याण'' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, - पृ.855
9. भारत - 2015, ''कल्याण'' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, - पृ.850
10. 12 वीं पंचवार्षिक योजना (2012-17) ''महिला अभिकरण एवं बाल अधिकार', योजना आयोग भारत सरकार - पृ.176
11. 12 वीं पंचवार्षिक योजना (2012-17) ''महिला अभिकरण एवं बाल अधिकार', योजना आयोग भारत सरकार - पृ.176
12. 12वीं पंचवार्षिक योजना (2012-17) ''महिला अभिकरण एवं बाल अधिकार', योजना आयोग भारत सरकार - पृ.177
13. 12 वीं पंचवार्षिक योजना (2012-17) ''महिला अभिकरण एवं बाल अधिकार', योजना आयोग भारत सरकार - पृ.178
14. 12 वीं पंचवार्षिक योजना (2012-17) ''महिला अभिकरण एवं बाल अधिकार', योजना आयोग भारत सरकार - पृ.179
15. आर्थिक समीक्षा - 2015-16 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर - पृ.126
16. कुमार गौरव, '' ग्रामीण महिला सशक्तिकरण सामाजिक-आर्थिक आयाम'', कुरूक्षेत्र, वॉल्यूम-59 अंक-10 अगस्त-2013 पृ.11-15
17. गौतम, नीरज कुमार ''ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान'' कुरूक्षेत्र, वॉल्यूम-55 अंक-5 अगस्त-2009 पृ.3-7
18. कुमार गौरव, '' ग्रामीण महिला सशक्तिकरण सामाजिक-आर्थिक आयाम'', कुरूक्षेत्र, वॉल्यूम-59 अंक-10 अगस्त-2013 पृ.11-15
19. तिवारी, कनिका, ''महिला सशक्तिकरण का आत्मावलोकन', कुरूक्षेत्र, वॉल्यूम-59 अंक-10 अगस्त-2013 पृ.3-6
20. चटर्जी, मधुश्री दास गुप्ता, ''महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण समावेशी लोकतंत्र हासिल करने की राह'', योजना, वॉल्यूम-58 अंक-8 अगस्त-2013 पृ.59-60

26. ग्रामीण महिलाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. दिनेश कुमार चौधरी *

किसी भी देश के विकास का आंकलन उस देश की जनता के जीवन स्तर से किया जाता है । सामान्यतः जनता के जीवन स्तर में समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के जीवन स्तर के मानक विशेष रूप से उल्लेखनीय है । लगभग सभी विकासशील देशों में महिलाएँ समाज का कमजोर हिस्सा है और प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है । हमारे अपने भारतीय प्रसंग में जवाहरलाल नेहरू की मान्यता थी कि महिलाओं की स्थिति ही देश के वास्तविक स्वरूप का परिचायक है । डॉ. बी.एम. शर्मा[1] (1999) का कहना है मानव सभ्यता के ऊषाकाल से ही मानव समाज के निर्माण एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अथवा यूं कहे कि समाज के निर्माण एवं विकास को सजाने एवं संवारने में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की भूमिका अधिक रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । वास्तविकता यह है कि कोई भी समाज महिला वर्ग की भूमिका एवं महता को नजरअंदाज कर विकास की दौड़ में आगे नहीं आ सकता ।

महिला विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य रहा है । 1980 की पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास को अलग-अलग समूह के रूप में मान्यता देकर उन्हें विकास योजना में समुचित स्थान दिया गया है । इसके साथ ही महिलाओं की समस्या के प्रति जो कल्याणकारी दृष्टिकोण रखा जाता था उसके स्थान पर अब उनके विकास तथा उन्हें अधिक अधिकार देने पर बल दिया गया । महिलाओं को अधिकार देने के सरकार के सभी प्रयासों का उद्देश्य उसका सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनैतिक स्तर की दृष्टि से पुरूषों के समान ऊपर उठाकर उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है ।

महिलाओं के कल्याण हेतु सरकार के द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है । जिनमें मुख्य रूप से बालिका समृद्धि योजना, महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध कार्यवाही की योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, महिला विकास कार्यक्रम, सामूहिक विकास प्रोत्साहन कार्यकम, विधवा स्त्री की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान, विकलांग विवाह अनुदान, जिला महिला सहायता समिति, किशोर बालिका योजना, 'लाडली' किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, एकीकृत महिला सशक्तिकरण

* अतिथि व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

योजना (स्वयंसिद्ध) स्टेट लेवल स्फिटिंग एवं रिव्यू कमेटी का गठन, अल्पवास गृह योजना, कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माण, महिलाओं में प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) महिला नीति, महिला शक्ति अवार्ड, महिला आयोग, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, यूनिसेफ कार्यक्रम, नरेगा, एकीकृत ग्राम विकास योजना (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना, मांडा योजना, बिखरी जनजाति योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, इन्दिरा महिला योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, पालनहार योजना, पन्नाधाय योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही है ।

ग्रामीण विकास की योजनाएं का महिलाओं पर प्रभाव से संबंधित कुछ पूर्ववर्ती अध्ययन इस प्रकार है -

शैलेन्द्र मौर्य[2] ने अपने अध्ययन में बताया कि महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके । कपूर तथा सिंह[3] (1997) ने हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण, महिला, बच्चे, बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, चेतना, जागृति आदि क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं के योगदान का अध्ययन किया । देवी[4] (1997) ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि व्यक्तियों के स्थान पर समूहों को सहायता प्रदान की जाए और कार्यक्रमों को प्रभावी व उपयुक्त बनाने के लिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाये । संगीता शर्मा[5] (2005) ने अपने अध्ययन में पाया कि केन्द्र व राज्यों की सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है । मंजू जैन[6] (1994) कार्यशील महिलाओं के अपने अध्ययन में पाया कि कार्यशील महिला पारिवारिक तथा कार्यस्थल के दायित्वों के समन्वय हेतु सक्षम है । के.सी. विद्या[7] (1997) ने महिलाओं को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के संदर्भ में आनुभाविक अध्ययन किया ।

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिलाओं की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का पता करना ।
2. विकास योजना द्वारा महिलाओं को मिले लाभ व योजनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवगत होना ।
3. सरकारी योजनाओं का महिलाओं के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव ।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन के लिए राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की लूनी पंचायत समिति का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन किया गया । लूनी ग्रामीण इलाके में 200 ग्रामीण

महिलाओं का चयन सरल दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया । प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, प्रत्यक्ष अवलोकन आदि का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीयक स्त्रोतों से संबंधित सन्दर्भ पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है ।

उपलब्धियाँ

तालिका संख्या - 1

महिला विकास हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
जानकारी है	136	68
जानकारी नहीं है	64	32
योग	200	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 68 प्रतिशत सूचनादात्रियों को ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी है । 32 प्रतिशत ने इससे अनभिज्ञता प्रकट की ।

तालिका संख्या - 2

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी

योजनाएँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
मनरेगा	30	15
वृद्धावस्था पेंशन	36	18
भामाशाह योजना	20	10
स्वास्थ्य योजना	14	07
आंगनबाडी योजना	32	16
पोषाहार	20	10
परिवार कल्याण कार्यक्रम	06	03
महिला समृद्धि योजना	22	11
द्वारका योजना	16	08
अपनी बेटी अपना धन योजना	04	02
योग	200	100

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 15 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ मनरेगा, 18 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ भामाशाह योजना, 07 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ स्वास्थ्य योजना तथा 16 प्रतिशत सूचनादात्रियों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी योजना की जानकारी है । सामाजिक सहायता, पोषाहार, परिवार कल्याण कार्यक्रम, महिला समृद्धि योजना एवं द्वारका योजना भी ग्रामीण महिलाओं में लोकप्रिय है । सबसे कम सूचनादात्रियों को अपनी बेटी अपना धन योजना की जानकारी है । इस प्रकार ज्यादातर सूचनादात्रियों को महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी है ।

तालिका संख्या - 3
सरकारी योजनाओं से जुड़ने के कारण

कारण	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
आर्थिक	76	38
समय का सदुपयोग	34	17
आत्म निर्भरता	84	42
अन्य	06	03
योग	**200**	**100**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 38 प्रतिशत सूचनादात्री आर्थिक कारणों से सरकारी योजनाओं से जुड़ी 17 प्रतिशत महिलाएँ खाली समय का सदुपयोगस करने, 42 प्रतिशत महिलाएँ आत्म निर्भर होने हेतु तथा 03 प्रतिशत महिलाएँ समाज सेवा व अन्य कार्यों से प्रेरित होकर सरकारी योजनाओं से जुड़ी । इस प्रकार आर्थिक कारण व आत्म निर्भरता ही सरकारी योजनाओं से जुड़ने का मुख्य प्रेरणास्रोत रहा है । इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाएँ किसी न किसी कारण से नियोजनाओं से जुड़ रही है और इनका लाभ भी उठा रही है ।

तालिका संख्या - 4

लाभान्वित महिलाओं में आई अधिकारों की प्रति जागरूकता

जागरूकता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
आयी है	76	38
नही आयी है	34	17
योग	**200**	**100**

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 94 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकारी योजनाओं में लाभान्वित होने के बाद उनमें महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है तथा अब वह अपने अधिकारों को समझने लगी है । 6 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि उनमें महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं आई क्योंकि वह इन योजनाओं के साथ अभी तक जुड़ नहीं पाई है । इस प्रकार कार्य के दौरान व सरकारी विभागों में विभिन्न लोगो से सम्पर्क के दौरान महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जानकारी, चेतना व जागरूकता पैदा हुई है । अब वह इनके प्रति सतर्क और जागरूक है ।

तालिका संख्या - 5

सरकारी योजनाओं से उठाया गया लाभ

योजनाएँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
वृद्धावस्था पेंशन	90	45
नरेगा	38	19
शौचालय	14	07
इंदिरा आवास	26	13
पन्नाधाय छात्रवृत्ति	20	10
पालनहार	08	04
अन्य	04	02
योग	200	100

उपरोक्त तालिका के आँकडे दर्शाते है कि 45 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ वृद्धावस्था पेंशन योजना, 19 प्रतिशत महिलाएँ नरेगा योजना, 07 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ स्वच्छ शौचालय, 13 प्रतिशत महिलाएँ इंदिरा आवास, 10 प्रतिशत महिलाएँ पन्नाधाय छात्रवृत्ति, 04 प्रतिशत महिलाएँ पालनहार योजना तथा 02 प्रतिशत महिलाएँ अन्य विभागों की योजनाओं में लाभान्वित हुई। इस प्रकार अधिकतर सूचनादात्रियों ने वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ उठाया है जिससे उनको प्रतिमाह एक मुश्त राशि प्राप्त होती रहती है। बाकी योजनाओं के प्रति भी उनका रूझान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

तालिका संख्या - 6
लाभान्वितों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ

कठिनाइयाँ	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
पूरी राशि का भुगतान नहीं	30	15
बार-बार चक्कर काटे	106	53
कर्मचारियों का असहयोग पूर्ण रवैया	54	27
अन्य	10	05
योग	**200**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 15 प्रतिशत सूचनादात्रियों को सरकारी विभागों द्वारा पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया। 53 प्रतिशत महिलाओं को सरकारी विभागों के बार-बार चक्कर लगाने पड़े, 27 प्रतिशत सूचनादात्रियों के प्रति सरकारी विभागों के कर्मचारियों का असहयोगपूर्ण रवैया रहा था। 05 प्रतिशत महिलाओं में रिश्वत, भ्रष्टाचार व अन्य कारणों को उत्तरदायी बताया है। इस प्रकार सूचनादात्रियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है।

तालिका संख्या - 7
विकास योजनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

बाधाएँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
पर्याप्त राशि न मिलना	96	48
ऊँची ब्याज दर	03	1.50
सहायता में देरी	58	29
भ्रष्टाचार	28	14
माल के विक्रय की व्यवस्था न होना	08	04
अनुत्तरित	07	3.50
योग	**200**	**100**

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 48 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि विकास योजनाओं द्वारा पर्याप्त राशि नहीं मिलती, 1.50 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं द्वारा ऊँची ब्याज दर पर आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। 29 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं में आर्थिक सहायता देरी से उपलब्ध होती है। 14 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण आर्थिक ऋणसहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 04 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि गाँवों में कृषि उत्पादन के विक्रय की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पादित माल का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता है। 3.50 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर आया है कि योजनाओं के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन हेतु उनमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही क्षेत्र में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की भी आवश्यकता है। यदि सरकारें इन कमियों की तरफ ध्यान दे तो यह योजनाएँ अधिक प्रभावी हो सकती है। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

तालिका संख्या - 8
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव

सुझाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
अधिकारियों व कर्मचारियों की सोच में बदलाव	54	27
भ्रष्टाचार दूर करना	70	35
राजनेता, प्रभावी लोगों के हस्तक्षेप दबाव में कमी लाना	08	04
जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास	46	23
क्षेत्रीय गुटबाजी में कमी लाना	08	04
साधन व सुविधा बढ़ाना	14	07
योग	**200**	**100**

इस तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 27 प्रतिशत सूचनादात्रियों महिलाओं की विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों की सोच में बदलाव लाना जरूरी समझती है। 35 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को दूर किया जाना आवश्यक है। 12 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि राजनेताओं एवं प्रभावी लोगों के हस्तक्षेप व दबाव में कमी लाई जाए तभी यह योजनाएँ सफल होगी। 23 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जन भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जाए। 04 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने कहा कि क्षेत्रीय गुटबाजी में कमी लाई जावे जबकि 07 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साधन एवं सुविधाएँ बढाई जाए। अतः अधिकांश सूचनादात्रियों ने महिला विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता बताई है।

प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश सूचनादात्रियों को ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं जैसे मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजना, भामाशाह कार्ड, स्वास्थ्य आंगनवाडी, पोषाहार, महिला

समृद्धि योजना की जानकारी है । सूचनादात्रियाँ आर्थिक कारणों से सरकारी योजनाओं से जुड़ी है । महिलाएँ वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा, स्वच्छ शौचालय इंदिरा आवास, पन्नाधाय छात्रवृत्ति, पालनहार जैसी योजनाओं से लाभान्वित भी हुई है । सूचनादात्रियों ने बताया कि उन्हें सरकारी विभागों द्वारा पूरी स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किया जाता है । सहायता हेतु बार-बार सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ते है, कर्मचारियों का उनके प्रति असहयोगपूर्ण रवैया रहता है ।

विकास योजनाओं का सही लाभ मिले इसके लिए भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण एवं लाभ की राशि उनके बैंक खातों में जमा की जानी चाहिए, लोगो का सरकारी विभाग व अधिकारियों से सीधा संवाद हो व प्रचार-प्रसार द्वारा लोगो में जागरूकता पैदा की जावे । सूचनादात्रियों ने बताया कि उन्हें कार्य के बदले पूरा भुगतान न मिलना, ऋण पर ऊँची ब्याज दर, सहायता में देरी, भ्रष्टाचार तथा उत्पादित माल के विपणन की पर्याप्त व्यवस्था का न होना योजनाओं के मार्ग की बाधां है । योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों की सोच में बदलाव, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण, राजनेता एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप व दबाव को बन्द किया जावे, जनभागीदारी बढ़ाने के प्रयास, क्षेत्रीय गुटबाजी के कमी और साधन सुविधाएँ बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए । अतः कहा जा सकता है कि गुटबाजी, दखलअंदाजी और भ्रष्टाचार इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा बने हुए है, जब तक इनको दूर करने के प्रयास नहीं किए जायेंगे तब तक जन-जन तक इनका लाभ नहीं पहुँच पाएगा ।

सूचनादात्रियाँ महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सन्तुष्ट पाई गई । अधिकतर सूचनादात्रियों ने योजनाओं का निर्माण, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन के स्तर पर जनसहभागिता को महत्वपूर्ण माना है । सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक सुरक्षा, आत्म विश्वास में वृद्धि, शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, उन्नत जीवन स्तर, बेहतर स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है । इस प्रकार सूचनादात्रियों के जीवन में सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार का बदलाव अवश्य आया है । अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की महती भूमिका है ।

संदर्भ :

1. शर्मा, बी.एम. (1999) भारत में महिला सशक्तिकरण मूल प्रश्न, उदयपुर पृ.70.
2. मौर्य, शैलेन्द्र (2007) राजस्थान में महिला विकास प्रारम्भ से आज तक, राजस्थान साहित्य संस्थान, जोधपुर पृ. 117
3. कपूर ए.के. सिंह, धर्मवीर (1997) रूरल डेवलपमेन्ट एन.जी.ओ. रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ.99
4. देवी, मंजू के.(1997) रूरल वूमेनः पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अनमोल पब्लिकेशन प्रा.लि.नई दिल्ली पृ.24
5. शर्मा, संगीता (2005) महिला विकास एवं राजकीय योजनाएँ, रितु पब्लिकेशन, जयपुर ।
6. जैन, मंजू (1994) कार्यशील महिलाएँ एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रिन्टवेल, जयपुर, पृ.144
7. विद्या, के.सी. (1997) पालिटिकल एम्पावरमेन्ट ऑफ वूमेन एट द ग्रास रूट, कनिष्ठ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ.

27. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और स्वसहायता समूह

डॉ. (श्रीमती) मीनाक्षी सौभरी*

अवधारणा

सशक्तिकरण जिस शब्द से लिया गया है वह है, 'शक्ति देना' जिसका अर्थ हैं शक्ति देना या अर्जित करना या शक्ति की वृद्धि करना । इस प्रकार सशक्तिकरण शब्द का अभिप्राय शक्ति के समीकरण या स्तर में परिवर्तन भी हैं । अतः सशक्तिकरण को एक प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन का एक परिणाम या दोनों ही रूपों में देखा जा सकता हैं ।

''आर्थिक सशक्तिकरण'' का अर्थ हैं ऐसी पोषणीय जीविकाओ द्वारा बेहतर ढंग का भौतिक जीवन यापन, जिनकी स्वामिनी और प्रबंधक महिलायें हैं । महिलाओं के ''सामाजिक सशक्तिकरण'' का अर्थ हैं समाज में महिलाओं की पहले से अधिक साम्यिक सामाजिक स्थिति और ''कानूनी सशक्तिकरण'' का अर्थ हैं एक ऐसी प्रभावी कानूनी संरचना का प्रावधान करना जो महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में हो । ''राजनैतिक सशक्तिकरण'' का तात्पर्य हैं एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जो राजनैतिक निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और नियंत्रण का समर्थन करें ।

इस तरह महिला सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिनमें अनेकों मुद्दे शामिल हैं । और इसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना हैं । सशक्तिकरण की प्रक्रिया सफलता के लिये सामाजिक जीवन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों में एक साथ और एक ही समय परिवर्तन लाना आवश्यक हैं । इसके अलावा शक्तिहीनता से समाज के विभिन्न स्तर की महिलायें विभिन्न रूपों में प्रभावित होती हैं । गरीबी में रहने वाली महिलायें तो दोहरे भार को ढोती हैं । उन्हें गरीबी की चुनौतियों और विनाश से संघर्ष के साथ-साथ लैंगिक समानता और ज्यादा पाने के लिये भी लड़ाई करनी पड़ती हैं । पूर्व

साहित्य का अध्ययन

सशक्तिकरण क्षमता निर्मित करने की चेतना की पद्धति है जो अधिकाधिक सहभागिता, अधिकाधिक निर्णय लेने की शक्ति एवं नियंत्रण की क्षमता है । (कार्ल 1995) यदि सशक्तिकरण को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह शक्ति के श्रोतों से शक्ति

* डॉ. (श्रीमती) मीनाक्षी सौभरी, सहायक प्राध्यापक, नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

संबंध एवं बृहत नियंत्रण लाभ की पद्धति की चुनौती है । महिलाओं को उन्हें सशक्तिकरण के लिए एजेण्टों की आवश्यकता का लक्ष्य पितृसत्तात्मक आदतों की चुनौती है जो अंधोसंरचना एवं संस्थाओं में सामाजिक असमानताओं में लिंग भेद दोषपूर्ण अंरत की परिवर्तन करने वा पुष्टि करने का दबाव निर्मित करता है जो गरीब महिलाओं को भौतिकी तथा अभौतिकी श्रोतों पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा समानता-असमानता के बीच एक निश्चित स्थिति को निर्मित करने का अवसर प्राप्त होता है । सशक्तिकरण लोगों द्वारा बाह्य प्रतिपादित होने वाली शक्ति नहीं है वरण वर्तमान के परिवर्तन में निर्मित करने वाली स्थिति है । महिलाओं को उन्हें सशक्तिकरण के लिए एजेण्टों की आवश्यकता है जो संगठन एवं संगठन के बाहर महिलाओं के शक्तिकरण के लिए पक्षपात पूर्ण स्थिति को निर्मित करने हेतु सहयोगीपूर्ण पद्धति की दिशा में सोचना व क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा ।

डॉ. एस.एन. मुण्डा (2005) ने कोरबा व जांजगीर में अध्ययन कर महिलाओं के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये जागरूक होने को महत्व दिया है । अजीत के डाण्डा (2005) ने लिंग, आयु व मनोवैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर महिलाओं को सशक्त किया जाना उचित बताया है । डॉ. पाण्डा (2005) ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ के गौढ़ों का अध्ययन कर यह बताया कि महिलाओं को औपचारिक समूहों के माध्यम से सशक्त किया जाना चाहिए । डॉ. लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता (2005) ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से अधिकार सम्पन्न किया जाना आवश्यक है । डॉ. पी.बी. सेनगुप्ता (2005) ने पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने पर महत्व दिया है ।

बी.एम. मुखर्जी (2005) ने बताया गरीबी दूर करने एवं आर्थिक सशक्त बनाना ही महिला सशक्तिकरण मूल उपलब्धि है । डॉ. गुलान दास (2005) पिता की सम्पति का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण का श्रोत है । श्रीमती कला सिंह (2005) का कहना है कि शिक्षा के अधिकार के साथ सशक्तिकरण का जागरूकता ही महिलाओं को सशक्त बनाने की पद्धति है । विजय पाठक शर्मा (2005) का कहना है कि सशक्तिकरण के साथ महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करना भी आवश्यक है । आनन्द कुमार उपाध्यक्ष (2005) ने महिलाओं को सशक्त करने के लिये महिला उत्पीड़न को रोकने की आवश्यकता है ।

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि देश को सशक्त बनाने हेतु महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है ।

राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंच से महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्वतंत्रता, लिंगभेद के स्तर पर उपर उठना आदि से प्रेरित किया जा रहा है, किंतु परम्परा, संस्कृति एवं मूल्यों को सामने रखते हुए महिलाएं आज भी अपने आप को पुरूषों से निम्नस्तर व अशिक्षित मानती है । अतः इन जटिलताओं से उभरने हेतु सशक्तिकरण के पैमाने निश्चित कर प्रस्तुत अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि सशक्त करने के पूर्व महिलाओं को सशक्तिकरण की समझ कितनी है ? यदि सही अर्थो में पुरूष शासित समाज से स्वतंत्र होना चाहती है तो इस मुक्ति के लिए स्वयं महिलाओं को सामाजिक मालिकाना स्थापित करना आवश्यक है । समाज में पुरूषों की भांति समान मर्यादा की वास्तविक स्थिति को निर्मित करने की पुरूषों द्वारा सशक्त करने के अधिकार को महिलाओं पर सशक्त थोपा जाए । महिला सशक्तिकरण के स्लोगन को सामाजिक सत्ता, राजसत्ता व पुरूषों की अहम संरचना की स्वार्थ सिद्धि है । अतः थोपी हुई सशक्तिकरण तथ्यों को अधिक दिनों तक ढोना संभव नहीं अतः पुरूषार्थ स्वयं की संरचना, स्वयं की समझ तथा सूक्ष्म विचारों की उत्पत्ति के महिलाओं में सशक्तिकरण की समझ उत्पन्न हो तब आवश्यकता के अनुसार सशक्तिकरण के सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया जाना ही सही महिला पुरूष का मिला, मनुष्य समाज होगा जो लिंग भेद से परे हो तथा भूमिकाओं का सही मूल्यांकन होगा ।

स्वसहायता समूह की अवधारणा

स्व सहायता समूह समरूप ग्रामीणों निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपने आप से जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हो उसका अंशदान, उत्पादक, उपभोग अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए तैयार होते है । स्व सहायता समूह एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले सशक्तिशील ग्रामीण गरीबों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें समूह के लोग स्वेच्छा से नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी राशि बचाते है और सामूहिक निधि में योगदान के लिये पारम्परिक रूप से सहायक रहते है ।

समूह गठन के उद्देश्य

1. ग्रामीण निर्धनों तक पहुंचाने के लिए पूरक ऋण मुक्ति रचना तैयार करना ।
2. ग्रामीण निर्धनों एवं बैंकों के बीच पारस्परिक विश्वसनीयता एवं आत्मविश्वास कायम करना ।
3. बैंकिंग कार्य - कलापों में बचत के साथ-साथ ऋण को भी प्रदान करना ।

स्व सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया

सर्व प्रथम जो सदस्य समूह के सदस्य बनना चाहते है उनको एकत्रित करके एक सभा को आयोजित किया जाता है । किसी भी सामान्य समूह मे 10-12 सदस्य होते हैं इन सदस्यों का स्वेच्छानुसार जो व्यक्ति समूह में विश्वासपात्र होता है सभी के सहमति के अनुसार उसे समूह का अध्यक्ष चुना जाता है समूह के सारे निर्णय को ले सकता है । अध्यक्ष के अलावा समूह में उपाध्यक्ष, सचिव आदि होते है जो अपने - अपने दायित्वों का निर्वाहन करते है । इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष का होता है जो समूह के सभी सदस्यों को जवाबदारी लेता है । समूह के किसी भी प्रकार के आर्थिक निर्णयों को लेने से पहले समूह के सदस्यों की सहमति लेना अनिवार्य होता है जो समूह के हित में हो जिससे समूह का विकास हो सके ।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान ।
2. ग्रामीण आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका ।

अध्ययन विधि -

जबलपुर नगर से 35 कि.मी. से 90 कि.मी. दूरी पर स्थित आदिवासी बरगी क्षेत्र के गांवों को अध्ययन हेतु चुना गया तथा नहीं स्व सहायता समूह का निर्माण किया गया पुराने बंद समूहों को पुनः संचालित किया गया तथा ग्राम के महिलाओं को अध्ययन हेतु चुना गया है ।

शोधकर्ता द्वारा जब इस विषय पर अध्ययन करने का विचार आया तो इस विषय से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ा एवं इससे संबंधित एक प्रश्न मन में भी आया ।

1. क्या स्वयं सहायता समूह द्वारा महिला सशक्तिकरण संभव है ?

इस अध्ययन में ग्राम धाधरा, ग्राम, चरगवाँ व ग्राम टींगन का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जो निम्न प्रकार से है ।

ग्रामों का परिचय :-

1. **धाधरा :-** धाधरा ग्राम जबलपुर से 23 कि.मी. दूरी पर स्थित है । इस ग्राम कि ग्राम पंचायत तिखारी है गांव तक पहुंचने के 21 कि.मी. पक्का मार्ग व 2 कि.मी. ग्राम धाधरा तक कच्चा व पथरीला रास्ता है । यहां की कुल आबादी 650 है ।

इस ग्राम में गौड़ जाति के जन निर्वासित है । यह ग्राम जागरूकता व शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है इस कारण आर्थिक संकट की समस्या भी है मुख्य व्यवसाय कृषि है इसके अतिरिक्त मजदूरी भी की जाती है ।

2. **चरगवाँ :-** चरगवाँ ग्राम जबलपुर से कि.मी. दूरी पर स्थित है 21 कि.मी. मुकुनबाड़ा तक पक्की सड़क है । 3 कि.मी. चरगवाँ ग्राम तक कच्चा मार्ग है । यहाँ के मूल निवासी आदिवासी जाति के है । आर्थिक रूप से पिछड़े एवं शिक्षा का अभाव है । मुख्य व्यवसाय खेती एवं मजदूरी है । इसके अतिरिक्त दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन व्यवस्था भी किया जाता है ।

3. **टींगन :-** टींगन ग्राम जबलपुर से 40 कि.मी. दूरी पर स्थित है जबलपुर से 21 कि.मी. मुकनबाड़ा तक पक्की सड़क है । 19 कि.मी. टींगन ग्राम तक कच्चा व पथरीला रास्ता है । कुल जनसंख्या 492 है । इस ग्राम कि निर्वासित जातियाँ गौड़ जाति के है । यहां के ग्रामवासियों में शिक्षा एवं रोजगार में पिछड़े हुये । रोजगार हेतु ग्राम से बाहर जाते हैं मुख्य व्यवसाय कृषि है । इसके अतिरिक्त पशुपालन, दुकानदारी भी करते हैं ।

ग्रामों की सामान्य जानकारी

शोधकर्त्ती द्वारा ग्राम धाधरा, चरगवाँ ग्राम तथा टींगन ग्राम में भ्रमण करने व प्रत्यक्ष रूप से सरपंच के साथ वार्तालाप करने के उपरांत ग्रामों की सामान्य जानकारी प्राप्त हुई जो निम्नलिखित है ।

धाधरा, चरगंवा व टींगन ग्रामों की स्थापना अधिक प्राचीन नहीं है । प्रारंभ से ही इन ग्रामों में जनजातियों का बाहुल्य रहा है अपनी जीविका हेतु कृषि व्यवसाय को अपनाया, समय परिवर्तन होने से ग्रामीणजनों के रहन सहन के स्तरों व व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों में भी परिवर्तन आया ।

चरगवाँ ग्राम में पूर्व से चल रहे समूहों की जानकारी इस प्रकार है - कमला स्वसहायता समूह जो 2 साल से चल रहा है । इसके अतिरिक्त शान्ति, तुलसी व लक्ष्मी स्वसहायता समूह है जो 11 माह से निरन्तर व व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं ।

टींगन ग्राम में पूर्व के बने समूह इस प्रकार से है -

1. कृष्णा स्व सहायता समूह
2. दुर्गा स्व सहायता समूह

ग्रामों का अन्य ग्रामों के साथ सम्बंध

प्रत्येक ग्राम का आसपास के ग्रामों के साथ व्यवसायिक सम्पर्क, सहयोग समस्याओं का निपटारा हेतु बनाये गये सम्बंध मधुर प्रदर्शित होते हैं। प्रत्येक ग्राम आस-पास के ग्राम के साथ किसी समस्या का समाधान ग्राम पंचायतों के माध्यमों से संयुक्त व संगठित रूप से करते हैं। परिवारिक विवादों पर भी समस्त वरिष्ठजनों की सलाह ली जाती है एवं उनका सम्मान करते हुये उनके परामर्श का माना जाता है।

टींगन में दुर्गा स्वसहायता समूह द्वारा जन राशि से आंगनबाड़ी में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की गयी है। यह समूह की उपलब्धि है।

आर्थिक समस्याओं को कुछ सीमा तक कम किया जा रहा है, उन्हें रोजगार से सम्बन्धित योजना जो लाभकारी है, बतायी जाये। बचत करने व शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाये।

स्वसहायता समूह द्वारा आर्थिक संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है, कम ब्याज पर ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है जिस ऋण से ग्रामवासी अपना स्वरोजगार चला सकते है। महिलाओं को चिकित्सा संम्बधी कुछ महत्वपूर्ण बातें अध्ययनकर्ता द्वारा बतायी गयी। पूर्व के बने समूह की समस्याओं को हल करने का भी प्रयास किया गया।

स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भूमिका

प्रारंभ से ही महिलाओं के मन में यह भावना रहती है कि परिवार में उनका जन्म लड़की के रूप में होना खेदमंद है। उन्हें उनके परिवार वालों द्वारा समाजीकरण एवं सहने की प्रवृत्ति बचपन से ही विकसित कराई जाने लगती है एवं उन्हें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, यह सिखाया जाने लगता है उन्हें अनिवार्य रूप से यह संदेश दिया जाता है कि उनका परिवार में कोई स्थान नहीं है।

जब उनमें जीवन के नये ढंग को अपनाने की चाह परम्पराओं के तकाज़ों, कुछ वास्तविक और कुछ काल्पनिक चिंता और भय के कारण उन्हें असहाय बनाया जाता है। उन्हें अपने परिवार तथा पति की मर्यादाओं को ध्यान में रखना होता है। कुछ स्त्रियाँ ऐसी रही है जिन्होंने बार-बार स्त्रियों की दयनीय स्त्रियों को समाज के सामने प्रकट किया है ऐसी संघर्षमय स्थिति में वे दूसरों के लिये ही जीती है एवं अपना सारा जीवन न्यौछावर करती है।

परन्तु वर्तमान युग में ऐसा नही है सरकार द्वारा विभिन्न ऐसी-ऐसी योजनायें चलाई जा रही है जो महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से उन्हें परिपक्व बनाती है । जिससे वह समाज के साथ मिलकर चल सकें एवं समाज में अपना भी योगदान दे सके । वर्तमान समय में महिलाओं को पुरूष की बराबरी से माना जा रहा है । जिससे वह समाज में अपनी भागीदारी को अहम बना सकें और जो अशिक्षित वर्ग की महिलाएँ हैं । इन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जिससे वे प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना रोजगार को स्थापित कर सकें । स्वयं सहायता समूह उसी दिशा में सरकार द्वारा एक सार्थक प्रयास है ।

महिलाओं की आर्थिक सहभागिता

महिलाओं में आर्थिक सहभागिता बनायी गई चीजों से जानी जा सकती है जैसे रोजगार में प्राप्त स्थान, किस क्रियाकलाप से जुड़ी है ? अथवा कौन से व्यवसाय या क्षेत्र से जुड़ी है ? आज भी कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या कम है । क्योंकि समाज उन्हें ऐसा करने से रोकता है । परन्तु परंपरागत काम के क्षेत्रों में बदलाव आता जा रहा है । महिलायें अब विभिन्न क्षेत्रों में काम करने लगी है । साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारी भी ले रही है । यह दर्शाता है कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव आता जा रहा है ये बदलाव आज के आर्थिक दबाव के चलते होने जा रहे हैं । महिलाओं की समाज में स्थिति स्थान में ज्यादा अंतर नहीं आता है आज भी लिंग के आधार शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य पर भेदभाव पाया जाता है । महिलाओं का कृषि के क्षेत्र में संबंधी उत्पादन में बहुत सराहनीय रहा है । परन्तु अन्य क्षेत्रों में इनको सहभागिता सीमित एवं कम है । जिसके कारण यह एक क्षेत्र तक सीमित रही हैं ।

महिलाओं को शिक्षा एवं काम के अवसरों में उनके अपने सामाजिक-आर्थिक स्तर अनुसार प्राप्त होते हैं । उच्च तथा मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं का एक छोटा सा समूह ही ऐसे विकास का लाभ हो पाया है यही कारण है कि कुछ ही महिलायें आधुनिक काम-रोजगार को पा सकती है । इनमें अभी धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है ।

समाज में निम्न स्तर से ही सांस्कृतिक बदलाव आ रहा है । जहाँ महिलायें अपनी आर्थिक दबाव के कारण मजदूरी करने लगी है । यह महिलाएँ अपनी आर्थिक परिस्थिति नाजुक होने के कारण काम करती है । ये महिलायें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी रोजगार को अपना लेती है । दूसरे अच्छे अवसर न होने के कारण इन्हें कम पैसों से ही काम करना पड़ता है । यह महिलाएँ की काम तथा रोजगार के बाजार में दयनीय स्थिति को दर्शाता है इसके अपवाद में कुछ एक छोटा सा समूह जो उचित शिक्षा ग्रहण

करती हैं एवं अपना मनपसंद रोजगार करती है ।

मूल्यांकन -

घाधरा ग्राम में 3 स्वसहायता समूह का निर्माण किया गया । समूह का विवरण इस प्रकार है ।

1. आरती स्व सहायता समूह
2. पूजा स्व सहायता समूह
3. गणेशायः स्व सहायता समूह

चरगवाँ ग्राम :- चरगवाँ ग्राम में 2 स्व सहायता समूह बनाये गये ।

1. बजरंग स्व सहायता समूह
2. शिखर स्व सहायता समूह

अध्ययन कार्य में निर्मित किए गए स्वयं सहायता समूह

मिली जल ग्रहण प्रबंधन वाटर शेड कार्यक्रम के सहयोग से निर्मित

1.	आरती	वाटर शेड कार्यक्रम अधिकारी
2.	पूजा	वाटर शेड कार्यक्रम अधिकारी
3.	गणेशायः	वाटर शेड कार्यक्रम अधिकारी
4.	कृष्णा	वाटर शेड कार्यक्रम अधिकारी
5.	दुर्गा	वाटर शेड कार्यक्रम अधिकारी
6.	बजरंग	वाटर शेड कार्यक्रम अधिकारी
7.	शिखर	वाटर शेड कार्यक्रम अधिकारी

महिलाओं की सबलता का सशक्त माध्यम स्व सहायता समूह

केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में महिला स्व सहायता समूहों को खासतौर से तवज्जो देने की बात कही गई है । इसके पीछे मूल मकसद है कि महिला स्वयंसहायता समूह से जुड़ने वाली महिलाओं को कभी काम की कमी महसूस न हो । उन्हें यह भी

आभास होता रहे कि सरकार उनके साथ खड़ी है। दरअसल स्वयंसहायता समूह या हेल्प ग्रुप नाम की इस योजना में पहले दस से लोग अपना एक समूह बनाते हैं और आपस में चंदा जमा करके कुछ धन एकत्र करते हैं। फिर ये लोग उस धन से आपस में कर्ज देते हैं और वसूलते हैं। स्वयंसेवी संगठन इस काम में इन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर करीब के बैंक से जोड़कर समूह का खाता खुलवाते हैं। सभी औपचारिकतायें पूरी होने के बाद बैंक इनकी कैश क्रेडिट लिमिट या ऋण साख तय कर देते हैं। फिर समूह उस धन से आपस में कर्ज बांटता है। बैंक को किश्त अदा करने की जिम्मेदारी समूह की होती है।

महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है। कल तक घर में कैद रहने वाली महिलाएं आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रही हैं। स्व सहायता समूहों का गठन कर शहर से लेकर गांव तक अपनी साख को कायम करने में जुटी हुई है। इसके माध्यम से महिलाएं व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे आ रही है। केन्द्र सरकार ने स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अलावा उग्रवाद प्रभावित जिलों में एक अतिरिक्त योजना स्वयंसहायता समूह सहबैक सहबद्धता कार्यक्रम की शुरुआत की है। उग्रवाद प्रभावित जिलों में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किए गए इस विशेष डब्ल्यूएसएचजी कार्यक्रम के तहत अब तक छह हजार से अधिक समूहों का गठन किया जा चुका है। समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक दोनों तरह से विकास हो रहा है। महिला सहायता समूह सहबैंक सहबद्धता कार्यक्रम के तहत तीन लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज सहायता देकर इन समूहों को सात प्रतिशत की वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ समय पर ऋण चुकाने वाले महिला समूहों को तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता भी दी जाती है। इस प्रकार इन समूहों को वास्तव में चार प्रतिशत दर पर ही ऋण उपलब्ध होता है। एक समूह में कम से कम दस महिलाएं सदस्य होती है। वैसे अधिक से अधिक पंद्रह महिलाएं रह सकती है। विशेष योजना के तहत जिले की प्रत्येक पंचायत में 25-25 समूहों का गठन किया जा रहा है। इसके लिए अंकर एंजेसी द्वारा सभी पंचायतों में एक-एक स्वयंसेवक को मानदेय पर बहाल किया गया है।

स्व सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण भारत का विकास

स्व सहायता समूह ऐसे गरीब लोगों का समूह है जिनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है। आस-पड़ोस के लोग अपनी इच्छा से एक स्व सहायता समूह

में संगठित होकर अपने समक्ष उपस्थित विशिष्ट समस्याओं जिन्हें वे अकेले हल नहीं कर सकते उनसे निपटने के लिए बैठक में चर्चा करते हैं। समूह को संस्थागत रूप देने के लिए हर सदस्य नियमित रूप से हर सप्ताह या 1 दिन में समूह द्वारा निश्चित राशि की बचत करते हैं। यह बचत आगे चलकर समूह की शक्ति बन जाती है। समूह सदस्यों की नियमित बचतों में से जरुरतमंद सदस्यों की उत्पादन अथवा उपभोक्ता की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देता है।

स्वयंसहायता समूह गांव के व्यक्तियों के छोटे-छोटे समूह होते हैं जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याएँ, जिन्हें वे अकेले नहीं कर सकते, परस्पर सहयोग से निपटाने की कोशिश करते हैं।

- स्वयंसहायता समूह लगभग एक जैसे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले ऐसे ग्रामीण लोगों का समूह होता है जो अपनी इच्छा से संगठित होता है। समूह के सभी सदस्य नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं। समूह द्वारा इस राशि का उपयोग सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपसी लेन-देन द्वारा किया जाता है। समूह के सदस्य हफ्ते, पन्द्रह दिन या महीने में एक बार बैठक कर, विभिन्न विषयों पर चर्चा कर एक-दूसरे समस्याओं का समाधान करते हैं। बैठक के दौरान ही राशि जमा की जाती है और ऋण का लेन-देन भी किया जाता है। बैठक में किए गए लेन-देन का पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है। विभिन्न विषयों पर चर्चा को कार्यवाही पुस्तक में लिखा जाता है।

- स्व सहायता समूह के सदस्य एक समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। इससे सदस्य आपस में बेझिझक बात कर पाते हैं यदि किसी समूह में गरीब और समृद्ध दोनों सदस्य होंगे तो गरीब सदस्य शायद ही कभी अपनी बात कह पाएंगे। अलग-अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति एक ही समूह के सदस्य रहेंगे तो उनके स्तर और सोच में अंतर होने के कारण समूह के कार्य संचालन में परेशानी होगी। सामान्यतः सभी सदस्य एक ही गांव-मोहल्ले टोले के होने चाहिए।

- समूह के सदस्य नियमित रूप से बैठक करते है, एक-दूसरे की मदद करते हैं, सामूहिक निर्णय लेते है, आपसी मतभेदों को दूर करते है, एवं आपसी सहयोग से समूह की गतिविधियां चलाते हैं।

निष्कर्ष -

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्व सहायता समूह का गठन एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये किया जाता है जिससे ग्रामीण लोगों में बेरोजगारी कम हो और वे रोजगार से जुड़े जिससे उनकी पारिवारिक दृष्टि से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो । स्व सहायता समूह का अर्थ होता है अपने समूह के लिए समर्पण की भावना का होना । इसी समर्पण की भावना के अन्तर्गत समूह के सदस्यों को कार्य को कार्यान्वित करना रहता है । उनका स्वरोजगार का विकास किया जाता है । रोजगार प्राप्ति के उन्हें अन्य अवसरों से अवगत कराया जाता है । जिसकी विकास में विशेष भूमिका है, शोध के दौरान यह स्थिति स्पष्ट हुई की शोधकार स्व सहायता समूह द्वारा उद्यमिता विकास का पता लगाया जा सकता है । यह तथ्य भी निकल कर सामने आया कि विकास निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है । उद्यमिता विकास के माध्यम से व्यक्तियों के गुणों में वृद्धि की जा रही है । उन्हें अपने दायित्वों सही दिशा में निर्वाहन कर रहे हैं । उद्यमिता विकास यह बात मायने नही रखती की उद्यमी महिला है या पुरुष । इसमें किसी प्रकार लिंग का भेद-भाव नहीं है बल्कि इस बात पर निर्भर करता है उद्यमी कितने चातुर्य, कौशल से परिपूर्ण है, जो उद्यमिता विकास को सही ढंग से स्थापित कर संचालन कर सके ।

वर्तमान समय में सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा उद्यमिता विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, विशेषकर ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण हैं जहाँ पर महिलाओं की शिक्षा की स्थिति अत्यन्त कमजोर है, इन ग्रामीण इलाकों में महिला को समूह में रख कर उन्हें एक साथ काम करने की गुण सिखाए जाते हैं और जब वे समूह का पूरा ब्यौरा सही ढंग से रखने लगती हैं तो उसके पश्चात बैंक द्वारा उन्हें स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिससे वह स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके । ऋण प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके बाद वह अपना स्वयं का मनपसंद रोजगार स्थापित करती है । जिससे उनके तथा उनके परिवार की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकास सम्भव हो पाता है । अधिकांश वर्ग में पाया गया है कि वर्तमान में उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया है जो हमारे समाज में पारस्पारिक विकास में सहायक है । उद्यमिता के द्वारा विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास जारी है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनों की अधिक भागीदारी केवल कृषि की ओर रहती है परन्तु वर्तमान परिदृश्य में ऐसा नहीं है वे अन्य रोजगारों की ओर भी अग्रेसित हो रहे हैं ।

मेरे द्वारा जिन स्व सहायता समूह का निर्माण किया गया उनमें सभी स्व सहायता समूह रोजगार से जुड़ हुए हैं । इसमें दो समूहों के द्वारा मध्याह्न भोजन, एवं एक समूह द्वारा प्रीटिंग, दो समूहों द्वारा सिलाई एवं एक समूह द्वारा पेन्टिंग का कार्य किया जा रहा है जिन्हें स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वरोजगार प्राप्त हुआ है जो इनकी आर्थिक विकास में प्रगति कर रहा है जिससे इनके रहन-सहन एवं मानसिक विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है, विशेषकर जिन समूहों को एक बार प्रशिक्षित किया जा चुका है वह दूसरी बार प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं एवं अपने स्वरोजगार में वृद्धि करना चाहते है ।

स्व सहायता समूह द्वारा उद्यमिता विकास इस विषय के द्वारा समाज में इस बात का अध्ययन किया गया कि स्व सहायता समूह द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं वह समाज में कितने उपयोगी हैं एवं समाज में इनकी क्या आवश्यकता है । इस अध्ययन के दौरान इस बात का पता लगाया गया कि स्व सहायता समूह द्वारा महिलाओं का उद्यमिता विकास प्रगति की ओर अग्रसर है एवं सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वे सही दिशा में कार्यान्वित हो रही है ।

सुझाव

1. स्व सहायता समूह द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर लागू करना चाहिए ।
2. हर आयु धर्म वर्ग के लोगों को जोड़ना आवश्यक है ।
3. लघु व ग्रामीण उद्यमियों के विकास हेतु विशिष्ट योजनाएँ संचालन करना चाहिए ।
4. कर प्रणाली उद्यमियों के अनुकूल बनाना चाहिए ।
5. स्वयं सहायता समूह द्वारा उद्यमिता विकास में शिक्षा पर जोर देना चाहिए ।
6. स्व रोजगार को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करना चाहिये ।
7. स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रशिक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे वे अपने स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सके ।
8. समाजीकरण की प्रक्रिया को अपनाना चाहिये जिससे उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास हो ।
9. ऐसी योजनाएँ बनाना चाहिये जिससे ग्रामीण लोग स्व सहायता समूह की ओर आकर्षित हो ।

10. समूह में ऋण की प्रक्रिया को सरलतम् बनाना चाहिए ।

11. स्व सहायता समूह के उद्यमिता विकास पर जो नीतियाँ हैं उसे और उदारीकरण के रूप में अपनाना चाहिए ।

संदर्भ ग्रंथों की सूची

	लेखक	सन्	पुस्तक का नाम /प्रकाशन
1.	शाह दीना पाठक चन्द्रमौलिक उद्यमिता/	2007	ग्रामीण महिला हेतु समूह अहमदाबाद प्रकाशन
2.	डॉ. रजक एल. पी.	2006	ग्रामीण विकास / उद्यमिता लखनऊ प्रकाशन
3.	शर्मा, शर्मा खुराना	2006	मानव संसाधन प्रबंध / रमेश बुक डिपो, जयपुर
4.	डॉ. बी. के. अग्रवाल डॉ. अक्षय पाठक	2006	उद्यमिता विकास / राम प्रसाद एण्ड सन्स
5.	पाण्डेय, तेजस्कर व पाण्डेय ओजस्कर	2006	समाज कार्य, भारत बुक सेन्टर 17 अशोक मार्ग, लखनऊ
6.	अग्रवाल आर. सी.	2005	व्यावसायिक प्रबंध एवं उद्यमिता के सिद्धान्त/ साहित्य भवन प्रकाशन
7.	शर्मा एम. सी. / श्रीमती अग्रवाल आर.	2004	विद्या भवन इंदौर

पत्र पत्रिकायें

प्रशिक्षण पुस्तिका :	2005	म.प्र. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर (म.प्र.)
स्वयं सहायता समूह मार्गदर्शिका	2005	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महिला उद्यमिता विकास	2005	ग्रामीण एवं पंचायत विभाग
कुरु क्षेत्र	2012	स्व सहायता समूह विशेषांक

भारतीय संस्कृति और सभ्यता को उजागर कर राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने वाली हिन्दी, हमारे राष्ट्र की गौरवशाली परम्परा का प्रतीक है । कहीं अच्छा हो यदि ग्रामीण विकास में निरन्तर सेवारत विद्वान अपना चिन्तन, मनन और लेखन मूलत: हिन्दी में कर अपने कार्य और ज्ञान से करोड़ों भारतीय जनसाधारण को लाभान्वित करें।

www.nird.org.in